खण्ड-443, अंक-3
सोमवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(26 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1--2
जनपद बाराबंकी में दलित महिला के साथ घटित घटना को उठाने का प्रयास ..	3
प्रश्नोत्तर ..	4--50
जनपद बाराबंकी में दलित महिला के साथ घटित घटना सम्बन्धी प्रकरण ..	51
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	
आगरा पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत सिकन्दरा, हमीदनगर, जगदीशपुरा, बारहखम्भा, तालीफिरोज खाँ में जल भराव की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
जनपद एटा के पटियाली क्षेत्रान्तर्गत धर्मपुर नगला बैरू मार्ग के शेष 13 किमी0 अधूरे मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
गाजीपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत नोनहरा अलावलपुर मार्ग पर रसूलपुर हबीबुल्ला ग्राम के पास मगई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
जनपद खीरी क्षेत्रान्तर्गत तहसील मोहम्मदी को जिला बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
जनपद बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त पुराने लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
जनपद मेरठ में जलापूर्ति हेतु विकल्प के रूप में उपलब्ध सरफेस वाटर के यथासंभव उपयोग की योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	54
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण एवं टेढ़ी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	54
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुनः पारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न ..	55--56

विषय	पृष्ठ संख्या
वर्ष में तीन अधिवेशन तथा 90 दिन में उपवेशन तथा दो माह के अन्तराल पर 10 कार्य दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	56--59
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	59--62
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 द्वारा समितियों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	62--63
श्री विनोद कुमार यादव स0 वि0 स0 को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	63
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95, ... (सदन के पटल पर रखा गया) ..	64
यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1998-99 का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण .....(सदन के पटल पर रखा गया) ..	64
जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में स्थित ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल एवं घंटाघर को संरक्षित रखे जाने हेतु श्री अनिल कुमार महेश्वरी आदि की हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी) ..	64
जनपद मेरठ के अन्तर्गत गढ़ सोनीपत मार्ग के मेरठ गढ़ भाग पर शाहजहाँपुर, किठौर, नालपुर क्षतिग्रस्त राजमार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग आदि की हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी) ..	64
बजट साहित्य समय से न मिलने पर व्यवस्था का प्रश्न ..	65
आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव.....(स्वीकृत) ..	65
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें...(जारी) ..	66--92
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002(जारी) ..	92--93

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अमर्यादित आचरण किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ..	93
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (जारी)	93
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002(पारित)..	93--107
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या 34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)..... (स्वीकृत)	108--174
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)...(स्वीकृत) ..	174--175
वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 85 सार्वजनिक उद्यम विभाग...(स्वीकृत) ..	175
वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 25 गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन एवं अन्य व्यय)..(जारी) ..	175--178
सदन में आम सहमति के विरुद्ध कतिपय सदस्यों द्वारा चर्चा किये जाने की माँग पर व्यवस्था का प्रश्न ..	178
वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) ...(स्वीकृत) ..	179--180
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर मतदान-अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग ..(स्वीकृत) ..	181
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव.. (स्वीकृत) ..	181
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ..	182

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बलिया के थाना खेजुरी के अन्तर्गत नाथ बाबा मन्दिर पर हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	182
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. (जारी) ..	
जनपद बलिया के थाना खेजुरी अन्तर्गत नाथ बाबा मन्दिर पर हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा ..	182--189
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	190
जनपद बलिया के थाना खेजुरी अन्तर्गत नाथ बाबा मन्दिर पर हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	190--192
नियम 51 के अन्तगर्त सूचनायें (क्रमागत) ..	192--193
जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर एवं पीलीभीत को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मंत्री का वक्तव्य ..	194--95
शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध वित्तीय परामर्शदाता के पद पर जिला पंचायत कानपुर नगर में, कानपुर नगर के मूल निवासी की पोस्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	195
उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों द्वारा अपनी माँगों के सम्बन्ध में किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	195--196
जनपद बदायूँ के प्रमोद इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ..	197
आगरा मण्डल के कृषि भूमि के सीलिंग अधिनियम में शासन द्वारा पुन: संशोधन करने की चर्चा से भयभीत होकर किसानों द्वारा सस्ती दरों पर अपनी भूमि बेचने से उन्हें होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ..	197
जनपद बिजनौर में पूर्वी नहर निर्माण योजना के अन्तर्गत नजीबाबाद गंज रजबाहा की लम्बित अवशेष खुदाई को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी ओइमवेश द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ..	197--198

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद महोबा में तालाबों की खुदाई के नाम पर विभिन्न मदों से करोड़ों रुपये के घपले के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ..	198--203
राजस्व विभाग में लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाये जाने विषयक डा0 वकारअहमद शाह, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	203--204
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में 80 बेड के अस्पताल निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ..	204
जनपद झाँसी के थाना शाहजहाँपुर के गाँव वजीटा में बिजली के तार के चपेट में आए 12 वर्षीय बच्चे की हुई दुर्घटना की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	204--205
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी से बचाव हेतु बने अमवाँ बाँध के टूट जाने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ..	205
जनपद कन्नौज में निर्माणाधीन पुलिस लाइन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम 51के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य. .	206--207
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बालपुर बाजार को गोण्डा फीडर से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	207
जनपद गोण्डा के खराब पड़े नलकूपों के बारे में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य.	207--208

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज के पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	208
उ0 प्र0 में प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक/ अनुदेशिकाओं को शिक्षा मित्रों के रूप में विद्यालयों में समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	208--209
जनपद लखनऊ में पेयजल आपूर्ति प्रदूषित होने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	209--210

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह),श्री	सिद्धार्थनगर
उदय भान सिंह, श्री	वाराणसी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियाँ नवाब	रामपुर
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर / पडरौना
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी - नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

जनपद बाराबंकी में दलित महिला के साथ घटित घटना को उठाने का प्रयास

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री करन आर्य एवं श्री उदयराज सहित कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम करन आर्य –

मान्यवर, 6 साल के बच्चे का सिर काट डाला गया। मान्यवर, वहाँ पर बच्ची से बलात्कार करने की कोशिश की गयी। यह स्थान पुलिस से 10 कदम की दूरी पर था।

श्री छोट लाल–

मान्यवर, दलित महिला के घर में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम 56 के बाद करें।

श्री छोटे लाल–

मान्यवर, वहाँ पर पुलिस के लोग थे। वहाँ का प्रधान पुलिस को फोन करता है।

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य –

मान्यवर, यह दलित राज है और उत्पीड़न जारी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी प्रश्न काल ले लेते हैं। नियम 56 में जो सूचनाएं चयनित हैं और शलाका में आयी हैं। उसके बाद खड़े हो जाइयेगा इस पर विशेष उल्लेख कर लेंगे।

(इस बीच उदय राज जी अपने स्थान पर खड़े हो गये। परन्तु श्री अध्यक्ष जी के कहने पर बैठ गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जहाँ पर दर्जनों लोग डूब कर मर गये हों। मान्यवर, मेरी सूचना शलाका में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना शलाका में आती हैं, उन्हीं को लेने की परम्परा रही है। यही नियम है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को सदन में न लिया जाना उचित नहीं है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न स्थिति हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की माँग

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर्षण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए क्या सरकार केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज मांगने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी हाँ।

सूखे की स्थिति के कारण जो राहत कार्यक्रम चलाये जाते हैं उनका सम्बन्ध सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों से है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का आधार सम्बन्धित विभागों द्वारा सूखा राहत कार्यक्रमों हेतु बतायी गयी उनकी आवश्यकता है। इसके अनुसार रु0 5601.50 करोड़ की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराने हेतु मेमोरेण्डम दिनांक 1-8-2002 को भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, सूखे और अवर्षण से हुई क्षति के बारे में विगत दिनों सदन चिंतित रहा है। पिछले दिनों कुछ बारिश हुई तो यह लगा कि लगातार बारिश से हो सकता है कुछ स्थिति सामान्य हो जायेगी जबकि इस समय बारिश नहीं हो रही है। इस समय प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार सम्बन्धित विभागों द्वारा सूखा राहत कार्यक्रमों हेतु बताई गयी उनकी आवश्यकता है और उसको कम्पाईल करके भेजा जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश में शताब्दी के भयंकर सूखे और अवर्षण की स्थिति से जो क्षति हुई है उसके आंकलन के लिए प्रदेश सरकार ने कोई समिति बनाई या क्षति का वास्तविक आंकलन किया। मान्यवर, 1-8-2002 को एक औपचारिक पत्र भेज दिया कि 5601.50 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है। क्या केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक पैकेज हमें मिला है ? केन्द्रीय कृषि मंत्री अजीत सिंह जी देश के विभिन्न हिस्सों में बयान दे रहे हैं कि जो क्षति हुई है उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को देंगे 5 हजार रुपया जो प्रदेश के किसानों की क्षति हुई है खरीफ की फसल में उसकी भरपाई के लिए केन्द्र सरकार तभी सहायता देगी जब प्रदेश सरकारें वास्तविक क्षति का आंकलन उन्हें उपलब्ध करायेगी। मान्यवर, आज 26 दिन हो गये हैं 80 फीसदी किसानों में हाहाकार मचा हुआ है आपने उसके बाद कौन सा रिमाईन्डर भेजा है ? मुख्यमंत्री जी दिल्ली गयी वे प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी से मिलीं कानून-व्यवस्था आदि के बारे में लेकिन केन्द्रीय कृषि मंत्री से नहीं मिलीं तो कब तक उत्तर प्रदेश सरकार जो सूखे से क्षति हुई है उसमें 500 रुपये प्रति हेक्टेयर या जो भी हो वह कब से वितरित करना शुरू करेंगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने एक स्पेसिफिक प्रश्न पूँछा था कि प्रदेश सरकार केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज मांगने पर विचार कर रही है ? उत्तर दिया गया--जी हाँ। अब आप पूछ रहे हैं कि सूखे में कितनी क्षति हुई है और आपने कितना आंकलन किया ? तो यह प्रश्न अलग है और इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आर्थिक पैकेज में जैसे फूड फार वर्क, तालाबों की खुदाई, नहरों की खुदाई, नहरों की मरम्मत इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। इसे आर्थिक पैकेज कहते हैं। अब यह अपनी आवश्यकता में विभागों ने उनके विभागाध्यक्ष ने कुछ भी भेज दिया कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बन्दूक का लाइसेंस मिल जायेगा तो मेरा कहना है कि बिना क्षति का आंकलन किये हुए किस आधार पर पैसे की मांग की गयी और पैकेज के लिए कौन सी कार्य योजना बनाई है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, विभागवार सहायता देने के लिए मांग प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, भारत सरकार के कृषि मंत्री आये थे लोगों ने उनसे बात की, माननीय राजस्व मंत्री जी भी उनसे मिले थे जो आपने कहा कि रिमाईन्डर नहीं गया है तो उसमें बता दूँ कि उद्यान विभाग और गन्ना विकास विभाग उस पैकेज में सम्मलित नहीं थे हमने उनका भी अलग से भेज दिया कि इन विभागों को पैकेज में सम्मिलित कर लिया जाये। विभागवार पैकेज गये हैं। जो मान्यवर, उनको सब्सिडी देय होती है, जो अग्रिम सब्सिडी दी जाती है उसमें 2940 करोड़ की मांग की गयी है। इसमें क्षतिपूर्ति का कृषि विभाग द्वारा पूरा आंकलन कराया गया और आंकलन के बाद यह पाया गया 2940 करोड़ की क्षति हुई है इसकी मांग की गयी है कि यह क्षतिपूर्ति दिलायी जाय जो किसानों को क्षति हुई है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज बिल्कुल विशिष्ट सवाल पूँछना चाहता हूँ। आपने यह तो बता दिया कि आपने कितनी मांग की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ मिला भी है या नहीं मिला। यदि मिला है तो कितना मिला है यह बता दें ? क्योंकि आज 26 अगस्त हो गया है अगर अब तक पैसा नहीं मिला है तो बाद में पैसा मिलने से क्या फायदा होगा ? दूसरा जो आपने सूखे के लिए राहत कार्य प्रारम्भ करा दिया तो उसको बता दें और तीसरा इससे मिला जुला प्रश्न है, तीनों एक ही जैसे हैं, तीसरा है कि आप जब कहीं मांगते हैं, पैकेज मांगते हैं तो उसका मानक तो होगा। आपके मांगने पर नहीं मिलने वाला है, आपको अपने मांगने के लिए कोई मानक बनाना होगा। किस विभाग ने मांगा यह तो आपने बताया लेकिन विभागों का मानक क्या है ? अवर्षण से क्षति कितनी हुई है तो मैं मानक के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ और पूँछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश को आर्थिक पैकेज मिल गया और वहाँ सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तो क्या आपके यहाँ ऐसा कार्य प्रारम्भ हुआ है। यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहाँ तक भारत सरकार के पैकेज के बारे में जो पूँछा गया है इस संदर्भ में सितम्बर में पहली टीम भारत सरकार की आ रही है वह इस पर इंसपेक्शन करती है हम लोग ब्रीफ करते हैं।

यह टीम जब आती है स्पाट इंसपेक्शन करके तब जाकर वह अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार पैकेज का पैसा रिलीज करती है। अब तक हमको आपदा राहत निधि से भी पैसा मिलता था, दो किश्तों में मिलता था एक अप्रैल में और दूसरा नवम्बर में। सूखे को देखते हुए फिलहाल भारत सरकार ने 60 करोड़ रुपया पहली अगस्त में दे दिया जो नवम्बर में मिलता था। भारत सरकार ने आपदा राहत से 60 करोड़ और दे दिया। यह पैकेज के अलावा है। जो नवम्बर दिसम्बर में मिलनी थी वह अगस्त में 60 करोड़ और पहली किश्त 60 करोड़ जुलाई में कर दिया।

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने पूँछा कि पैसा दिया या नहीं दिया तो मैंने बता दिया कि आपदा राहत में कुछ पैसा आ गया है। शेष जो पैकेज गया है यह सुनिश्चित मद है, भारत सरकार से टीम आती है हम लोग ब्रीफ करते हैं यहाँ से टीम स्पाट इंसपेक्शन करके जाती है तो यह भारत सरकार निर्णय लेती है यह उसके विवेक पर है, भारत सरकार निर्णय लेती है पैकेज के संदर्भ में।

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा है और भारत सरकार से एक किश्त मिल भी गयी है। यह अगस्त माह खत्म हो रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में कहीं राहत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। गाँव में लोग भुखमरी की स्थिति में हैं, किसान खेती नहीं कर पाया जितना किसान ने फसल लगायी भी थी वह भी सब खत्म हो गयी। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कार्य प्रारम्भ हो गया है लेकिन हमारे प्रदेश में पूरे प्रदेश के किसी जिले में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। क्या होगा जब लोग भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे, मरने लगेंगे, अकाल की स्थिति ऐसी बन गयी है तो उससे क्या फायदा होगा ? उसी के साथ-साथ जानवरों को भी चारा नहीं है। सस्ते गल्ले की दुकानों से सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे गरीबों को तत्काल उससे सहायता मिल सके। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार का अपना भी कोष है उस कोष से तत्काल यह कार्य प्रारम्भ करा सकती है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने पूछा कि काम नहीं शुरू हो रहे हैं और विभागवार क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, यह बता दूँ। मेरे पास विभागवार स्थिति है, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत, सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत जितने ऐसे लोग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनको अनाज और धनराशि दे करके यह काम शुरू कर दिया गया है। पाँच विभागों की जो मौजूदा स्थिति है हम उसको विभागवार बता दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सदन जानना चाहता है कि आपने सूखे के मद्देनजर कौन सी कार्य योजना बना करके तैयार की है ? अभी किसी जिले में बैठक नहीं हुई है। इस समय प्रदेश में इस संबंध में कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर किसी ब्लाक में काम शुरू हो गया है तो उस ब्लाक का नाम बता दें। पैसा अभी निर्गत ही नहीं हुआ है। वह सम्पूर्ण ग्रामीण योजना की बात कर रहे हैं संविधान के अनुसार वह प्रधानों का पैसा है।

श्री सुखदेव राजभर–

सम्पूर्ण ग्रामीण योजना है। इसमें सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाएं हैं, यह सब योजनाएं मर्ज कर दी गयी हैं। इसकी तीन एजेंसियां तय की गयी हैं, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति। यह तीनों एजेंसियां हैं इसी से काम कराया जाता है। ग्राम प्रधान प्रस्ताव बनाते हैं, ग्राम पंचायतें योजना बनाती हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार के कृषि मंत्री लखनऊ आये थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चूँकि पूरी रिपोर्ट नहीं दी है इस कारण केन्द्र की टीम उत्तर प्रदेश आयेगी और सर्वे करेगी, उसके बाद आबंटन किया जायेगा। 7 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है और 5.6 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने प्रस्ताव भेजा है इसमें चालू योजनाओं, में कितने करोड़ रुपये का प्रस्ताव है और दूसरा सूखा राहत, काम के बदले अनाज की योजना है जो असिंचित क्षेत्र है। हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देंगे और जो सिंचित क्षेत्र है ढाई सौ रुपये मुआवजा देंगे, इसके लिए सरकार ने कितना पैसा मांगा है ? और क्या मंत्री जी यह बात सही है कि पीठ से निर्देश के बावजूद किसी भी जिले में जिलाधिकारियों द्वारा सूखा राहत के लिये विधायकों के साथ कोई बैठक नहीं बुलाई गई है ? इसके अलावा कहीं भी सूखा राहत योजना नहीं चल रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि जिलों में कितना-कितना पैसा आवंटित किया गया है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा कि सूखा राहत बहुत विभागों से संबंधित है, जहाँ से सूखा में राहत दिया जा सकता है जैसे कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कृषि निवेश पर 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बीज उर्वरक देने की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा सूखाग्रस्त 70 जनपद हेतु 1851.73 करोड़ का आंकलन किया गया है। सभी विभागों ने अपनी-अपनी योजना बनाकर दे दी है कि हम इस पैसे को इस काम में लगायेंगे। अत: केन्द्र को जो भेजा गया है, वह पूरा कार्य योजना सहित भेजा गया है। और हमने उनसे कुल 1892.73 करोड़ रुपया माँगा है।

श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत सरकार से 5601.50 करोड़ की धनराशि माँगी है। इसमें से उन्हें कितना मिल गया है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि यह राशि उन्हें कब तक उपलब्ध हो जायेगी ? आज पूरा प्रदेश सूखे से त्राहि-त्राहि कर रहा है तो क्या सरकार द्वारा राशन की दुकानों से गरीब आदमी के लिये सस्ते दाम पर गेहूँ-चावल आदि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा ? तीसरी बात यह जानना चाहता हूँ कि एस0आर0वाई0 के माध्यम से ब्लाकों से, जिला पंचायतों से काम हो रहा है लेकिन किसी भी जिले में खाद्यान्न के बदले काम योजना नहीं चल रही है, सारे का सारा काम ट्रैक्टरों से हो रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिला। खद्यान्न बाज़ारों में बेचा जा रहा है, अगर इसकी जाँच कराने पर यह सिद्ध हो जायेगा तो क्या माननीय मंत्री जी दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करायेंगे ?

श्री सुखदेव राज[illegible]–

जहाँ तक पैकेज के सन्दर्भ में बेरिया जी ने पूछा है। भारत सरकार की टीम सितम्बर में आ रही है। यहाँ से हम पैकेज बनाकर दे दिये हैं। जहाँ तक दैवी आपदा की बात है, उसका पैसा हमें एडवान्स में मिल गया है। लेकिन जो हमारा पैकेज गया है, उसके सन्दर्भ में भारत सरकार की टीम आयेगी, हम उनको ब्रीफ करेंगे। इस समय जिला पंचायत, क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायतों से सम्पूर्ण ग्रामीण योजना का काम कराया जा रहा है और इसके अलावा बी0पी0एल0, ई0पी0एल0 भी बना दिया गया है और सस्ते दर पर उन्हें गेहूँ उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक काम के बदले अनाज योजना की बात है अगर कहीं पर मानव दिवस सृजित न किये जाने की बात माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे कि वहाँ पर मजदूरों की जगह ट्रैक्टरों व मशीनों से काम किया गया है तो निश्चित रूप से उसकी जॉच कराई जायेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री कौशल किशोर–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूँकि सूखे के कारण जो बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 की श्रेणी हैं, यह मध्यम श्रेणी के किसान और खेतिहर मजदूर किसानों की श्रेणी है क्या खेतिहर मजदूर को भी उस श्रेणी में रखकर अनाज उपलब्ध करेंगे, दूसरा सवाल है कि सूखे के कारण जो किसान कर्जा देने की स्थिति में नही रहे हैं और आने वाल समय में भी नहीं हैं तो जो केन्द्र सरकार से आपने पैसा मांगा है, क्या आपने उसमें इन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए 10 हजार या 20 हजार का कर्जा माफ करने के लिए प्रयास किया है और अपनी तरफ से भी किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ करने के लिए कोई योजना तय की है ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो उसके लिए मैं यह कहूँगा कि इसके लिए हर जगह कार्ड बन चुके हैं, जहां तक हमारे किसानों के ऋणों का सम्बन्ध है, इसमें मान्यवर, दीर्घकालीन ऋण को मध्य कालीन ऋण में परिवर्तित कर देते हैं सूखा में, इसमें कुछ विश्व बैंक की या नाबार्ड की समितियों ने एक पैकेज बनाया है 15 प्रतिशत का है। यह 37.98 करोड़ है। राज्य सरकार कुछ किसानों की दीर्घ कालीन ऋण से मध्य कालीन ऋण बनायेगी। उसमें भारत सरकार का प्रस्ताव है कि मदद करेंगे और जो 15 प्रतिशत जो हमारा मद होता है यह हमको स्वीकृत करा जाय। जो हम दीर्घकालीन ऋण देते हैं पूरे समय के लिए, तो हम टर्म को देखेंगे जो 15 प्रतिशत राज्यांश देना पड़ता है, उसके लिए भी हमने पैकेज बनाया है और उस 15 प्रतिशत से किसानों को राहत देने के लिए भी एक पैकेज बनाया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं उनका जवाब मैं चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

केवल अनुपूरक प्रश्न हों।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, सूखा से सबसे ज्यादा क्षति धान और गन्ना की फसल में हुई है, क्या, अलग-अलग जनपदवार या तहसीलवार कोई सर्वेक्षण कराया गया जिससे यह अनुमान लग सके कि

कितनी क्षति धान की और कितनी छति गन्ने की हुई है। दूसरा प्रश्न यह कि धान और गन्ना की प्रति हेक्टेयर क्षति का अनुमान लगाकर, जो लघु और सीमान्त कृषक हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देने के लिए कोई प्राविधान किया गया है ? यदि किया गया है तो वह क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, शुरू में ही मैंने बता दिया था कि 2940 करोड़ की क्षति हुई है। चाहे जिलावार हुई हो या गाँववार हुई हो, वह पूरा हो गया है। दूसरा प्रश्न मुआवजा से सम्बन्धित है तो मैं बता दूँ कि एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र का ढाई हज़ार रुपये सिंचित को उपलब्ध कराये गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

सर्वे में सब हो गया है धान और गन्ना सब हो गया है। एक अन्तिम अनुपूरक प्रश्न होकर लिया जाय ?

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जगदम्बिका पाल जी ने मूल प्रश्न किया था, मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है अनुकूल जवाब दे रहे हैं, राहत का जो उन्होंने जवाब दिया है कि मांगा है अभी कुछ आदेश नहीं आया और सबसे जो मूल बात है राहत की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 23 जुलाई को जिले को पत्र गया था कि जो भी किसान छोटे-छोटे बकायेदार हैं, उनकी वसूली स्थगित कर दी जाय। क्या स्थगित किया ? अब हमारे यहाँ भी जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्र तहसीलदार को 16 अगस्त को लिखा गया है। जितनी भी बकायेदारी है, चाहे सिंचाई की हो या राजस्व की, वसूली शुरू कर दी जाय। मान्यवर, बकाया वसूली शुरू कर दी गयी है और बकायेदारों को पुन: तहसील में बन्द किया जाने लगा है।

श्री अध्यक्ष –

यह अनुपूरक प्रश्न, मूल प्रश्न से नहीं उठता है।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित है। एक तरफ राहत कार्य की बात हो रही है दूसरी तरफ राजस्व की वसूली जारी है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्व वसूली को माफ करके, जिन्हें तहसीलों में बन्द किया जा रहा है उस पर रोक लगायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

सचान जी, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। मूल प्रश्न है केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज माँगने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 श्री जगदम्बिका पाल जी का नाम पुकारे जाने पर]

श्री राम करन आर्य –

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा था, लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं।

(श्री आलमबदी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आर्या जी एवं आलमबदी जी कृपया स्थान ग्रहण करिये। 20 मिनट की जगह इस प्रश्न पर आधे घण्टे हो गये। इसी विषय पर मद संख्या-15 में चर्चा लगी है। उस समय अपनी बात रखियेगा।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, कृपया बैठ जाईये। मैंने आर्या जी एवं बदी साहब को अनुमति नहीं दी। अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगला प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है। आज प्रदेश में सूखे के नाम पर एक पैसे का कार्य नहीं हो रहा है। न 10 हजार रुपये तक के कर्ज माफ किये गये, न छात्रों की फीस माफ की गयी है, राहत कार्य के नाम पर एक पैसे का कार्य प्रारम्भ किया ही नहीं गया। कहने को तो यह माननीय प्रधानमंत्री और कृषिमंत्री का प्रदेश है। मान्यवर, यह नक्कारी सरकार है, यह किसानों की अनदेखी कर रही है। इसके नीतियों के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के एक सदस्य के साथ सदन का त्याग किया)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत काम के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना

1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे की स्थिति देखते हुए काम के बदले खाद्यान्न योजना प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्तमान समय में प्रदेश में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मजदूरी/रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रति मानव दिवस 5 किलोग्राम चावल के साथ 23 रु0 नकद अथवा 6 किलोग्राम गेहूँ के साथ 28 रु0 नकद मजदूरी दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत आभारी कि आपने कृपा पूर्वक अपना संरक्षण दिया है। पहले प्रश्न पर काफी माननीय सदस्यों को समय दिया। यह जो तारांकित प्रश्न है, उसी से जुड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सभी लोगों की चिन्ता है कि प्रदेश मे सूखे की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये उपाय किये जायँ, रोजगार सृजित किये जायँ। मेरा प्रश्न था कि सूखे की स्थिति देखते हुए क्या काम के बदले खाद्यान्न योजना, फूड फार वर्क चलाया जा रहा है । आपने उत्तर दिया है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी धनराशि भेजी है और उस सम्पर्ण ग्रामीण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ?

इस योजना के अंतर्गत जो रोजगार परक कार्य हैं वह किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में इन्होंने प्रारम्भ किया है और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में तमाम जनपदों से जिलाधिकारियों से और डी0आर0डी0ए0 की बैठकों से प्रस्ताव आये हैं ? जो मजदूरी रखी गयी है अगर वह चावल लेगा तो 5 किलो चावल के साथ 23 रुपये नगद अथवा 6 किलो गेहूँ के साथ 28 रुपये नगद मजदूरी दी जायेगी। जो आप गेहूँ या चावल देने की बात कर रहे हैं तो 58 रुपये मजदूरी निर्धारित की गयी है। क्या कोई मजदूर गेहूँ चावल न लेना चाहे तो उसके बदले उस मूल्य की धनराशि नकद देने पर विचार करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय पाल जी ने पूछा कि काम के बदले अनाज योजना क्या है ? मैंने बताया कि हम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चला रहे हैं। सन् 1980 में इस प्रकार की योजना चालू की गयी थी जिसमें केवल अनाज मिलता था। मजदूरों ने दबाव डाला कि पैसा भी मिलना चाहिये जिससे तेल, मसाला आदि खरीद सकें। इसलिये 10 रुपये बढ़ा दिये गये थे। मजदूरों का फिर दबाव पड़ा कि 100 परसेंट अनाज दिया जा रहा है जिससे दिक्कत हो रही है इसलिये भारत सरकार ने निर्णय लिया जो सुनिश्चित रोजगार योजना है, और जवाहर रोजगार योजना है इसको मर्ज कर दिया गया। सम्पूर्ण रोजगार योजना में । हम काम के बदले अनाज दे रहे हैं और उसके साथ लगभग 50 प्रतिशत धनराशि नकद दे रहे हैं। इस योजना में छोटे तालाबों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, गूल एवं माइनर निर्माण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, तालाबों का निर्माण इसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किया जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कच्चे काम कराये जा रहे हैं। 20 प्रतिशत कार्य पर खर्च होता है और 20 प्रतिशत सामग्री पर। जो रेट दिये जाते हैं वह भारत सरकार के निर्देश के अनुसार दिये जाते हैं जो बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 है उसके मध्य का रेट तय किया है। ट्रांसपोर्ट और लोडिंग का 50 रुपये प्रति क्विंटल और लगता है तो यह रेट भारत सरकार के निर्देश के आधार पर तय किये गये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी ने बताया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चला रहे हैं। मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तो पहले से ही चल रही थीं। मेरा प्रश्न यह था कि जो सूखे की स्थिति है इसको देखते हुये प्रदेश सरकार की क्या योजना है ? जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के लिये लगातार कई वर्षों से धन आवंटित होता रहा है। अगर सूखा न भी पड़ता तो इन दोनों योजनाओं के लिये पैसा ग्राम सभाओं को जाता है। मेरा प्रश्न है कि सूखे की स्थिति को देखते हुये सरकार कौन-सी रोजगार योजना चलाना चाहती है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट किया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की है। जो हमारी जवाहर रोजगार योजना है और सुनिश्चित रोजगार योजना है उसको सम्पूर्ण ग्रामीण योजना में मर्ज कर दिया गया है। जो सूखा और राहत के कार्य हैं उनकी मंशा को समाप्त नहीं किया गया है। इस तरह की जो भिन्न-भिन्न योजनायें थीं उनको मिलाकर उसका नाम

सम्पूर्ण रोजगार योजना कर दिया गया है। गरीबों को अनाज देना व पैसा देना इस योजना के अन्तर्गत हो रहा है। सूखे को देखते हुए भारत सरकार को एक लेटर लिखा गया है कि अनाज बढ़ा दीजिए, व 3242 करोड़ रुपये की मांग की गई है। यह योजना जो है वह सभी गरीबों के लिए, किसानों के लिए मजदूरों के लिए है। जो मानव दिवस सृजन करते हैं वह इसी योजना का स्वरूप प्रधानमंत्री ने दिया है। हमने लक्ष्य बढ़ाया है और अनाज बढ़ा दिया।

(नेता विरोधीदल) श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, सही बात यह है कि उत्तर नहीं आ रहा है। यह योजनाएं हर साल चलती हैं। मैं आपका संरक्षण चाहूँगा। बार-बार सवाल हो रहा है क्योंकि सूखा भयानक पड़ा जिसको हमने अकाल कहा। केन्द्र सरकार से आप मांगेंगे आपने मांगा है यह अच्छी बात है। केन्द्र सरकार अगले साल तक या दो साल बाद देगी। लेकिन इस वक्त प्रदेश सरकार जो इस वक्त किसान की बुरी हालत है उससे निपटने के लिए सरकार की अपनी क्या योजना है। दूसरे यह जो योजनाएं चल रही हैं आपके कागज पर लेकिन प्रेक्टिकली कहीं पर योजनाओं की शुरूआत नहीं हुई है। तीसरे यह जो गेहूँ दिया जाता है वह बहुत ही घटिया दर्जे का होता है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जब भी योजना शुरू हो काम के बदले अनाज देने की योजना आपने कहा शुरू है लेकिन हमारे यहाँ यह शुरू नहीं हुई और जगह शुरू हो गई हो तो अनाज अच्छा हो।

इसके अलावा एक बात और है किसान बेरोजगार है किसान के पास काम नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है अगली फसल आने तक तो या तो सरकार मदद करे या सरकार के ऊपर जो एक पैसा है सरकार उस पैसे की अदायगी कर दे। सरकार ने यह वायदा किया था कि किसानों का जितना भी बकाया है वह बकाया सरकार अदा कर देगी अभी तक उस बकाए की अदायगी की शुरूवात नहीं हुई है। यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है लेकिन स्प्रिट वही है। स्प्रिट है किसानों की राहत का। तो प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है ? केन्द्र सरकार कब तक पैसा दे देगी ? बार-बार आश्वासन दिया गया कि किसानों का गन्ना मूल्य जो उनका है बकाया है काफी है काफी जमाने से उसकी अदायगी कब शुरू कर देंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है। यह भी भारत सरकार की योजनाएं हैं। पाल साहब ने कहा कि काम के बदले अनाज की योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है। मैंने स्पष्ट कहा कि प्रश्न के लाइट में कि इस तरह की योजना नहीं बल्कि इस तरह की योजनाओं को समाहित करके सम्पूर्ण कार्यक्रम रोजगार के रूप में हम चला रहे हैं। इस योजना में प्रदेश सरकार का 100 में 25 प्रतिशत हिस्सा है। इस योजना में 75 प्रतिशत भारत सरकार का पोषण है 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का है। इसलिए हम अपने अनाजों को पूरा-पूरा भारत सरकार की योजनाओं में समाहित करके प्रदेश के मजदूरों को, गरीबों, किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं। विभागवार जो प्रस्तावों का आवंटन किया है। उसमें भी विभागवार आवंटन किया है। मैंने नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दे दिया है। अगर नेता प्रतिपक्ष चाहें तो विभागवार कितना आवंटन अपने स्तर से दिया है सारी जानकारी नेता प्रतिपक्ष को दे सकते हैं । लेकिन इसकी सूचना लेनी पड़ेगी। जो रोजगार देने का काम है गाँव वालों को मानव दिवस सृजित करते हैं वह इसी योजना के अन्तर्गत करते हैं। चाहे

काम के बदले अनाज हो या जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, गांव पंचायत के माध्यम से इन योजनाओं के आधार पर सूखे के संदर्भ में तालाब की सफाई ऐसे कामों को किया जा रहा है। जिसमें मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाता है। इस प्रश्न का मतलब है कि आप कुछ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं ? मान्यवर, हमने पहले बताया कि हम ग्राम पंचायत के आधार पर कार्य योजना बनाकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। यह 100 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का है।

जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कर्जे की माफी के लिये कहा। मान्यवर, मैंने कहा कि हम इस तरह का नहीं कि किसानों से जुड़े हुए ऋणों के बारे में । हमने किसान का जो गन्ना बकाया के सम्बन्ध में इतनी राहत दी है कि जो गन्ना उत्पाद किसान हैं, जिनके पेमेन्ट रुके हैं गन्ने के, जब तक उनको पेमेन्ट गन्ने का न हो जाय तब तक उनसे न कोई वसूली की जाय और न ही उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। दूसरा जैसा कि कहा गया कि सूखे के सम्बन्ध में तमाम शिकायतें आ रही हैं कि कोई कार्य योजना इस हेतु लागू नहीं हो रही है, न ही उनका अनुपालन हो रहा है मान्यवर, इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि हमने डी0एम0 को निर्देश दे दिये थे कि किसी छुट्टी के दिन वे अपने-अपने जनपदों में एक बैठक करा लें जिसमें वहां से विधायकगण भी शामिल हो सकें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, अभी परसों जब सत्र चल रहा था उस दिन हमारे यहां मीटिंग हो गई और हम उसमें भाग नहीं ले पाये क्योंकि यहां सदन चल रहा था।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आगे वाली भी तो सुन लें। इसके लिये तो शासनादेश हैं कि जब सदन आहूत हो तो उन दिनों मीटिंग न बुलाई जाय।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह शासनादेश तो पहले से हैं कि सदन जिन दिनों चल रहा हो उन दिनों मीटिंग ऐसे न बुलाई जाय। एक दिन की छुट्टी यदि सदन की होती है तो भी न बुलाई जाय क्योंकि तमाम माननीय सदस्य दूरी के कारण अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं। मान्यवर, यह तो तिवारी जी और अन्य सदस्यगण संज्ञान में लाये थे इसलिये मैंने जिलाधिकारियों को मीटिंग के निर्देश दिये थे कि छुट्टी वाले दिन मीटिंग करा लें। सदन के दिनों में इस तरह की मीटिंग न की जाय इसके शासनादेश हैं अगर कहीं हुई है तो मैं फिर से इस सम्बन्ध में अवगत करा दूँगा। किसी छुट्टी के दिन मीटिंग बुला लें ताकि गुण दोष के आधार पर जो भी कमियां पाई जायं और जैसा माननीय विधायकगण शासन का ध्यान आकृष्ट करायें, उस सम्बन्ध में एक समीक्षा हो जायेगी। मैंने बताया कि हमारी कार्य योजनाएं हैं उसके लिये धन आवंटित हो गया है खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जहाँ पर कार्य योजना लागू नहीं हुई है वहाँ जिलाधिकारियों को निर्देशित कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, 25 प्रतिशत के बगैर तो योजना इफैक्टिव नहीं होगी। 25 प्रतिशत के बगैर तो यह स्कीम अमल में नहीं आ सकती। 25 प्रतिशत देना है, केन्द्र सरकार के निर्देश से देना है। वह तो मस्ट है, उसके बगैर तो स्कीम इफैक्टिव नहीं होगी। यह तो स्कीम के इफैक्टिव होने की शर्त है। प्रदेश सरकार क्या दे रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं 25 प्रतिशत सरकार का योगदान तो अनिवार्य है, उसके अतिरिक्त सरकार और क्या दे रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश सरकार ने जो आवंटन किया है, उसके बारे में मैंने शुरू में बता दिया। सूखा राहत में जो संबंधित विभाग हैं उनका अलग-अलग ब्रेक-अप है।

श्री अध्यक्ष–

उस समय नेता प्रतिपक्ष नहीं थे सदन में।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

एक-एक क्रम से बोलने दीजिये तो अच्छा रहेगा। पहले कुँवर रेवती रमण सिंह, उधर से शुक्ला जी, इधर राम करन जी फिर पाल जी।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया, इन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए पूरे प्रदेश में क्या कार्य योजना है उसका उल्लेख किया दूसरा इसका पहलू है कि किसानों को आज की तारीख तक क्या राहत दी गई, अगर नहीं दी गई तो क्या सरकार की योजना है ? मान्यवर, अपर जिला अधिकारी का 16 अगस्त, 2002 का पत्र है इस अर्धशासकीय पत्र में लिखा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वसूली बंद हो गई है यह लिखा है कि 52 प्रतिशत वसूली राजस्व देय की हो चुकी है 60 फीसदी वसूली सिंचाई शुल्क की हो चुकी है। एक तरफ वसूली की जा रही है फिर नीचे की लाइन देखें इसमें लिखा है कि इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा वसूली में कोई रुचि नहीं ली जा रही है अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मुख्य देय, विविध देय की वसूली का एक अभियान चलाकर वसूली को शत-प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मान्यवर, एक तरफ सरकार कह रही है कि देय रोक दिए हैं, सरकार ने आज तक घोषणा नहीं की कि किसानों के लिए क्या कार्य योजना बनाई है, 16 अगस्त का पत्र है पूरे प्रदेश में वसूली जोर-शोर से की जा रही है। माननीय मंत्री जी सदन को भ्रमित कर रहे हैं। इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने सदन में जो बयान दिया था वह सबके संज्ञान में है हो सकता है मुझे पूरा स्मरण न हो, आपने कहा था कि कृषि देय की वसूली स्थगित की जाएगी, उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हो, ट्रैक्टर एक चीज संभवत: और थी उसकी वसूली नहीं होगी, जिन किसानों को अपने उत्पाद का देय देना है जब तक उनका भुगतान नहीं होगा उसकी वसूली नहीं होगी। जो अपर जिलाधिकारी का पत्र पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं है कि किसानों की वसूली कराएं । अगर सदन में घोषणा की गई है वसूली के सम्बन्ध में, इसमें मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री सुखदेव राजभर–

आपने एक निर्देश दिया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया ऋणदाताओं को बन्द किया जा रहा है एक-एक कमरे में कई-कई लोगों को बन्द किया गया। उत्पीड़न का काम हो रहा है जब शासन ने कहा कि वसूली रोक दी तो नहीं होनी चाहिए। हमने चीफ सेक्रेट्री को आपके निर्देशानुसार पत्र लिखा था हर जनपद को पत्र चला गया किसानों के जो देय हैं, जो ऋण हैं जो कृषि से संबंधित हैं उनको स्थगित कर दिया जाए। ट्रैक्टर आदि से संबंधित ऋण की वसूली न की जाए, यह पिछले सप्ताह कहा गया था यह निर्देश गए हैं। इस तरह की वसूली जो किसानों, कृषि से संबंधित ऋण है या जो गन्ना किसान हैं जहां भुगतान न हुआ हो वहां वसूली हो रही है. . . . .

श्री अध्यक्ष–

उसमें कड़ी कार्यवाही करा लें ताकि सदन में दिए गए वक्तव्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिये।

श्री सुखदेव राजभर–

इसमें कड़ी कार्यवाही करेंगे जब निर्देश है तो उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

श्री आलम बदी–

मान्यवर, 16 करोड़ जनता. . . . .

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री आलम बदी–

सरकार ने कहा कि योजना बनाई है मंत्री जी ने कहा काम के बदले अनाज की योजना बना रखी है। काम के बदले अनाज योजना जो है, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी अवगत होंगे कि यह जनता के साथ धोखा है। किसी भी काम करने वाले को अनाज नहीं मिल रहा है. . . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो करें। यह भाषण नहीं हो रहा है।

श्री आलम बदी–

तो मान्यवर, जो ठेकेदार हैं वह नकद मजदूरी दे रहा है। यह अनांज कितने प्रतिशत लोगों को मिल पा रहा है ? इन्होंने कहा कि हमने यह योजना बना रखी है। जनता को सहायता देंगे। मेरा विश्वास है कि जितना जनता की समस्याओं से यह अवगत हैं उतना अधिकारी अवगत नहीं है जनता की समस्या का क्या हल होगा ? यह सदन को तय करना है और यह सदन तय करें। और अधिकारी इसको अमल में लायें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो यह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ हुई है उसका प्रारूप क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी जो भी कार्य सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होते हैं या चलाये जा रहे हैं उसकी सूची या कार्य योजना माननीय विधायकों को उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी आवश्यकता नहीं है। आप पत्र जात देखकर जानकारी कर सकते हैं।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, दूसरा जो सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत जो गेहूँ जा रहा है यह अधिकारियों की मिली भगत है, मेरी शिकायत है कि साढ़े पांच कुन्तल गेहूँ मण्डी परिषद् में बेचा गया .....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री घनश्याम शुक्ल–

जिलाधिकारी ने 1-8 को रिपोर्ट भेजी है क्या माननीय मंत्री जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से सूचना दीजिये।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ अभी यह जो आँकड़े का जाल पढ़ा जा रहा था, इन सारी चीजों को छोड़कर सभी जगह, खासतौर से हमारे पूर्वांचल में खाद्यान्न योजना नहीं चलायी जा रही है और लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल यह है कि एक हफ्ते के अन्दर जिस प्रकार से 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने खाद्यान्न योजना चलायी, उसी तरह से चलायेंगे ? जो वह योजना की बात कर रहे हैं वह तो हर साल चलायी जाती है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि एम0एल0ए0 को निधि पक्का काम कराने के लिए दी जाती है। अगर कच्चा काम भी होता तो हम लोग भी मिट्टी आदि का काम कराते। यह लिखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या फ्री करेंगे और वहां अधिकारियों को सूचित करेंगे कि एम0एल0ए0 लोग अपनी निधि से कच्चा-पक्का सभी काम करा सकते हैं ? तीसरा सवाल है, यह बहुत अहम सवाल है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जहाँ पर सूखा है वहाँ पर प्रति एक एकड़ में एक हजार रुपया दे रहे हैं। क्या एक एकड़ में एक हजार रुपये का अनाज पैदा होता है ? मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक एकड़ में 10 हजार रुपया दिया जाय। यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारे एक वरिष्ठ नेता श्री कुं0 रेवती रमण सिंह जी ने कही जो यह सूखे के राहत कार्यों को किये जाने के संबंध में थी। मान्यवर, 16-8-2002 को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी के परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तारी का कोई प्रकरण हुआ हो तो उसको गंभीरता से लेकर 24 घण्टे में उसकी समीक्षा करके उसको तत्काल रिहा किया जाय। मान्यवर, एक पत्र इसी से संबंधित

18-8-02 को भेजा गया है। जहाँ तक श्री राम करन आर्य जी के प्रश्न की बात है। तो मैं इस के संबंध में कहना चाहता हूँ कि अगर विधायक निधि से करने के आदेश दिये जायें तो कहा जाता है कि अम्बेडकर गांव के लिए करने के आदेश दिये गये हैं। जो आदेश दिये गये हैं उनका उद्देश्य अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करना है। जहाँ तक विधायक निधि से कच्चे काम करने के प्रस्ताव का सवाल है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 2-4 प्रतिशत कच्चा काम भी इसमें हो सकता है।

कुं0 रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह यह जी0 ओ0 करेंगे कि विधायक, विधायक निधि से कच्चा काम भी करवा सकता है ? और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि से करवाया जाने वाला कच्चा काम 10 से 20 प्रतिशत होना चाहिए। मान्यवर,पूरे प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। मान्यवर, इस सरकार ने विधायक निधि से कच्चा काम करवाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। विधायक, विधायक निधि से कोई कच्चा काम नहीं करवा सकता है। मान्यवर, विधायक को विधायक निधि के रूप में मात्र 5 लाख रुपये मिलते हैं। एक कि0मी0 की सड़क बनवाने में 14-15 लाख रुपये लगते हैं। इस तरह से हम 75 लाख रुपये में सिर्फ 5 कि0मी0 सड़क बनवा सकते हैं। मान्यवर, आपसे आग्रह है कि इसमें संशोधन करवा दें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक विधायक निधि के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का संबंध है। इसके लिए मानक बने हुए हैं। यह कार्य सी0डी0ओ0 के यहां से योजनाबद्ध तरीके से किये जाते हैं। जहाँ पर खड़ंजे का काम होना होता है वहां पर खड़ंजा लगाते हैं। पहला लेपल लगा देते हैं। यदि धन की कमी आ रही हो तो लेपल तो करा ही सकते हैं। मान्यवर, इस समय जो कच्चा काम इस योजना से करवाया जा रहा है। अपेक्षा तो यह है कि विधायक निधि के द्वारा कच्चा काम करवाया जाय। इस संबंध में जैसा आप कहें वह ठीक होगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय सिंचाई मंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि बहुत से ताल हैं और उन तालों के नाले पट गये हैं। सिंचाई विभाग इन नालों की सफाई नहीं कर रहा है। अगर कच्चे काम पर अनुमति नहीं देंगे तो जैसे तालों से पानी की निकासी के लिए नालों की खुदाई कैसे करवा पायेंगे ? क्या कच्चे कामों के अन्तर्गत नालों की सफाई की अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह जो विषय आया है बहुत से माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की है। आज मद संख्या-15 पर सूखे पर चर्चा लगी है। हम बजट के बाद इस विषय पर बात कर लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अब इसे नियम-49 में दे दें ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है नियम 49 में इसे करा लेते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, आप के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण रोजगार योजना है वह तीन चरणों में करायी जाती है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। जनपद एटा द्वारा सम्पूर्ण कार्य मशीनों द्वारा कराया गयां है क्या इसकी जांच करायेंगे और दोषी पाये जाने पर इसमें रिकवरी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले लीजिये और आवश्यक कार्यवाही करायें।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य आप लिखकर के दे दीजिये।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, विषय सूखे का चल रहा है। मान्यवर, राष्ट्रीय बीमें के अंतर्गत जो ऋण लिया जाता है किसानों द्वारा उसमें बीमें की कटौती हो रही है। गन्ने की बुवाई जो होती है वह जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में होती है।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं आता है आप अलग से सूचना दीजिये।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, जनपद बाराबंकी में सम्पूर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न जो भारत सरकार द्वारा आवंटित है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सड़ रहा है। मान्यवर, मार्च से अभी तक कार्य इसलिए नहीं प्रारम्भ हुआ क्योंकि खाद्यान्न पंजाब से आवंटित है। तो यह बात आ गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर टैक्स दे या पंजाब सरकार टैक्स दे। तो इस सीमा विवाद के कारण जो 4 प्रतिशत टैक्स का मामला है इसका निस्तारण कब तक हो जायेगा ? मान्यवर, इसका संज्ञान ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप की शिकायत का संज्ञान ले लीजिये।

श्री उदयराज–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने कोई नई कार्ययोजना नहीं शुरू की है केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना का नाम देने का काम किया। शायद आप भी भलीभांति अवगत होंगे कि इसके पहले सुनिश्चित रोजगार योजना चला करती थी उसका नाम बदलकर वर्तमान सरकार ने उसको खत्म करके सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना का नाम दे दिया। उक्त योजना के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी ने 28 रुपया मजदूरी और 30 रुपये का गेहूँ को देने की योजना चलाई थी आज तमाम जनपद ऐसे हैं, उन्नाव जनपद का मैं बताना चाहता हूँ उन्नाव जनपद में जो भी काम जिला पंचायत या जो ग्राम सभाओं से कराया गया है उसमें मजदूरी तो 28 रुपये के हिसाब से दे दी गयी है लेकिन अनाज का कूपन जो परियोजना निदेशक के द्वारा कोटेदार को जारी होना था आज तक जारी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री उदयराज–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की लापरवाही बरते रहे हैं 2-2, 3-3 महीने से जिन लोगों ने काम किया है वह कूपन लिये घूम रहे हैं तो इसमें क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह आपका नीतिगत प्रश्न है अगर आप ब्योरे की बात करना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कीजिए।

प्रदेश में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण तथा वादकारियों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हाँ।

लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु नियमित न्यायालयों के अतिरिक्त सरकार ने प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियाँ गठित कर रखी हैं जो लोक अदालतों/शिवरों के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर वादों को शीघ्रता से निस्तारित करती हैं। उक्त के अतिरिक्त 206 फास्ट ट्रैक कोर्ट लम्बित सत्र वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु सृजित किये जा चुके है, साथ ही 70 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों/विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गयी है ताकि लघु प्रकृति के दाण्डिक वादों को शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके। अपने वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुये सरकार अतिरिक्त न्यायालयों का भी सृजन करती है। गत वर्ष अतिरिक्त जिला जज स्तर के 40 सिविल जज (सी0 डि0) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के 3 और सिविल जज (जू0 डि0) स्तर के 4 अतिरिक्त न्यायालयों का सृजन वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर किया गया । अभी हाल में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 13 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गयी है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 के उपबन्धों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त होने के कारण, मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर उनकी सहमति से अधीनस्थ न्यायालय और तत्सम्बन्धी पद सृजित किये जाते हैं। शेट्टी आयोग ने यह संस्तुति की है कि 10 लाख की जनसंख्या पर 58 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या 17 करोड़ है, इसलिये 8500 न्यायालय होने चाहिए इनमें से 2136 न्यायालय पूर्व में सृजित हैं, अवशेष 6364 न्यायालयों के

सृजन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मांगा गया है क्योंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 की व्यवस्था के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति मा0 उच्च न्यायालय को प्राप्त होने के कारण वही यह बता सकते हैं कि कितने न्यायालय सृजित किये जायें, किस संवर्ग में सृजित किये जायें और कहाँ पर सृजित किये जायें।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, इसके पहले कि मैं अनुपूरक करूँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एजेन्डे में लगे हुए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आज इन्हीं दो प्रश्नों पर अधिक समय लग गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं ? कभी-कभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को देखते हुए माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूँछने दिया जाता है। आप अनुपूरक करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार की यह नीति है कि वादकारियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करे और उसके तहत बहुत कुछ सरकार ने अपनी योजना को बताया है और उसमें सरकार ने भी स्वीकार किया है शेट्टी आयोग के अनुसार मान्यवर, शेट्टी आयोग ने कहा है कि प्रदेश की आबादी 17 करोड़ है और इसके अनुसार 8500 न्यायालय होने चाहिए और उनमें से वर्तमान में सिर्फ 2136 न्यायालय हैं और अवशेष 6364 न्यायालयों के सृजन की आवश्यकता है। इससे यह स्पष्ट है कि जितनी आवश्यकता है उसके एक तिहाई ही है और दो तिहाई की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो अवशेष न्यायालय अभी होने चाहिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसका प्रस्ताव कब माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया और आज जो आपने कहा है जितने न्यायालयों का सृजन किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट आदि तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उनके सृजन के बाद से जो लम्बित मुकदमें हैं उनकी तुलनात्मक स्थिति मे कोई परिवर्तन आया है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहाँ तक शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट की बात है जजेज एसोसियेशन ने मुकदमा दायर किया उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 21-3-02 को यह संस्तुति लागू करने का निर्देश दिया और अब इस शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो जजेज एसोसियेशन ने रिट दाखिल किया था उसमें निर्देश हुआ फिर हमने 18-4-02 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में मांग की गयी थी कि न्यायालय किस स्तर के खोले जाँच माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव से ही सृजन हो सकता है मैंने 21 जुलाई, 2002 को रिमाइन्डर भेज दिया है इस बिन्दु पर भारत सरकार 15 सितम्बर, 2002 को एक बैठक बुलायेगी। भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 18-4-2002 को माननीय उच्च न्यायालय को भेजे गये पत्र तथा 2 जुलाई, 2002 को भेजे गये रिमाइन्डर, इन सभी प्रस्तावों पर भारत सरकार 15 सितम्बर, 2002 को एक बैठक बुलायेगी। माननीय उच्च न्यायालय से इसके लिए निर्देश की अपेक्षा है। सब उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। हमने रिमान्डर दे दिया है, हम सचेष्ट हैं।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने, जहां-जहां न्यायालय/कोर्ट खोलने के लिए प्रस्ताव मांगा है, आपको चिट्ठी लिखी है कि आप भवन उपलब्ध करा दें, भूमि उपलब्ध करा दें। क्या आप तत्काल उस पर कोई कार्यवाही करेंगे कि वह खुल जायें ? जमीन ट्रांसफर करने की बात है, राजस्व विभाग में न्याय विभाग में, ऐसे प्रकरणों में जल्दी करा देंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

ऐसे कोर्ट जो तहसील स्तर पर हैं, इस पर जो प्रोविजन था उस पर एक रिपोर्ट आई, जजेज के आधार पर। कहीं जमीन उपलब्धता का सवाल है, मकान उपलब्धता का सवाल है। यह भी निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद होंगे। चाहे जमीन उपलब्धता का सवाल हो, चाहे मकान उपलब्धता का सवाल हो उस पर निर्णय लिये जा रहे हैं। उच्च न्यायालय की गाइड लाइन्स पर ही हम निर्णय ले पायेंगे।

श्री श्याम देवराय चौधरी–

मान्यवर, मैं केवल जानना चाहता हूँ कि ज्यादातर दीवानी के मामले बहुत दिनों से लम्बित पड़े हैं क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दीवानी के लम्बित वाद हैं उनके शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट को सृजित करने का काम करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

सत्र न्यायालय या दीवानी में जो मामले चल रहे हैं उनके लिए लोक अदालत का सृजन करते हैं जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाये गये हैं। ऐसे दीवानी के मुकदमों के निस्तारण के लिए अदालतों से अचीवमेंट मिला है उस आधार पर हम कोई निर्णय लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि चौधरी जी ने मूल प्रश्न में चिन्ता जतायी है कि मुकदमों का भण्डार हो गया है। सन् 1974 के सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन में जिन छात्र नेताओं और नेताओं पर मुकदमा दायर किया गया था, आज तक लम्बित हैं और जो छात्र नेता विश्वविद्यालय में सन् 1974 के समय थे उनके खिलाफ मुकदमें पंजीकृत किये गये थे। उन पर आज भी कार्यवाही चल रही है। केवल तारीख बढ़ती है। तो क्या ऐसे मुकदमों को जो सम्पूर्ण क्रान्ति के समय से लम्बित हैं उन मुकदमों को वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह इससे सम्बन्धित नहीं था लेकिन यह अच्छा प्रश्न उठाया है। इसे किसी और सुसंगत नियम में ले आइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह मुकदमें लम्बित पड़े हैं केवल तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। उसी को आधार मानकर कई छात्र नेताओं पर गुण्डा ऐक्ट, रासुका आदि लागू करने के लिए कार्यवाही हो रही है। क्या ऐसे मुकदमें सरकार वापस करा लेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जिन भी मुकदमों के संबंध में चौधरी साहब ने कहा है, यह हम लोगों की जितने बिन्दुओं पर कार्य योजना है, उसमें मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करना भी है। इसमें मुकदमें वापस करने का नहीं है। वादकारियों की स्वेच्छा है, चाहे तो लोक अदालत अथवा किसी भी न्यायालय में, जहाँ त्वरित गति से मामले निस्तारण किये जा रहे हों, उसको सन्दर्भित करा सकता है, वहाँ तत्काल निर्णय हो जायेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी निर्णय हो जाये।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मेरे ऊपर 1974 से 5 मुकदमें लम्बित हैं, उसमें एक भी मुकदमा क्रिमिनल नहीं है। यह मुकदमें उस समय के हैं, जब मैं छात्र नेता था और यह सब राजनैतिक आन्दोलन से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये अथवा किसी सुसंगत नियमों में सूचना दीजिये। यह नीति विषयक प्रश्न है, इसमें मंत्री जी के पास कहाँ विस्तार से ब्योरा होगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट–नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में घोषित अम्बेडकर ग्रामों को पूर्ण रूप से संतृप्त करने सम्बन्धी योजना की जानकारी

*3–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में शासन द्वारा जून, 2002 तक घोषित अम्बेडकर ग्रामों को पूर्ण रूप से संतृप्त करने की कोई विशेष योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां।

योजना चयनित अम्बेडकर ग्रामों को 11 प्रमुख कार्यक्रमों यथा सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, नाली/खड़न्जा निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, नि:शुल्क बोरिंग, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास, पेयजल, स्कूल भवन निर्माण, किसान पेंशन, विधवा पेंशन से संतृप्त करने की है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लम्बित जांच को पूर्ण कराने की मांग

*1–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 2002 तक प्रदेश में कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जांच हेतु लम्बित हैं ? सरकार लम्बित जांच को कब तक पूरा करा लेगी ?

सुश्री मायावती–

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उ0 प्र0 संवर्ग के कुल 58 अधिकारियों के विरुद्ध जाँच के मामले हैं।

उपरोक्त जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है, अत: जांच पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आई0 एस0 आई0 एजेन्ट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्य-योजनाओं की जानकारी

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 2002 तक प्रदेश में कितने आई0एस0आई0, एजेन्ट पकड़ में आये हैं ? क्या उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई कार्य-योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य-योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1992 से 30 जून, 2002 तक 32 आई0एस0आई0 एजेन्ट गिरफ्तार किये गये हैं।

उ0 प्र0 शासन द्वारा आई0एस0आई0 एवं उसके पोषित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :--

(1) संवेदनशील जनपदों की जिला/मंडल स्तर पर समीक्षा।

(2) अभिसूचना विभाग के अंतर्गत विशेष कोष्ठ का गठन।

(3) उ0 प्र0 नेपाल सीमा पुलिस का गठन।

(4) स्पेशल टास्क फोर्स का गठन।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

*2–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सुविधा पुन: बहाल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मायावती–

जी हाँ। समूह "ग" एवं "घ" के सरकारी सेवकों को सेवाकाल में अनुमन्य अवकाश गदीकरण की सुविधा को शासनादेश संख्या सा-4-966/दस-99-200/88, दिनांक 27-12-99 एवं शासनदेश संख्या स-4-251/दस-2000-200/88, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा अग्रेतर प्रादेशों तक स्थगित किया गया है तथा सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा एल0टी0सी0) को शासनादेश संख्या सा-2-सा-4-जी0आई0-6/दस-2001-604/82, दिनांक 30 ई, 2001 द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित किया गया है।

राज्य की विषम आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की विषम आर्थिक स्थिति के कारण।

*3–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

[दिनांक 23-8-2002 के तारां0 प्र0 सं0-10 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी

*4–श्री राम करन आर्य–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायकों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0बी0सी0आई0डी0 जांच के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

*5–श्री रामजीत राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुकदमों की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने से पूर्व जिस जिले में घटना घटित हुई है वहां की पुलिस से शासन द्वारा जांच आख्या/रिपोर्ट मांगने के बाद ही सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच का आदेश दिया जाता है ? क्या यह सही है कि जिस जिले के पुलिस कर्मी के खिलाफ सी0बी0सी0आई0डी0 को जांच सन्दर्भित की जाती है क्या उसी जिले की पुलिस से आख्या मांगी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार निष्पक्ष जांच करने हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश किसी अपराध के मामले में होते हैं, न कि किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निष्पक्ष जांच हेतु निर्धारित नीति के आलोक में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश होते हैं, जो निम्नवत् है :--

(1) अपराध की प्रकृति इतनी जटिल और पेचीदगी से भरी हो कि स्थानीय पुलिस के स्तर पर उसकी सही प्रकार से विवेचना किया जाना सम्भव न हो।

(2) अपराध अन्तर्राष्ट्रीय, राज्य या प्रदेश व्यापी या अन्तर्मण्डलीय/परिक्षेत्रीय हो।

(3) स्थानीय परिस्थितियां ऐसी हों कि जिनके कारण स्थानीय पुलिस द्वारा किसी मामले में निष्पक्ष रूप से जांच करना मुश्किल हो।

(4) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हों कि जनसामान्य के दिमाग में किसी मामले की विवेचना को लेकर स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग गया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

शस्त्र लाइसेन्स की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रकरण

*6–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि निजी लोगों को सुरक्षा हेतु दिये गये शस्त्र लाइसेन्स की परिधि सम्पूर्ण भारत हेतु किये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, आयुध अधिनियम/ आयुध नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंसों की सीमा विस्तार की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चन्दौली, विधान सभा क्षेत्र चकिया में नक्सलवाद से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा के उपाय की मांग

*7–श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलवाद से प्रभावित चकिया विधान सभा क्षेत्र जनपद चन्दौली के नागरिकों की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन नियुक्त किया गया है। चकिया विधान सभा के थाना नौगढ़ पर एस0 आई0-4, हेड कांसटेबिल पी0-4, हे0 का0-1, कांसटेबिल-149 नियुक्त कर उन्हें आधुनिक शस्त्रों एवं संचार उपकरणों से लैस किया गया है। थाना नौगढ़ के चकरघट्टा में एक प्लाटून, औरवाटाड़ में एक प्लाटून, सोनवार तिवारीपुर में एक प्लाटून, चन्द्रप्रभा एक प्लाटून, मझगावां एक प्लाटून, अमृतपुर एक प्लाटून, जयमोहनी पोस्वा एक प्लाटून, नेसौणा बांध एक प्लाटून, केसार एक प्लाटून, हरियाबाद एक प्लाटून, चौकीमदहा एक प्लाटून, भेड़ा फार्म में एक प्लाटून, थाना चकिया के ग्राम-भभौरा में एक प्लाटून स्थापित है। थाना नौगढ़ के वन एवं पहाड़ से आच्छादित दूरस्थ इलाकों की जनता की समस्या जानने/सुरक्षा व्यवस्था हेतु दो थाने मझगांवा एवं चकरघट्टा स्थापित किये गये हैं।

थाना चकिया में 46, शहाबगंज में 95 तथा नौगढ़ में 100 कुल 241 नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये।

थाना चकिया में 68, शहाबगंज में 95 तथा नौगढ़ में 93 कुल 256 ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय कर उन्हें उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग किया गया।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में चार कम्पनी, एक प्लाटून पी0ए0सी0 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है जिसमें एक कम्पनी पी0ए0सी0 स्पेशल टास्क फोर्स की है।

अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के नेतृत्व में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन स्थानीय पुलिस एवं पी0ए0सी0 के द्वारा ग्रामों का भ्रमण कर जनता के व्यक्तियों से जन सम्पर्क कर उनके अन्दर सुरक्षा की भावना सुदृढ़ की जा रही है। समय-समय पर उच्चाधिकारीगण द्वारा भी भ्रमण/काम्बिंग/दबिश देकर नक्सलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा रहा है एवं पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री आनन्द सेन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*9–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को पक्की सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य

*10–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में सुगम आवागमन हेतु प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक व्यक्तियों की आबादी के गांवों को वर्ष 2003 तक एवं 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी के गांवों को वर्ष 2007 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद बस्ती, सिद्धार्थ नगर के ग्रामीण अंचलों में नलकूपों के साथ बने ओवर हेड टैंकों से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

*11–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जो राजकीय नलकूप लगाये जाते थे उनके साथ सीमेन्ट की ओवर हेड टैंक का निर्माण कराकर ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती थी ? यदि हां, तो बस्ती, सिद्धार्थनगर में ऐसे कितने नलकूप हैं, जिनके साथ ओवर हेड टैंक मौजूद है, लेकिन उनसे पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? क्या सरकार ऐसे नलकूपों के साथ बने ओवर हेड टैंकों का जीर्णोद्धार कराकर उन गांवों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जनपद बस्ती में 24 एवं जनपद सिद्धार्थनगर में 12 ऐसे नलकूप हैं जिनके साथ ओवर हेड टैंक मौजूद हैं लेकिन उनसे पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

जिन ग्रामों में नलकूप पर बने ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति की जाती थी उन ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नलकूपों की कार्य अवधि 20 वर्ष मानी जाती है, अत: बहुत पुराने नलकूपों के ओवर हेड टैंकों की मरम्मत कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

*12–श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधान परिषद् सदस्य, मा0 छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 1978 के मध्य सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने संबंधी रिपोर्ट सरकार को दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आयोग द्वारा सर्वाधिक पिछड़ी जातियों में नाई, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, कहार, भुर्जी एवं उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिये जाने की संस्तुति की गई है ? यदि हां, तो उक्त संस्तुतियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त जातियों को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रश्नगत् आयोग द्वारा सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करके आरक्षण की संस्तुति की गई थी।

सम्यक् विचारोपरांत पिछड़ी जातियों को एक वर्ग के रूप में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

जी नहीं।

प्रत्येक जाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना व्यवहारिक नहीं है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अनुरक्षण हेतु व्यय धनराशि का विवरण

*13–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्पों के अनुरक्षण हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो इस मद में कितनी धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

हैण्डपम्पों के मरम्मत हेतु विगत वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री ग्रामोदय (पेयजल) कार्यक्रम से रु0 5.29 करोड़ तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा दशम् वित्त आयोग से रु0 6.00 करोड़ की धनराशि जनपदों को अवमुक्त किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण मद में लगभग रु0 40.00 करोड़ की व्यवस्था है। प्रश्नगत धनराशि में से ही हैण्डपम्पों के अनुरक्षण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में सहायक अभियोजन अधिकारियों के निर्मित भवनों में पानी की आपूर्ति

1–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद मे सहायक अभियोजन अधिकारियों के निर्मित भवनों में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर में न्यायालय के गठन की मांग

2–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नवसृजित जनपद सन्तकबीर नगर में जनपद न्यायालय का गठन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो न्यायालय का गठन कब तक कर दिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जनपद संतकबीर नगर में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मांगा गया है एवं न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का भी अनुरोध मा0 उच्च न्यायालय से किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना का आलेख्य प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत न्यायालय के संचालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद फैजाबाद के मुख्य प्रबन्धक उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक शाखा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों पर कार्यवाही की जानकारी

3 –श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य प्रबन्धक, उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, फैजाबाद शाखा, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के वर्तमान में कितने मामले लम्बित हैं ? लम्बित मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (सहकारिता मंत्री)–

जी हां।

मुख्य प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में कुल तीन मामले लम्बित हैं।

लम्बित मामलों में मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी, जिला सहकारी बैंक लि0 के श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा जन्म तिथि की भ्रामक सूचना देने विषयक जांच पर कार्यवाही की जानकारी

4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लखन लाल मौर्य, वरिष्ठ महामंत्री, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, शाखा बाराबंकी का शिकायती-पत्र दिनांक 9 मई, 2002 जो जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी में कार्यरत कर्मचारी वर्ग-2 (श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव) द्वारा अपनी जन्म तिथि की भ्रामक सूचना देने की जांच विषयक था, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, बाराबंकी को तथा उसकी प्रति जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां।

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव की व्यक्तिगत पत्रावली में हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है। श्री श्रीवास्तव से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया परन्तु उनके द्वारा प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रकरण में अब माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद तथा सचिव, उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, लखनऊ से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, थाना जलालपुर के उपनिरीक्षक एवं पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें

5–श्री शाकिर अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के शिकायत प्रकोष्ठ की जांच आख्या 14/2001 में थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर के तीन उप निरीक्षक तथा पांच कांसटेबिलों को दिनांक 9-1-2001 की घटना में नागरिकों के उत्पीड़न में दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मु0 अ0 सं0 8/2001 धारा 379 भा0 द0 वि0 थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर की विवेचना से प्रकरण में दोषी पाये गये तीन उप निरीक्षक एवं पांच आरक्षियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर, थाना झगहा के ग्राम विशुनपुरा में राष्ट्रीय ध्वज पैरों तले रौंदे जाने के कथित प्रकरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

6–श्री अजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 27-1-02 जो दिनांक 26-1-02 को ग्राम बिशुनपुरा, आर0 ओ0 बरही पुलिस चौकी थाना झगहा, जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सार्वजनिक स्थल पर पैरों तले जमीन पर रौंदने और उक्त आयोजन के अध्यक्ष पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा ग्राम प्रधान को गालियां देने विषयक है उक्त थानाध्यक्ष व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, डी0 जी0 पी0, लखनऊ तथा आई0 जी0 जोन, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा से करायी गई। जांच से पाया गया कि श्री विशारद पूर्व विधायक एवं सांसद तथा प्रति पक्षी नान्हू का जमीनी विवाद 30-35 वर्ष से चला आ रहा है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 26-1-2000 को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाना जांच से प्रमाणित नहीं हुआ। केवल राजनीति व जमीनी प्रकरण को लेकर मामले में तूल दिया गया है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु मानक की जानकारी

7–श्री धनन्जय सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अम्बेडकर ग्राम चयन का मानक क्या है ? क्या अम्बेडकर ग्राम के चयन में जन प्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त किये जाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 90-91 से अम्बेडकर ग्रामों का चयन 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम की अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करते हुए किया गया है। परन्तु अब पिछले वर्षों के शेष असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों को सम्मिलित करते हुए प्रति विधान सभा क्षेत्र 27 ग्रामों को चयन 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करते हुए किया जाना है।

चयन 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम की आबादी के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश की जनता को शासकीय पत्रावलियों के निरीक्षण करने की सुविधा सम्बन्धी जानकारी

8–श्री धनन्जय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार के अन्तर्गत जनता किन-किन विभागों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकती है ? क्या सरकार आगे इसका विस्तार करके अन्य विभागों पर भी लागू करेगी ? क्या जनता के इस अधिकार में बाधक संबंधित अधिकारी को दण्डित करने का भी कोई प्राविधान है ?

सुश्री मायावती–

सूचना प्राप्त करने के अधिकार से सम्बन्धित अधिनियम अभी इस प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। अभी प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा जन सामान्य में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से गृह, सतर्कता, गोपन एवं विधायी विभागों को छोड़कर शेष विभागों में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन शासकीय पत्रावलियों के निरीक्षण कर सकने की सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रदेश में सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही शासन में विचाराधीन है और इस प्रक्रिया में प्रश्न के इस भाग के संबंध में भी विचार किया जायेगा।

वर्तमान में संबंधित अधिकारी को दंड देने का कोई प्राविधान नहीं है किन्तु सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम बनाते समय इस पर भी विचार किया जायेगा।

प्रदेश के मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें के लेखा परीक्षण के विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत करने सम्बन्धी जानकारी

9–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें (उ0 प्र0) के विशिष्ट लेखा परीक्षा दल द्वारा सिटी कोआपरेटिव बैंक के लेखा परीक्षण में रु0 53.97 करोड़ की धनराशि के अपहरण, दुरुपयोग तथा गम्भीर अनियमितताओं के तथ्य उजागर किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया में वर्ष (94-95 से 99-2000) के लेखा परीक्षण (दल प्रभारी) द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ (वर्ष 2000-2001 में पाई गई गम्भीर आपत्तियां, अपहरण आदि के सम्बन्ध में रु0 53, 96, 57, 705.56 का अनन्तिम विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है)।

वर्ष 94-95 से 97-98 तक की लेखा में कोई गम्भीर प्रकरण प्रकाश में न आने के कारण विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए। वर्ष 98-99 एवं 99-2000 की लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आने पर विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोक अदालत तथा फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

10–श्री धनन्जय सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार लोक अदालत तथा फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-7(2) (बी) के उपबन्धों के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा-10 (2) (बी) के उपबंधों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा-11(बी) के उपबन्धों के अनुसार तहसील विधिक सेवा समिति लोक अदालत आयोजित करने हेतु सक्षम है। उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लोक अदालतों की संख्या निर्धारित नहीं है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों के आयोजन के विषय में सर्वोच्च संस्था है। उनके निर्देशानुसार प्रत्येक जिला प्राधिकरण द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम एक लोक अदालत और एक साक्षरता शिविर का आयोजन अवश्य किया जाता है। तहसील स्तर पर प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा तहसील दिवस पर लोक अदालतों का आयोजन किये जाने के निर्देश है। मा0 उच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्रत्येक जिले में तीन-तीन स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। इनमें से एक स्थायी लोक अदालत अतिरिक्त जिला जज, एक स्थायी लोक अदालत सिविल जज (सी0 डी0) तथा एक स्थायी लोक अदालत सिविल जज (जू0 डि0) स्तर की है।

2–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में दिनांक 12-6-2002 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37/2002 द्वारा संशोधन करके नया अध्याय 6-अ जोड़ा गया है जिसमें जन उपयोगी सेवाओं को प्रदान करने वाले विभागों से संबंधित वादों को न्यायालय में जाने से पहले स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु राज्य विधिक प्रधिकरण से प्रस्ताव मांगा गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

3–चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में माह जुलाई, 2002 तक कुल 372 लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से कुल 83,329 वादों को निस्तारित किया गया। इनमें से 708 वाद मोटर दुर्घटना परिवाद, 1019 वैवाहिक वाद, 3610 उत्तराधिकार संबंधी वाद, 183 श्रमिक वाद, 11,424 राजस्व वाद, 63624 दंडित वाद तथा 2761 अन्य वाद हैं।

4–फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायालय लंबित सत्र वादों को निस्तारित करने के उद्देश्य से 11वें वित्त आयोग के अधीन सृजित किये गये। इस निमित्त 11 वें वित्त अयोग ने एक नियत धनराशि रु0 70.22 करोड़ प्रदेश को आवंटित की है। यह धनराशि भिन्न-भिन्न चरणों में प्राप्त होगी। इसके सापेक्ष अभी तक 2824.25 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। उक्त के सापेक्ष शासन द्वारा रु0 34,39,72,602 लाख स्वीकृत करके 201 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील किये जा चुके हैं। 11 वें वित्त आयोग ने प्रत्येक न्यायालय के लिए धनराशि निर्धारित कर रखी है। बृज मोहन लाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया जे0 टी0 2002(4) एस0 सी0 पी0 74 एवं अन्य के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिये हैं कि निर्धारित धनराशि का विचलन किसी भी दशा में नहीं होगा। प्राप्त धनराशि रु0 70.22 करोड़ से प्रदेश में कुल 206 न्यायालयों का बनाया जाना सम्भव था। इनमें से 201 न्यायालय सृजित किये जा चुके हैं। शेष 5 न्यायालयों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं थाना कन्नौज के ग्राम डहलेपुर के श्री नन्द किशोर मिश्र की हत्या की पुनर्विवेचना के आदेश

11–श्री कल्यान सिंह दोहरे--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम डहलेपुर उथाना एवं जनपद कन्नौज में दिनांक 15-7-2002 को श्री नन्द किशोर मिश्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में अपराध संख्या-246/2002, धारा-304-ए, आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमें

को अल्पीकरण कर कायम किया गया है ? क्या उक्त हत्या का मुकदमा धारा-302 के अन्तर्गत तरमीम किये जाने एवं दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक मुकदमा धारा-302 में तरमीम कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी।

सुश्री मायावती--

मृतक के पुत्र की तहरीर पर मु0अ0 सं0 246/2002 धारा-304 ए भा0 दं0 वि0 थाना कोतवाली, कन्नौज में पंजीकृत किया गया था।

विवेचक द्वारा साक्ष्य के क्रम में अभियोग अन्तर्गत धारा 304ए भा0 दं0 वि0 से 304 भा0 दं0 वि0 में दिनांक 16-7-2002 को परिवर्तित किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुकदमें में पुनर्विवेचना के आदेश हो चुके हैं।

जनपद बांदा में घोषित कतिपय अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

12--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1995-96 में ग्राम मडौली खुर्द वर्ष 1997-98 में ग्राम छेहरांव, ग्राम लोहारी, तथा वर्ष 1999-2000 में ग्राम गोखरही, ग्राम टुरेडी व वर्ष 2000-2001 में ग्राम गोधनी, ग्राम बड़ा गांव अम्बेडकर ग्राम घोषित हुए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों को पूर्ण संतृप्त कर डामरीकरण कराकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

जनपद बांदा में वर्ष 95-96 में ग्राम मडौली खुर्द, वर्ष 97-98 में ग्राम छेहरांव तथा ग्राम लोहारी, वर्ष 1999-2000 में ग्राम गोखरही तथा टुरेडी एवं वर्ष 2001-2002 में ग्राम गोधनी तथा बड़ागांव अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं।

जी नहीं।

अम्बेडकर ग्राम टुरेडी सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है।

अम्बेडकर ग्राम बड़ागांव तथा गोखरही में कार्य प्रगति पर है। शेष अम्बेडकर ग्रामों मडौली खुर्द, छेहरांव, लोहारी एवं गोधनी में अभी डामरीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

जनपद बांदा, विकास खंड तिन्दवारी के सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि में अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

13--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-6-2002 आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0, शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है जो जनपद-बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में सम्पर्क मार्ग निर्माण/तालाब खुदाई कार्य में अनियमितता के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

संयुक्त विकास आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में लम्बे समय से नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक के स्थानान्तरण का कथित प्रकरण

14–श्री रामलाल अकेला–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने पुलिस उप निरीक्षक ऐसे हैं (एस0 आई0) हैं, जो शासन की निर्धारित अवधि 7 वर्ष से ज्यादा अवधि से एक ही जनपद में कार्यरत हैं ? उन्हें जिले से बाहर स्थानान्तरित न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार ऐसे उप निरीक्षकों का तत्काल जिले से बाहर स्थानान्तरण किये जाने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान समय में जनपद गोण्डा में कोई ऐसा निरीक्षक (उप निरीक्षक) नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव तहसील पुरवा के लेखपाल व अमीन द्वारा गरीब किसान को फर्जी प्रकरण में फंसाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

15–श्री उदयराज–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-2-नं0-779204, दिनांक 23-8-2001 एवं 24-4-2001 जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा पुरवा उन्नाव के अधिकारी कर्मचारियों तथा बैंक अमीन द्वारा हरिजन गरीब किसान को फर्जी प्रकरण में फंसाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकांश त्रिपाठी–

जी हां। संबंधित प्रकरण की जांच बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ से कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा माननीय विधायक महोदय से तथा संदर्भित कृषक से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कृषक श्री सीताराम पुत्र देशबन्धी ने वर्ष 1984 में अवध ग्रामीण बैंक हिलौली जनपद उन्नाव से मु0 4000 रुपया का ऋण साइकिल मरम्मत की दुकान खोलने हेतु लिया था उपरोक्त ऋण की अदायगी न करने के फलस्वरूप तहसील के अमीन श्री उमेश पाण्डेय, बाबूलाल (लेखपाल) राम प्रसाद, मेंडीलाल पुत्र लल्लू व एक सिपाही ने सीताराम को पकड़ कर तहसील खजाने के सामने कमरा नं0 9 में लाकर बिठा दिया तथा सीताराम को उपरोक्त तहसील कर्मचारियों द्वारा डरा धमका कर उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 शाखा पुरवा में बंधक भूमि 2 बीघा उन्नीस बिसवा सोलह विस्वांसी, दिनांक 20-9-89 को बिना भार मुक्त कराये बैनामा करा लिया।

श्री सीताराम ने दिनांक 27-5-83 को सहकारी ग्राम विकास बैंक से मु0 7000 रुपया का ऋण डीजल पम्प सेट क्रय हेतु लिया था। जिसके विरुद्ध दिनांक 23-6-89 को मु0 1920.00 रु0 जमा किया गया है तथा ऋण राहत योजना में मु0 4179.59 रुपये का लाभ भी ऋणी सदस्य को प्राप्त हुआ है दिनांक 16-5-2001 तक श्री सीताराम के खाते में रु0 8495.00 का बकाया था श्री सीताराम की भूमि का बैनामा कराने में उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के किसी कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

16–श्री उदयराज–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

सचिवालय प्रशासन के बाध्य प्रतीक्षा काल के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

17–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाध्य प्रतीक्षा काल के वेतन भुगतान विषयक सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1618/20-ई-5-2002-25 (अधि0)/ 2002, दिनांक 10-7-2002 में निहित निर्देशानुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? प्रश्नगत वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 कासगंज के सचिव श्री अनार सिंह वर्मा द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

18–श्री मान पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां लि0, एटा के पत्रांक 1048/सह0/सह0 क्रय विक्रय/जांच, दि0 8-10-01 के द्वारा सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0, कासगंज (एटा) में कार्यरत सचिव श्री अनार सिंह वर्मा द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच श्री उदल सिंह वर्मा , सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड, कासगंज के द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

जी हां।

श्री अनार सिंह वर्मा को दोषी ठहराया गया है। श्री उदल सिंह वर्मा स्वतन्त्र रूप से जांच करने हेतु जिला सहायक निवन्धक के पत्र दिनांक 8-10-2001 के द्वारा अधिकृत नहीं किये गये थे। साथ ही श्री उदल सिंह वर्मा कनिष्ठ अधिकारी हैं एवं बिना अभिलेखों के अधूरी जांच प्रेषित की है। अतएव जांच रिपोर्ट का परीक्षण जांच कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। अभी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, थाना लाइन बाजार में दर्ज मु0अ0 संख्या 78/2002 की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने की मांग

19–श्री शाकिर अली–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर में दर्ज मु0अ0 संख्या 78/2002, जो थाना जलालपुर, जौनपुर में स्थानान्तरित होकर मु0अ0सं0 161/2002 के रूप में दर्ज है कि विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से गृह विभाग द्वारा आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या पुलिस अधीक्षक, जौनपुर की आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो शासन उपरोक्त मुकदमें की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रश्नगत अभियोग की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर के कटेला को नया विकास खण्ड बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

20–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थ नगर के कटेला नामक स्थान पर नया विकास खण्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

21–श्री समरपाल सिंह--[4थे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बलिया के कतिपय विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी तैनात करने की मांग

22–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में कितने विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें खण्ड विकास अधिकारी तैनात नहीं हैं ? क्या सरकार जनपद के समस्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बलिया में 9 विकास खण्ड ऐसे हैं, जिनमें खण्ड विकास अधिकारी तैनात नहीं हैं।

पर्याप्त संख्या में खण्ड विकास अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण जनपद बलिया के सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती किया जाना सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के स्थगनादेश के कारण सम्प्रति प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर चयन कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है और स्थगनादेश रिक्त होने पर प्रोन्नति कोटे के खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन कराकर जनपद के समस्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

जनपद बलिया के विकास खण्डों में दूसरे विभाग के अधिकारियों को तैनात करने सम्बन्धी जानकारी

23–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के किन-किन विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कौन-कौन अधिकारी दूसरे विभागों से लाकर नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सभी विकास खण्डों पर निर्धारित योग्यता एवं नियमानुसार दूसरे विभाग के अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में जनपद बलिया के किसी भी विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर दूसरे विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली, 2001 के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति का प्राविधान है। उक्त नियमावली में अन्य विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अम्बेडकर ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु धनराशि की मांग

24–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु क्या सरकार राज्य योजना के अन्तर्गत धन आवंटित करके कार्यों को पूरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मायावती–

जी हां।

अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राज्य योजना तथा अन्य स्रोतों से अभिसरण के माध्यम से धन की व्यवस्था यथा आवश्यकता की जा रही है।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूरे कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर की रिजर्व पुलिस लाइन में मानकों के अनुसार आरक्षितों की तैनाती की मांग

25–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर में बनायी गयी रिजर्व पुलिस लाइन में मानकों के अनुसार पुलिस बल की कितनी संख्या में तैनाती होनी चाहिए और वर्तमान में तैनाती कितनी है ? मानकों के अनुसार आरक्षियों की तैनाती कब तक पूरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद संत कबीर नगर में अभी स्थाई पुलिस लाइन नहीं बनी है, अस्थायी पुलिस लाइन कार्यरत है। मानक के अनुसार प्रतिसार निरीक्षक-1, उपनिरीक्षक-4, हे0 कान्स0-42 तथा कान्स0117 पदों के सापेक्ष प्रतिसार निरीक्षक-1, उप निरीक्षक-2, हे0 कान्स0-41, तथा कान्स0-117 नियुक्त है। आरक्षियों की तैनाती मानक के अनुसार पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर की रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी आवास का निर्माण

26–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर में रिजर्व पुलिस लाइन तथा आरक्षी आवास का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार आवास तथा परिसर की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

रिजर्व पुलिस लाइन हेतु भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। भूमि उपलब्ध होने और उस पर पुलिस विभाग का कब्जा होने के पश्चात् ही निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

जनपद चन्दौली विधान सभा क्षेत्र चकिया में मारे गये बदमाशों की मजिस्टीरियल जांच

27–श्री राम किशुन–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया में गत 9 जुलाई, 2002 को क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं दो अन्य युवकों को नक्सली करार देकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 9-7-2002 को महादेवपुर में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मारे गये तीन बदमाशों की शिनाख्त (1) पंकज कोईरी उर्फ बल्लू पुत्र कंचन सिंह, ग्राम हाजीपुर, थाना-चकिया, जनपद चन्दौली (2) दिनेश यादव पुत्र शिवदास ग्राम-तियरी, थाना चकिया, जनपद चन्दौली (3) अरूण शर्मा पुत्र मोहन शर्मा, ग्राम डहिया, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली के रूप में हुई है। इनके पास से एक डी0बी0बी0एल0 12 बोर, 3 एस0बी0बी0एल0 12 बोर, 26 कारतूस, 315 बोर रायफल, एक कारतूस 315 बोर, एक देशी कट्टा 12 बोर, 2 जिंदा देशी बम, 5 बैट्री तथा नक्सली साहित्य बरामद हुआ था। उक्त मृतक शातिर किस्म के अपराधी थे जिनका आपराधिक विवरण निम्न प्रकार हैं :--

(1) पंकज कोईरी उर्फ बल्लू :–

मु0अ0सं0	धारा	थाना
6/2001	8/20एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट	शहाबगंज
7/2001	60 विस्फोटक अधिनियम ऐक्ट	शहाबगंज
15/2001	282 भा0दं0वि0	चकिया
142/2002	109 सी0आर0पी0सी0	चकिया
182/2001	109 सी0आर0पी0सी0	चकिया
197/2001	गुण्डा एंक्ट	चकिया

(2) दिनेश यादव :--

1-एन0सी0आर0 नं0-96/2001, धारा-323 भा0दं0वि0, थाना चकिया, आरोप पत्र/6-11-2001

2-अ0 सं0-37/2002, धारा 325/323/504 आई0पी0सी0 थाना चकिया।

3-अ0सं0-138/2002, धारा-498 भा0दं0वि0 व 3(1) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना चकिया।

(3) अरूण शर्मा :--

1-अ0सं0-59/2000, धारा-3/25 ए0 एक्ट थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।

प्रकरण में श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक, मुगलसराय द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151, धारा 147/148/149/307/412 भा0दं0वि0 25/27 ए ऐक्ट व 5 विस्फोटक अधिनियम व मु0अ0सं0 153/2002, धारा 25/27 ए0 एक्ट बनाम अज्ञान व मु0अ0सं0 154/2002 धारा-25/27/ए0 ऐक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बबुरी द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त एस0डी0एम0 सदर द्वारा भी मजिस्टीरियल जांच की जा रही है। मजिस्टीरियल जांच में यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है, तो तद्नुसार उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च के आदेशानुसार सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 के निरीक्षकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान कराने की मांग

28–डा0 वकार अहमद शाह–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि सी0बी0,सी0आई0डी0 के 22 निरीक्षकों द्वारा एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च में याचिका संख्या 5676 (एस0 एस0) 99 योजित की गयी थी ? यदि हाँ, तो मा0 न्यायालय द्वारा इस पर 2-11-99 को किये गये आदेश का अनुपालन अब तक लम्बित है ? यदि हाँ तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हाँ।

जी हाँ।

निर्णय दिनांक 2-11-99 के विरुद्ध पुनरावलोकन याचिका योजित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक पैक्सफेड के अधीन परियोजना अभियन्ता (सिविल) श्री नवल प्रकाश की अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

29–डा0 वकार अहमद शाह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नवल प्रकाश परियोजना अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-7-02 को प्रबन्ध निदेशक, पैक्सफेड, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी –

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रबन्ध निदेशक पैक्सफेड द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री नवल प्रकाश की परियोजना अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी नियुक्ति समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये नियमानुसार की गयी है। श्री नवल प्रकाश उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हैं। प्रकरण में विस्तृत आख्या प्रबन्ध निदेशक, पैक्सफेड के पत्रांक -पैक्स/कार्मिक (1) (1) 1970 दिनांक 30-7-2002 द्वारा मा0 विधायक जी को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

30–श्री शिव तपस्या पासवान–

[तीसरे गुरु0 के अता0 प्र0 सं0-113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के अमारा से बरेहटा सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

31–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अमारा से बरेहटा सम्पर्क मार्ग जिला योजना 5054 वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हाँ, तो कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

कार्य आरम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में घोषित अम्बेडकर ग्रामों को पूर्ण विकसित कराने की माँग

32–श्री संजय गर्ग तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में ब्लाकवार कौन-कौन ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? इनमें से किन-किन ब्लाकों के कितने-कितने अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों के कितने अम्बेडकर ग्राम अब भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं ? इनके विकसित न होने के क्या कारण हैं ? उक्त सभी अम्बेडकर गांवों को कब तक पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जनपद सहारनपुर के 11 विकास खण्डों में प्रारम्भ से लेकर 31-3-2002 तक 437 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये जिनकी सूची †संलग्न है।

11 ब्लाकों में कुल चयनित 437 अम्बेडकर ग्रामों के सापेक्ष 250 ग्राम संतृप्त हो चुके हैं शेष 187 ग्राम अभी पूर्ण संतृप्त नहीं हुए हैं। इनकी ब्लाकवार संख्या की सूची संलग्न है।

केवल विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन यथेष्ट धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम अवशेष हैं।

धनराशि की यथा-

उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बलिया के अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की मांग

33—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त जनपद के सभी अम्बेडकर गांवों में मानक के अनुसार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

बलिया जनपद में वर्ष 1990-91 से वर्ष 2001-2002 तक चयनित 436 अम्बेडकर ग्रामों के सापेक्ष 233 अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है।

शेष 203 अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण धनराशि की यथा उपलब्धतानुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निर्बल वर्ग आवासों का ऋण माफ करने का कथित निर्णय

34—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आवंटित निर्बल वर्ग आवासों का ऋण माफ किये जाने हेतु वर्ष 2001 में तत्कालीन सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसे लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी थाना लोनीकटरा के ग्राम धीसा का पुरवा की श्रीमती जयदेवी द्वारा अपने पति व अन्य के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न की दर्ज करायी गयी प्राथमिकी पर कार्यवाही की मांग

35—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जय देवी पत्नी श्री अनिल कुमार वर्मा, निवासिनी ग्राम-धीसा का पुरवा मजरे रौनी, थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा ग्राम दरियाई पुरवा मजरे हसनपुर थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी निवासी अपने पति श्री अनिल कुमार वर्मा व परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न करने एवं दिनांक 21-5-2002 को मारपीट कर घर से निकाल देने की घटना संबंधी प्रार्थना-पत्र पर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी में दिनांक 10-7-2002 को प्राथमिकी दर्ज की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

कथित मामले में पंजीकृत मु0 अ0 सं0 152/2002 थाना 498ए/323/504 भा0 दं0 वि0 एवं 3/4 दहेज अधि0 की विवेचना से दोषी पाये गये पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा आरोप पत्र दिनांक 16-7-02 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अम्बेडकर ग्रामों के विकास की योजना एवं विकास के लिये धन की व्यवस्था की मांग

36–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए अलग से धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रदेश में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को 11 प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्त करके विकसित करने की योजना बनायी गयी है।

योजना अधीन चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 11 प्रमुख कार्यक्रम यथा सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नाली/खडंजा निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, नि:शुल्क बोरिंग, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, स्कूल भवन, वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन संचालित किये जाते हैं।

असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों में अवशेष अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय व्यवस्था करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

37–श्री नरेन्द्र सिंह [तीसरे बुध के अता0 प्र0 सं0–28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेव पुरेव के प्रबन्धक के विरुद्ध धोखाधड़ी, सरकारी धन के गबन विषयक पंजीकृत अपराध

38–श्री शाकिर अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-3-2002 को थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा धोखाधड़ी एवं सरकारी धन के गबन से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 78/2002 प्रबन्धक, राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेवं, पुरेवं, जौनपुर के विरुद्ध दर्ज कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें को थाना लाइन बाजार जौनपुर से थाना-जलालपुर, जौनपुर में विवेचना हेतु मुकदमा अपराध संख्या 161/2002 के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त मुकदमें में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

विवेचना से घटना स्थल पुरेंव, थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का होने के कारण अभियोग थाना जलालपुर, जौनपुर स्थानानन्तरित कर दिया गया जहां पर मु0 अ0 सं 0 161/2002 धारा 419/420/467/468/471/120- बी भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ।

प्रश्नगत अभियोग में गवाहान के बयान व साक्ष्य संकलित न हो पाने के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

जनपद बांदा ब्लाक बडोखरखुर्द के ग्राम भरौली में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

39— श्री विशम्भर प्रसाद निषाद —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम मरौली के मजरा क्योटरा ब्लाक बड़ोखरखुर्द में पीने के पानी का भीषण संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीने के पानी की व्यवस्था हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती —

जी नहीं।

ग्राम मरौली के मजरा क्योटरा में मानक के अनुसार हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर प्रोन्नति के पश्चात् वरिष्ठता निर्धारण करने का प्रकरण

40—डा0 सियाराम सागर —

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के गृह विभाग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये गये पुलिस उपाधीक्षकों को 8-8, 10-10 वर्ष हो जाने के उपरान्त भी वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गयी ? क्या इस कारण उनको प्रोन्नति संबंधी अग्रेतर लाभ नहीं पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी तदर्थ रूप से प्रोन्नत ऐसे पुलिस उपाधीक्षकों को जिनकी प्रोन्नति की अवधि निरन्तर रूप से 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक हो गयी है, की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती —

पूर्व में तदर्थ रूप से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति आयोग के माध्यम से की जा चुकी है। केवल 3 पुलिस निरीक्षक जिनके प्रत्यावर्तन के आदेश निर्गत किये गये हैं, मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, अत: इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद ज्योतिबा फूलेनगर, थाना सेठ नगली के ध्यान सिंह पुत्र गोपाली के भाई के हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक कथित शिकायती-पत्र

41—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" —

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-02 जो ध्यान सिंह पुत्र गोपाली, थाना सेठ नगली, जनपद ज्योतिबा फूले नगर के भाई महेश के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त पत्र पर दिनांक 16-6-02 को पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद को आदेशित भी किया गया था उपरोक्त पत्र पर उप महानिरीक्षक पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद, थाना सिविल लाइन में पंजीकृत अपराध की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

42–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह पुलिस अनुभाग के पत्र संख्या 1400/6-12-2002-6(57) डी/2001, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 द्वारा, थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में पंजीकृत मु0 आ0 सं0-1179/2001द्वारा 307/147/120 बी0 आई0 पी0 सी0 की जांच का पुनरीक्षण (रिव्यू) अपराध अनुसंधान विभाग के उच्चाधिकारी से कराए जाने के आदेश पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या रिव्यू रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां , तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सरैनी में गत वर्ष विधायक निधि से प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराने की मांग

43–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विधायक निधि से प्रस्तावित कार्य क्या पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती –

विधान सभा क्षेत्र सरैनी में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विधायक निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित 16 हैण्डपाइपों (इण्डिया मार्क-II) का अधिष्ठापन तथा 17 मार्गों में से 11 मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 6 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद रायबरेली, थाना सरैनी के ग्राम रसूलपुर मे अवैध कब्जा हटाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक मार्ग/देव स्थान, ग्राम रसूलपुर, थाना सरैनी, जनपद रायबरेली के देव भूमि गाटा संख्या 303 से अतिक्रमण /अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक का पत्र संख्या क-1-196612, दिनांक 10-4-2002, पत्र संख्या क-1-196633, दिनांक 15-4-2002 तथा पत्र संख्या 1996623, दि0 22-5-2002 गृह

विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम सभा रसूलपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 303 की नाप उपजिलाधिकारी, लालगंज एवं पुलिस बल के साथ दिनांक 25-5-2002 को करायी गयी। जांच से पाये गये अवैध रूप से रखे हुए छप्पर एवं गुमटी आदि हटवा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के थाना उभांव में श्री हरीलाल यादव की हत्या के पंजीकृत अपराध के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री रामजीत राजभर –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के थाना उभांव के अपराध संख्या 85/02, दिनांक 29-5-2002 ग्राम कड़सर, पो0 चन्दाडीह, जिला बलिया के हरीन्द्र एवं शमसेर पुत्रगण स्व0 राम नगीना यादव को फंसाये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में श्री शिवपाल सिंह यादव प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 का पत्र श्री शमसेर के प्रार्थना-पत्र सहित पुलिस अधीक्षक, बलिया को दि0 26-7-2002 को फैक्स के माध्यम से एवं डाक द्वारा भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी की जांच से पाया गया कि श्रीमती चांदनी देवी पत्नी मृतक हरीलाल यादव की हत्या कर दी गयी, जिस संबंध में थाना उभांव पर मु0 अ0 स0 85/2002, धारा 302 भा0 द0 वि0, दिनांक 29-5-2002 को पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष उभांव श्री रामसुभग यादव द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के दौरान इस मुकदमें के अभियुक्त हरेन्द्र शमशेर पुत्रगण राम नगीना यादव, रामवृक्ष पुत्र सदानन्द यादव, सुग्रीव पुत्र रामयादी यादव, ग्राम कड़सर, थाना उभांव के विरुद्ध हत्या करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया । अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 72/2002, दिनांक 30-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के भोगीपुरा के अनेकों निवासियों के धर्मान्तरण का कथित प्रकरण

46–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा के भोगीपुरा निवासी राजेश पुत्र शिवनारायन पत्नी राजेश, कार्तिक, रोहित, दीपक पुत्र राजेश, खिड़की काले खां निवासी भरत पुत्र चतुर, सुमन पत्नी भरत, अरविन्द, दीवाली, अर्ह की मंडी निवासी जगदीश पुत्र नत्थू लाल, कंचन पत्नी जगदीश को गुमराह करके धर्मान्तरण कराया गया है ? यदि हां, तो धर्मान्तरण कराने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

46—सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के होमगार्ड विभाग में प्रशिक्षण हवलदार के पद हेतु ली गयी परीक्षा में नियुक्त अभ्यर्थियों में आरक्षण पूर्ण करने की जानकारी

47—श्री अशोक सिंह चौहान —

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 में प्रशिक्षण हवलदार के पद हेतु परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है ? सरकार ने आरक्षण को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के कितने-कितने अभ्यर्थियों का चयन किया ? सरकार शेष पदों पर नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अक्षयवर गौड़—

जी हां, 105 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। शासन की आरक्षण नीति के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के 28 एवं अनुसूचित जाति के 27 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही यथासमय की जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर थाना बल्दीराय में पंजीकृत अपराध सं0 219/2000 विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

48—श्री आनन्द सेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर में दर्ज आई0 पी0 सी0 की धारा 392 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0 219/2000 के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 15-7-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फर नगर के समस्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती की मांग

49—श्री किरन पाल कश्यप—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में 14 विकास खण्डों में मात्र 5 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो शेष विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती — ,

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के स्थगनादेश के कारण सम्प्रति प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर चयन कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है और स्थगनादेश रिक्त होने पर प्रोन्नति कोटे के खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन कराकर शेष विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती की जा सकेगी ?

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड, मिर्जापुर के श्री सुरेश चन्द्र, कनिष्ठ लेखा लिपिक के मृतक आश्रितों को उसके समस्त देयकों का भुगतान कराने की मांग

50—श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री सुरेश चन्द्र, कनिष्ठ लेखा लिपिक, विकास खण्ड, मिर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर की सरकारी सेवा के दौरान दिनांक 27-7-2001 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ? क्या मृतक की पत्नी को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अर्जित अवकाश का नगदीकरण तथा सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष देयकों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कड़सर के ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग धनराशि की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51—श्री राम करन आर्य तथा श्री रामजीत राजभर —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 प्रोजेक्ट पर अधिक व्यय दिखाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से धन वसूली हेतु परगनाधिकारी को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि वसूली की गयी और किस खाता में उक्त धनराशि को जमा किया गया है ? वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां। ग्राम प्रधान से दुरुपयोग की गयी धनराशि की वसूली हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र संख्या 7/सात-प0/94-95, दिनांक 8-12-94 द्वारा परगनाधिकारी, रसड़ा/बेल्थरा रोड को लिखा गया है।

दुरुपयोगित धनराशि रुपये 9,105,75 की वसूली मालगुजारी की भांति वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने की कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रचलित है।

वसूली में विलम्ब की स्थिति स्पष्ट कराने के निर्देश जिलाधिकारी, बलिया को दे दिये गये हैं। आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कुर्हा तेतरा के प्रधान को विगत कई वर्षों से प्राप्त धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

52--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा के वर्तमान प्रधान को वर्ष 1998-99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002 में कितना धन जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त हुआ है ? उक्त धन का उपयोग कहां-कहां किया गया ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लिये दिये गये धन का भवन निर्माण मद मे खर्च न करके अपात्र लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड इटवा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

53--श्री माता प्रसाद पाण्डेय --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड इटवा जनपद सिद्धार्थनगर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की जांच मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ने करायी है ? क्या यह सत्य है कि दिवली से सोनबरसा तक के सम्पर्क मार्ग पर बिना कोई कार्य कराये ही खण्ड विकास अधिकारी, इटवा एवं कर्मचारियों द्वारा 1,67,000/- (एक लाख सड़सठ हजार) रुपया निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

जांच की तिथि को मौके पर नया कार्य नहीं पाया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, इटवा, सिद्धार्थनगर द्वारा इस परियोजना पर रु0 1,38,040/- का भुगतान किया गया है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, इटवा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास खण्ड इटवा एवं कार्य प्रभारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दोषी पाये गये हैं। दोषी पाये गये कार्य प्रभारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती को लिखा गया है तथा दोषी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी को निलम्बित करने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र इटवा में गत वर्ष सड़कों के निर्माण में आवंटित धनराशि/सम्पर्क मार्ग के निर्माण में दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

54--श्री माता प्रसाद पाण्डेय --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2001-2002 में कुल कितनी सड़कों पर राज्यांश के अन्तर्गत धन आवंटित किया है और उसमें से कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या यह सत्य है कि विकास खण्ड

इटवा के अन्तर्गत आने वाले सम्पर्क मार्ग मधवापुर से डवरा की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा करायी गयी जिसमें मानक के अनुरूप गिट्टी की कुटाई नहीं पाई गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री कौकव हमीद) –

वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र इटवा में राज्यांश के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा तीन सम्पर्क मार्गों पर कुल रु0 51.15 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 28.00 लाख अवमुक्त किया गया है।

जी हां।

जांच आख्या के आधार पर संबंधित अवर अभियन्ता को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तथा संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में बूढ़ी गंगा की सफाई एवं उसके किनारे सड़क निर्माण की मांग

55–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान –

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद एटा में गंगा एवं बूढ़ी गंगा के बीच भयानक जंगल में सूचीबद्ध अपराधी गिरोह रहने के कारण डाकू ग्रस्त जनपद घोषित कर सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी थी ? यदि हां तो क्या वर्तमान सरकार इस समस्या से निपटने के लिए बूढ़ी गंगा की सफाई तथा गंगा नदी के किनारे सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम मझोला में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने सम्बन्धी जानकारी

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-8-2000 को ग्राम मझोला आदि में खराब इण्डिया मार्का ग्यारह हैण्ड पम्पों जो ठीक कराये जाने के संबंध था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 210, दिनांक 15-8-2000 द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

ग्राम मझोला एवं मकटोरा में 07 हैण्डपम्प रिबोर योग्य पाये गये जिसके सापेक्ष 02 हैण्डपम्पों को रिबोर कर ठीक करा दिया गया है। अवशेष हैण्डपम्पों को शीघ्र ही रिबोर कराकर ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने की मांग

57—श्री दुर्गा प्रसाद यादव —

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहबरपुर, पल्हनी व आजमगढ़ शहर में जो इण्डिया मार्का - 2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनमें लगभग 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब हैं ? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं। वर्तमान में विकास खण्ड तहबरपुर, पल्हनी एवं आजमगढ़ शहर में अस्थायी तथा स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों का प्रतिशत क्रमश : 2.2, 3.5 एवं 6.6 है।

जी हां।

अवशेष हैण्डपम्पों के मरम्मत /रिबोर का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्रामों में बन्द पड़ी पानी की टंकी से पुन: आपूर्ति कराने की व्यवस्था

58—श्री अनिल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ग्राम बेहरा पंचगवां, रम्भरिया में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था ? क्या उक्त टंकी द्वारा दो वर्षों से पानी की आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी हां। विद्युत देयकों का भुगतान न होने के फलस्वरूप विद्युत संयोजन कट जाने से पानी की आपूर्ति बाधित थी।

विद्युत देयकों का भुगतान करके योजना को पुन : चालू कर पानी की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेन्चुरी कन्सलटेन्ट संस्था द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी की जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

59—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेन्चुरी कन्सलटेन्ट संस्था द्वारा नागरिकों द्वारा निवेश किये गये धन में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट कब तक शासन का प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये हैं ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

सी0 बी0 आई0 राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था नहीं है, अत: उसे राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया जाना संभव नहीं है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

जनपद बाराबंकी में दलित महिला के साथ घटित घटना सम्बन्धी प्रकरण

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

कल कृषि और श्रम विभाग का बजट प्रस्तुत होना है लेकिन अभी इससे सम्बन्धित साहित्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, बाराबंकी जनपद के असन्द्रा थाने में.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय छोटे लाल जी, जब कार्यस्थगन वाली सूचनायें समाप्त हो जायेंगी, आपको, माननीय सचान जी व रामकरन आर्य जी को विशेष उल्लेख में ले लेंगे। मुझे याद है, मैंने लिख रखा है, मैं ले लूंगा। लेकिन कार्यस्थगन की सूचनाओं की समाप्ति के बाद विशेष उल्लेख में ले लूंगा, बहुत जल्दी आ जायेगा।

(श्री उदयराज के खड़े होने पर)

अभी नहीं, इस तरह नहीं होता है। कोई प्रक्रिया बनी है, आप तो पुराने सदस्य हैं। उसके अनुसार चलने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल--

आपने अभी माननीय सदस्य छोटे लाल जी का उल्लेख किया है कि उनकी सूचना हम ले लेंगे, तो मान्यवर मेरी भी एक सूचना बाराबंकी से सम्बन्धित ही है, तो मेरी भी सूचना आप ले लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, देख लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

आज दिनांक 26 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तंगत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर कुल सात सूचनायें स्वीकार की गयीं। इनमें पहली सूचना डा0 राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह चौहान की है, तीसरी सूचना श्री उमा शंकर कुशवाहा की, चौथी सूचना बंशीधर राज की, पांचवी सूचना डा0 शिवप्रताप यादव की, छठीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है और सातवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की है। इन सातों माननीय सदस्यों की सूचना पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

प्रतीक्षा सूची में श्री कालीचरन राजभर, श्री राकेश सचान, और श्री मदन गोपाल वर्मा की थी, जिन्हें नहीं लिया गया है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :--

1--श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,
2--श्री राम किशुन,
3--श्री प्रताप चौधरी,
4--डा0 यशवन्त सिंह,
5--श्री समरपाल सिंह,
6--श्री सुरेश कुमार खन्ना,
7-- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर,
8--श्री रामजीत राजभर,
9--डा0 कौशल किशोर,
10--श्री अनिल सिंह,
11--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल,
12-- श्री रामकरन आर्य,
13--डा0 वकार अहमद शाह,
14--श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
15--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह,
16--श्री जियाउद्दीन रिजवी,
17--छोटे लाल यादव।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

आगरा पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत सिकन्दरा, हमीदनगर, जगदीशपुरा, बारहखम्भा ताली फिरोज खां में जल भराव की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

1--डा0 राम बाबू हरित--

[महोदय जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में सिकन्दरा, हमीदनगर, जगदीशपुरा, ताल फिरोज खां बाई का बाजार में जल भराव तलैया में गर्मी के समय भी बना रहता है। जो क्षेत्रीय नागरिकों के घरों में भरता है। जिससे वहां के लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तथा वर्षा ऋतु में इन स्थानों पर त्राहि-त्राहि मची रहती है, लोगों के मकान टूट जाते हैं तथा घरों में 5 फुट तक पानी भर जाता है। नगर महापालिका के अधिकारी दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसूचितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहते हैं यहां कभी भी भयंकर महामारी फैल सकती है। कस्तजाब क्वार्टर से ग्वालियर रोड तक नाले गलत निर्माण होने से जुम्मन खां की झोपड़ी, कीर्ति नगर, न्यू चावली व हस्तिनापुरी आदि बस्तियों में पानी का निकास नहीं है। कीर्ति नगर, न्यू चावली के लिए कोई सार्वजनिक मार्ग महापालिका ने नहीं बनाया है जिससे क्षेत्र के निवासियों को मिलिट्री क्षेत्र से गुजरने के कारण काफी असुविधा व कभी-कभी जवानों द्वारा बेइज्जत होना पड़ता है। सिकन्दरा पानी निकासी हेतु क्षेत्रीय सभासद दो बार आमरण अनशन पर बैठ चुका है जिन्हें नगर निगम अधिकारियों द्वारा आश्वासन के बाद हटाया है परन्तु राहत कार्य अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। पानी की निकासी हेतु लगायी गयी पम्पें अक्सर खराब रहती हैं तथा ठीक होने पर 4 या 5 घण्टे से अधिक नहीं चलती जबकि डीजल को चोर बाजारी कर मार्केट में बेच दिया जाता है। अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस जल भराव व सार्वजनिक मार्ग समस्या को दूर कराने का कष्ट करें।]

जनपद एटा के पटियाली क्षेत्रान्तर्गत धर्मपुर नगला बैरु मार्ग के शेष 13 कि0 मी0 अधूरे मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

2--श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

[जनपद एटा दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। यह 1984 से उ0 प्र0 सरकार ने घोषित किया था। यहां छबिराम, पोथी, महाबीरा,अलवर आदि गैंगों का कर्म स्थली रहा है। सैकड़ों लोंगो की हत्यायें हुई, सैकड़ों का अपहरण हुआ। विशेषकर पटियाली तहसील के अन्तर्गत उपरोक्त तहसील गंगा नदी के किनारे स्थित गैंगों ने स्थिति का लाभ उठाकर यहां पर डकैतों की शरण स्थली बन गया है। वर्तमान में कलुआ गैंग द्वारा भय एवं आतंक व्याप्त है। छोटे-छोटे उद्योग वाले अपने उद्योगों को यहां से हटा लिया है। जिससे दैनिक मजदूरों को रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है और धीरे-धीरे और भयानक स्थिति पैदा होती जा रही है। लोग देहात क्षेत्र से भागकर शहरों में शरण ले रहे हैं। यही सब कारणों को देखते हुए तत्कालीन सरकारों ने यहां पर (पटियाली) तहसील में डाकुओं से निपटने के लिए सड़कों का जाल बिछाया था। जिन पर मिट्टी एवं पुलिया कहीं-कहीं गिट्टी का कार्य हो गया है। जैसे धर्मपुर नगला बैरू मार्ग का जिसकी लम्बाई 60 किमी0 है। 13 किमी0 भी शेष भाग रह गया है। डाकुओं की समस्या से निपटने के लिए उपरोक्त मार्ग का बनना अत्यन्त आवश्यक है। जनता के पलायन को रोकने के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या, अपहरण रोकने के लिए इस महत्वपूर्ण अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।]

नोट ---[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गाजीपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत नोनहरा अलावलपुर रसूलपुर हबीबुल्ला ग्राम के पास मगई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

3--श्री उमाशंकर कुशवाहा--

[आपसे सादर अनुरोध है कि मेरी विधानसभा रसूलपुर हबीबुल्ला के पास मगई नदी पर पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत होने के बावजूद भी अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उक्त पुल न बनने से विधानसभा के पूर्वी छोर पर जाने में या तो मोहम्मदाबाद होकर या कासिमाबाद होकर जाना पड़ता है जिससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व की मांग को सदन के पटल पर रखकर चर्चा करायी जाये तथा उक्त का निर्माण जनहित में तत्काल कराया जाये।]

जनपद खीरी के क्षेत्रान्तर्गत तहसील मोहम्मदी को जिला बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

4--श्री बंशीधर राज--

[मान्यवर, तहसील मोहम्मदी जो कभी जिला मुख्यालय था तथा महान स्वतंत्रता सेनानी अहमदउल्ला शाह के राज्य की राजधानी था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने दण्ड स्वरूप मोहम्मदी को जिले से तहसील बना दिया था जो कि वर्तमान समय में जनपद लखीमपुर खीरी की सबसे बड़ी तहसील है और जिला मुख्यालय से लखीमपुर खीरी से लगभग 80 किमी0 की दूरी पर है। इसके अलावा तहसील मोहम्मदी के समीपवर्ती ग्रामों की मुख्यालय से दूरी लगभग 150 किमी0 है, जिसके कारण मुख्यालय आने-जाने में जनता को अत्यधिक कठिनाई होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निरन्तर आज तक जनता द्वारा तहसील मोहम्मदी को जिला बनाने की मांग की जा रही है। अत: अनुरोध है कि इस लोक-महत्व की समस्या का निदान अविलम्ब कराया जाये और तहसील मोहम्मदी को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य दिलाया जाये।]

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत पुराने लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

5--डा0 शिव प्रताप यादव--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जनपदों को जोड़ने वाली बलरामपुर-इटावा मुख्य मार्ग पर बेलड़ा तथा गौरा चौराहा के बीच रोड पर बने दो पुराने लकड़ी के पुल लगभग छ: माह पूर्व टूट गये हैं जिससे आवागमन पूर्णतया अवरुद्ध हो गया है। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर में पचपेड़वा-रेहरा चौकी मार्ग पर स्थित सोनही नाला पर निर्मित पुराना लकड़ी का पुल एवं गैसड़ी ठकुरापुर मार्ग पर स्थित वरुनी नाला पर निर्मित पुराना लकड़ी का पुल लगभग एक वर्ष पूर्व टूट गये हैं जिससे आवागमन ठप्प है, जिससे जनता को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि शीघ्र इन पुलों का पक्का निर्माण सरकार द्वारा नहीं कराया गया तो किसानों का गन्ना भी बलरामपुर एवं तुलसीपुर चीनी मिलों तक नहीं पहुंच पायेगा। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही करने हेतु सरकार को आदेश देने का कष्ट करें।]

नोट ---[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मेरठ में जलापूर्ति हेतु विकल्प के रूप में उपलब्ध सरफेस वाटर के यथासम्भव उपयोग की योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6--डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

[मेरठ नगर निगम सामान्यत: आपूर्ति ट्यूबवेल से है। दिन प्रतिदिन भू-गर्भ जल का स्तर गिर रहा है। गंगनहर में मेरठ जनपद के बोहला स्थान पर प्रचुर मात्रा में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध है। वहां से बायीं तरफ पार कर मालियाना क्षेत्र के बराबर से होता हुआ बदायूं रोड बाई पास के हापुड़ रोड लोहिया नगर, शास्त्रीनगर, जाकिर कालोनी, लिसाड़ी आदि तक गया है। बहुत न्यून व्यय पर सामान्य जल सम्पूर्ण शहर के एक और रिंग के रूप में लाया जा सकता है तथा बीच में छोटे/मध्यम फिल्टरेशन प्लान्ट लगाकर पीने योग्य बनाकर वर्तमान जन प्रणाली में जोड़ कर उपयोग किया जा सकता है, नई जल प्रणाली भी डाली जा सकती है। उसी प्रकार बाई पास दिल्ली रोड से सैनिक बिहार, नगलाताशी, कंकरखेड़ा तक बम्बा लगाकर प्लान्ट स्थापित कर इस क्षेत्र को पेयजल दिया जा सकता है। जल निगम/नगर निगम मेरठ को निर्देश देकर कार्य योजना बनाकर आगणन बनाकर भारत सरकार से पैसे लेकर यह कार्य किया जाना चाहिए। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण एवं टेढ़ी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7--श्री बैजनाथ दुबे--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 146 कटरा बाजार गोण्डा में कई सड़कें जैसे--गोण्डा कचेहरी से कटरा बाजार मार्ग, करनैलगंज हजूरपुर मार्ग, चौरी कटरा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं। और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। विधान सभा क्षेत्र, कटरा बाजार को टेढ़ी नदी कई भागों में विभाजित करती है, जिससे गन्ना किसानों को मिल में गन्ना ले जाने के लिए बाजार की मण्डियों में किसानों को अनाज ले जाने के लिए, विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए जहां दस किमी0 की दूरी तय करनी चाहिए, वहीं पुल न होने के कारण 40 से 50 किमी0 दूरी तय करनी पड़ती है। क्षेत्रीय जनता ने पुल बनवाने की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन किया है और मेरे द्वारा भी शासन व प्रशासन को अवगत कराया गया है परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है। यह जनहित से जुड़ी हुई मुख्य समस्या है। पुल का बनना जनहित में नितान्त आवश्यक है। अत: इस लोक महत्व प्रश्न को संज्ञान में लाते हुए सरकार से पुल निर्माण एवं सड़क निर्माण करवाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26 अगस्त, 2002 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। नियम 300 की सीमा और परिभाषा सभी माननीय सदस्य जानते हैं, आज तीन विभागों का महत्वपूर्ण बजट भी है। बजाय इसके मैं इन्हें निरस्त कर दूँ, माननीय सदस्य अपनी बातें संक्षेप में रखें ताकि इनका निस्तारण शीघ्र हो सके।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुन: पारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, 23 अगस्त को इस सदन में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित कर दिया जो प्रत्येक दृष्टि से अनुचित रहा। उस विधेयक के खण्ड (6) में उसको परिवर्तित करके इस गौतम विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 में प्रवेश के लिए आरक्षण के क्रम में बदलाव कर अनुसूचित जाति को तेइस प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत और पिछड़ी जाति के लिए 27 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण संशोधन अधिनियम, 1994 जिसे इस सदन में बदला हमने स्वीकार किया है, उस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उस अधिनियम में कोई परिवर्तन किए बिना अन्य उल्लेख किये बिना, यह आरक्षण परिवर्तित कर दिया गया। उसमें खण्ड (9) में कर दिया गया कि चांसलर मुख्य मंत्री होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इससे सदन की कार्यवाही कहां संचालित होती है ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मान्यवर, अगर यह गलती से पास हो गया और यह आरक्षण उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के विपरीत पास हो गया, मान्यवर, दो-दो अधिनियम इस सदन में पारित हुए और उनमें कोई संशोधन किये बिना पास कर दिया। मैं चाहता हूं कि यह सर्वदलीय सदन है और उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लें और उसे ठीक कर लें और जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 बना रहे हैं उसमें आरक्षण के नियम को बदला गया है और जो इसमें चांसलर को मुख्य मंत्री कर दिया गया है, इस पर पूरे सदन का ध्यान चाहता हूं कि आखिर प्रत्येक नियम, अधिनियम को तोड़कर जो यह परिवर्तन किया गया है, इससे जनता का क्या भला होने वाला है। आप कृपा करके इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अपनी नादिरशाही के जरिये परम्पराओं को ध्वस्त करना चाहती हैं। हर जगह चांसलर महामहिम राज्यपाल होता है जबकि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की मुख्य मंत्री स्वयं बन गयी है।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है इसको पूर्व अधिष्ठाता बाजपेयी जी ने भी उठाया।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान-शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप अधिनियम पढ़िये, एक-दो अधिनियम हैं जहां राज्यपाल के अतिरिक्त भी कुलाधिपति बने हैं।

सदन द्वारा विधेयक पारित किया जा चुका हैं अत: अब इस पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है। सूचना अग्राह्य की जाती है। यदि कोई असंवैधानिक प्राविधान है तो न्यायालय में जाना पड़ेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन् सदन को गुमराह करके विधेयक को पारित करा लिया गया है। यह जन विरोधी व पिछड़ा विरोधी है। इस पर पुनर्विचार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी, यह नियम 300 में नहीं आता है। इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वर्ष में तीन अधिवेशन तथा 90 दिन में उपवेशन तथा दो माह के अन्तराल पर 10 कार्य-दिवस के लिए विधान सभा का सत्र बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार व जगदम्बिका पाल जी की है।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक औचित्य का प्रश्न रखता हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा की .....

श्री अध्यक्ष--

21 अगस्त और 23 अगस्त, 2002 को भी यही सूचना आयी थी, अब कितनी बार इसे दोहराया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, दोनों दिन सदन अव्यवस्थित था।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए मैं क्या करूं ?

श्री प्रमोद कुमार--

अब इसको सुन लें। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 14 देखें। मैं इसको पढ़े दे रहा हूं। "अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।" मान्यवर, बाद की दो पंक्तियां आपकी सहमति से इस सदन की संस्तुति पर जोड़ी गई हैं। अब स्थिति यह है कि बार-बार शिकायत आती है कि नये माननीय सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि तीन महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं। जहां तक मुझे याद है, पुराने सदस्यों को याद होगा, कार्यवाही गवाह है, कभी भी एक दिन में एक से ज्यादा विभाग पर बजट पर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चर्चा नहीं हुआ करती थी। आज कौन से कारण हैं, कौन सी मजबूरी है कि सदन में एक-एक दिन में 3-3 विभाग लिये जा रहे हैं। अगर ईमानदारी से चर्चा करायी जाये तो हश्र वही होगा जो 20 तारीख को हुआ कि रात बारह साढ़े बारह बजे तक सदन बैठा। कार्यमंत्रणा समिति ने शनिवार की छुट्टी भी निरस्त कर दी। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम सदन को 90 दिन नहीं चलाते। नतीजा यह होता है कि वरिष्ठ सदस्य तों पहले बोल लेते हैं नये सदस्य जब तक कुछ समझें तब तक समय निकल जाता है। अगर 90 दिन तक सदन चले और 2 महीने के अन्तराल पर सदन बुलाया जाय तो जो समस्यायें 3-4-5 महीनों में इकट्ठी हो जाती हैं उन समस्याओं का समाधान समय पर हो जाय। संविधान की जो व्यवस्था है कि 6 महीनों से ज्यादा दो सदनों में अन्तराल नहीं होना चाहिये अगर यह संवैधानिक व्यवस्था न हो तो सरकार 6 महीनों में भी सदन न बुलाये। मान्यवर, अगर हम इस नियमावली का उल्लंघन करते हैं तो आप इंगित करते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो आप बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन आपकी पीठ से नियमावली का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मेरी पीठ से उल्लंघन का प्रश्न तब आता है जब सदन आहूत किया जाय। बिना सदन आहूत किये पीठ पर कोई बैठ ही नहीं सकता है। अगर सदन आहूत नहीं है तो कौन यहां बैठेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आभारी हूं लेकिन आपको ज्ञात होगा कि सदन बुलाने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। सदन बुलाने का अधिकार मंत्रिमण्डल और राज्यपाल को है।

श्री अध्यक्ष--

आप शासन से कहें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह न हमारी गलती है और न आपकी गलती है। आप जब हमारी गलती ठहराते हैं तो आप हमें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं उसी तरह से जो सरकार संविधान और नियमावली का पालन नहीं कर रही है उसको आप बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मान्यवर, बहुत दिन हो गये माननीया मुख्य मंत्री के दर्शन नहीं हुये। मैं जानता हूं कि संयुक्त जिम्मेदारी है, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री को मुख्य मंत्री की तरफ से जवाब देने का अधिकार है। लेकिन मान्यवर, तमाम ऐसी समस्यायें यहां आती हैं जिस समय माननीय मुख्य मंत्री को यहां रहने की आवश्यकता होती है अगर वह रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देख रहा हूं कि मंत्री सदन को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। माननीय हुकुम सिंह जी और त्रिपाठी जी के अलावा महत्वपूर्ण मंत्री नहीं हैं। अगर माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित रहें, साल में 90 दिन का सेशन हो, और 2 महीनों से ज्यादा अन्तराल सदन की बैठकों में न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सदन बुलाने में पीठ की गलती नहीं है लेकिन पीठ अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रक्रिया नियमावली का वह कौन सा नियम है जो सरकार को सदन से बाहर कर सकता है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सदस्य नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं आप जरा अपना दिल कड़ा कर लें और थोड़ा सा हमारा सहयोग ले लें, सरकार अपने आप बाहर चली जायगी।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आदरणीय तिवारी जी ने जिन बातों को कहा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 105 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार और संविधान के अनुसार सह सदन चलता है और समय-समय पर पीठासीन अध्यक्ष, अधिष्ठाता महोदय के निर्देशों, निर्णयों के अनुसार चलता है। मान्यवर, पिछले 20--30 वर्षों में कई बार अनेकों माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है और पीठ ने भी अहसास किया है और समय-समय पर इस सम्बन्ध में अपने निर्णय दिये हैं। उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी है। तमाम जन समस्यायें हैं, ज्वलन्त समस्यायें हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज एक नई परम्परा अध्यादेशों की पड़ गयी है। प्रजातांत्रिक परम्परा और संसदीय परम्पराओं का पालन करना विधायक का कर्तव्य है। अगर अध्यादेशों का सहारा लेकर कानून बनायेंगे तो फिर विधायकों के दायित्वों का निर्वहन कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात आ गयी।

श्री जगदम्बिका पाल--

साल में कुछ दिन के लिए सदन चलाया जाएगा और उन दिनों में अध्यादेशों को कानून बनाकर रिप्लेस कर दिया जाएगा। बजट का एक-एक पैसा सदन की संस्तुति के बिना खर्च नहीं हो सकता है। कंटीजेंसी से पैसा निकाल लिया जाता है। फिर सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, सदन की कोई उपयोगिता नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि फिर सदन की सार्थकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। आपके द्वारा भी सरकार से कहा गया है कि नियमावली में जो मिनिमम 90 दिन उपवेशन का प्राविधान है उसके अनुसार उपवेशन होने चाहिए। संविधान के 174 में भी यह बात कही गयी है। लोक सभा व राज्य सभा में अगली तिथि का निर्धारण उसी दिन हो जाता है जिस दिन उठते हैं। लोक सभा व राज्य सभा में विंटर, बरसात व बजट सेशन चलता है हमारे यहां सामान्यत: दो सेशन चलते हैं। वह भी संवैधानिक बाध्यतावश चलाया जाता है। यह सदन प्रदेश की जनता के भावों व अभिव्यक्तियों का प्रतिबिम्ब है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इसे औचित्य के रूप में स्वीकार करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर,यह इस सदन से सम्बन्धित सवाल है। इसमें समय-समय पर आपका भी निर्देश हुआ है मैं आग्रह करूंगा आप 13वीं विधान सभा की कार्यवाही देखें आपने कृपापूर्वक वहां से सरकार को निर्देशित किया था कि कम से कम दो माह में 10 दिन का उपनिवेशन होना चाहिए। आपने इस बात को कहा था कि नियमावली में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं आग्रह करता हूं कि बार-बार यह सवाल उठता है कि सदन अव्यवस्थित हो जाता है और जिस पर माननीय डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण बिल था लेकिन शोरगुल में पास हो गया। कोई चर्चा नहीं हुई जैसा कि लोक सभा की परम्परा है उसी तरह विधान सभा की परम्परा क्यों नहीं डाल सकते हैं। आखिर क्या कठिनाई है। आपने व्यवस्था दे दी कि दो माह के अन्दर कम से कम 10 उपनिवेशन होने चाहिए। मैं यह जानता हूं कि आपकी सीमाएं हैं। लेकिन आप सरकार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन सरकार को यह जरूर निर्देश दे सकते हैं कि सरकार जब यह बहुजन समाज पार्टी के लोग इधर बैठते थे।

श्री अध्यक्ष--

उसी का असर हो गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

यह बार-बार कहते थे कि हम आपके साथ हैं। अगर इस सदन में आपके निर्देशों का पालन नहीं होगा तो कहां होगा। इस सदन में व्यवस्था तय हो सकती है। आप नेताओं की मीटिंग बुला लें, संसदीय कार्यमंत्री को मत बुलाइये नेता सदन को बुला लीजिये, इस पर एक साझा राय बनाकर अगले सत्र से इसको लागू कर दें। यही मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नियम 14 में इस बात का उल्लेख है कि साधारणतया कम से कम 90 दिन के उपवेशन होने चाहिए। विधान सभा द्वारा इधर विगत कई वर्षों से हम 90 उपवेशन नहीं कर पा रहे हैं और इसी दृष्टि से इस नियमावली में संशोधन किया गया था नियम 14 में और निर्देश के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी कि यथासम्भव प्रत्येक दो माह में 10 दिन का उपवेशन बुलाया जाय। पिछली विधान सभा में मुझे स्पष्ट स्मरण है कि यह अपेक्षा की गई थी सरकार से कि वह शीघ्र अतिशीघ्र यथासम्भव सदन का उपवेशन बुलाने का प्रयास करेगी। यह अपेक्षा मैं आज भी कर रहा हूं। माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि सभी दलों के नेताओं की बैठक बुला ली जाय और उसमें माननीय नेता सदन भी रहेंगी। यह महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण से सदन कभी विनियमित नहीं हो पाता, कभी देर तक बैठना पड़ता है। कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं लेकिन आप सबके सहयोग से सदन चल जाता है। हम आपको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि सदन के अधिक से अधिक उपवेशन हों ताकि नियमावली में संशोधन जो किया गया है, वह पूरा हो। इसी के साथ मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 20 अगस्त, 2002 को इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये की पूर्वांचल विकास निधि का बजट में प्राविधान किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना की है लेकिन मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये एक नये पैसे की भी विकास निधि की घोषणा इस बजट में नहीं की, न ही सदन में की। .

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 में कहां से आता है ?

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर, मैं बता रहा हूं। यह औचित्य का प्रश्न इसलिए है कि सरकार द्वारा सदन के अन्दर साढ़े चार करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह आज अपना समर्थन वापस ले लें। कल यह सरकार आ जाय तो हम घोषणा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

एक शब्द है "दिवास्वप्न"।

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक विकास की आवश्यकता है। वहां पर विकास के कार्य सारे ठप्प पड़े हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिन्तनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 2/3 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाती है। जितने भी बिजली घर हैं, उपकेन्द्र हैं सारे ओवर लोड हैं। सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ओवर लोडिंग समाप्त की जाय। पिछले 25--30 साल पहले खम्भे लगे थे, आज हालत यह है कि जरा सी हवा चलने से तार टूट जाते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाई कोर्ट बेंच के लिये आन्दोलन चल रहा है लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां पर राजस्व कोर्ट की बेंच नहीं है। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लिये सेन्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की आवश्यकता नहीं है ? वहां के लोगों को चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर,मैं वही बता रहा हूं। मान्यवर, आप को पढ़कर सुना देता हूं संविधान के अनुच्छेद-15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साढ़े चार करोड़ लोगों के साथ हकतलफी हो रही है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न है मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित क्या कार्य योजना है। दो वर्ष पूर्व मंत्री जी ने निर्देश दिये थे, और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की बैठक बुलाकर उनका दुख दर्द पूछने की कोशिश सभी दलों के विधायकों से की थी और उनकी सहमति से साढ़े 11 सौ करोड़ का पैकेज दिया गया लेकिन अब तक एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ इस तरह से नाइंसाफी हो रही है आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की है जो एक भी पैसा अब उस पैकेज का रिलीज नहीं किया गया क्या मंत्री जी यह बतायेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे की सूचना पर नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी--

इनकी सरकार के चलते प्रदेश का यही हाल होगा।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

[मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ . . .]

श्री अध्यक्ष--

बिना अनुमति के बोल रहे हैं। लिखा नहीं जाएगा।

श्री किरनपाल सिंह--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

ऐसा न करें कि पूरी नियमावली ध्वस्त हो जाये। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। आप जो बोल रहे है लिखा नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, यह मामला उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभा मंडप में बैठे सारे सदस्यों का है ऐसी कोशिश होती है कि विकास के मामलों में असंतुलन न हो, संतुलन विकास के मामलों में होना चाहिए, हर क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश में असंतुलन न हो। कुछ लोगों का कहना है कि पश्चिमांचल विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि का पैसा सरकार ने समाप्त कर दिया है। पूर्वांचल विकास योजना और बुन्देलखण्ड योजना को सरकार ने समाप्त नहीं किया है बजट में इतने धन का प्रयोजन किया गया है यह मैंने बताया सदन में जब इसमें संदेह पैदा किया तो मैंने मकसद को स्पष्ट किया कहीं असंतुलन नहीं है संतुलन बनाये रखने के लिए राज्य स्तर को स्टेट सेक्टर को विधायक निधि, तमाम ऐसी निधियों का प्रयोग हो रहा है भिन्नता नहीं की जाती है प्रदेश के हर जनपदों में संतुलन बना रहे यह हमारी कोशिश है। 1999-2000 में विशेष पैकेज की घोषणा की गई इस घोषणा के तहत 515, 1149 रुपये के पैकेज की घोषणा की गई यह 1999-2000 में घोषणा हुई पश्चिमांचल के लिए पैकेज बना, योजना तैयार है ऐसी घोषणा कर चुके हैं, विकास में कहीं असंतुलन न हो ऐसा हमारा प्रयास है। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है अत: इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं जो पैकेज गया उसको रिलीज क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

समरपाल जी को सुनने के बाद मैं इसको निरस्त करता हूं यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूं।

यह नियम-300 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य कर दिया है। अभी और अवसर मिलेंगे जिसमें आप मांग कर सकते हैं। किसी सुसंगत नियमों में दे दीजिये।

(व्यवधान)

नोट :--[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला है। इसका सम्बन्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से है। सभी लोग इसमें चिन्तित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा निर्धारित कर दें। इस पर चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें। मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं चौथी सूचना ले रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 द्वारा समितियों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेदों और नियमावली के नियमों के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं कि लोकल ऐक्ट बनायें और उसी के तहत विभागीय कार्य होते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में पास हुआ था और प्रदेश का अधिनियम बना।

श्री अध्यक्ष--

उसका कार्यकाल तीन वर्ष रहे या पाँच वर्ष रहे इसका सदन से क्या सम्बन्ध है। इससे सदन का कार्य कहां बाधित हो रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी [X X X] इस नाते स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह के वाक्य मत बोलें। यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, इन्होंने अभी धारा-29 में संशोधन किया कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया जाय। मान्यवर, इन्होंने पाँच जुलाई या उसके बाद से तो कार्यकाल उसका पांच वर्ष कर दिया लेकिन जो इसके पहले की हैं उसमें क्या होगा। उन्होंने कार्यक्रम जारी कर दिया चुनाव होंगे। तो उसमें पाँच साल के लिए चुने जायेंगे प्राइमरी सोसाइटीज और सेन्ट्रल सोसाइटीज के लिए। पाँच साल का समय कर दिया लेकिन दो साल का क्या करेंगे। एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी है। आपने बजट सत्र में चूँकि यह घोषणा की थी उनका कार्यकाल पाँच साल कर दिया है। माननीय सहकारिता मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वह स्पष्ट करें कि पाँच जुलाई से पहले जो समितियां भंग हो गयी हैं उनका आपने पाँच साल का किया कि नहीं और यदि कर दिया है तो जो चुनाव की घोषणा कर दी है उसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम-300 में नहीं आती है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, अधिनियम में बदलाव करें तो बराबरी का हो।

श्री अध्यक्ष--

यह संशोधन और बदलाव से औचित्य का प्रश्न कहाँ बन रहा है।

नोट :--[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, संशोधन तो रखा नहीं इसलिए औचित्य का सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है माननीय मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

(सहकारिता मंत्री)--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया है उससे मैं स्वयं चिन्तित हूँ। जिस समय यह अवधि घटायी गयी थी उस समय यह भी मंत्रिमण्डल के सदस्य थे। यह अध्यादेश हुआ और अध्यादेश के समय प्रयास किया। लेकिन विधि विभाग से स्पष्ट आया कि जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, रिट्रा स्पेक्टिव एफेक्ट्स से यह लागू नहीं होंगे लेकिन प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। मान्यवर, न्यायालय ने जो स्थगनादेश दिया है उसका मैं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विधिक परीक्षण करा रहा हूँ और विधि विभाग से उस पर परामर्श एकत्र किया जा रहा है। मान्यवर, मैंने आज एक कमेटी भी इस पर गठित की है।

श्री अध्यक्ष--

आपने मंत्री जी की बात सुन ली। यह नियम-300 में नहीं आती है। इसलिए इस सूचना को निरस्त किया जाता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी इस पर बोल रहे हैं। कृपया उन्हें सुन लें।

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री)--श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, विधान सभा में इसकी चर्चा होनी है।

श्री विनोद कुमार यादव सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना श्री दिनेश सिंह जी की है। उस पर संबंधित विभाग का एक पत्र अभी मिला है। मैंने इस पर वक्तव्य मांग लिया है मैं माननीय विधायक के पत्र पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ।

श्री दिनेश सिंह--

मान्यवर, यह एक विधायक के जानमाल की सुरक्षा का सवाल है आपसे अनुरोध है कि इस पर कारंवाई सुनिश्चित कर लें।

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना श्री कौशल किशोर की है। जो एक हैण्डपम्प खराब पड़े होने के संबंध में है। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। अगली सूचना श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की है। यह नियम 300 में नहीं आती है, अत: इस सूचना को निरस्त किया जाता है। अगली सूचना डा0 विनोद तिवारी जी की है। जो बिजली का तार टूटने के संबंध में। यह नियम 300 में नहीं आती है, अत: इस सूचना को निरस्त किया जाता है।

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 †

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री)--श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30(5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1998-99 का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण ††

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री)--श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1998-99 का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण को, कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में स्थित ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल एवं घंटा घर को संरक्षित रखे जाने हेतु श्री अनिल कुमार महेश्वरी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †††

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में स्थित ऐतिहासिक इमारत टाउन हाल एवं घण्टा घर को स्मारक के रूप में संरक्षित रखने एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार महेश्वरी तथा श्रीमती साधना मित्तल, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत गढ़ सोनीपत मार्ग के मेरठ गढ़ भाग पर शाहजहांपुर, किठौर, नालपुर क्षतिग्रस्त राज मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †††

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत गढ़ सोनीपत मार्ग के मेरठ गढ़ भाग पर शाहजहांपुर, किठौर, नालपुर क्षतिग्रस्त राजमार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग तथा श्री विवेक रस्तोगी, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

††† छापा नही गया।

बजट साहित्य समय से न मिलने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह बजट सत्र चल रहा है। दो बार यह तथ्य हम आज की तिथि के पूर्व भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला चुके हैं जिस दिन जिस विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाना हो उसका साहित्य पहले मिल जाये लेकिन आज भी सुबह ही मिल पाया है। इस बात के लिए माननीय मंत्री जी क्षमा याचना भी कर चुके हैं। मान्यवर, इसको जितनी अगंभीरता से लिया जा रहा है यह अत्यंत गंभीर विषय है। आप यह निर्देशित करने की कृपा करें कि जो इस बिलम्ब के लिये उत्तरदायी हैं उसको दण्डित किये जाने की घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कल से और कल के बाद जो भी बजट प्रस्तुत किये जाने हैं उसका साहित्य समय से मिल जाये।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

माननीय चौधरी साहब की यह आपत्ति मान्यवर मैं स्वीकार करता हूँ कि जो प्राविधान है उतने दिनों के अंदर उसका साहित्य मिल जाना चाहिये। पिछली बार विधायकों ने कुछ शिकायतें की थी, बात किया था। इस बात को मैं भी पसन्द नहीं करता हूँ। आज इस प्रश्न पर बात कर लूँगा। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

प्रभावी निर्देश दे दीजिए।

मद संख्या- 7, 8, 9 में कुछ नहीं है। मद संख्या-10।

आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिये अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 26 अगस्त, 2002 को नियम 56 में कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

(श्री राकेश सचान, श्री राम करन आर्य, श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं विशेष उल्लेख में सुन लूँगा।

पहली सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है व श्री शारदानन्द अंचल व श्री जियाउद्दीन रिजवी की है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जनपद बलिया के थाना खैजुरी में इतना अमानुषिक घटना हुई है। रक्षा बन्धन का त्योहार उस दिन पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा था।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, यह मामला मेरे क्षेत्र का है, मुझे भी सुना जाये।

श्री अध्यक्ष--

अभी चौधरी साहब को बोल लेने दें। आवश्यकता पड़ेगी तो विस्तार से सुन लूँगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी आप नियंत्रित करिये, यह जबरदस्ती हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जाइये, माननीय चौधरी जी, आप बोलें।

(श्री राम इकबाल सिंह के बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

माननीय अम्बिका चौधरी जी की सूचना है, नियम-56 की सूचना है। मैं एक दो मिनट में इनके विचार सुन लेता हूँ। कहीं आप प्रभावित हो रहे हों, कहीं आपका नाम पद आयेगा तो आपको भी सुन लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अम्बिका चौधरी जी अपनी पूरी बात रखें, कोई बात नहीं है लेकिन होता क्या है कि जब हम लोगों को अपनी बात रखने की बात आती है तो उधर से शोर हो जाता है इसलिये ये जब तक बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूँगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, ऐसा नहीं होगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने अवसर दिया है आप उनको बैठाइये, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आवश्यकता होगी तो आपकी बात सुनी जायेगी। आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपको भी सुन लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है इस पर आप विचार कर लें मान्यवर, उनकी इस धमकी पर कुछ करें (व्यवधान) मान्यवर, उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि आज से जब ये खड़े होंगे तो नहीं बोलने देंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की धमकी देना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह--

मेरी बात नहीं सुनी जायेगी तो जब तक माननीय सदस्य बोलेंगे मैं भी बोलता रहूँगा।

कुँवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अगर नियम 56 कार्य स्थगन में इस तरह का विवाद होने लगेगा तो कैसे होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं वह सरकार का पक्ष रखेंगे अगर माननीय अम्बिका चौधरी जी माननीय राम इकबाल जी का उल्लेख करें.....

श्री अध्यक्ष--

शायद उनके क्षेत्र की बात है यह प्रकरण शायद पहले भी आया था।

कुँवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह परम्परा आप बन्द करा दीजिए कि किसी के क्षेत्र का है तो वह बोले।

(व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अकेला जी, माननीय राम इकबाल जी कृपया बैठें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इनको नियंत्रित कर लीजिये ताकि मैं अपनी बात कह लूं।

श्रीमन्, 22 अगस्त को खेजुरी थाना में नाथ बाबा का एक मंदिर है, पुराना मंदिर है और उस मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता है सभी देवताओं के प्रति श्रद्धा है, दुर्गा, काली, शंकर जी के प्रति श्रद्धा है। नाथ बाबा के प्रति सभी लोगों की श्रद्धा है। मान्यवर, मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए वहां मन्नत मांगते हैं, लोग अभिलाषाएं रखते हैं। 22 अगस्त को रक्षा बन्धन का त्योहार था। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार था। उस रिश्ते में अपनी-अपनी औकात के हिसाब से सभी अपनी बहनों की सुरक्षा का आश्वासन दे रहे थे। इसी दिन उस मंदिर में पूजा के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, वैसी पूजा इससे पूर्व वहां कभी नहीं हुई। एक निश्चित षड्यंत्र और योजना के तहत मान्यवर, 10 हजार लोग जुटाये गये और वह 10 हजार लोग लाठी, बल्लम, गड़ासा, आदि हथियार लिये हुए थे इतना ही वह लोग आग्नेयास्त्र के साथ बुलाये गये थे। यह भीड़ केवल पूजा के लिए नहीं बुलायी गयी थी बल्कि इसलिए बुलाई गयी थी कि वहां पर उस मंदिर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आस-पास अगल-बगल में जिनके मकान, दुकान हैं उस पर नजर कुछ लोगों की थी। इसके साथ ही साथ ये लोग वहां का सौहार्द्र नष्ट करना चाहते थे और एक उत्तेजना का माहौल पैदा करके एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य के तहत उन लोगों को जुटाने का काम किया गया और श्रीमन्, 42 लोगों की दुकानें, मेरे पास सूची है, उनके पास जूता, कपड़ा तथा अन्य सामान था। भरत प्रसाद, पु0 रेखा, जूता-चप्पल, रेडियो की दुकान, गणेश प्रसाद पु0 रेखा जूता-चप्पल, जनरल स्टोर की दुकान पवन कुमार गुप्त प0 रामेश्वर प्रसाद की जूता-चप्पल, रेडीमेड की दुकान थी।

श्री अध्यक्ष--

पूरी सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, उस जमीन पर चूंकि मकान बने हुए हैं, वह उनकी जमीन है, उसके कागजात हैं। इसके अलावा उन पर दो मंजिला मकान बने हुए थे। उस भीड़ को विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। पूरी तरह से निर्देशित करते हुए उस भीड़ को उत्तेजित किया गया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी गयी कि दो मंजिला मकान तक गिराये गये। एक मकान था उसकी पूरी छत को तोड़ करके, लूट करके लोग वहां से चले गये वहां रखा हुआ आलू-प्याज लोगों ने लूट लिया और लूट करके ही सिर्फ उनका मन नहीं भरा, उसको फूंक देने का काम भी किया गया। पुलिस उपाधीक्षक वहां मौजूद थे, सारे थानाध्यक्ष लोग मौजूद थे। डी0एस0पी0 को गिराकर पीटा गया, सिकन्दरपुर तथा अन्य थानाध्यक्षों को पीटा गया। एक सिपाही का जबड़ा टूट गया, 18 सिपाही घायल हो गये। वहां की भीड़ में पुलिस भी पिट रही थी। बावजूद इसके कि जलते हुए, पिटते हुए लोगों की मदद करने के, वह अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। पुलिस धीरे-धीरे पीछे हटती गयी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों वहां मौजूद थे। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं और दूसरी जगह पर नहीं कहा जा सकता। दोनों अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे और राजनीतिक दबाव के कारण, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि दुरभि संधि थी उनकी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां से भाग कर चले गये और इतनी लूटपाट के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे गिरफ्तार करने का काम किया गया हो इस घटना से जो स्थिति है उसमें जो मार्ग बलिया से सिरौली जाता है उससे गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थ नगर जुड़ते हैं वह मुख्य सड़क 22 तारीख से बन्द पड़ी है।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

तारीख 22, 23, 24, 25 और आज मैं जब आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वह सड़क बन्द है। यह सूचना किसी के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि माननीय शारदानंद अंचल, स्वयं मैं, मोहम्मद रिजवी, नारद राय आदि तमाम लोग ने जाकर वहां स्वयं देखा है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चहता हूँ कि इसे कोई राजनीतिक प्रकरण न समझें। बहुजन समाज पार्टी के लोग और पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर भी वहां जा चुके हैं। दूसरे और नेतागण हैं, जिनका नाम लेना उचित नहीं है, इस सदन से संबंधित नहीं हैं। तमाम लोगों ने घटना को देखा है और जांचा है। आज वहां पर जबरदस्त दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, समस्त दुकानें बंद हैं। बलिया जनपद में 8 विधान सभा क्षेत्र हैं और आठों विधान सभा क्षेत्रों में मुख्य जनपद में बंद और चक्का जाम था। बलिया जनपद के लोग इस आशंका में हैं कि पता नहीं, कब किसकी दुकान लूट ली जाय। यह कोई साधारण लूट नहीं है, यह सब पूरी तैयारी से हुआ है और जिलाधिकारी और

पुलिस उपाधीक्षक को लिखित तौर से दरख्वास्त दी गई थी और वहां पर विशेष राजनीतिक कारणों से उत्तेजना पैदा करने का काम किया गया है, यह किसी जाति, बिरादरी में दहशत पैदा करने की साजिश है और यह सब जानबूझकर किया गया है। बलिया जनपद में अभी तक दहशत और आतंक का माहौल है और बलिया जनपद में सीयर और सिकन्दरपुर के बीच बिल्कुल आने-जाने की स्थिति नहीं है। इस घटना का पूरा वीडियो कैसेट मेरे पास है, इस कैसेट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसका क्या रोल रहा है, किस तरह की हरकत किन लोगों ने की है।

(श्री राम इकबाल के खड़े होने पर)

मान्यवर, आप इनको बैठाइये, यह जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप शारदानंद अंचल जी को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब, आपने बहुत विस्तार पूर्वक घटना की चर्चा कर दी। आप स्वयं देख रहे हैं, माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। इनका क्षेत्र होगा तो हम ऐसा क्यों न कर लें ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने किसी विधायक का नाम, किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिया और मैं नाम लूँगा तो अभी शुरू हो जायेगा।

(दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में टोकाटाकी पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये।

नियम-56 स्वीकार होगा तो चर्चा होगी। इसको मद संख्या-14 के बाद ले लेते हैं। जो इधर के माननीय सदस्य कहना चाहते हैं और जो उधर के माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, वह आ जायं।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने पर)

माननीय अंचल जी, उसी समय कहिये।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, वहां पर राजनीतिक उद्देश्य से साम्प्रदायिक उद्देश्य से जानबूझकर आक्रमण किया गया जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पर साम्प्रदायिक शक्तियों ने हमला करके उसे तोड़ने का काम किया है, उसी तरीके से बलिया खेजुरी क्षेत्र के अन्दर नाथ बाबा के नाम पर सुनियोजित तरीके से दुकानें, गोमटियों ,दुकानदारों उसका घर, उसकी सारी सम्पत्ति को नष्ट कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अंचल जी अभी आप अपनी बात को समाप्त करें मद संख्या-14 के बाद चर्चा कर लेंगे।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि साजिश किस तरीके से हुई, इसका कारण है कि सरकार लाचार है। वहां की जनता परेशान है। लेकिन जब हमारी मुख्य मंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो दूसरे क्या सुरक्षित हो सकते हैं। मान्यवर, बलिया जिले के ही अन्दर एक इन्जीनियर की हत्या हो गयी, उसका भी असर पड़ा, पूरे तौर से सुनियोजित तरीके से ग्रामीणों को लूटा और उसमें दसों दरोगा पीटे गए, डिप्टी एस0पी0 पीटा गया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वीकार कर लिया है, चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री शारदानन्द अंचल--

पूरी तरह से वहां 10 हजार लोगों को इकट्ठा करके लाठी, बल्लम और.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

भाई हमने कह दिया कि हमने आपकी बात स्वीकार कर ली है और मद संख्या-14 के बाद चर्चा करा लेगें, जिससे आपके माननीय अम्बिका चौधरी भी सहमत हैं। अब श्री राम किशुन जी अपनी बात रखे।

श्री राम किशुन--

माननीय अध्यक्ष जी हमने नियम-56 के तहत उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए नक्सलवाद की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे कार्य स्थगन के रूप में रखा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जनपद में जिस तरह से नक्सलवाद बढ़ा तब से जनपद प्रभावित हो रहा है। अगर उसको रोका नहीं गया तो इतने बड़े-बड़े और खतरनाक हादसे होंगे। भवानीपुर में 15 लोगों को मारा गया, 9 मार्च, 2001 को और 15 लोगों को जिन नक्सलियों को मारने की घोषणा की थी, उन्होंने पी0ए0सी0 कैम्प को लूटा और आधुनिक असलहे लूट ले गए और पूरे ग्रामीणों को लूटा गया, निकट के थानाध्यक्ष को मारा गया और पुन: वहीं निर्ममता पूर्वक नौगढ़ के एक गांव में तीन लोगों बाप, बेटा और उसके भतीजे की निर्मम हत्या करके उसकी बोटी-बोटी काटकर नदी में बहा दिया। इतना ही नहीं सोनवार में तीन अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गयी और उसमें एक अल्पसंख्यक को तो जिन्दा ही जला दिया गया, उसकी ट्रैक्टर फूंक दी गई, उसके मकान में आग लगा दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में नक्सलियों का इतना आतंक है। जो कोई बोलता है, चाहे किसी वर्ग का हो, अगर उसके आदेश को स्वीकार नहीं करता है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है।

वहां पर नक्सली अपनी एक समानान्तर सरकार चला रहे हैं। 55 लाख रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक आय है नक्सलियों की। चाहे जिसका पेट्रोल पम्प हो, ट्रैक्टर हो, बड़ा किसान हो, या गरीब जनता हो, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है उन्हें भी चन्दा के रूप में जबरदस्ती वसूली का पैसा देना पड़ता है। नियम बनाकर 50-50 लोगों का खाना जबरदस्ती लोगों से बनवाया जाता है और प्रदेश की सरकार उनके सामने बेबस और लाचार है। पांच साल पहले कन्हवा में 3 सिपाहियों की हत्या करके उनकी रायफल लूटी गई। उनके आतंक की घटनाएं आये दिन बढ़ रही है। सोनभद्र, मिर्जापुर और पूर्वांचल में चंदौली से लेकर गाजीपुर के आस-पास के जनपद जो बार्डर पर हैं, आए दिन नक्सली के नक्शे कदम पर बिहार से आकर बड़ी घटनाएं करके चले जाते हैं, सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालत यह है कि लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। नौगढ़, सोनभद्र के जंगल के इलाके के गांवों में लोगों ने 4 बजे के बाद जाना बंद कर दिया। वहां के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। इन गांवों में 5.00 बजे के बाद रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। इस कार्य स्थगन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करायें। मान्यवर, 5 सालों से प्रदेश में इस तरह की घटनायें घटित हो रही हैं। नक्सली बनने का कारण भी है कि वहां पर बहुत गरीबी है। लोग

भूख से मर रहे हैं। इस सदन में कहा गया कि भूख से कोई नहीं मरा है। लेकिन तमाम बेबस और लाचार लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वहां पर सड़के नहीं है, पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसे में लोग नक्सलवाद के लुभावने नारे से प्रभावित होकर नक्सली हो रहे हैं या पुलिस के दबाव में आकर पुलिस की मुखबिरी करते हैं। अगर मुखबिरी नहीं करते हैं तो उनको पुलिस प्रताड़ित करती है और अगर ये लोग नक्सलवाद का विरोध करते हैं तो नक्सली उनको मार डालते हैं। आज नक्सलवादी अपनी सेनायें बना रहे हैं।

मान्यवर, नक्सलवाद के पनपने के कारणों की जांच तो आर्थिक और सामाजिक विषमता एक महत्वपूर्ण कारण है। लोग परेशान हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, पूर्वांचल के लिए एक कर्मनाशा पैकेज बनाया गया था, बार्डर पर थाने बनने थे, कँटीली तार लगाने की योजना थी, उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है जिससे आये दिन सामान्य नागरिक, व्यापारी, छात्र, नौजवान की हत्या, अपहरण और लूट आम बात हो गयी है। चाहे बड़े से बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो वह अपनी खेती का कुछ न कुछ हिस्सा नक्सलवादियों को देने के लिए मजबूर है। यह बहुत गम्भीर, ज्वलंत और लोकमहत्व का विषय है। इस पर आपसे विशेष रूप से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसको गम्भीरता से लेते हुए चर्चा कराने का समय निर्धारित करवायें और सरकार से विस्तृत विवरण मँगायें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, प्रदेश सरकार इस चीज के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है कि इस प्रदेश में नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी हरकतें न हों। इस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ऐसी हरकतें करने वालों की और ऐसे संगठनों को रोकने की जरूरत है। मैं इसका पक्षधर हूँ। नक्सलवादी डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं और असलहों के बल पर अपनी प्रणाली चाहते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे संगठनों के लिए बिल्कुल छूट नहीं है। जब नक्सलवाद की स्थिति बढ़ती गयी तो कुछ जनपदों को चिन्हित किया गया। मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली ये जिले नक्सलवाद से ज्यादा प्रभावित हैं।.....

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

मिर्जापुर में 55, गाजीपुर में 33, बलिया में 54, मऊ में 2 गांव चिन्हित किये गये हैं जहां पर नक्सलवादी गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिये संगठन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जनपदों में कोशिश की जा रही है कि नक्सली घटनायें न हों और हर आदमी सुरक्षित रहे। मान्यवर, अब तक नक्सलवाद की 70 घटनाओं में 22 नागरिकों, 2 वन कर्मियों, 2 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है और हथियार लूटे गये हैं। नक्सलवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिये पुलिस टीमें बनायी गयी हैं। दूर संचार व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है और पुलिस फोर्स को आधुनिक असलहों से लैस किया गया है ताकि नक्सलवादी एरिया में जाकर मुकाबला करें। माननीय सदस्य ने कहा कि सुधारात्मक कार्यवाही हो। मैं बताना चाहता हूं कि कर्मनाशा पैकेज बनाया गया है। मिर्जापुर से वह पैकेज आ गया है, चंदौली से आना बाकी है। नक्सली लोगों से जो मुठभेड़ें हुयी हैं उनमें 28 नक्सली मारे गये हैं, 48 गिरफ्तार किये गये और उनकी गिरफ्तारी के साथ-साथ तमाम गोला बारूद और अस्त्र-शस्त्र बरामद किये गये हैं। हम लोग पूरे तरह सचेष्ट हैं कि जो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट जाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं उनको रोका जाय और लोगों को जो नक्सली भड़का रहे हैं कि असलहे और बंदूक के बल पर जमीनों पर कब्जा करो, लोगों को मारने

का काम करो ऐसे लोगों को पकड़ा जाय तथा गरीबों की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से उन्नति की जाय ताकि उनको गुमराह करने वाले लोग सफल न हो सकें। सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है कि ऐसी गतिविधियां न हों।

मान्यवर, 235 गांव जो नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हैं उस संबंध में सरकार कार्यवाही कर रही है। शासन ने 6 जुलाई, 2002 को शासनादेश जारी करके 297 ऐसे गांवों को अंबेदकर गांवों के रूप में चयनित किया है जहां पर रास्ता, आवास की व्यवस्था के साथ-साथ जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वहां के लोग विकास के रास्ते पर जायं। उनको शिक्षित करके प्रदेश और देश के हित में सोचने की भावना पैदा करने का काम किया जा रहा है। सरकार नक्सलवाद को रोकने के लिये पूरी तरह से कटिबद्ध है और हम लोग इसमें कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। पुलिस प्रशासन की टीमें बना दी गयीं हैं और दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। इसमें हम सम्मानित सदस्यों के सहयोग की भी अपील करते हैं। हमारा पुलिस प्रशासन सचेष्ट है। नक्सली गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र के लिये विशेष योजनायें बनायी गयीं हैं और कर्मनाशा पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज के तहत शिक्षा, आवास, जमीनें देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों में स्वाभिमान पैदा हो और वह देश व प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ें। सरकार ऐसे जनपदों जो इससे प्रभावित हैं वहां के लोगों की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा के लिये पूरी तरह से कटिबद्ध है।

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 28 नक्सली लोगों को पुलिस ने मार गिराया है। सरकार पता लगा ले। मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करा ली जाए। ऐसे लोगों के नाम आपके पुलिस रिकार्ड में आ गए हैं जो आज भी हैं। लालवृत व देवनाथ। यह भवानीपुर की घटना है। मैं चाहूँगा कि इसकी आप जांच करवा लें। यह जो कर्मनाशा पैकेज है उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसकी घोषणा करें।

श्री सुखदेव राजभर--

वैसे तत्काल की यह घटना नहीं है। यह नियम 56 में ग्राह्य नहीं है। फिर इस तरह की घटनाओं को रोकने का सरकार प्रयास कर रही है। नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। किसी निर्दोष को सताया नहीं जायेगा जो लोग इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री राम किशुन--

जो चकिया में नक्सलवाद के नाम पर तीन लोगों की हत्या कर दी गई जिनको पुलिस ने मारा उनमें से एक के खिलाफ 25 आर्म ऐक्ट का मुकदमा दर्ज था दूसरे को एन0डी0पी0 ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

श्री अधिष्ठाता--

यह चर्चा नहीं हो रही है।

इस निर्देश के साथ कि किसी निर्दोष के साथ ज्यादती न होने पाये। इस सूचना पर माननीय सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना श्री राम करन आर्य की है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है चौथी सूचना श्री शिवकुमार बेरिया की व पांचवीं सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह की इन पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(इसी मध्य श्री शिवकुमार बेरिया व श्री राम करन आर्य वेल में आ गए)

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 की दो सूचनाओं को सुना जाता है, तीन सूचनाओं पर ध्यान आकृष्ट करने की परम्परा है।

श्री बेरिया जी व राम करन जी आप आसन पर जाएं। आज तीन-तीन विभागों का बजट है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

नियमावली के नियम 56 में एक दिन में एक विषय पर एक सूचना दे सकते हैं। लेकिन नियमावली में यह तय नहीं है कि इतनी सूचनाओं पर सुना जायेगा। कहीं बाध्यता नहीं है लेकिन परम्परा रही है कि पांच सूचनाओं पर सुना जाता है और संसदीय कार्य मंत्री जी उसका जवाब देते हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने आसन पर चले गए)

फिर या तो उसे ग्राह्य या अग्राह्य किया जाता है। आप जब यहां पर बैठते थे तो यही बात करते थे लेकिन उस कुर्सी पर जाकर बदल जाएं। मेरा अनुरोध है कि पांच सूचनाओं पर सुन लें। आप उन पर ध्यान आकृष्ट कर देंगे या रिजक्ट कर देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह यह कर रहा हूं कि माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा है, आप उस पर अपनी व्यवस्था दें लेकिन इस बात पर भी विचार कर लें कि अभी 12वीं विधान सभा या उससे पहले जो भी विधान सभा थीं उसमें पहली 10 सूचनाओं पर सुना जाता था और फिर यह तय हुआ कि 5 सूचनाओं पर सुना जायेगा और उसके बाद ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। अगर आज यह हो जाय कि मात्र दो पर ही सुना जायेगा तो फिर यह नियम-56 का मतलब क्या है ? इतना बड़ा सदन है और इतनी सारी समस्याएं हैं प्रदेश में। इस तरह की बात हो जायेगी तो हमारे अधिकारों का क्षरण हो जायेगा। मैं समझता हूं कि आपके रहते पीठ से ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, जैसा नरेश अग्रवाल जी और कुंवर जी ने कहा है। यह पीठ से परम्परा हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि इस सदन में दो सूचनायें जो माननीय अध्यक्ष, माननीय अधिष्ठाता या माननीय उपाध्यक्ष लेते थे, सुनकर पीठ से वक्तव्य के निर्देश होते थे। उसके बाद पांच सूचनायें और ली जाती थीं जिन पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद सरकार को निर्देशित कर देते थे। अब जो हो रहा है , नियम-56 के कारण हंगामा सदन में खड़ा हो जा रहा है। [* * *] सदन अव्यवस्थित हो जाता है।

आप इतने बड़े सदस्य हैं। पीठ पर आरोप न लगाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

दो वक्तव्य के लिये निर्देशित करें। जो पांच श्लाका से निकली हैं उन पर सरकार को निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद।

नोट :--[* * *] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। में शेष तीन सूचनायें जो हैं, इन पर आपका यह सहयोग चाहते हुए कि 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, सुनूंगा लेकिन अग्रवाल जी ने जो निर्देश पढ़ा। मैं बताना चाहता हूं कि निर्देश 17 में दिया है कि--निदेश संख्या-15 में वर्णित 5 सूचनाओं के विवरण अध्यक्ष सदन के संज्ञान में ला सकेंगे। (क) में दिया है कि उन 2 सूचनाओं की ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु सुना जा सकता है, जो निदेश संख्या -16 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा अथवा श्लाका के आधार पर चयनित हों और अवशिष्ट-3 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आपने एक बात कह दी लेकिन एक परम्परा भी देखें। हस्त पुस्तिका में दो का दिया है। 13वीं विधान सभा में आप देखें। आप भी इस सदन में थे इन्हीं नियमों का . . .

श्री अधिष्ठाता--

राम करन जी को बोलने दें।

श्री राम करन आर्य --

मान्यवर, हमने यह 10वीं मरतवा नियम-56 में डाली। हमारे विधान सभा क्षेत्र का अहम मसला है। बड़ी मुश्किल से आज यह सूचना श्लाका में आई और आप मेरे साथ अन्याय करने जा रहे थे इसलिये में आपके सामने खड़ा हो गया। हमारे विधान सभा क्षेत्र नगर पूरब में दो ब्लाक हैं कुदहा और बनकटी। मेरा विधान सभा कुल 4 ब्लाक का है। बनकटी आधा और पूरा कुदरहा ब्लाक आता है। माननीय मुख्य मंत्री, मायावती जी के पास इस प्रदेश में कोई काम नहीं था मुख्य मंत्री बनने के बाद। एक ब्लाक को जिला घोषित कर दिया। कहीं एक तहसील को घोषित कर दिया। इसी तरह जब पिछली बार मुख्य मंत्री थीं तो हमारे बस्ती जिले को 2 भागों में बाँट दिया और खलीलाबाद को जिला बना दिया। इसके पहले भी हमारे जिले बस्ती के दो भाग हुए। एक सिद्धार्थनगर और एक बस्ती। सिद्धार्थनगर को वीर बहादुर सिंह जी ने जिला बनाया था। क्योंकि विदेश से पैसा मिला था। अगर जिला नहीं बनाते तो वह पैसा वापस चला जाता। जापान का अरबों रुपया था। उससे हमारे जिले का भला हुआ है, सड़कें बनी हैं। विकास हुआ है मायावती जी ने जो हमारे यहां जिला बनाया वह केवल लेकिन जलन में बांट दिया। उसमें हमारे विधान सभा की दो न्याय पंचायते चली गई कबीरनगर में। इनका पेट अभी नहीं भरा है। ये शासन में जब आएंगी तो गरीबों की बेरोजगारों की बात नहीं करेंगी विकास की बात नहीं करेंगी, परिसीमन की बात करेंगी, बस्ती जिले का दुबारा परिसीमन शुरू करना चाहते हैं जैसा जिलाधिकारी ने समाचार-पत्रों में कहा। हमारे बस्ती जिला कार्यालय से कुदरहा का बार्डर 8 किलोमीटर दूर पड़ता है बनकटी की सीमा जिलाधिकारी कार्यालय से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है इसको कबीरनगर से जोड़ने की बात की जा रही है।

मान्यवर, 23 जुलाई को जनता कर्फ्यू लगाया गया, ब्लाकों में कहीं पानी नहीं मिला । औरतें पुरुष, बच्चे में स्वयं भी था मान्यवर, पांच हजार लोगों के साथ सड़क पर 12 घंटे सड़क पर चलते रहे पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी, ए0डी0एम0 दोनों ब्लाकों के बार्डर के अन्दर नहीं आ पाये। उसके बाद 26 तारीख को बैठक हुआ। कुदरहा में सभी ने लिखकर दिया है एम0एल0ए0, एम0एल0सी0, बी0डी0सी0, प्रधान ने कहा कि इसको कबीरनगर से न जोड़ा जाए। कबीरनगर से जोड़े जाने पर लोगों को 75 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्योंकि कोई व्यवस्था सड़क की नहीं है, बस्ती वालों को मात्र 45 मिनट पैदल लगता है। पैदल भी जाकर कचहरी देख लेते हैं दोनों ब्लाकों की

जनता का सारा का सारा कार्य बस्ती जिले से है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा वहां विद्रोह न होने पावे इसलिए मैंने निवेदन किया था कि कुदरहा और बनकटी ब्लाक को बस्ती में बरकरार रखा जाए। यह दो लाख जनता की परेशानी का सवाल है दोनों ब्लाकों में करीब 2 ढाई लाख लोग हैं। अगर इसको सन्त कबीरनगर से जोड़ा जाता है तो यहां की जनता को 75 किलोमीटर जाना पड़ेगा बस्ती में इसको रहने दिया जाता है इससे आम जनता को खुशी होगी। मान्यवर, जब से मायावती मुख्य मंत्री बनी हैं पुन: जिला परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। यह स्कूल नहीं बनवायेंगी, सड़कें नहीं बनवायेंगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका विषय आ गया है।

श्री राम करन आर्य--

यह बस हमारे बस्ती जिले के और वह भी राम करन आर्य के पीछे पड़ जाती हैं। क्या जरूरत है जो 6 किलोमीटर पर है उसको 75 किलोमीटर की दूरी पर करने की। मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि कुदरहा ब्लाक और बनकटी ब्लाक को बस्ती में रखा जाए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें। जैसा कि राम करन जी ने कहा बनकटी और कुदरहा जो शहर से सटे हैं उन ब्लाकों को फिर से सन्त कबीरनगर जनपद में मिलाया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से ब्लाकों का पुनर्गठन हो यह सही नहीं है यह तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के मानक के अनुसार होगा दोनों कुदरहा और बनकटी बस्ती शहर की सीमा से लगे हुए हैं इनको कबीरनगर से जोड़ने का क्या औचित्य है कोई सत्तारूढ़ बल का विधायक पत्र लिख देता है तो मुख्य मंत्री जी के आदेश जारी हो जाएंगे।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें क्या व्यवस्था है।

श्री जगदम्बिका पाल--

जो संविधान के द्वारा स्थापित है इसका बोर्ड आफ रेवेन्यू के द्वारा पुनर्गठन होना चाहिए।

(व्यवधान)

पूरी जनता में आक्रोष है।

श्री सुखदेव राजभर--

1999 से बस्ती जिले से निकालकर सिद्धार्थनगर बना फिर उसके बाद बना जनपद बस्ती। बस्ती को भी दो भागों में बांटा गया और वह थे जनपद बस्ती और दूसरा संत कबीरनगर बनाया। ब्लाक कोदरहा और बनकटी को संत कबीरनगर में जोड़ा जाय इसके लिए जनप्रतिनिधियों का पत्र आया . . . .

श्री राम करन आर्य --

मान्यवर, यह असत्य बोल रहे हैं। वहां की जनता आज सड़कों पर उतर आयी है।

श्री अधिष्ठाता--

सरकार का उत्तर तो सुन लें। यह उचित नहीं है कि हम अपनी बात कह लें और सरकार का उत्तर नहीं सुनें।

(व्यवधान)

माननीय पाल साहब आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देने के लिए कहा है पहले आप उनकी बात तो सुन लें। यदि फिर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो पूछ लीजियेगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, राजस्व परिषद् द्वारा जांच की गयी। उनकी आख्या मांगी गयी और उसने जांच किया और राजस्व परिषद् ने संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती की वर्तमान स्थिति यथावत् रखने की संस्तुति दे दी। अब उनकी संस्तुति के आधार यथास्थिति कायम है तो फिर यह तात्कालिक मसला नहीं है और यह नियम-56 के अंतर्गत नहीं आता इसलिए इसे अग्राह्य किया जांय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री राम करन आर्य , जगदम्बिका पाल जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

*श्री शिवकुमार बेरिया--

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, ग्राम आलमपुर खेड़ा के थाना रसूलपुर में 21अक्टूबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर जूतों की माला पहनाने के आरोप में तीन लोगों को, आलमपुर खेड़ा के ग्राम प्रधान प्रेम बाबू पाल, मुन्शी खां और अफजल खां को पकड़ा गया। मान्यवर, यह तीनों बेगुनाह थे। जिन लोगों ने एफ0आई0आर0 लिखायी थी उनकी इन लोगों से रंजिश चल रही थी। प्रेम बाबू पाल के खिलाफ राज किशोर ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था और वह चुनाव हार गया था इसलिए घटना के रूप में प्रेम बाबू पाल को नामजद किया। दूसरा श्री शिव नारायण मुन्शी खाँ के सहन पर कब्जा करना चाहता था जिसका मुकदमा पंजीकृत हुआ और जिसके कारण दो अल्पसंख्यकों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर जूतों की माला पहनाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है, हम तो जीवन भर मरते रहे वर्ग संघर्ष न हो लेकिन यह सरकार वर्ग संघर्ष करा रही है।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के भारत रत्न हैं, इस देश के सभी लोगों के नेता हैं। लेकिन यह सरकार उन्हें पेट्रोल पम्प या किसी गैस ऐजेन्सी की तरह अपना मान रही है। इनके ऊपर हमारा भी अधिकार है। एक तरफ वह लोग, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देते रहे और दूसरी तरफ ये लोग हैं मान्यवर, बापू को गोली मारने और उन्हें गोली मारने वाले एक साथ बैठे हैं। मान्यवर, यह लोग वर्ग संघर्ष कराने की साजिश कर रहे हैं। यह गलत बात है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को गाली देने का काम किया तो दूसरे वर्गों में भी असंतोष फैलेगा। आज गांव-गांव में टकराव का माहौल पैदा होता जा रहा है। अगर कोई बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर या किसी अन्य महापुरुष को अपमानित करने का काम करता है तो चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन आज क्या कारण है कि गांव-गांव में ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी राजपूत, मुसलमानों को ही बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया...

अपमानित करने के झूठे आरोप लगाकर मुकदमें में फसाकर जेल भेजा जा रहा है ? यह एक गम्भीर घटना है और इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए।-अगर इस तरह की घटंनाओं पर तुरन्त रोक नहीं लगी तो उत्तर प्रदेश में वर्ग संघर्ष शुरू हो जायेगा। गांव-गांव में जातीय दंगे फैलेंगे जिसको रोकने में यह सरकार अक्षम होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस तरह का वर्ग संघर्ष न फैलायें। मान्यवर, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, दवाई का काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस गंभीर प्रकरण की जांच कराई जाये और जो पुलिस वाले इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। निर्दोषों को रिहा किया जाय। जो दोषी हैं उनको दण्ड मिलना चाहिए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं सदन की कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर तुरन्त चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, इस देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे चाहे जिस धर्म और जाति के हों उनका सम्मान होना ही चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी महापुरुष हुए हैं उनका भारत की आजादी की लड़ाई से इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर ऐसे महान महापुरुषों को हम धर्म और जाति के आधार पर बाटेंगे तो निश्चय ही टकराव की स्थिति पैदा होगी। मान्यवर, यह सही है कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को जूतों और चप्पलों की माला पहनाई गयी। अगर यह परम्परा शुरू हो गयी तो भारत मां की न तो सीमा सुरक्षित रहेगी और न भारत मां का आंगन ही मजबूत रहेगा। कहीं बाबा साहब डा0 अम्बेडकर जी की मूर्ति की हाथ की उंगलियां तोड़ी जाती हैं, कहीं तारकोल डाला जाता है, कहीं जूतो-चप्पलों की माला पहनायी जाती है, हमें इस तरह की घटनाओं पर दुख व्यक्त करना चाहिए। इसको धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि दोष के आधार पर देखा जाना चाहिए।

इस प्रकरण में पहले बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर जूतों-चप्पलों की माला पहनाई गयी। जहां तक विवाद की बात है वहां पर एक कब्रिस्तान है और एक पार्क भी है। कब्रिस्तान में दफन को लेकर एक विवाद था। बाद में 22 तारीख को जूतों की माला पहनाई गयी। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश हुआ। मान्यवर, अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो चाहे वह सुखदेव राजभर का भाई ही क्यों न हो उसे सजा होनी ही चाहिए। यहां पर जोड़ा गया कि एफ0आई0आर0 कर दी गयी, प्रधान की रंजिश थी। मान्यवर, यह कोई रंजिश नहीं बल्कि भावना से किया गया कृत्य है। मान्यवर, इस मामलें में मुकदमा दर्ज होने के बाद छान-बीन की गयी। इसमें जिनका नाम आया उनको जेल भेजा गया। पुलिस अभी भी इसकी विवेचना कर रही है। उस विवेचना के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यह कोई तात्कालिक घटना नहीं है और यह नियम 56 में अग्राह्य है। अत: इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री शिव कुमार बेरिया तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री शिव कुमार बेरिया--

मान्यवर, [X X X]।

नोट :--[X X X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बेरिया जी जो बोल रहे हैं वो लिखा नहीं जायेगा।

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो नियम-56 में मैंने सूचना दी है वो तात्कालिक और अविलम्बनीय है। मान्यवर, जब से यह गठबंधन की सरकार बनी है। कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है। कानून व्यवस्था का राज्य यहां समाप्त हो गया है। मान्यवर, उसी का गवाह है यह तथ्य कि डी0जी0पी0 हटाये गये, यहां से पुलिस अधीक्षक हटाये गये और तमाम पुलिस अधिकारियों का लखनऊ से स्थानान्तरण हुआ। इस सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आज अधिकारियों का मनोबल इतना गिर गया है कि आज कोई अधिकारी कोई कार्य करने में सक्षम नहीं रह गया है। इससे प्रदेश की स्थिति कानून-व्यवस्था की स्थिति के जो हालात हैं वह साबित हो जाता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति के अंतर्गत 57 दिनों में अब तो ज्यादा हो गये हैं, अपहरण की 447 घटनायें, हत्या की 1147 घटनायें, दलित उत्पीड़न की 1160 घटनायें, बलात्कार की 324 घटनायें ये पुलिस दस्तावेज में दर्ज है। यह इस बात को दर्शाता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की पूरी तरह से जर्जर और ध्वस्त हो चुकी है। यह दलितो की जिस बात की दुहाई देती है ये सरकार आज इनके राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है और इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई अपनी। हमारे गृहमंत्री भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री से कि उनकी जान को खतरा है। मान्यवर, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की जान को खतरा हो सकता है तो इससे समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अगर इस पर आंकड़ों की बात की जाय, माननीय मुख्य मंत्री जी जब आंकड़े पढ़ेंगी तो कहेंगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है और इसके साथ ही यह पढ़ दिया जायेगा कि पिछली सरकारो में यह आंकड़े थे और आज यह आंकड़े हैं। मान्यवर, सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है सरकार इकबाल से चलती है। मान्यवर, इकबाल इसलिये खत्म हो गया है क्योंकि कोई अधिकारी नहीं जानता है कि अगर सही काम करेगा तो अगले कितने दिन तक रहेगा। मैं एक घटना बता रहा हूं इलाहाबाद की है। इलाहाबाद के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास पार्टी के पदाधिकारी ने जाकर कहा कि यह काम करते हो या नहीं और मजबूर कर दिया उस अधिकारी को कि वह काम तत्काल करे। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मान्यवर, अगर इस तरह से होगा तो कानून का राज कहां से चलेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा और जब जवाब दें तो देखियेगा कि लखनऊ राजधानी है यहां क्या है, यहां डी0जी0पी0, पुलिस कप्तान एस0एस0पी0 को क्यों हटाना पड़ा, 57 अफसरों को यहां से ट्रान्सफर करना पड़ा। आप भी मानते होंगे कि कोई कारण तो है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने समीक्षा किया और उस समीक्षा में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 70 जिलों में से 44 जिलों में कानून व्यवस्था एकदम जर्जर है और खराब है। यह मेरा कहना नहीं है न कोई विरोधी पार्टी का नेता कह रहा है यह मुख्य मंत्री जी ने स्वयं माना है समीक्षा करते हुए, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाये ताकि कानून का राज चले यह व्यवस्था तभी ठीक होगी नहीं तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयंकर होने वाली है। यह बात कहते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इसको कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करें इससे गम्भीर और कोई मसला नहीं हो सकता है। इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

डा0 अशोक बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। माननीय कुँवर साहब ने कानून व्यवस्था की आंकड़ेवार स्थिति सदन के सामने रखी है। आज पूरा सदन जानता है कि प्रदेश का जनजीवन असुरक्षित है। मैं पिछले 25 वर्षों से इस विधान सभा की सेवा करता आ रहा हूं इस तरह की असुरक्षा का वातावरण किसी सरकार में नहीं दिखा। आज पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पंगु बन गयी है। यही अधिकारी थे जो अच्छे काम के लिए पुरस्कृत होते रहे हैं लेकिन आज पूरी कार्यपालिका लकवाग्रस्त हो गयी है या मैं यह कहूं कि किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति है। मान्यवर, इसका कारण है कि अधिकारियों के रोज तबादले हो रहे हैं नीचे से ऊपर तक अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। 3-4 महीनों में जिलों में तमाम कप्तान बदले, तमाम डी0आई0जी0 बदले। इतने दिनों में न उनको जिले की जानकारी हो पाती है न परिस्थितियों की जानकारी हो पाती है और तब तक किसी कारण से उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इस तरह से जनता के साथ भोड़ा मजाक किया जा रहा है।

मान्यवर, एक-एक जिलों में 3 माह में 8-8 पुलिस अधीक्षक बदल गये। आज बलिया के अन्दर दिनदहाड़े इंजीनियर को गोली मार दी जाती है। आज जितने निकम्मे अधिकारी थे उनको प्राइस पोस्टिंग दी जा रही है। और अच्छे अधिकारियों को जाति के आधार पर ऐसी जगह बैठाया जा रहा है जहां कोई दायित्व नहीं है, योग्य अधिकारियों को ऐसी जगहों पर डाला जा रहा है जहां उनका कोई काम नहीं है। पहले उनकी चरित्र पंजिका कैसी है उनका कार्यकलाप कैसा रहा, इस आधार पर पोस्टिंग की जाती थी। वह सब कानून-व्यवस्था को लागू करते थे और सुरक्षा का वातावरण बनाते थे। वह अधिकारी बैठा दिये गये हैं। जिनके वश का यह काम है ही नहीं उनको सौंप दिया गया हे यह काम। शीर्षस्थ बैठे हुए लोग दोहन कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा उनको ऊपर पहुंचाना है। अब यह स्थिति होगी उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कैसे संभल सकती है। यह तो भगवान की कृपा है जो यह प्रदेश जला नहीं। यह निर्देश है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी, थाने में मुकदमा नहीं लिखा जायेगा। क्योंकि जब मुख्य मंत्री अपने 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करेंगी तो कहेंगी कि उनके कार्यकाल में मुकदमों में गिरावट आई है। जब मुकदमें दर्ज ही नहीं होंगे तो गिरावट तो आयेगी ही। आज जिस तरीके से कार्यपालिका का बसपाईकरण हुआ है थानों पर बैठकर बसपा का कार्यकर्ता कहता है यह सपा का है यह अन्य पार्टी का है इसे बंद करो। लोगों में भय व्याप्त है, पूरा प्रशासन किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो रहा है। सभी को डर है कि हम पी0ए0सी0 में होमगार्ड्स में डाल दिये जायेंगे कहीं बार्डर पर भेज दिये जायेंगे।

कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। उन्होंने शपथ ली है कि संविधान के प्रति काम करेंगे। इस सरकार के चलते पूरी कार्यपालिका का बसपाईकरण हुआ है। जिस व्यवस्था को पूरे 55 वर्षों में हमने बनाया था केवल 3 महीने में इस व्यवस्था को बरबाद करने का काम किया है इस सरकार ने । जब पूरी कार्यपालिका का राजनीतिकरण हो जायेगा तो इस प्रदेश की जनता को न्याय कहां से मिल सकेगा। इससे चिन्तनीय कोई विषय नहीं हो सकता। सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें क्योंकि पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पंगु हो चुकी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जिस दिन से यह सदन चला है हम प्रतिपक्ष के लोगों ने प्रतिदिन प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। कोई न कोई ऐसी घटना भी सदन के सामने आती रही हम लोगों के माध्यम से लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जिसका नतीजा यह हुआ है

कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिलकुल पंगु हो गयी है। मैं उस दिन सबसे ज्यादा दु:खी हुआ था जिस दिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को तथा गृह मंत्री को लिखा था कि हमारी जान खतरे में है, उस दिन प्रदेश में लगा कि कानून-व्यवस्था नहीं रह गयी है। एक समीक्षा बैठक के अनुसार 77 में 44 जिलों की कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। 57 दिनों में, सरकार जब से बनी है। यह आंकड़े इस सदन में प्रश्न के माध्यम से सरकार ने दिये। स्थिति तब ऐसी है जब यह हो गया कि जिलों में रिपोर्ट न लिखी जाये। सी0 ओ0 को यह अधिकार नहीं कि वह रिपोर्ट लिख सके।

अखबारों ने क्या लिखा उत्तर प्रदेश के लिए "पंजाब केशरी "ने लिखा है कि जब मुख्य मंत्री ही माफियाओं से भयभीत हों तो जनता कैसे निर्भय होगी। सीट जीतने के लिए अपराधियों से सांठ-गांठ करके विधान सभा, लोक सभा के टिकट देने का काम शुरू कर दिया गया। माफियाओं को चुनाव में लड़ाया गया। मैं नाम बता देना चाहता हूं कि रंगनाथ मिश्र के खिलाफ लड़ाया गया। बिल्कुल स्पष्ट आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से माफियाओं को इस सदन में लाने का काम किया है उसका नतीजा यह हुआ है कि कानून और व्यवस्था बिलकुल पंगु हो गयी है।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्रीमन्, इस प्रदेश के लिये क्या लिखा गया अपराधी चुस्त पुलिस सुस्त "इसी तरह मुख्यमंत्री आवास के समीक्षा अधिकारी की हत्या कर दी गई , गोसाईगंज में बसपा विधायक को गोली मारी गई , भाजपा के विधायक ने विधवा के साथ बलात्कार किया, उसकी कहीं पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इसका सीधा मतलब संरक्षण।

संसदीय कार्य मंत्री जी, विधवा ने विधायक का नाम दिया है, मैं यह भेज देता हूं आपके पास, आप इसकी स्पेशल टीम भेजकर जांच करा लीजिये और कल जब 11 बजे सदन बैठे तो बता दीजियेगा कि विधवा ने जो आरोप लगाया है, वह सही है कि नहीं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का पक्षधर नहीं हूं लेकिन सत्य कहने से हिचकूंगा भी नहीं। प्रदेश में कभी बाबरिया गिरोह, कभी कच्छा बनियान गिरोह का नाम लिया जाता है। लेकिन जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो इस प्रदेश की जनता को कौन देखेगा। इस समय प्रदेश की स्थिति सीमा से बाहर हो गई है और जब यह कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक नहीं कर सकते तो इस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार जनता की सेवा के लिये होती है, लेकिन जब सरकार की मुख्यमंत्री सुरक्षित न हो, मंत्री सुरक्षित न हों, जनता सुरक्षित न हों तो इस सरकार का बने रहने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि विषय में तात्कालिकता भी है, अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है। आप सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें ताकि सारी स्थिति सामने आ जाय और प्रदेश की सरकार की स्थिति भी जनता के सामने स्पष्ट हो।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, आपका नाम सूचना में नहीं है। नियम-56 की सूचना पर जिनके हस्ताक्षर होते हैं, उनको ग्राह्यता पर सुना जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा था।

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष जी ने नियम-56 के बाद के लिये कहा था।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर इस समय बात चल रही है, उसके बाद इसका क्या औचित्य रह जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के कुछ नियम है, परम्परायें हैं, किसी सूचना पर जिस माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं, उन्हीं को सुना जाता है। ग्राह्यता पर सुनने के बाद सरकार की ओर से उत्तर आता है, उसके बाद पीठ से विनिश्चय किया जाता है। इस पर आपके सुनने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता।

श्री प्रमोद कुमार--

आप मुझे वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं। कृपया सुन तो लें, मैं क्या कह रहा हूं। आप मुझे सुन लें, मेरी सूचना अलग है।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी सूचना चयनित नहीं हुयी है। अध्यक्ष जी ने कहा था। कार्य स्थगन समाप्त होने के पश्चात् माननीय राकेश सचान, छोटेलाल यादव, उदय राज और जगदम्बिका पाल को सुना जायेगा।

आपके हस्ताक्षर इस पर नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहें। पीठ द्वारा आपकी बात सुनकर निर्णय दिया जा चुका है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, अभी माननीय रेवती रमण सिंह जी ने डाटा प्रस्तुत किया 15-7-2000 से 31-7-2002 तक का। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और इंगित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा की गुहार केन्द्र सरकार से की है, उनकी जान को खतरा है। तत्कालीन स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की हत्या हुई , स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या ये प्रधानमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या हुई , पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी हत्याएं हुई ऐसे कुछ उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, जो हमें दु:ख है कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, चले गये और तमाम जांच एजेंसियों ने भी रिपार्ट दिया था कि खतरा है और अगर सुश्री बहन मायावती जी भी कह दें कि हमें भी खतरा है तो कोई नई बात नहीं। ऐसे चीजें इस देश में हो चुकी हैं कि कितने सुरक्षा घेरे में होते हुये भी हत्या हो गई है।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

प्रदेश की पुलिस निकम्मी है जो केन्द्र सरकार से गुहार करेंगी, चाहे जितनी सुरक्षा कर लें, हम लोग ऐतराज नहीं कर रहे हैं लेकिन केन्द्र से मांगने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर--

जिस देश में इस तरह की . . . .

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, जिस देश में इस तरह की .....

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, यह इसलिए कह रहा था कि आज हमारे माननीय बाजपेई जी ने कहा कि प्रदेश को जल जाना चाहिए था, लेकिन इसे जलने से सुश्री मायावती जी ने बचा लिया, फिर कह रहे हैं कि सपा के कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया गया। अगर हम किसी अपराधी को पकड़वा रहे हैं, जेल भेज रहे है। और सपा के लोग उसे अपना कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कौन सा उपाय करें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

जरा आप अपने आगे-पीछे, अगल-बगल भी देखिये अपराधी कौन है ?

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, 15-7-2000 से 31-7-2002 तक का विवरण दे रहा हूं। डकैती की मान्यवर, 2000 में 154, 2001 में 176, 2002 में 183 घटनाएं हुई , इसमें 52.2 प्रतिशत की कंमी हुई है। लूट की 2000 में 846, 2001 में 842, 2002 में 669 घटनाएं हुई और इसमें 20.54 प्रतिशत की कमी हुई । हत्या की 2000 में 1837, 2001 में 2020 और 2002 में हमने स्वीकार किया 1932, इसमें 4 प्रतिशत की कमी आई है, बलवा में --2000 में 1926, 2001 में 1922 और 2002 में केवल 147 बलवा हुए हैं, जिसमें 92.35 प्रतिशत की कमी आयी है। गृह भेदन के 2000 में 1851, 2001 में 1800 और 2002 में 1240 मामले हुये। इस प्रकार 31.11 प्रतिशत की कमी आयी। रोड होल्डअप के वर्ष 2000 में 14, वर्ष 2001 में 15 और वर्ष 2002 में एक मामला दर्ज हुआ इस प्रकार 93.33 प्रतिशत की कमी आयी। जो फिरौती की घटनायें होती थी उनमें वर्ष 2000 में 45, 2001 में 62 और वर्ष 2002 में 36 घटनायें हुई इस प्रकार 41.94 प्रतिशत की कमी आयी। दहेज में वर्ष 2000 में 697, 2001 में 696 और 2002 में 599 घटनायें हुई, इस प्रकार 13.94 प्रतिशत की कमी आयी। बलात्कार के केसेज वर्ष 2000 में 404, 2001 में 473 और वर्ष 2002 में 365 दर्ज हुए, इस प्रकार 22.83 प्रतिशत की कमी आयी।

मान्यवर, इस प्रकार से पूरे अपराधों में 14.5 प्रतिशत की कमी आयी। साथ ही साथ अधिनियम के आधार पर गिरफ्तार किया गया, अपराधियों की गिरफ्तारी ज्यादा हुई इसलिए अपराधों में कमी आयी है। यहां तक अधिकारियों के कार्यक्षमता की बात है तो उनका मनोबल नहीं गिरा है, अपराधियों का मनोबल गिरा है। अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया ताकि आपकी भावनाओं का आदर हो। कानून-व्यवस्था लोगों की जिंदगी और अमनचैन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें कोई कटौती की गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी अपराधी होगा कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का नतीजा है कि अपराधों में कमी आयी है। मान्यवर, यह तात्कालिक नहीं है इसलिए यह नियम 56 में ग्राह्य नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने आंकड़े पढ़ दिये, कुंवर साहब, नरेश चन्द्र अग्रवाल और डा0 अशोक बाजपेयी जी ने शुरुआत में ही यह बात कह दिया था कि अपराध पंजीकृत ही नहीं होंगे तो इन आंकड़ों में घटोत्तरी दिखेगा। इस प्रदेश की तस्वीर ऐसी है कि स्वत: मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 70 में से 44 पुलिस अधीक्षक नकारा और नालायक हैं .....

श्री अधिष्ठाता--

कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेई , श्री नरेश अग्रवाल और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई । अत: अस्वीकृत हुई --
1--कुंवर अरूणवीर सिंह, डा0 वकार अहमद शाह. 2--श्री महबूब अली, 3--श्री मदन चौहान, 4--श्री रामगोविन्द चौधरी, 5-- श्री छोटे लाल यादव, 6--श्री आर0 के0 चौधरी, 7--श्री लाल बहादुर सिंह, 8--श्री रामजीत राजभर, 9-- श्री संजय गर्ग, 10--श्रीमती अरुणा तोमर, 11--श्री अनिल कुमार वर्मा ,12--श्री मूल चन्द, 13--श्री रामकरन आर्य , 14--श्री कौशल किशोर, 15--श्री ओम प्रकाश, 16--श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कमाल युसूफ मलिक, 18--श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कौशल किशोर, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री अंसार अहमद, श्री राजेन्द्र यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री अनिल कुमार सिंह यादव, श्री सूरज सिंह शाक्य, श्री अनार सिंह यादव, श्री राधेश्याम सिंह, जायसवाल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री पारसनाथ यादव, श्री अरूणवीर सिंह एवं श्री राकेश कुमार वर्मा ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, आप पर सरकार के पापों का छींटा नहीं जायेगा। अगर पीठ इस तरह से चर्चा के स्थान पर सरकार को संरक्षण देगी तो कैसे चलेगा ? यह सरकार दलितों के खून में रंगी हुई है, रिश्वत लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की पोस्टिंग हो रही है। अपराधियों को अपने साथ शामिल करके पूरे प्रदेश में दहशत फैलाने का काम हो रहा है। कानून-व्यवस्था तो रही ही नहीं गयी है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर फर्जी आंकड़े दिये हैं इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी, कानून-व्यवस्था के ऊपर सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सदन का त्याग किया)

श्री राम स्वरूप सिंह--

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुयी स्थिति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय श्री रामस्वरूप सिंह ने सदन का त्याग किया)

श्री राकेश सचान--

मान्यवर, आपने नियम 56 पर बोलने के लिये अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ले जाना चाहता हूं। हमारे विधान सभा के निकट जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी से मौरंग का खनन होता है। इस खनन के लिये माइन्स विभाग पट्टे देता है और जिनको पट्टे दिये जाते हैं वह एम0एम0-11 लेकर मौरंग का खनन कराते हैं। चूंकि बरसात में मौरंग के खनन में दिक्कत होती है इसलिये बरसात के पूर्व ही मौरंग का भंडारण हमीरपुर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र जहां की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है उस क्षेत्र के किसानों के जमीन किराये पर लेकर मौरंग का भंडारण किया जाता है और बरसात के दिनों में वही मौरंग पूरे प्रदेश में वही दरें जो बरसात के पहले थीं उन्हीं दरों पर

मौरंग देने का काम किया जाता है। लेकिन प्रशासन द्वारा 18-8-2002 को लाखों ट्रक मौरंग सीज कर दी गयी। हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार नौजवान हैं वह ट्रक लेकर मौरंग के व्यवसाय से जुड़े हैं वह बेकार हो गये हैं। इसी तरह से जो हजारों लोग मौरंग को लादने और उतारने का काम करते थे वह बेकार हो गये हैं। यमुना और बेतवा नदी के किनारे रहने वाले गरीब लोग बेकार हो गये हैं। इनकी रोजी रोटी मौरंग को लादने के काम से चलती थी । आज 10 दिन हो गये हैं सैकड़ों ट्रक मौरंग से लदे सजेती, विधनू , घाटमपुर के बंद कर दिये गये हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के जनपदों में हमारे क्षेत्र से मौरंग जाती है लेकिन आज मौरंग का भंडारण सीज हो जाने से आज सारे उपभोक्ताओं को मौरंग 2 गुने और 3 गुने दामों पर मिल रही है। लखनऊ की मंडी और फैजाबाद की मंडी में आप जांच करवा लें मौरंग के भाव 2 और 3 गुने हो गये हैं। बीसियों हजार मजदूर जो इस मौरंग के काम से जुड़े थे आज वह बेरोजगार बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है। इसी तरह से हजारों ट्रक खड़े हैं प्रशासन व सरकार ने उनके हित के लिये कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे मौरंग का स्टाक मारकेट में जाकर बेचा जाय। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार ने जो मौरंग सीज की है उसको रिलीज किया जाय। पूर्व में भी कुछ इसी तरह की दिक्कत आयी थी तो कानपुर जनपद के जिलाधिकारी ने एम0एम0-13 ईशू करके 130 रुपये लेकर इस व्यवसाय को पुन: चालू कराने का काम किया था। इससे सरकार की राजस्व भी बढ़ा 80 लाख रुपए का राजस्व भी सरकार को मिला लेकिन बड़े खेद की बात है कि 10-15 दिन हो गए। एक-एक ट्रक में 4-4, 5-5 लाख रुपए बैंक का लोन फाइनेंस होता है, 25-30 हजार रुपए महीने किश्त आती है वह सारी की सारी गाड़िया खड़ी हैं। रक्षाबन्धन के दिन एक ट्रक चालक ने आत्म हत्या कर ली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अविलम्बनीय प्रश्न है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए। इसमें जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वह ट्रक छोड़ें। जिन-जिन अधिकारियों ने यह प्रयास किया है वह नम्बर दो का पैसा ले रहे हैं। उनके खिलाफ जांच कराई जाय । बिना शुल्क आदि मौरंग भण्डारण जो सीज है उसे मुक्त किया जाय। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अधिष्ठाता--

यह नियम 56 में नहीं आता है इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री राकेश सचान व राम करन आर्य द्वारा एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह जो राम करन आर्य बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जाएगा। आपकी सूचना विशेष उल्लेख के जरिए सुनी गई इस पर सचान जी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया। अगली सूचना श्री छोटे लाल यादव की।

श्री छोटे लाल यादव--

अधिष्ठाता जी मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने विशेष उल्लेख के जरिए बाराबंकी के थाना असेन्द्रा की घटना को सुनने का समय दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी के थाना असेन्द्रा में पिछले हफ्ते आज ही के दिन इस सदन में एक दलित की हत्या और 12 लोगों के घायल होने का प्रश्न उठाया गया था जिसे मैंने स्वयं और आदरणीय अम्बिका जी

मा0 श्री शिवपाल सिंह जी और माननीय श्री उदयराज जी, कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल जी ने रखा था। इस घटना के एक हफ्ते बाद पुन: उसी थाने पर कल सायं को एक घटना घटी। यह थाना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ जी का क्षेत्र है जो वर्तमान में इस सदन के सदस्य हैं। इस क्षेत्र में निरन्तर घटनाएं हो रही हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आया था कि वहां पर कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वह असेन्द्रा थाना इस समय पुलिस छावनी बना हुआ है। वहां 200 जवान तैनात हैं, क्षेत्राधिकारी तैनात है, इसी थाना क्षेत्र के बगल में 10 कदम की दूरी पर एक चन्द्रभानपुर गांव है उस गांव में कल शाम 6 बजे एक महिला जो घर में अकेली थी उसके दो बच्चे थे। उसके घर में घुसकर चार व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरु कर दिया और उसने जब विरोध किया तो फरसे से उसका हाथ काट डाला जब उसके 6 वर्षीय पुत्र ने विरोध किया हल्ला मचाया तो उसका फरसे से पैर काट डाला। लहुलुहान लोग वहीं पास से टेलीफोन करते हैं थाने में, जहां आपकी फौज लगी है । आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त -दुरुस्त है । अपराधों की बात करते हैं । अपराधों में कमी इसलिए कहते हैं क्योंकि असली घटनाएं लिखी ही नहीं जाती हैं । दो फर्लांग की दूरी पर थाने में टेलीफोन किया जाता है तो कहा जाता है कि चोटिलों को यहां भेज दो सिरसा गांव के प्रधान विन्दा सिंह उन चोटिलों को टैक्सियों पर लादकर कप्तान के यहां ले जाते हैं तब जाकर उन्हें लखनऊ के मेडिकल कालेज में भर्ती कराते हैं । दो-ढाई घंटे के बाद पुलिस वहां जाती है, तब तक अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह नियम-56 का प्रश्न है और विशेष उल्लेख के जरिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सूचना पूरी तरह से जन मानस से जुड़ी और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखता हूं । इससे महत्वपूर्ण और कोई सवाल नहीं हो सकता है और आपने इसकी गम्भीरता को नहीं लिया । विशेष उल्लेख के तहत इसको सुनने का मौका दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते ही वहां पर एक घटना इस तरह की हुई । पूरे प्रदेश में मुंह नोचवा, कच्छा बनियान गिरोह, बावरिया गिरोह की घटनाएं हो रही हैं । प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है । बाराबंकी के अन्दर असन्धरा और फैजाबाद रोड पर थाना सफदरगंज में मुंह नोचवा और कच्छा बनियान के चलते 100-100 लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम है मुंह नोचवा के नाम पर 100 लोगों के खिलाफ थाना देवा में मुकदमा कायम है। 7 लोग नामजद किये गये हैं । पुलिस गश्त करके पूरे थाना क्षेत्र के आस-पास की चौकी माती घूम-घूम कर लोगों में दहशत पैदा कर रही है । यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा कराई जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवाया जाय । मेरा अनुरोध है कि उक्त थाने की पुलिस को वहां से बर्खास्त कर दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं औचित्य के प्रश्न पर चर्चा कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग करता हूं ।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज प्रदेश में लोगों में मन में असुरक्षा की भावना है, लोग भयाक्रान्त हैं । लोग जहां प्रदेश में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यह सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था ठीक है । हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम भयमुक्त, अपराधमुक्त समाज बनायेंगे । मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह का दावा करने वाली सरकार में उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री यदि आंकड़ों से संतुष्ट करना चाहें इस सदन को तो कदाचित् वे सदन को संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन आंकड़ों से संतुष्ट होने वाली नहीं है जब तक कि कोई परिणाम परिलक्षित नहीं होंगे । प्रदेश की जनता सुरक्षा चाहती है । अभी असन्धरा की घटना, जिसका उल्लेख किया गया है । अभी एक हफ्ते पहले हुई घटना की दहशत लोगों के दिलों में छाई हुई हो वहीं एक दूसरी घटना हो जाय तो मान्यवर, यह इस बात का प्रतीक है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो गये हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को रोकने वाली पुलिस और प्रशासन के लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं । इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है । हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि राजा राज्य नहीं करता है उसका इकवाल राज्य करता है लेकिन इस सरकार का यदि इकबाल होता तो क्या प्रदेश की मुख्य मंत्री से कहना पड़ता कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर है । इस प्रदेश में किसी की सुरक्षा नहीं है अपराध डकैतियां बढ़ रही हैं आए दिन लोगों को जान से मारने की धमकी मिलती है । मान्यवर, अभियन्ता, नियन्ता, सहायक अभियन्ता, इंजीनियर की पत्नियां सुहाग का थाल सजाकर अपने पतियों का इन्तजार करती हैं कि हमारा पति शाम को वापस आएगा भी नहीं ।

मान्यवर, मसूद आलम सिद्दीकी इतने अच्छे इंजीनियर थे गोल्फ प्लेयर थे उनकी हत्या कर दी गई । सुल्तानपुर का मामला हो चाहे जर, जमीन का मामला हो, इंजीनियरों के घर असामाजिक तत्व जाते हैं और उनसे टैक्स वसूलते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हें पैसा देना होगा वरना जान से मारने की धमकी मिलती है । इसी तरह से मान्यवर असामाजिक तत्व इंजीनियर के घर टैक्स वसूलने गये पैसा नहीं दिया तो उसे धमकी मिली उसने शासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई उसकी हत्या हो गई उसकी हत्या को कोई रोक नहीं पाया, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है इंजीनियर को धमकी मिली है टेलीफोन आ रहे हैं वह कह रहा है मुझसे पैसा वसूला जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अण्डर वर्ल्ड की तरह से यह हो रहा है । बम्बई में ऐसा हो रहा है कि टेलीफोन से पैसा वसूल किया जा रहा है पैसा नहीं देते है तो उसकी हत्या हो जाती है उसी तरह से यहां इंजीनियरों की हत्या हो रही है पूरे प्रदेश के इंजीनियर हड़ताल पर हैं वृज कारपोरेशन के इंजीनियर एस0सी0राय की हत्या हो गई दलितों की हत्या हो रही है । नगराम में सारे पुलिस अधिकारी हटाने के बाद कानून व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि संभवत: उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार नहीं है आप जितने चाहे तबादले करें और उसके बाद भी प्रदेश के जन जीवन की सुरक्षा न कर पाएं तो उत्तर प्रदेश के जो दलित होंगे, तमाम सदस्यों ने कहा है मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो घटना हो रही है नगराम में हत्यायें हुई, नगराम में तीन लोग मछली मारने गए उनको मार दिया गया उसकी विधवा पत्नी पांच बच्चों को लेकर रह रही है कौन उसके चूल्हे में आग देगा ।

पूरे प्रदेश में जन जीवन त्रस्त है असुरक्षा व्याप्त है । संसदीय कार्य मंत्री जी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं पिछली जितनी सरकारें आई उन्होंने कहा कि अपराधों में, डकैती में कमी आई है इस सदन में किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि अपराध बढ़े हैं तो जब सब सरकारें यही कहती हैं कि अपराध कम हुए हैं तब तो फिर प्रदेश को अपराध शून्य हो जाना चाहिए, कैसे आंकड़े आ रहे हैं । इनकी सरकार में तीन महीने में राजनाथ सिंह जी की सरकार में अपराध में कमी आई राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में अपराधों में कमी आई, कल्याण सिंह की सरकार में अपराधों में कमी आई मुलायम सिंह की सरकार में अपराधों में कमी आई फिर तो इस प्रदेश को अपराध शून्य हो

जाना चाहिए । मान्यवर, बस्तियां जलाई जा रही हैं, लोगों की हत्यायें हो रही हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि--

"इनके दौरे कयामत की सुबह-शाम है,
•कहीं बस्तियां जलेंगी, कहीं कत्लेआम होगा ।।"

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है अराजकता बढ़ रही है प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने कहा सुरक्षित नहीं हैं, कोई प्रदेश की मुख्य मंत्री जी हत्या के लिए सोचे, प्रदेश के अधिकारी असुरक्षित हो जाएं, हमारे विधायक कक्का साहब पर जान लेवा हमला हुआ. जनप्रतिनिधि असुरक्षित हों, तो इस तरह से तमाम विधायकों की सुरक्षा का प्रश्न हो तो क्या आप सुरक्षा दे पायेंगे । राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बात का प्रयास करें, यह संदेश दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है तभी कोई यहां पर पूंजी निवेश कर पायेगा । तभी ग्रेटर नोयडा या नोयडा में लोग पूंजी निवेश करेंगे, एन0आर0आई0 पैसा लगायेंगे । अगर आपने यह नहीं किया तो जो आपका डी0डी0 रेशियो 27 प्रतिशत है, वह जीरो हो जायेगा । आप प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो डिबेट करा लें उसके बाद जवाब दें । लेकिन आज हो क्या रहा है ? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, औरतों की जिन्दगी महफूज नहीं रह गयी है । आज औरत नौ से बारह वाले शो में गहने पहनकर सजी धजी नहीं निकल सकती है । आज जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वह सुदृढ़ नहीं रह गयी है ।

श्री उदय राज--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ । मान्यवर, आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है और जिससे जुड़ी हुई घटना बाराबंकी जिले असेन्दरा ग्राम थाना चन्द्रभानपुर की है । कल दिनांक 25 तारीख को 6 बजे वहां पर चार लोग किशोर, जगजीत, नन्दू और कुंवारे, संजय नामक दलित के घर जाते हैं । उसके सारे परिवार के लोग खेतों में काम करने गये थे । वह घर में जाकर उस महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं । जब वह विरोध करती है तो विरोध करने पर वे लोग फरसे से उसका हाथ काटने का काम करते हैं । आज समाज में अपराधी इतने भयमुक्त हो गये हैं कि उस महिला का 6 वर्षीय बेटा जितेन्द्र जब चिल्लाता है और शोर मचाता है तो यह लोग उस लड़के का पैर काटने का काम करते हैं, और उसके बाद गांव में धमकी देते हुए गांव से बाहर निकल जाते हैं ।

आज इस हुकूमत में, यह बसपा और भाजपा की गठबंधन सरकार में क्या हाल हो रहा है, पुलिस प्रशासन की शिथिलता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वह पीड़ित परिवार का व्यक्ति पड़ोसी गांव के प्रधान के घर पर जाता है और वहां उनसे कहता है तो वह थाने फोन करता है तो वहां का चाहे दीवान हो या थानाध्यक्ष हो, वह कहता है कि थाने में लेकर आये और फोन रखने का काम करता है, वह यह जरूरी नहीं समझता कि घटना-स्थल पर जाते और जिन लोगों ने घटना की है उसको पकड़ने का काम करते या उनके खिलाफ कार्यवाही करते । जब वह पीड़ित लोग कप्तान के पास जाते हैं और उनसे फरियाद करते हैं तो उनके आदेश के बाद पुलिस उस गांव में जाने का काम करती है । मान्यवर, मुख्य मंत्री यह भाषण करती है कि हम दलितों के हिमायती है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना को देखने का काम करें....

श्री अधिष्ठाता--

सीमित करें । पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्री उदय राज--

मान्यवर, मैं सीमित कर रहा हूँ । मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले असेन्दरा थाने में दलित युवक की हत्या कर दी गयी थी और कल दलित महिला के हाथ तथा उसके बेटे का पैर काटने का काम किया है । इससे पहले नगराम में तीन दलितों, जो कि मछली पकड़ने गये थे, की हत्या की गयी । फतेहपुर में कल की एक घटना में एक दलित महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया और प्रयास ही नहीं बल्कि बलात्कार किया गया । जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो उसे काटकर कुंए में डाल दिया और यह सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपने को दलितों का हिमायती समझते हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जरा अपने गिरेबान में झाकने का प्रयास करें । मान्यवर, मैं विषय में नहीं जाना चाहा । मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि प्रदेश की कानून -व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है, अपराध की दर में कमी आयी है । मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आठ तारीख को थाना ठाकुरगंज के अन्तर्गत हुसैनाबाद में दो नाबालिक लड़कियों की हत्या की गयी थी । उस घटना के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया । इस तरह की स्थिति में प्रदेश को अपराधमुक्त कैसे कहा जा सकता है ? मान्यवर, इस समय इस महत्वपूर्ण प्रश्न से गम्भीर कोई दूसरी बात नहीं है । अत: मैं आपसे मांग करता हूँ कि सारी कार्यवाही को रोककर बाराबंकी घटना पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निरस्त करता हूँ । मद सं0-12 ।

(व्यवधान)

(श्री राम करन आर्य, श्री उदय राज, सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

परिवहन पर्यावरण, आबकारी औद्योगिक विकास एवं निर्यात परिवहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री उदय राज, श्री राम करन आर्य, सहित कई सदस्य वेल में आ गये और चर्चा की मांग करने लगे ।)

(नारेबाजी)

(कई सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

यह सूचना नियम 56 में स्वीकार नहीं थी जिन माननीय सदस्यों को विशेष उल्लेख बोलना था उनका विशेष उल्लेख आ गया ।

(परन्तु माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे)

श्री अधिष्ठाता--

आपका विषय आ चुका है । इस पर शासन का ध्यानाकर्षण हो चुका है ।

(व्यवधान के मध्य)

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में आये समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें । आप सब की सूचना नियम-56 में चयनित नहीं की फिर भीं विशेष उल्लेख में आपको अपनी बात कहने का अवसर मिल गया और उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया ।

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

मैं सदन को 3 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूँ ।

(श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

(सदन के पुन: प्रारम्भ होने पर)

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता,महोदय जो विशेष उल्लेख के जरिये आदरणीय पाल जी और छोटे लाल जी ने उठाया है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । मान्यवर, आंकड़ों से प्रदेश का कार्य नहीं चला करता है, प्रदेश का कार्य विश्वास पर चला करता है । मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है बल्कि जंगल का राज है । यहां पर हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है ।

(श्री अमर मणि त्रिपाठी के टोका टाकी करने पर)

मैंने माफियाओं का नाम नहीं लिया है आप क्यों बोल पड़े । एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका । जब कभी अपराधी की बात हो अपराध की बात चले तो सभी बोले तो बोले चलनी न बोले जिसमें 72 छेद । मुझे कैन्टोनमेन्ट याद आ जायेगा कहीं कुछ याद आ जायेगा और मैं बोलने लगूंगा तो रुकना मुश्किल हो जायेगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में कानून का राज नहीं जंगल का राज है । मान्यवर, असन्दरा की घटना एक सप्ताह पूर्व भी इस सदन में उठी थी उस समय मैंने कहा था इस सरकार से कि सुरक्षा मिले । मान्यवर, उन बेगुनाहों को जेल भेज दिया गया, उन पर मुकदमा कायम हो गया जिनके नाम अन्य में था । हजारों की तादात मे आज घरों से पकड़े जा रहे हैं और उनको फर्जी मुकदमों में फसाया जा रहा है । लेकिन असन्दरा के बारे में सरकार ने एक सप्ताह पहले हमें यह विश्वास दिलाया था और पूरे सदन को यह विश्वास दिलाया था और हमने विश्वास कर लिया संसदीय कार्य मंत्री पर उन्होंने कहा था कि वहां पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।

मान्यवर, एक औरत के साथ बलात्कार करने गये दबंग लोग और वह चिल्लाती रही उसका 9 वर्षीय मासूम बच्चा जो अपनी मां की इज्जत बचाने का काम कर रहा था उसका हाथ काट डाला गया, उसका पैर काट डाला गया क्या यही कानून का राज है । मान्यवर, सरकार को इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए और खेद ही न व्यक्त करें बल्कि इस तरह की जो दरिन्दगी की घटना हुई है इस पर ऐसी कार्यवाही करें कि इस सरकार के रहते किसी अपराधी की हिम्मत न पड़े कि वह कानून को चुनौती दे सके । लेकिन मान्यवर, हम परम्पराओं को भूल गये हैं । होता क्या है कि हम खड़े होते हैं तो जो लिखा पढ़ी कर कागज आता है वही पढ़ दिया जाता है । मान्यवर, बाराबंकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ से कितनी दूर है आज राजधानी के करीब के लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं (व्यवधान) मान्यवर, बलिया स्टेशन पर दिनदहाड़े इंजीनियर को गोली से भून दिया जाता है, सुल्तानपुर में अधिशासी अभियन्ता के घर पर गोली चला दी जाय और हत्या कर दी जाय तो कानून का राज कहां रह गया । मान्यवर, कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिससे आदमी सहम जाता है, डर जाता है, उसका विश्वास उठ जाता है । असन्दरा की घटना के बारे में जो छोटे लाल जी ने कहा मैं उस पर बहुत ही बल देते हुए कहना चाहता हूँ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहां किसी वरिष्ठ मंत्री को भेजिये अथवा विधान सभा से किसी दल को भेजिये । एक महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया हो और वह जब महिला उसे रोकने का प्रयास करे तो उसके हाथ पैर काट लिये जायें तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में विश्वास भी जताया था, मैं एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां की जनता का विश्वास लौटे इसलिए किसी वरिष्ठ मंत्री को वहां भेजें या टीम को भेजें जो यह देखे कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे यह स्थिति पैदा हो गयी । अगर आपने मुझे पहले बोल लेने दिया होता तो सदन का काफी समय बच जाता । मैं चाहूंगा कि सदन को निर्देश दें पी0 की तरफ से, कि यहां पर आश्वासन न दें बल्कि आश्वासन को जमीन पर उतरता दिखायें अन्यथा सदन के अन्दर कही हुई बात अगर झूठ हो जायेगी तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती ।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री बीजू पटनायक के बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बीजू पटनायक जी आप आसन ग्रहण कर लीजिए ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

जो निर्देश दिया उसे स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

*श्री बीजू पटनायक--

हम दो मिनट जरूर बोलेंगे, आप नहीं बोलने देंगे तो हम धरने पर बैठ जायेंगे ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मद संख्या 12 पुकार लिया है तो मद सं0-12 पर मतदान करा लें । वह प्रस्तुत हो चुका है मान्यवर, इसलिए मतदान करा लें ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के सदन के वेल में आने पर घोर व्यवधान ।)

श्री बीजू पटनायक--

आज हम सदन में नहीं बोल पायेंगे तो हम कहते हैं कि हम बोलेंगे-बोलेंगे । एक वर्ग विशेष की असुरक्षा हो रही है । व्यवस्था दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री बीजू पटनायक ने सदन में कुर्ता उतार दिया)

(श्री राम करन आर्य और श्री बीजू पटनायक सदन के फ्लोर से अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा समझाने पर दोनों सदस्य वापस अपने स्थानों पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता--

आप सब लोग सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं, मैं उनको बोलने नहीं दूंगा ।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में टोका टाकी पर व्यवधान)

माननीय वकार साहब आप स्वयं सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं, उनको कैसे बोलने दिया जायेगा ।

श्री बीजू पटनायक--

मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे तो [x x x x] । मैं दो मिनट जरूर बोलूँगा ।

श्री अधिष्ठाता--

जो आप बिना अनुमति के बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा ।

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

महाना जी आप बैठें और पटनायक जी, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गयी है ।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अम्बिका चौधरी जी आप अपने दल के सदस्यों को समझायें । पटनायक आप बैठ जाएं आपको बोलने की अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, आपने प्रतिपक्ष को सुना और हमें निर्देश दिया कि सुन लीजिए, इसको हमने सिरोधार्य कर लिया है, लेकिन मान्यवर, इस तरह का जो आचरण हुआ है आज सदन में, कि कुर्ता निकाल करके फेंक दिया, यह ठीक नहीं है । कोई कहता है कुर्ता फेंक देंगे, जान दे देंगे, यह भी ठीक नहीं है । सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आज जो हुआ उसे देख करके दुःख हुआ । कोई सदस्य कुर्ता फेंक देगा, कोई अपनी चड्ढी निकाल कर फेंक देगा, अगर इस तरह की परम्परा सदन में पड़ेगी, तो यह गलत है ।

(व्यवधान)

नोटः-- [x x x] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, तो मैं चौधरी साहब से कहूँगा कि ऐसी परम्परा को न डलवायें । चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों, जिस किसी का भी, जिस किसी का अंग देखना हो, तो बन्द कमरे में जाकर उसे देख लें कि अंग कैसा है । इसलिए चौधरी साहब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जैसा प्रयोग करना चाहें कर लें, लेकिन आज जो सदन में हुआ है, अगर यह परम्परा बनेगी तो आगे चलकर सदन की गरिमा गिरेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई सवाल नहीं है, प्रत्येक सदस्य का आचरण इस सदन के प्रति, इस पीठ के प्रति बहुत गरिमामय होना चाहिए और अगर कोई भी सदस्य कुर्ता निकाल कर बात करे तो उचित नहीं। जहां तक संसदीय कार्यमंत्री जी ने अन्य वस्त्रों को उतारने की बात कही, वह तो सामान्य तौर पर उतरते नहीं, उनकी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन नौजवान हैं, थोड़ा नियंत्रण रखें यह मैं चाहूँगा। वह वस्त्र तभी उतरेंगे जब आप परिस्थितियां देंगे। किसी सदस्य को इस सदन में ऐसा अवसर न दें कि वह अपना नियंत्रण न रख पाये। नौजवान साथी हैं, नियंत्रण रखें लेकिन मैं आशा करुँगा कि संसदीय कार्यमंत्री जी और सभी सदस्यों से कि हमारे साथी को इतना न उकसायें कि बाकी के वस्त्र भी उतारने लगे, एक गरिमा होनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी जो कुछ हुआ मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। अपने साथी से कहूँगा कि इस सदन की कुछ परम्परायें हैं, मान्यतायें हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथी से आग्रह करुँगा कि अपने कपड़े उतारकर नंगा न हों, सरकार को नंगा कर दें अपने भाषणों, शब्दों और वाद-विवाद से, इससे सरकार के कपड़े उतर जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

मुख्यमंत्री जी मद संख्या-12 का प्रस्ताव रखें।

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री--(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)

मान्यवर, मैं इसको प्रस्तुत कर चुका हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

पुन: प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अमर्यादित आचरण किये जाने पर उठाये गये व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन कुछ नियमों और परम्पराओं से चलता है और इस सदन की एक गरिमा रही है। बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य सत्तापक्ष के और विपक्ष के बैठे हैं उनसे सीखने का अवसर मिला है। इस तरह का आचरण जो पूरे सदन को अपमानित करे यह उचित नहीं है। यह सदन किसी एक माननीय सदस्य की बपौती नहीं है, सबको अधिकार है। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा अगर किसी सदस्य ने गलती की और वेल के बीच में आ गये तो उसके पीछे जो लोग समर्थन करते हैं कि किसी न किसी प्रकार सुन लिया जाये वह भी इस पाप के भागीदार है। अपनी बात नियमों के साथ, सज्जनता के साथ और अनुशासन में रहकर कहना हम सबका अधिकार है। घुमा-फिरा कर बात को कहना कुछ वरिष्ठ सदस्यों को आता है लेकिन अगर ऐसे आचरण का समर्थन होगा तो सदन अपने ऊँची परम्पराओं और नियमों को कैसे स्थापित रख पायेगा। अगर इस तरह से किसी माननीय सदस्य को सुनने की परम्परा चली तो यह सदन का अपमान होगा। इस प्रकार की घटनायें आगे से इस सदन के अन्दर न हों इस घटना की पूरे सदन के द्वारा भर्त्सना और निन्दा की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 सदन में रखा गया है। जब से यह सदन बैठा है उतने बजट नहीं पास हुये जितने ज्यादा विधेयक प्रस्तुत किये जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के विधेयक इस सदन में लाये गये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधेयक किस तरह से पास हो रहे हैं, इसमें विसंगतियां भी हो जाती हैं। अभी आपने स्वत: ही विधेयक की तरफ ध्यान दिया था। इस तरह से इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसमें सीधे लिखा हुआ है कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा घोषित निर्यात और आयात 2000-2001 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में, आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किए जाने की योजना बनायी गयी है। यह सही है कि सरकार के अपने वित्तीय संशाधन नहीं है। उतने जितने से प्रदेश के विकास के लिए अपेक्षा थी। उसके लिए यह बनाया गया जो भारत सरकार की नीति थी आयात निर्यात उसके तहत यह विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक में ऐसी विसंगतियाँ हैं यह विधेयक प्राधिकरण के रूप में करके आप इसमें जो हमारे प्राधिकरण की विशेष धाराएं हैं। इस विधेयक के बनने के बाद नगरीय विकास क्षेत्र प्राधिकरण के बनने के बाद भी जो नगर विकास का है या अन्य प्राधिकरण हैं, उनके सेक्सन इसमें लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के 10, 13, 14, 15, 16 के उपबन्ध भी इसमें लागू रहेंगे। उसको अपने

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

स्तर से नई चीज तैयार करनी चाहिए। इसमें दूसरे विधेयकों की धाराओं को सम्मिलित करके इसको बनाने की बात बड़ी अच्छी नहीं है। आप इसको देख लें। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधिनियम राष्ट्रीय अधिनियम, 74 की धारा 7 के 30, 32, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 55 वें इन उपबन्धों के साथ यह सेक्शन या क्लाज इन विधेयकों को इस प्राधिकरण में विकास क्षेत्र में लागू करेंगे। यह कहा गया है। यह भूमि अर्जन की बात है इसमें पेनाल्टी लेना चाहिए। भवनों पर कर लेना चाहिए। यह भी नहीं बताया गया है कि इन क्षेत्र के नाते आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है जो आपने लिखा है विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का तात्पर्य विदेशी व्यापार को अधिनियम 52 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित किया जाएगा। विकास के वास्ते यह दृढ़ता क्षेत्र के लिए यह धारा 5 यह कहती है कि एक्सपोर्ट पालिसी जिस पर मोर पावर फारमेशन की बात है।

समय-समय पर नीति निर्धारित करेंगे। फिर परिवर्तन भी करते रहेंगे। इसलिए यह आर्थिक परिक्षेत्र बनाया। इस परिक्षेत्र को नगर विकास के अन्तर्गत लागू कर सकते हैं। यह आगरा से दिल्ली तक लागू कर सकते हैं। जब प्राधिकरण भी इसमें रहेगा तो आगरा से लेकर दिल्ली तक घोषित कर दें। तो उसमें भूमि अर्जित होगी। उसमें आप विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देकर उसमें विकास के काम करेंगे वहां आप स्टील प्लांट लगा सकते हैं वहां आप उद्योग लगा सकते हैं जिससे पैदा करके निर्यात करें। आपके पास कुछ नहीं है निर्यात के लिए आपके पास बावरिया गिरोह है, आतंकवाद है। इसको निर्यात कर दीजिए उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। और कुछ निर्यात के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। कानून में अधिनियम में इतने क्षेत्र को आर्थिक विकास क्षेत्र घोषित करेंगे इसमें कहीं नहीं दिया गया है। यह जो आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक लाए हैं इससे विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि यह प्रवर समिति में जाए।

*कृषि एवं पंचायती राज मंत्री श्री –(हुकुम सिंह)

अभी आपने एक चीज के निर्यात की बात कही है। आप जब भाषण दे रहे थे तो किसी कमोडिटी का नाम लिया कि इसको निर्यात कर दीजिए। आप जहां-जहां हो उसका पता बता दीजिए हमें सुविधा हो जाएगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मुजफ्फर नगर में कैराना में है। यह जो आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक लाए हैं इसमें काबिल अधिकारी होगा इसमें जो व्यवस्था की है वह सेन्ट्रल द्वारा नामित होगा। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा नामित होगा। यह इसके सेक्शन में दिया है। सेक्शन-4(1) में दिया है कि विकास आयुक्त जो प्रायः भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्राधिकरण का मुख्य कार्य पालक अधिकारी होगा और वह प्राधिकरण का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा। मान्यवर, आप अपना औद्योगिक क्षेत्र बनायें और उस पर नियंत्रण भारत सरकार का रहेगा, आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा उस पर। इतना ही नहीं उसका पूरा वेतन भी आपको देना होगा। भारत सरकार से वह वेतन नहीं पायेंगे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज बजट स्वास्थ्य का है, इसलिये ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इस विधेयक से बड़ी विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जायेगा, पूरी तरह से यदि भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा। आप निर्यात करने की कोई पॉलिसी बनायेंगे और यदि भारत सरकार उस पर सहमत नहीं है तो आपके और भारत सरकार के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसके लिये मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि वह इस पर अध्ययन करके विचार करके इसकी जो विसंगतियाँ हैं, उनको दूर कर सके। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि जमीन एक्वायर करेंगे। प्राधिकरण भूमि, एक्वायर कर सकता है, भवन भूमि अर्जन कर सकता है। आपने प्रतिकर देने के बारे में कहा है कि जो रजिस्ट्री मूल्य होगा, वह आप देंगे। कहीं बाजारू मूल्य देंगे, कहीं किसी दर से देंगे, यह उचित मूल्य नहीं होगा। एक्वायर करते करते कल लखनऊ को भी घोषित करते हैं तो गाँव और उसके आस-पास के इलाके जो किसानों के हैं वह ले लिये जायेंगे।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र बनायेंगे वहाँ बड़े पैमाने पर किसानों की कृषि योग्य जमीन न लें। आप स्वयं ही जानते हैं कि कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। आप भले ही कह रहे हैं कि हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है लेकिन रेशियों के हिसाब से पर कैपिटा खपत कम हो जायेगी। आप प्राविधान करा लें कि गांव में जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। अगर कोई गाँव ले लेते हैं तो उसमें किसान के घरों की बात है। जुर्माना करने की बात है। अगर वह गाँव उस क्षेत्र में आ गया तो उनको यह छूट रहे कि वो अपने घर में रह सकें और टैक्स वगैरह उसी तरह से दें जो अब तक देते आ रहे थे। उन पर अधिक टैक्स न लगाया जाय। वहाँ पर उनके घर टूटे हैं और आपने अपने क्षेत्र के हिसाब से टैक्स लगा दिया तो उनको तो दिक्कत होगी। आपके टैक्स से एकरूपता नहीं रह जायेगी । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर अध्ययन करके एक तैयारी करके लाया जाय तो अच्छी बात होगी। अगर निर्यात करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और प्रदेश को लाभ होगा। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि वो इसका अध्ययन करके 90 दिन में अपनी रिपोर्ट दे। इन्हीं शब्दों के साथ में संशोधन के प्रस्ताव को बल देता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर,यह जो विधेयक ला रहे हैं, यह ख्याली पुलाव है। यह इस तरह से जैसे कोई लड़का पैदा ही न हो और उसकी शादी ठीक कर दी जाय। यह आर्थिक विकास परिक्षेत्र कहाँ होगा ? कहाँ पर स्थापित होगा, कहाँ पर काम करेगा ? यह अता-पता नहीं है। यह तीन-चार पृष्ठों का विधेयक आ गया । इसको बनाने में मंत्री जी का समय बरबाद हुआ और यहाँ पर इसको प्रवर समिति को सौंपने की बात करने में जो समय हम लगा रहे हैं वह बर्बाद हो रहा है। एक नये प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। पहले से ही लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण आदि से चुराकर कुछ धाराओं को एक नया विकास प्राधिकरण का नाम दे दिया। नई आर्थिक नीतियों को परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में लागू करने की दृष्टि से यह विधेयक आया है। इसमें निवेश कर्ता को पूरी छूट दी है और इसमें कोई ऐसे आयोग का जो गठन होगा उसका नियंत्रण नहीं होगा जो प्राइवेट लोग हैं वह उसमें काम करेंगे, जमीन बनायेंगे, मकान बनायेंगे, विद्युत उत्पादन होगा जल निकासन करायेंगे, उनको अधिकार नहीं होगा, इन्होंने स्पष्ट लिखा है

"विकासकर्ता अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विहित की गई हो लगा सकता है।

जहाँ कोई अवंसरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहाँ विकासकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

विकासकर्ता उपयोक्ता प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है" सरकार को भी पूरा लाभ मिलेगा और आयोग का प्रतिबन्ध भी नहीं होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के संरक्षण में पूँजीपतियों को खुली छूट दी जा रही है किसानों की भूमि को कौड़ी के मोल लेकर 10 गुना और 100 गुना दाम पर लूटने की छूट दे दी गई है। बोर्ड का गठन किया है उसमें आप देख लें "मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन इसके अध्यक्ष होंगे, क्षेत्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव होगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के संतोषजनक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।" यह किसानों को लूट रहे हैं प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगेगा उसको लूटने का काम यह करेंगे, यह ऐसा विसंगतिपूर्ण विधेयक सदन में कभी नहीं आया।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार विधेयकों की सरकार बन गई है आगे कहीं कानून बनाने को मिले या न मिले इसलिए यह कानून बनाते जा रहे हैं एक सरकार ने प्रदेश बांट दिया, एक सरकार ने तहसील, ब्लाक बांट दिए, अब हरित प्रदेश बनाने की बात हो रही है इसके माध्यम से बड़े नगरों के विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। विकास प्राधिकरण के अधिकारों की अवहेलना की जा रही है इस विधेयक को अलग से थोपा जा रहा है। कार्यपालक अधिकारी केन्द्र का है। जमीन हमारी, पैसा हमारा और पर्यवेक्षक केन्द्र सरकार का होगा सारे के सारे खर्चे हम वहन करें यह क्या बात हुई। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि केन्द्र सरकार का कार्यपालक होगा तो सुख-सुविधा का प्रबन्ध भी केन्द्र सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की सुख-सुविधा का प्रबन्ध हम लोग करेंगे चाहे प्राइवेट विजनेस करता हो हमारी शर्तों पर काम करेगा । लेकिन यहां तो यह है कि उसकी शर्तों पर आयोग काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह सरकार जानबूझकर वर्तमान में उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करता हूँ।

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री--(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)

मान्यवर, जो माननीय दोनों सदस्य ने कहा है कौन सा क्षेत्र विधेयक का जो उचित नहीं है मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ स्पेशल इकोनोमिक जोन है-- मान्यवर, यह तीन क्षेत्र हैं--एक वाराणसी, दूसरा कानपुर तथा तीसरा ताज इकोनोमिक जोन है। अभी किसानों के बारे में चिन्ता जतायी, मैं यह जानकारी माननीय सदस्यों को दे दूँ। मान्यवर, इसमें विशेष तौर से किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। आज की स्थिति में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं समझ सकता हूँ । मान्यवर, इसके हो जाने के बाद हमारे किसान बन्धु जो अपने क्षेत्र के कृषि निर्यात हैं उसको बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय

मार्केट में फूलों-फलों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और खेती की अच्छी उपज मिल जाती है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो जाती है।

मान्यवर, मैं यह बता दूँ कि जितने भी विश्व में विकासशील देश हैं वह स्पेशल इकोनोमिक जोन की बदौलत अच्छी हालत में हैं। आप दो दशक पहले चीन को उठाकर देख लीजिये उसकी औद्योगिक विकास की दर क्या थी, प्रति व्यक्ति आय क्या थी। वह हमसे बहुत कम थी लेकिन जब उन्होंने स्पेशल इकोनोमिक जोन को अपनाया और बन जाने के बाद आज उनकी विकास दर बढ़ी है और प्रति व्यक्ति उनकी आय बढ़ी है। वह बढ़कर अब दस प्रतिशत हो गयी है। हमसे कई गुना आगे बढ़ गयी है और हमारी विकास दर लगभग 4.5 प्रतिशत है। मान्यवर, अगर हम इसको लागू कर देते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा किसानों को मिलेगा। किसी भी तरह की कोई विसंगति इसमें नहीं है। प्रदेश की हालत को देखते हुए मैं बल देते हुए यह कहूँगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करा दें। मैं तो यह सोच रहा था कि माननीय सदस्यगण इसका स्वागत करेंगे क्योंकि हम तो प्रदेश के साथ-साथ देश को प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं इसलिए विरोध का औचित्य नहीं बनता है। मेरा अनुरोध है कि इसको पास कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डेय जी आप इसको वापस ले रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से खण्ड 21, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम।

परिभाषायें।

2–इस अधिनियम में,–

(क) "सुविधा" का तात्पर्य सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत्, प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा करकट का संग्रह आदि लोक स्वास्थ और शिक्षा, आग बुझाने की सेवायें, सार्वजनिक पार्क और ऐसी अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) "विकासकर्ता" का तात्पर्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म या ऐसी अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है, जो अवसंरचना का अंशत: या पूर्णत: और परिक्षेत्र की अन्य सुविधाओं को विकसित, निर्मित, अभिकल्पित, संगठित, संवर्धित, वित्त पोषित, प्रवर्तित, अनुरक्षित, प्रबन्धन करती है और जो प्राधिकरण द्वारा चयनित और यथास्थिति, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित की जाय ;

(ङ) "विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा आर्थिक परिक्षेत्र के विकास लिए अधिसूचित किसी क्षेत्र से है ;

(च) "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" का तात्पर्य विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित विकास के अंशत: या पूर्णत: क्षेत्र से है ;

(छ) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके अध्यासन में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन हो और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं ;

(ज) "अन्तरिती" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(झ) "अवसंरचनात्मक सुविधायें" का तात्पर्य किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा या उपयोगकर्ताओं के किसी विशिष्ट समूह द्वारा विशेष सेवाओं का उपयोग किया जाना जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात् :–

[एक] विद्युत् का उत्पादन और प्रदाय;

[दो] जल निष्कासन, शोधन और वितरण;

[तीन] अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन;

[चार] सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली;

[पांच] विमानपत्तन और रेल प्रणाली;

[छः] सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु ; और

[सात] समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय;

(ञ) शब्द और पदावली "भवन", "विकास" , "भवन का परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

प्राधिकरण का गठन।

3--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे 'विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :--

[क] मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
[ख] कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
[ग] औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
[घ] वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[ङ] औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[च] कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[छ] खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[ज] कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[झ] लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[ञ] नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[ट] आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
[ठ] मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य
[ड] मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
[ढ] मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
[ण] क्षेत्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य-सचिव

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के संतोषजनक निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण :-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'सचिव' का तात्पर्य, जहां विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहां पर 'प्रमुख सचिव' से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण, में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्य-पालक अधिकारी।

4--(1) विकास आयुक्त जो प्राय: भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द।

5--(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों और उनकी श्रेणी और पदनाम अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित किसी क्षेत्र का प्रभाव।

6--विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने वाले किसी क्षेत्र के परिणामस्वरूप--

(क) इस रूप में अधिसूचित ऐसे क्षेत्र में स्थापित इकाइयां समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त राजकोषीय प्रसुविधाओं और छूट की हकदार होंगी ;

(ख) ऐसे परिक्षेत्र के अधीन क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती समझा जायेगा और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के क्षेत्र के भीतर पूर्व में घोषित कोई अन्य औद्योगिक बस्ती विघटित हो जाएगी और वह विशेष आर्थिक परिक्षेत्र औद्योगिक बस्ती द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिये समय-समय पर अधिसूचित समस्त लाभ/प्रोत्साहन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर लागू होंगे।

प्राधिकरण के कृत्य।

7--(1) प्राधिकरण का कृत्य विकास क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :--

[क] इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना ;

[ख] विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना जिसमें तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशिओ), भू-आच्छादन, पर्यावरणीय उपबंधों (हरित क्षेत्र, जल निकास), अग्नि सुरक्षा के उपाय आदि के संबंध में मार्गदर्शन की रूपरेखा भी हो सकती है ;

[ग] तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना के, जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजन में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;

[घ] परिक्षेत्र की अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए विकासकर्ता का चयन करना ;

[ङ] सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित विकास क्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना ;

[च] अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो ;

(छ) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना ;

(ज) अपने पदाभिहित क्षेत्र में विकासकर्ता को यथास्थिति, अपनी किन्हीं या समस्त शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(झ) कोई अन्य कृत्य जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

भूमि के वितरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति।

8--प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

प्राधिकरण द्वारा कर का उद्ग्रहण।

9--(1) विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार, यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है :--

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि ;

या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि ;

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर से पूर्णत: या अंशत: मुक्त कर सकती है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए

10--(1) प्राधिकरण अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गई हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उद्ग्रहण करने को अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोगिताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता-प्रभार की दरें नियत की जाएगी, यहाँ तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किए गए पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती-कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता-प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए :--

(1) पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है ;

(2) पद 'उत्तरवर्ती-कर प्रत्यागम' का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात् उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

विकासकर्ता के कृत्य।

11--(1) विकासकर्ता का कृत्य परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और परिक्षेत्र के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था करना होगा।

(2) सरकार द्वारा किसी विकासकर्ता के इस प्रकार चयन किये जाने के परिणामस्वरूप विकास क्षेत्र या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता में निहित होगा और आर्थिक परिक्षेत्र के क्रियान्वयन में प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं होगी :

परन्तु यह कि विकास क्षेत्र के उस भाग, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं है, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी :

परन्तु यह और कि किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र कि किसी भाग, जिसके लिए किसी विकासकर्ता का चयन न किया गया हो, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी।

(3) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विकासकर्ता निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :--

[क] प्राधिकरण द्वारा रेखांकित पर्यावरणीय, फ्लोर एरिया रेसियो (एफ0 ए0 आर0), भू-आच्छादन, अग्निसुरक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन के अनुरूप परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना और योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

[ख] उस प्रयोजन को, अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा ;

[ग] औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना ;

[घ] सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

[ङ] औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

[च] भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ;

[छ] उसके द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबंध और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण करना।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता की शक्ति।

12–विकासकर्ता विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन्हें वह अपनी नियुक्ति को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों और विकासकर्ता के रूप में अधिसूचना के अधीन रहते हुए नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

विकासकर्ता द्वारा फीस का उद्ग्रहण।

13–(1) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ता ऐसे वार्षिक फीस का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबंध।

14–(1) विकासकर्ता अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहां विकासकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) विकासकर्ता उपयोक्ता-प्रभार की संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचानात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजनों के लिए:--

पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित होगा।

पुनर्विलोकन समिति।

15–(1) ऐसे मामले में जहाँ विकासकर्ता द्वारा अवसंरचना की व्यवस्था की जानी हो, वहाँ प्रत्येक सेक्टर के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

(क) विकासकर्ता का नाम निर्देशिती ;

(ख) विकास आयुक्त ;

(ग) इकाइयों/निवासियों/सेवा प्रदानकर्ताओं या अन्य ऐसे हितबद्ध समूह, यदि कोई हों, के प्रतिनिधि ।

(2) पुनर्विलोकन समिति, विकासकर्ता और उपभोक्ताओं के मध्य कार्यों और अन्य मामलों का पुनर्विलोकन और विनिश्चय विकासकर्ता के नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत करेगी।

(3) पुनर्विलोकन समिति, ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर, जैसा आवश्यक समझा जाय, बैठक करेगी।

इकाई अनुमोदन समिति।

16–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विकास आयुक्त को या तो सशक्त कर सकती है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समिति, जिसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई अनुमोदन समिति कहा जाएगा, का गठन कर सकती है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और समिति में समस्त सम्बन्धित विभागों, यथा-श्रम, पर्यावरण और प्रदूषण उद्योग, व्यापार कर, ऊर्जा आदि, के प्रतिनिधि होंगे।

(2) इकाई अनुमोदन समिति, आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर किसी इकाई की स्थापना के लिए, यथास्थिति, आवश्यक स्थानीय और राज्य स्तरीय समाशोधन, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित भी है :--

(एक) स्थल के लिए पर्यावरण समाशोधन ;

(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति;

(तीन) कारखाना और ब्वायलर्स निरीक्षणालय की ओर से स्थल समाशोधन ;

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना योजना का अनुमोदन ;

(पांच) परिचालन और संचालन, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुज्ञप्ति ;

(छः) मुख्य ब्वायलर्स निरीक्षक की ओर से ब्वायलरों का रजिस्ट्रीकरण ;

(सात) ऊर्जा भार का अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो ;

(आठ) इस प्रकार अधिसूचित या अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

(3) इकाई अनुमोदन समिति, अनुमोदनों और समाशोधनों को त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए अन्य विभागों के ऐसे विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, को आमंत्रित कर सकती है।

(4) इकाई अनुमोदन समिति, विभिन्न समाशोधनों, अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों या रजिस्ट्रीकरणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी और उल्लंघन/अननुपालन की दशा में सुसंगत प्रयोज्य विधियों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगी।

(5) इकाई अनुमोदन समिति अपने द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुज्ञप्तियों या अनुमोदनों आदि का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए किसी अभिकरण की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे समाशोधनों और अनुज्ञाओं आदि के अनुश्रवण के लिए अपेक्षित किसी सूचना की मांग कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना।

17--उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुन: (अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,--

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना।

18--उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,--

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

19--इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र या उसका कोई भाग, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

20--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति।

21--(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलाप के प्रशासन के लिये विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिये समय और स्थान, बैठक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध ;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले प्रभार ;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-21 तक इस विधेयक के अंग माने जायें,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संशोधन प्रस्ताव :--

*श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय अधिनियमितियों का उपान्तरण में खण्ड-21 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड और अनुसूची बढ़ा दी जाये :--

"22--विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के संबंध में अनुसूची में दी गई अधिनियमितियां या तो प्रवृत्त न रह जाएंगी या ऐसे उपान्तरों के साथ प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची

(धारा 22 देखिये)

अधिनियमितियों की सूची

1--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

2--संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947

3--ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

4--व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

5--कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

6--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

7--कारखाना अधिनियम, 1948

8-- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

9--जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

10--जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

11--उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948

12--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

13--उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

14--भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

15--उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999

16--उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952

17--पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

18--केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 के खण्ड-21 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड-22 और अनुसूची बढ़ा दी जाय:--

22--विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के संबंध में अनुसूची में दी गयी अधिनियमितियाँ या तो प्रवृत्त न रह जाएंगी या ऐसे उपान्तरों के साथ प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची (धारा 22 देखिये)

अधिनियमितियों की सूची

1--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2--संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947
3--ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970
4--व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
5--कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952
6--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
7--कारखाना अधिनियम, 1948
8--वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
9--जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
10--जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
11--उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948
12--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964
13--उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962
14--भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
15--उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999
16--उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952
17--पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
18--केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ तथा उक्त खण्ड-22 एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने)

3-- प्रश्न यह है कि खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान
अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान सं0-33
चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34
चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35
चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36
चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,39,47,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,29,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,52,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,39,48,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,72,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, व्यक्ति के जीवन स्तर का आधार है उत्तम स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विभाग का बजट वर्ष 2002-2003 प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ।

आप सहमत होंगे कि चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। गर्भवती स्त्री, नवजात शिशु, बच्चे, जवान वृद्ध सभी को स्वस्थ एवं निरोग बनाये रखना प्रदेश में मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा जन्म एवं मृत्यु पर नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग का मुख्य दायित्व है। बीमारियों की रोक-थाम, निदान एवं उपचार, विभाग के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। हमारी सरकार सभी उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। संसाधनों को सुनियोजित ढंग से सदुपयोग करना विभाग की प्राथमिकता है।

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 80 जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18,549 उपकेन्द्र, 3,630 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 340 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन इकाइयों के लिए 11,253 महिला एवं पुरुष चिकित्सक 1,166 अन्य अधिकारी तथा लगभग एक लाख पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें की वर्ष 2001-2002 की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा :

44 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का पूर्ण निर्माण हो चुका है, 18 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 68 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गयी है, 25 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए साज-सज्जा एवं उपकरणों की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत रु0 25.97 करोड़ का व्यय करके ग्रामीण चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु विभिन्न साज-सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था की गयी है, गत वर्ष 4.18 लाख नसबन्दी, 22.56 लाख कापर टी निवेशन, 15.68 लाख निरोध प्रयोगकर्ता तथा 8.16 लाख ओरल पिल्स प्रयोगकर्त्ता की उपलब्धि रही । 51 लाख शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से सभी टीके लगाये गये। वर्ष में किये गये 36.5 लाख प्रसवों में से 7 लाख 40 हजार प्रसव , सेवा केन्द्रों एवं अस्पतालों में हुए तथा 25 लाख 70 हजार प्रसव प्रशिक्षित कर्मियों/प्रशिक्षित दाईयों द्वारा किये गये। एक लाख से अधिक लोगों के अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए सुरक्षित गर्भपात की नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त 56 लाख गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व परीक्षण की सुविधायें भी उपलब्ध करायी गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2002-2003 के लिए लखनऊ में निर्मित डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में 140 शय्याओं की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवनिर्मित संयुक्त चिकित्सालय, अकबरपुर माती , जनपद कानपुर देहात में वाह्य रोगी विभाग, आकस्मिक सेवायें तथा तत्सम्बन्धित भवनों का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। 100 शय्यायुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद, 200 शय्यायुक्त चिकित्सालय हमीरपुर, 300 शय्यायुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर, 150 शय्यायुक्त चिकित्सालय, बलिया के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना है। निर्माणाधीन 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण करना, 15 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों के भवनों के निर्माण कार्य को स्वीकृति किया जाना इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। निर्माणाधीन 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराना है, 50 अन्य नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

नवसृजित जनपद चित्रकूट, कन्नौज, महराजगंज, हाथरस में जिला चिकित्सालय भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ करना है। मास्टर स्वास्थ्य कार्ड योजना का यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में आरम्भ कराना है। 28 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किया जाना है, नवसृजित मण्डलों देवीपाटन, मिर्जापुर, बस्ती, सहारनपुर , चित्रकूटधाम मण्डलीय अपर निदेशकों के कार्यालयों की स्थापना किया जाना है। नवसृजित जनपद बागपत, औरैया, संत कबीरनगर, कन्नौज में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना किया जाना है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 66 करोड़ का प्राविधान है, जिसके अंतर्गत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए साज-सज्जा उपकरणों, एक्सरे फिल्म, दवाओं तथा एन्टीरेबीज वैक्सीन व सर्प दंश वैक्सीन की व्यवस्था किया जाना है। बार्डर एरिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के नेपाल देश से लगे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों , सामुदायिक केन्द्रों पर अतिरिक्त दवाओं तथा साज-सज्जा हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2002-2003 में 8.10 लाख नसबन्दी, 24.82 लाख कॉपर टी निवेशन, 17.26 लाख निरोध प्रयोगकर्त्ता 8.98 लाख ओरल पिल्स प्रयोगकर्ता का स्वनिर्धारित कार्यभार है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए वर्ष 2002-2003 में जो कदम उठाये गये थे उसके बारे में हमारे सामने जो नक्शा आया है वह मैं बताना चाहता हूं--भ्रष्टाचार निवारण हेतु प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत जो कार्यवाही की गयी है उसमें सेवा समाप्ति 27, निलम्बन 64, प्रतिकूल प्रविष्टि 205 को दी गयी है, दण्डनात्मक कार्यवाही 40 के विरुद्ध की गयी है, अनुशासनिक कार्यवाही 120 व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी है और अभियोजन में 29 आदमियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किया गया है। इंडियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट, 1956 की धारा-15 के अंतर्गत प्रदेश में फर्जी डिग्री धारक, अनर्ह एवं अप्राधिकृत चिकित्सकों को खोजकर 998 के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी। इसके साथ-साथ 688 वाद भी न्यायालय में दाखिल किये गये और लगभग 400 फर्जी चिकित्सकों को न्यायालय के द्वारा दण्डित किया गया। चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 563 नये चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति तथा 987 चिकित्सा अधिकारियों के स्थायीकरण का कदम उठाया गया है और उनका स्थायीकरण किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके द्वारा प्रदेश को लाभ मिल रहा है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्ति के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम को लागू किया गया है। प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु 12 पिछड़े जनपदों तथा लखनऊ में वाह्य सहायता से चलाया जा रहा है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निश्चय ही कमी आयेगी। शासन की जनसंख्या नीति के अंतर्गत विभिन्न उपायों के माध्यम से वर्ष 2016 तक वर्तमान प्रजनन दर 3.99 से घटकर 2.1 रह जाने की सम्भावना है। अन्य विभागों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता भी इस योजना में ली जा रही है मान्यवर, मैं अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम है, 80 प्रतिशत

अन्धता का कारण मोतियाबिन्द होता है। इसी कारण मोतियाबिन्द आपरेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। 58 जिला चिकित्सालयों के नेत्र विभागों, 60 जिला सचल इकाइयों, 778 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईओएल विधि से शल्यक्रिया व्यवस्था उपलब्ध है। गत वर्ष मे 2 लाख 38 हजार मोतियाबिन्द के आपरेशन आईओएल विधि द्वारा किये गये। चालू वर्ष में साढ़े चार लाख मोतियबिन्द के आपरेशन का लक्ष्य है, जिसमें से 55 प्रतिशत आपरेशन आईओएल विधि से किये जायेंगे।

मान्यवर, जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। शासन के प्रयासों से गत दो दशकों में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 52.7 से घटकर 5.1 प्रति दस हजार हो गयी है। वर्ष 2004-05 तक निवारण स्तर एक रोगी प्रति 10 हजार तक लाने का लक्ष्य है। कुष्ठ रोग जनित विकलांगता का प्रतिशत 9.3 से घटकर 2 प्रतिशत हो गया है। गत वर्ष में एक लाख 12 हजार नये कुष्ठ रोगी खोजे गये। कुष्ठ रोगियों के चिन्हीकरण में उपलब्धि 373 प्रतिशत रही। शासन का यह प्रयास चालू वर्ष में भी जारी रहेगा। रोग मुक्त विकलांग कुष्ठ रोगियों के भौतिक पुनर्वास हेतु मेडिकल कालेजों एवं जिला चिकित्सालयों में विशेष सर्जरी की व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी।

मान्यवर, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य 50:50 प्रतिशत की भागीदारी से चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी 70 जनपद राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम आच्छादित है, जिनमें से 8 में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (डाट्स) लागू किया जा चुका है। 39 अन्य जनपदों में पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षय निरोधी औषधि खिलाते हैं। गत वर्ष 7.88 लाख सम्भावित क्षय रोगियों के बलगम का परीक्षण किया गया। इनमें से 80 हजार धनात्मक बलगम के रोगी पाये गये। चालू वर्ष में नये बलगम परीक्षण के 8.30 लाख व धनात्मक रोगियों का 83 हजार का लक्ष्य निर्धारित है।

मान्यवर, मलेरिया रोधी कार्यक्रम है। मलेरिया रोधी कार्यक्रम प्रदेश व भारत सरकार की बराबर की भागीदारी है। गत वर्ष लगभग 30 लाख ज्वर रोगियों का परीक्षण किया गया जिसमें 95 हजार रोगी पाये गये1 लगभग एक करोड़ से अधिक आबादी को कीटनाशक छिड़काव से संरक्षित किया गया। चालू वर्ष में 52 जनपदों की डेढ़ करोड़ की आबादी को कीटनाशक छिड़काव से संरक्षित करने का लक्ष्य है। मच्छर जनित रोग मलेरिया, डेंगू, जापानी इन्सेफ्लाइटिस आदि से बचाव के लिए जनजागरण जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वर्ष 2002 में मलेरिया रोधी कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया गया। प्रचार-प्रसार कार्य व्यापक रूप से दूरदर्शन के "कल्याणी कार्यक्रम" के माध्यम से भी किया जा रहा है।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में तीन मानसिक चिकित्सालय कार्यशील हैं जिनमें से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश मुख्यालय पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यशील है। संक्रामक रोग नियंत्रण हेतु प्रदेश में आंत्रशोध, हैजा, पीलिया, खसरा मस्तिष्क ज्वर को प्रभावी रूप से नियंत्रित

किया गया है, जिसके फलस्वरूप रोगियों की संख्या में कमी आई.है। गत वर्ष में प्रदेश मे खाद्य अपमिश्रण के लगभग 22 हजार नमूने एकत्रित किये गये । परीक्षण के उपरान्त 2700 मामलों में वाद दायर किया गया। चालू वर्ष में माह जुलाई तक लगभग 9000 नमूने एकत्रित किये जा चुके हैं, जिसमें से 1 हजार 1 सौ नमूने अपमिश्रित पाये गये। गत वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रदेश में 74 औषधि निर्माण तथा 09 रक्त कोष के लाइसेंस निर्गत किये गये। प्रदेश में अब तक अनुज्ञापित रक्त कोषों की संख्या 121 है जिसमें 67 रक्तकोष राजकीय जिला चिकित्सालय, सैनिक अस्पताल तथा मेडिकल कालेज तथा 54 रक्त कोष निजी क्षेत्र में हैं। गत तथा चालू वर्ष में अब तक 832 नमूनों की जांच की गयी, जिसमें से 124 नमूने अधोमानक पाये गये। 7 नमूने नकली औषधियों के थे जिनके विरुद्ध अभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

मै आपके माध्यम से सदन के सामने विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना, जिसकी कुल लागत 478 करोड़ रुपये है, 5 वर्ष की अवधि हेतु चलाई जा रही है। इस परियोजना में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 117 इकाइयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है अभी इस परियोजना में 28 जनपद आच्छादित है, जिनमें निर्माण कार्य के साथ-साथ उपकरणों, औषधियों, कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी सदन को आपके माध्यम से देना चाहता हूं, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक सहायतित केन्द्रीय कार्यक्रम है। इन केन्द्रों पर जोखिम समूहों वाले रोगियों के लिए सरकारी चिकित्सालयों में नि:शुल्क परामर्श एवं परीक्षण की व्यवस्था है। जून, 2002 तक 681 एड्स रोगी चिन्हित किये गये हैं, जिनमें 577 पुरुष तथा 104 महिलायें थी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में इस सदन को बताना चाहूंगा कि यह प्रदेश सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु सतत जागरुक एवं प्रयासरत है। जो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम है वह भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 तथा शहरी क्षेत्रों में 12 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों में साज-सज्जा, औषधियों की आपूर्ति, निर्माण कार्य एवं अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। सभी जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। आठ आयुर्वेदिक एवं दो यूनानी कालेजों को सेंट्रल काउंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन के मानक के अनुसार उच्चीकृत करना प्रस्तावित है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शोध कार्य में विस्तार किया जाना है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण एवं नवीन निर्माण प्रारम्भ कराना है। निदेशालय में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी है।

इसके साथ-साथ मैं जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है उसकी जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 2002-2003 में जो प्रस्तावित कार्यक्रम हैं उनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 17 नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना एवं उनके भवनों का निर्माण किया जाना है। निर्माणाधीन तीन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण को पूर्ण कराना है। जिला होम्योपैथिक कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, राजकीय नेशनल

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में हर्बल गार्डेन की व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा होम्योपैथी निदेशालय के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु पदों का सृजन किया जाना है।

मान्यवर, बजट से सम्बन्धित पूरी जानकारी मैंने माननीय सदस्यों को दी है, मैं आपका आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 14-(2) व (3) पर श्री दीनानाथ भाष्कर कटौती प्रस्ताव रखेंगे। पहले दोनों लोग कटौती का प्रस्ताव रख लें, उसके बाद क्रम से अपनी बात कह सकेंगे।

श्री दीनानाथ भाष्कर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री दीनानाथ भाष्कर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*अवधेश प्रसाद--

मानयवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज स्वास्थ्य विभाग का बजट इस आदरणीय सदन में रखा है। श्रीमान् यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश की 17 करोड़ जनता के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीमन् यह ऐसा बजट है जिसका सम्बन्ध चाहे इधर बैठे माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुये हों, सबसे सीधा सम्बन्ध है। श्रीमन् मैं तो आशा करता था कि हमारे संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सुविधायें जो सरकार की तरफ से होती हैं, निश्चित रूप से सरकार उनको नि:शुल्क मुहैया कराने का काम करेगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री आदरणीय अमर्त्यसेन जी ने कहा था कि आर्थिक और विकास की स्थिति को देखना है, तो वहां के स्वास्थ्य और शिक्षा से अन्दाजा लगाया जा सकता है। श्रीमन् यही नही अभी जो सरकार की तरफ से ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के अध्याय में जो श्रीमन् पृष्ठ 284 के सबसे ऊपर आख्या लिखी हुई है, उसकी तरफ मैं आदरणीय सदन का आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, श्रीमन् द रियल वेल्थ आफ ए नेशन इज इट्स पीपुल एण्ड द परपज आफ डेवलपमेन्ट टू क्रियेट आन इनाम्बलिंग एनवायरमेण्ट फार पीपुल्स इनजवाय लांग हेल्दी क्रियेटिवलाइव श्रीमन् जिसका अर्थ है कि राज्य की वास्तविक सम्पत्ति उसकी जनता है और उसके विकास हेतु ऐसा वातावरण मुहैया कराया जाय कि लोग स्वस्थ और रचनात्मक दीर्घ जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकें। श्रीमन् ये हमारा नहीं है, यह जो सरकार है अभी पूर्व में 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है चैप्टर 11में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी से आप अन्दाजा लगा सकते है कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है।

आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्व संगठन के सामने इस सरकार ने वादा किया था कि हम 2000 तक इस प्रदेश की जनता को सबको स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करायेंगे लेकिन श्रीमन् आज 2002 का आठवां महीना अगस्त है, लेकिन इस सरकार ने आज तक वादा जो किया था उसको पूरा नहीं किया बल्कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वेल फेयर स्टेट की जो कल्पना है, उसके उल्टा आचरण इस सरकार का है। जुलाई 2000 से उन्होंने फैसला लिया प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी और आज जो उसका असर था श्रीमन् वह यह है कि जुलाई 2000 से 10 फीसदी वृद्धि हुई वह है 83 लाख, अगस्त में एक करोड़ 28 लाख, सितम्बर में एक करोड़ 87 लाख और एक वर्ष में उनका अनुमान 7 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, इसी प्रकार 2001 में भी 10 प्रतिशत के रूप में जो बढ़ोत्तरी जो लगभग 15 करोड़ पार कर गई उसका असर क्या पड़ता है कि आधा हिस्सा कोषागार में एवं आधा हिस्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सक अधिकार के विवेक पर निर्भर है। जनवरी 2002 से बढ़ोत्तरी फिर होती है, जिसका असर क्या होता है कि पर्चा शुल्क जो पहले था 6 रुपया अब हो गया 7 रुपया इसी तरह भर्ती शुल्क 28 रुपये से 31 रुपये हो गया, जनरल वार्ड शुल्क 28 से बढ़ कर 31 रुपया, एक्सरा शुल्क 61 से बढ़कर 73 रुपये हो गये, ई0 सी0 जी0 शुल्क 61 से बढ़कर 71 रुपये, अल्ट्रासाउण्ड 165 से बढ़कर 182 रुपये हो गए, मीडिकल लीगल शुल्क 61, रुपये एम्बूलेन्श शुल्क पांच रुपये प्रति किमी0 था अब 6.00 रुपये प्रति किमी0 कर दिया । कितनी बिडम्बना है मान्यवर, एक तरफ वेल फेयर स्टेट की कल्पना करते हैं और दूसरी तरफ यह सरकार बिजनेस का काम कर रही है। लाभ कमाने का काम कर रही है। इससे ज्यादा खराब मानसिकता और सोच सरकार की क्या हो सकती है। श्रीमन् आप भिज्ञ हैं इसी भर्ती के पर्चे का शुल्क 10 पैसे था आज 7 रुपये हो गया है। जितने अस्पताल हैं, बलरामपुर अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो या महिलाओं के अस्पताल हों कोई चीज नहीं मिल रही है। अगर सुई लगवानी है तो उसका पैसा, ब्लड चढ़वाना है तो उसका पैसा, टेस्ट करवाना है तो उसका पैसा लिया जाता है। तो यह वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के विरुद्ध है। श्रीमन् हम लोग जब पढ़ते थे तो ये खैराती अस्पताल होते थे। मेरी निश्चित जानकारी है आज जिला अस्पताल की जो हालत है, गांव का आदमी या साधरण किसान जिला अस्पताल में दवा

नहीं करा सकता क्योंकि चिकित्सा इतनी महंगी हो गयी है कि आपको रूई और पट्टी भी खरीदनी है, कोई चीज आपको वहां नहीं मिलती है। यह वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के बिल्कुल विपरीत है।

श्रीमन् स्वास्थ्य केन्द्रों की माननीय मंत्री जी ने चर्चा की है। माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि 787 स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन हैं ही नहीं, केवल कागजों में नाम है। जिला चिकित्सालयों की जो हालत है उससे सभी परिचित हैं, जिला चिकित्सालयों के भवन जर्जर हैं। विश्व बैंक से 610 करोड़ रुपया यह कह कर लिया था कि हम अपने जिला अस्पतालों के भवनों की मरम्मत करेंगे और अच्छी सुविधा उपलब्ध करायेंगे। उस 610 करोड़ रुपये का अता-पता नहीं है, वह फिजूलखर्ची में चला गया। जब मंत्री जी जबाव देंगे तो इस बात का भी जबाव देंगे कि 610 करोड़ रुपया जो बिल्डिंग बनवाने के लिए लिया था उसका पैसा कहां गया ? जो बढ़ोत्तरी का सवाल है, वर्ष 2001 में 15 करोड़ रुपया हो गया था। हर साल 10 फीसदी बढ़ा रहे हैं वह पैसा कहां जाता है ? 50 फीसदी पैसा ट्रेजरी में जमा होता है, बाकी अधिकारियों की साज-सज्जा एअर कण्डीशन गाड़ियां लगाने में, कमरा सुसज्जित करने में खर्च होता है, जनता की दवाई के लिए बढ़ोत्तरी का पैसा नहीं होता है।

मेरी निश्चित जानकारी है कि जो 10 फीसदी बढ़ोत्तरी प्रत्येक साल इन्होंने किया है, इनके निदेशालय में कहीं पर कोई लेखा-जोखा नहीं है। जो 50 फीसदी पैसा छोड़ते हैं जिले में उसको अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी खर्च करेंगे लेकिन इनके महानिदेशालय कार्यालय में किसी प्रकार का कोई लेखा-जोखा नहीं है। हम इसमें भी चाहेंगे कि मंत्री जी जब बोलने के लिये खड़े होंगे तो लेखा-जोखा बताने का कष्ट करेंगे। जुलाई, 2002 से दस फीसदी बढ़ाकर प्रदेश की जनता को चूसने का काम किया गया है। स्वास्थ्य प्राथमिक और आवश्यक सेवा है। आप यह बताने का काम करेंगे कि 50 फीसदी पैसा किस खाते में रखा गया है क्या कोई लेखा-जोखा इस तरह का है ?

यही नहीं आज हालत यह है कि डायलेसिस, कैंसर, ओपेन हार्ट सर्जरी में लाखों रुपये लगते हैं मेरी निश्चित जानकारी है उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में सी0 टी0 स्कैन नहीं है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री, आप और अन्य मंत्री तथा बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हों वहां के मेडिकल कालेज में सी0टी0 स्केन मशीन की व्यवस्था नहीं है तो इससे ज्यादा असफलता और निकम्मेपन की बात और क्या होगी। आज हालत यह है कि अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तो उसका इंजेक्शन अस्पताल में नहीं मिलेगा। बड़े-बड़े लोगों को छोड़कर साधारण आदमी को पागल कुत्ते का इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। हर साल हजारों-हजार लोग पागल कुत्ते के काटने से मर जाते हैं। आपको पता लगाना चाहिये कि पागल कुत्ते के काटने के इंजेक्शन की डिमांड कितनी है और उसका प्रोडक्शन कितना है। आप इसकी पूर्ति प्रदेश में बड़े पैमाने पर करने की व्यवस्था करें नहीं तो जनता पागल कुत्ते के काटने से मरती रहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप अपना भाषण दें तो यह बतायें कि पागल कुत्ते काटने के इंजेक्शन की डिमांड कितनी है और उसकी कितनी पूर्ति आप कर पाते हैं।

मान्यवर, आप भी जनता द्वारा चुनकर आये हैं आप जानते होंगे कि अस्पतालों की हालत आज क्या है। सन् 2001-02 में आपने प्रस्ताव किया था कि सोरों में एक अस्पताल बनेगा लेकिन आज तक नहीं बन सका है। इसी तरह से आपने प्रस्ताव किया था कि शहरी इलाकों में 4 अस्पताल 2001-2002 में बनेंगे लेकिन एक भी अस्पताल नहीं बन पाया है। आपकी सरकार कागजी घोड़ा दौड़ाने में माहिर है इससे प्रदेश की जनता का भला नहीं हो सकता है। मान्यवर, 2000-2001 में 126849.41 लाख रोगी अस्पतालों में आये। वर्ष 2001-2002 में रोगियों पर जो खर्च हुआ उसका

औसत 119 रुपया आया है। लेकिन जब मरीज बढ़े तो उन पर खर्च बढ़ने के बजाय 112 रुपये हो गया इससे साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब मरीज बढ़ रहे हैं तो सरकार की चिकित्सा पर होने वाला खर्च बढ़ाना चाहिये लेकिन यहां पर उसका उल्टा हो रहा है मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन उन पर होने वाला खर्च घट रहा है। इससे भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से दवा पर प्रति व्यक्ति खर्च 4.5 रुपये प्रति व्यक्ति है और कुल बजट 35 करोड़ 9 लाख रुपये है मान्यवर, टी0बी0 नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है यह 31 जिलों के लिये आया है। लेकिन आज प्रदेश में और जिले हैं। आपसे निवेदन है। यह जो टी0बी0 का कार्यक्रम है वैसे यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लाप है। इसका फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है इस पर करोड़ों अरबों रुपया विश्व बैंक से मिला है। भारत सरकार की योजना है इसमें फैजाबाद जनपद भी है। प्रदेश के जितने जिले हैं उन सब जिलों में यह पुनरीक्षित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाये। जिससे क्षय रोगियों की संख्या में कमी की जा सके। मान्यवर, कैंसर और एड्स के बारे में मंत्री जी ने बड़ी बात कही लेकिन कैंसर और एड्स पर यह सरकार प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च कर रही है। बड़े-बड़े टीना होर्डिंग, बड़े-बड़े पोस्टर लगे हैं। हमारे प्रदेश की जनता अनपढ़ है वह होर्डिंग नहीं पढ़ती है।

अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 55 साल बाद भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जिसने इस देश को तमाम प्रधान मंत्री दिये हैं लेकिन आज कैंसर और एड्स के लिए कोई अस्पताल हमारे प्रदेश में नहीं है। इस पर चिन्ता करनी होगी। मंत्री जी हमारी बात को बुरा मत मानिये क्योंकि "निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय"। आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, एक भी अस्पताल उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जो केवल बच्चों के लिए हो। बच्चों की तमाम तरह की बीमारियां एक ही छत के नीचे अस्पताल में इलाज हो सके। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों के लिए अलग से बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मलेरिया विभाग का जो पैसा आया उससे 44 एयरकंडीशन गाड़ियां खरीदी गई । फागिंग मशीन खरीदी गई लेकिन वह कहां चलती है। यह मशीनें कालीदास मार्ग और मंत्रियों के बंगले के पास धुंआ उड़ती हैं। लेकिन श्रीमन् वहां ऐसे मच्छर हैं वह इस बीमार फागिंग मशीन से मरने वाले नहीं हैं। यह बड़े-बड़े मच्छर हैं उनको मारने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। वह दिन जल्दी आने वाला है। डी0डी0टी0 का जो छिड़काव होता है कहीं पर भी डी0डी0टी0 का छिड़काव नहीं है। यह जो फागिंग मशीनें करोड़ों रुपये की मंगाई गई है इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है। वहीं मच्छर नहीं मर रहे हैं। यह आपकी योजना बिल्कुल फेल है। अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कर्नाटक में 240 रुपये, गुजरात में 2528 रुपये, महाराष्ट्र में 3,115 रुपये और उत्तर प्रदेश में एक आदमी पर 50 रुपये 27 पैसे खर्च होते हैं स्वास्थ्य विभाग खुद एक बीमार विभाग है। तो ऐसे बीमार विभाग से प्रदेश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आपका बीमार विभाग है इसको ठीक करें। आपका विभाग इसलिए बीमार है कि आपने एक कानून बनाया है नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स प्रदेश के 11,393 डाक्टरों को देते हैं 800-900 रुपये प्रतिमाह।

करोड़ों-करोड़ रुपये इस एलाउन्स पर आप देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स है इसके चलते क्या यहां के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते ? यह जो आपका विभाग है, इस पर आपकी पकड़ नहीं है। इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको डाक्टर्स

को प्रोमोशन देना होगा। 8500 डाक्टर्स ऐसे हैं जो कि 27-27 साल से प्रोन्नति नहीं पाये हैं। आप नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स को बन्द करवाना चाहते हैं तो आपको इसको सख्ती से लागू करना होगा। बजाज कमेटी की रिपोर्ट जो 1996 की है उसमें साफ-साफ अनुशंसा है। जिस तरह से केन्द्र के डाक्टरों को दिया जाता है उसी तरह से उनको बेसिक का 25 प्रतिशत और बढ़ाकर दीजिये और इसको सख्ती से लागू करायें। आज नर्सिंग होम किस तरह से चल रहे हैं। जिला अस्पताल की मानसिकता और संस्कृति नर्सिंग होम की संस्कृति हो गई है। गांव का गरीब दलित नर्सिंग होम में नहीं जा सकता है। इस पर आपको विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा। नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देकर उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस को सख्ती के साथ बन्द करायें। बड़ी दिक्कत है, हमने अपने कार्यकर्ता को डाक्टर के पास आंख दिखाने के लिये भेजा, डाक्टर ने उसको पर्चे पर अपने घर का पता लिख दिया। वह बेचारा केमिस्ट के पास दवा लेने पहुंचा तो केमिस्ट ने कहा कि इसमें दवा कहां लिखी है, इस पर तो डाक्टर के घर का पता लिखा है। मान्यवर, यह हालत है अभी एक पुलिस के बहुत बड़े आफिसर की आंख में दर्द हुआ उनका अर्दली डाक्टर के पास गया। डाक्टर उसको दवा देते हैं बवासीर की। पुलिस के आफिसर थे, बच गये वरन् उनकी आंख की रोशनी चली जाती। यह झूठी बात नहीं है। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में दावा दायर किया है। दावा चल भी रहा है। यह आपके विभाग का हाल है, माननीय मंत्री जी, आपको इस पर पकड़ जमानी पड़ेगी। बंगले और कोठी से निकलना पड़ेगा। जनता को कितनी परेशानी हो रही है। आपके अस्पतालों में कुत्ते लोट रहे हैं, मरीज हैं नहीं, पलंग टूटे हैं, खून गिरा पड़ा है। सारी दवाएं नकली हैं। इन दवाओं पर से विश्वास उठ गया है। जनता को आपके विभाग से फायदा नहीं मिलता। दवा के नाम पर अरबों रुपये का घोटाला होता है। जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। खाना जो मिलता है अभी हमारे जिले के बगल में जिला है हमने पता लगाया कि जो खाना आता है उसमें 14 रुपये किलो आलू, 46 रुपये किलो चावल और 76 रुपये किलो तेल मिलता है। इस हिसाब से आप बतायें कि किस तरह से वहां पर खाना मिलता होगा। आप इसको भी दिखवायें और जो जनता को मिलना चाहिए वह जनता को मिले। जो लोग इस पैसे को खा रहे हैं, उनको जेल भिजवाइये क्योंकि अभी जेल का भी बजट आयेगा।

हमारे यहां डाक्टरों की संख्या 11,391 है जिसमें से दो तिहाई खाली पड़े हैं। डाक्टर आपके अस्पताल में नौकरी के लिये तैयार नहीं है क्योंकि इनको वहां कोई सुविधा नहीं है। 1996 में जो रिक्यूटमेन्ट हुआ था उसमें 459 डाक्टर पास हुए और 230 ने ही ज्वाइन किया। 50 प्रतिशत ने ज्वाइन नहीं किया। 1997 में 314 हुए जिसमें से 198 ने ज्वाइन किया इस तरह से इसमें 50 प्रतिशत नहीं आये। 1998 में 575 का हुआ जिसमें 107 ने ही ज्वाइन किया अर्थात् 20 प्रतिशत ने ही ज्वाइन किया। यह इसलिये हुआ क्योंकि वे जानते हैं कि उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से परिवार कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें तो बिल्कुल कोई किसी तरह से अचीवमेन्ट नहीं है। केवल पोस्टर चिपका देने से कोई अचीवमेन्ट नहीं मिलेगा। कोई निर्णय सरकार को लेना होगा। 2-3 बच्चे जिसके हैं उसको यह सुविधा मिलेगी, लाइसेन्स की, इस तरह का कार्यक्रम बनाना होगा। प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी समस्या है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, मान्यवर,इस पर गम्भीरता से चिन्तन-मनन करना पड़ेगा कानून से कुछ नहीं होता है। परिवार कल्याण का जो बजट है यह बिल्कुल फेल है। शिक्षा और चिकित्सा . . .

श्री अधिष्ठाता--

अभी यह बजट पेश नहीं हुआ है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, स्वास्थ्य से सम्बन्धित जितना पूरा बजट है उनको एक साथ सभी अनुदानों को प्रस्तुत करा दें कटौती आ जाये तब चर्चा करा लें अलग-अलग करायेंगे तो रिपीटीशन होगा।

श्री अधिष्ठाता--

चिकित्सा स्वास्थ्य की पांचों मदें प्रस्तुत की जा चुकी हैं तीन और कटौती माननीय अवधेश जी को रखनी है दो पर कटौती दीनानाथ भास्कर जी को रखनी है।

श्री अवधेश प्रसाद--

आपके आदेश शिरोधार्य हैं जिस पर कटौती रखी है दो मिनट उस पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, यह बजट सबके लिए है इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा जब बोलने के लिए खड़े हों तो इस बात की घोषणा करेंगे कि जो 10 फीसदी बढ़ाया है उसको वापस लेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं एक अस्पताल डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में बहुत बड़ा बनवायें, अभी तो अम्बेडकर उद्यान है हम समाजवादी पार्टी के जितने सदस्य हैं अगर यह अस्पताल डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनवाते हैं, तो हम लोग एक-एक महीने का वेतन देने को तैयार है।

(मेजें थपथपाई गईं)

जब मंत्री जी बोलेंगे तो घोषणा कर दें बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर उद्यान है तो एक उन्हीं के नाम पर बड़ा अस्पताल दलितों के लिए, गरीबों के लिए जहां नि:शुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध हो, बनवायें तो हम एक-एक महीने का वेतन देने को तैयार हैं। आपने बजट अच्छी तरह पढ़ा होगा मैं आभारी होऊंगा सदस्यों का चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों यह समाजवादी पार्टी का नहीं सभी का सवाल है कटौती पर बल देने के लिए, समर्थन देने के लिए माननीय सदस्य बोलेंगे जनता परेशान हैं। हमारे संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए।

*श्री मोहम्मद आजम खां (नेता विरोधी दल)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह विभाग सिर्फ मंत्री बनने का नहीं दुआयें लेने का विभाग है जो कमियां हैं, इसमें सबको मालूम है जो साधारण जीवन जीते हैं, वह अस्पतालों में जाते हैं। आज अस्पतालों के क्या हालात हैं सब जानते हैं मैं बहुत अफसोसजनक तरीके से दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने अपने क्षेत्र रामपुर के लिए बिल्डिंग फण्ड और इंक्यूवेटर के पैसा दिया . . . लेकिन चार साल तक यह पैसा रामपुर जिला अस्पताल के पास पड़ा रहा और इंक्यूवेटर नहीं लगा। मुरादाबाद में आप देखें तो वहां पर बीड़ी बनाने वाले लोग हैं। मैंने इन बीड़ी बनाने वालों के लिए रिक्शा पुलर के लिए पैसा दिया लेकिन वह पैसा नहीं लगाया गया और वह पैसा वापस हो गया। कारण इसका यह है कि कमीशन बंधा हुआ है। वहां पर 18-18, 20-20 साल से डाक्टर पड़े हैं। उनकी हैसियत अगर आप देखें कोई भी डाक्टर 10--15 करोड़ से कम का नहीं होगा। मैंने अपने यहां का नाम इसलिए दिया कि यह माडल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सदस्यों के यहां पर नहीं होगा। कमोवेश यह सब जगह हालत है। अस्पताल के सामने दुकाने हैं। अस्पताल से बंडल आते हैं सारे मरीज देखते हैं, फिजीशियन के सैमपुल वहां चले जाते हैं। टी0 बी0 के मरीजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को दवा नहीं मिलती है। लाखों रुपये की दवा नाले में डाल दी गयी मरीजों को नहीं दी गयी। गरीबों को इसलिए नहीं दी गयी कि आदत खराब हो जायेगी। वह नाले में डाल दी जाती है। उनको एक्सपायरी कर दिया जाता है।

एक बात और अवधेश जी ने कही थी कि सात रुपये का पर्चा बनता है वह गरीब आदमी कैसे दे पायेगा ? वह कैसे बनवा सकता है इस पर विचार आप कर लें। उसके बाद एक्स-रे, थूक की जांच, फेफड़े की जांच इसमें भी पैसा लगता है। मान्यवर, 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राइमरी काम्प्लेक्स होता है। हमारे यहां प्राइमरी काम्प्लेक्स के ज्यादा बच्चे हैं। अगर आप गाजियाबाद से सहारनपुर और मुरादाबाद आयेंगे तो वहां पर 70--80 प्रतिशत लोग टी0बी0 से ग्रसित हैं। फिरोजाबाद में 90 प्रतिशत टी0बी0 से ग्रसित हैं। ऐसे शहरों में जहां काटेज इण्डस्ट्रीज ज्यादा है वहां पर 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको टी0बी0 है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में चार सेन्टर जिलों में ऐसे हों जहां पर टी0बी0 पर काम हो और फेफड़े बदलने का प्राविधान करें। अगर आप एक टारगेट बना लें कि उत्तर प्रदेश में टी0बी0 को कम करना है तो चार सेन्टर पूरे उत्तर प्रदेश में बनायें और वह पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करें। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी क्योंकि आपके पास ऐसा विभाग है और इस विभाग में रहने का काम करने का सौभाग्य मिला है इसलिए उनकी सेवा करें।

श्री दीनानाथ भाष्कर--

माननीय अधिष्ठाता जी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों के सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि 2001-2002 के बजट में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 2231 चिकित्सालय दर्शाये गये थे लेकिन इस 2002-2003 के बजट में कुल 2210 चिकित्सालय दर्शाये गये हैं जिसमें 1968 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं और 242 यूनानी चिकित्सालय दर्शाये गये हैं। मान्यवर, 2001-2002 के बजट के आंकड़ों में 2002-2003 के बजट के आंकड़ों में अंतर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो 2001-2002 में आंकड़ा दिया गया है या तो वह गलत हो सकता है या 2002-2003 में जो आंकड़ा दिया गया है वह गलत हो सकता है। मान्यवर, इसलिए मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश का हर बच्चा, हर व्यक्ति सभी ऐलोपैथिक से अवगत हैं। परन्तु जहां आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों की बात आती है वहां पर निश्चित तौर से जो विद्वान साथी, पढ़े-लिखे साथी हैं वे निश्चित तौर से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। परन्तु जो गरीब समाज है, असहाय समाज है, कम पढ़े-लिखे लोग हैं उनका आकर्षण आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के प्रति नहीं के बराबर है। इस बजट भाषण में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गयी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा की तरफ कैसे गरीबों और कम पढ़े लिखें जो साथी हैं उनका ध्यानाकर्षण किया जाएगा। इसके लिए उनके अंदर जिज्ञासा कैसे पैद होगी ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जब भी जवाब दें तो निश्चित तौर से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की तरफ कैसे ध्यानाकर्षण करें, जिससे लोगों का रुझान उस तरफ हो सके इस पर भी अवश्य जवाब दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कुल इसके लिए 10 हजार 17 बेड हैं। नये 34 चिकित्सालयों को खोलने का प्राविधान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 हजार 17 बेड और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय बहुत कम हैं और निश्चित तौर से मैं अनुरोध करना

चाहता हूं कि 17 हजार 17 बेड से काम चलने वाला नहीं है। यह 17 करोड़ जनता के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसमें निश्चित तौर पर एक हजार बेड कम से कम और बढ़ाये जाने चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े पेश किये गये हैं उसमें 34 नये चिकित्सालयों को खोलने की बात कही गयी है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पूरे प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय बने हुए हैं। मैं जनपद चंदौली अन्तर्गत बबुरी एक जगह है उसके बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर 25 बेड का एक अस्पताल माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में बनवाया था लेकिन आज तक उसको टेकओवर नहीं किया जा सका है। इसलिए जब हम नये अस्पताल बनाने की बात करते हैं तो उस वक्त यह भी बताना चाहिये कि पूरे प्रदेश में कितने चिकित्सालय बने हुये हैं और उन्हें किन कारणों से हम टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं उसे हम खोल नहीं पा रहे हैं। जो पैसा लगता है वह निश्चित रूप से बेकार चला जाता है जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जाया जा रहा है। बबुरी का तो मैंने एक उदाहरण दिया है। सूबे में बहुत सारे चिकित्सालय ऐसे बने हुये हैं जो भवन का कब्जा करने वाले माफिया हैं उनके कब्जे में वह भवन चले गये हैं। इसलिए जब भी आप माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा पेश करेंगे कि पूरे प्रदेश में पिछले सत्रों में कितने चिकित्सालय आयुर्वेदिक और यूनानी के बने हुये हैं उसमें कितने को आपने टेक ओवर की योजना बनायी है और नहीं बनायी है तो क्या कारण है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रदेश में 8 कालेज चलाये जाते हैं उसमें लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर है, बांदा है, इलाहाबाद है और मुरादाबाद है। जहां यह चल रहे हैं उस शहर के कम पढ़े-लिखे लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वह नहीं बता पायेंगे कि इस शहर में आयुर्वेदिक कालेज भी चलते हैं यह स्थिति है। यूनानी के दो कालेज चल रहे हैं और यह दोनों इलाहाबाद में चलाये जा रहे हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी में पिछले दिनों जो विवाद स्थापित हुए हैं जिसमें तीन हजार वाद लम्बित करने की बात बजट में स्वीकार की गयी है। तो उसका निस्तारण आप कैसे करायेंगे और वह भी त्वरित गति से कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे और कितने दिन में की जायेगी। बगैर हाउस को विश्वास में लिये हुए सिर्फ यह कह देना कि वाद लम्बित है इससे तो काम नहीं चलेगा। इससे तो आप जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। इसका कैसे अतिशीघ्र निस्तारण किया जायेगा, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी के माध्यम से आ जाना चाहिये। यह जो बजट भाषण की किताब हम लोगों को मिली है इसमें जितने छात्र आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने यह तो दिखाया है कि कालेजों में छात्रों की क्षमता कितनी है छात्र कितने अध्ययन कर रहे हैं यह नहीं दर्शाया गया है तो इसलिये आई0 ए0 एस0 जो प्रदेश को संचालित कर रहे हैं उससे हट करके भी हम जब बजट भाषण पढ़ रहे हैं उस वक्त में हमें यह ध्यान रखना होगा कि वास्तव में हम तो यह बता रहे हैं कि हमारे कालेजों में छात्रों की कितनी क्षमता है लेकिन हमने उसमें यह नहीं दिखाया कि प्रत्येक विद्यालय में कितने छात्र अध्ययनरत हैं इसलिये जब भी आप अपना स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े होंगे तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा मंत्री जी से कि आप स्पष्ट तौर पर बतायेंगे कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और यूनानी के कितने छात्र इन दसों विद्यालयों/कालेजों में अध्ययनरत हैं।

इसके साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के सी सी आई एम के मानक के अनुसार चरणबद्ध रूप से उच्चीकृत किये जाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किस तरह कह देंगे कि सी सी आई एम के मानक के अनुसार हम उच्चीकृत करेंगे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप जवाब देने के लिये खड़े हों तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सदस्य यह जानना चाहेंगे कि सी सी आई एम क्या है और इसका मानक क्या है उस मानक के आधार पर आप इन विद्यालयों को कालेजों को उच्चीकृत करेंगे तब जा करके हम सारे लोगों का दिमाक साफ हो सकेगा कि उसका मानक क्या है और साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अधिकारी आयुर्वेद के हैं, यूनानी के हैं और जो उनके कर्मचारी हैं वह पूरे प्रदेश में कितने अधिकारी हैं और कितने कर्मचारी हैं और साथ ही साथ कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने की कोई व्यवस्था सरकार ने इस बजट के माध्यम से दिया है या नहीं दिया है, इसका भी उल्लेख इसमें हो, यह हम चाहेंगे।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद और यूनानी और चाहे एलोपैथ के कालेज हों, उसमें सी0 पी0 एम0 टी0 और पी0 एम0 टी0 के माध्यम से छात्र चयन होकर जाते हैं और इन कालेजों का यह उद्देश्य होता है कि वे अच्छे से अच्छे चिकित्सक पैदा कर सकें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र अध्ययनरत हैं, उसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था है। यह सरकार हमेशा कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, यदि आप वास्तव में दलितों के हितैषी हैं तो बजट भाषण में यह स्पष्ट होना चाहिये कि आप जो छात्रों का एडमीशन किये हैं, उसमें कितने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, कितने पिछड़ी जाति के और कितने माइनारिटीज के बच्चे हैं। आरक्षण जो बताया गया है, वह शेड्यूल कास्ट 21 प्रतिशत, शेड्यूल ट्राइब्स को 2 प्रतिशत और पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था है, यही एम0 डी0 और एम0 एस0 में भी है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई नाक, कान, गला का डाक्टर बनना चाहता है और दो सीट है तो किसका एडमीशन लिया जायेगा, उसके लिये क्या आपने बजट में व्यवस्था की है ?

वर्ष 1993--1995 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में, उस समय रोस्टर प्रणाली की व्यवस्था को लागू किया गया था और उसके तहत पहले शेड्यूल कास्ट का बच्चा लिया जायेगा, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब का जायेगा फिर उसके बाद ओ0 बी0 सी0 और उसके बाद माइनारिटी का बच्चा जायेगा, उसके बाद अपर कास्ट का बच्चा जायेगा। लेकिन पिछली सरकार ने रोस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया और इस सरकार ने रोस्टर प्रणाली को बहाल नहीं किया, इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े हों तो यह बताने की कृपा करें कि उन्हें रोस्टर प्रणाली को लागू करने में क्या कठिनाई है और आप इसे लागू कर रहे हैं या नहीं। इस प्रदेश की जनता आपकी ओर निगाह उठाकर देख रही है। मेडिकल के तमाम बच्चे रोज हम लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि सरकार ने रोस्टर प्रणाली को खत्म कर दिया।

मैं अन्तिम बात कहते हुये अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि पूरे बजट साहित्य में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि दलित बच्चों को या पिछड़ी जाति के बच्चों को, या माइनारिटी के बच्चों को आप अस्पताल बना दें, मेडिकल कालेज बनवा दें तो आप कहेंगे कि हमारे पास वित्तीय संकट है, हम नहीं बना सकते हैं।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

मैं अम्बेदकर पार्क का विरोध नहीं करता हूं, अधिष्ठाता महोदय मैं उसकें गेट पर 60 लाख के हाथी लगाये जाने का विरोध करता हूं। जब हाथी पसंद नहीं आयेंगे तो उनको हटा करके 1 करोड़-1 करोड़ के चार हाथी लगायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कहीं पूरे प्रदेश में दलित समाज के बच्चों को अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों, मुस्लिम समुदाय के या अग्रणी जाति के गरीब बच्चों के लिए आपने पी0 एम0 टी0, सी0 पी0 एम0 टी0 में प्रवेश के लिए कहीं कोचिंग की नि:शुल्क व्यवस्था की है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब एक तरफ सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम दलितों की बात कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री अभी नहीं हैं, अभी वह कह रहे थे किसी भी विद्वान आदमी के प्रति किसी भी महान व्यक्ति के प्रति किसी को भी कुप्रचार करने का हक नहीं है। जैसे अम्बेदकर की मूर्ति पर जूते चप्पल पहनाने की बात आई, आज कुछ लाग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक नेता हैं जिन्होंने यह कहा था कि अगर हरिजन भगवान की औलाद है तो क्या गांधी शैतान की औलाद थें। यह सत्ता पक्ष में बैठे हुए एक बड़े नेता का बयान है। हम महात्मा गांधी के ऊपर उंगली उठायेंगे तो अम्बेदकर के ऊपर उंगली उठायी जायेगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों का मानना है कि अम्बेडकर पर हमला करेंगे तो दलित भड़केगा और हमारा वोट बैंक और बढ़ जायेगा। दलितों के बहुत बड़े हमदर्द हो तो आपने पूरे प्रदेश में कहीं भी कोचिंग की व्यवस्था की है ? 17 मंडल हैं 17 मंडल के मुख्यालयों में चाहिए था कि एक-एक नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था आप करते तो आने वाली जनरेशन में सुधार होता और गरीब समाज के बेटे-बेटी कोचिंग में जाते और डाक्टर बन सकते। लेकिन यह सुध सरकार को नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सूचना देना चाहता हूं कि मेरे पास कुल मिला कर 22-23 नाम विपक्ष की ओर से हैं। सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके इसलिए मैं एक-एक नाम पुकारूंगा और आप से यह आशा करूंगा कि कम से कम शब्दों में गागर में सागर भर कर अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

मान्यवर, मैं बजट के पक्ष में अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, हर विकास की योजना का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधा, बेहतर स्वास्थ प्रदान करना है, इस दृष्टि से स्वास्थ सेवाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अच्छी स्वास्थ सेवाओं हेतु विभिन्न स्तर के चिकित्सालय बनाये गये हैं, अनेक पद निदेशक, महानिदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी के सृजित किये गये हैं, बेहतर सेवाओं एवं चिकित्सा के प्रतिफल एवरेज लाइफ 27 से 61 साल हो गयी है. विकलांगता में कमी आयी है, राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावी हैं, शासन के इरादे बहुत अच्छ है किन्तु योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से न होने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय सेवाएं, स्तरीय नहीं हैं तथा ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर चिकित्सकों की एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सरकार आज भी सुनिश्चित नहीं करा पा रही है। शहरी क्षेत्र में भले ही सेचुरेटेड हों किन्तु पी0 एच0 सी0 एवं सबसेंटर पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल्स स्टाफ का अभाव है। आज कागजों पर ही नियुक्ति है कई सेन्टरों पर तो ताला बन्द जैसी स्थिति है। महिला चिकित्सकों की भी कमी है। इसकी क्षतिपूर्ति आंशिक रूप से निजी क्षेत्र

द्वारा की जा रही है किन्तु समस्या गरीब परिवारों की है जिनकी सेवा के लिए इन सरकारी अस्पतालों की स्थापना की गयी थी। सरकारी अस्पतालों से जनता का विश्वास उठ गया है, सरकारी पैथोलाजी लैब के नतीजे विशेषज्ञ स्वीकार नहीं करते, गरीबों को दवा, इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। इमरजेन्सी सेवाओं में भी आंकड़े और वास्तविकताओं में जमीन आसमान का अन्तर है। संसाधनों का अभाव है, यूजरचार्जेज की राशि जो मरीज ही या चिकित्सालय की आवश्यकता हेतु इस्तेमाल होनी चाहिये उसमें सर्वत्र अनियमितता की शिकायत है मेरा सुझाव है, यह सब माननीय स्वास्थ मंत्री जी के लिए चिन्ता के विषय होने चाहिए इन पर प्रभावी प्रशासकीय अंकुश की आवश्यकता है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हों उन्हें विशेष रूप से देखा जाय। उदाहरण के तौर पर जिला चिकित्सालय ललितपुर में कार्यरत सी0 एम0 एस0 डा0 पटेल के विरुद्ध उनके पीलीभीत के कार्यकाल की अनियमितताओं के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पत्र संख्या 652/सं0 क0 2-5 दिनांक 02 जनवरी, 2002 के द्वारा धारा 409 के अन्तर्गत अभियोजन की मंजूरी दी गयी थी किन्तु यह आज भी धड़ल्ले से ललितपुर में सी0 एम0 एस0 के पद पर आहरण कर रहे हैं और उपकरणों की नीलामी कर रहे हैं और अनेकों शिकायतों के होते हुए भी सी0 एम0 एस0 पर कार्यरत हैं।

जनपद जालौन में यूरोपियन कमीशन का पाइलट प्रोजेक्ट चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए है किन्तु इसके द्वारा किये गये कार्यों एवं चिकित्सा सेवा के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी शायद मंत्री महोदय को भी नहीं है। कोई पारदर्शिता भी नहीं है। धनराशि भी मानकों के विपरीत उपयोग हो रही है। मैं सरकार का ध्यान जनपद जालौन में चिकित्सकों के रिक्त पदों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं तथा इस पिछड़े जनपद में पर्याप्त मेडिकल डाइग्नास्टिक एवं ट्रीटमेण्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध पुनः करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में गरीब नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से चिकित्सा बीमा योजना पर गम्भीरता से विचार करें, इसमें जितना खर्चा होगा, उससे कहीं अधिक लाभ भी होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"जय भारत जय बुन्देलखण्ड"

*श्री कौशल किशोर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर मुझे कहना है कि पिछली बार चिकित्सालयों में जनरेटर का लक्ष्य रखा गया था 19 जो पूरे नहीं हुये , इस बार 5 का रखा गया पिछली बार 71 एक्सरे मशीन क्रय करने का लक्ष्य था, वह पूरे नहीं हो पाये थे, इस बार 10 का रखा गया है। अल्ट्रा साउण्ड मशीन के क्रय का लक्ष्य पिछले बार था 81, इस बार 10 रखा गया है, इसी तरह से सी0 टी0 स्केन का लक्ष्य 8 था इस बार 3 रखा गया है। विश्व बैंक का पैसा फर्नीचर, मशीनों और गाड़ियों में खर्च होना है। एक अरब, तीन करोड़, चवालिस लाख रुपया रख-रखाव में खर्च होना है और दवा के लिए मात्र 24 करोड़ रुपया रखा गया है। दवा की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। गांवों में जो अस्पताल खोले गये हैं उनमें दवा की आपूर्ति नहीं होती, वहां के डाक्टर दवा को बेचते हैं और गांव के मरीजों से डाक्टर पैसा लेते हैं, दवाओं की सप्लाई नर्सिंग होम में कर देते हैं। शहर में भी बड़े पैमाने पर जो जिला अस्पताल और प्रदेश लेबिल के अस्पताल जो राजधानी में हैं डाक्टर बगैर पैसा लिये दवा नहीं देते, मरीजों पर दबाव डालते हैं कि उनके नर्सिंग होम में इलाज करायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माल ब्लाक में सस्पन गांव में पिछले 10 सालों से कागजों पर एक अस्पताल चल रहा है। वहां पर डाक्टर तथा अन्य कर्मचारियों की पोस्टिंग है, मौके पर कहीं अस्पताल नहीं है। उन अधिकारियों/कर्मचारियों का तनख्वाह भी निकल रही है, दवा का पैसा कहां जाता है यह पता नहीं ? माल ब्लाक में ही एक डाक्टर आर0 बी0 सिंह हैं, वह वहीं के निवासी हैं और उनकी पोस्टिंग भी वहीं पर है। स्थानीय समस्या को लेकर मारपीट हो गयी तो वह उसमें कानून-व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। वह पैसा लेकर शार्प इंजरी को ब्लण्ट और ब्लण्ट इन्जरी को शार्प की रिपोर्ट बना देते हैं। उनको हटाने के लिए मैंने सी0 एम0 ओ0, लखनऊ से बात की थी, उन्होंने कहा थां कि हम हटा देंगें लेकिन नहीं हटाया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एड्स, मलेरिया, कैंसर, टी0 बी0 एवं परिवार नियोजन के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी0 बी0 एवं कुष्ठ रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है लेकिन जो अरबों-करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। वह पैसा इलाज में लगाया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार हो गया है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, सी0 एम0 ओ0, डिप्टी सी0 एम0 ओ0 तमाम डाक्टरों से पैसा ले करके उनकी पोस्टिंग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब कृपया समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, गांवों में डाक्टर जाते नहीं हैं उनकी पोस्टिंग है, उनसे दो-दो हजार रुपया महीना लिया जाता है वह अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बहुत हुआ तो सप्ताह में केवल एक बार चले गये। मान्यवर, परिवार नियोजन की बात कहना चाहता हूं कि माल ब्लाक में एक महिला का 12 बार परिवार नियोजन हुआ। 25 लोग ऐसे हैं जिनका दो-दो बार आपरेशन किया गया और सर्टीफिकेट जारी किया गया। ग्राम मड़वाना में निर्मला देवी का परिवार नियोजन किया गया उसके बाद भी उसके बच्चा हुआ, उसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी किसकी है ? कोई भी काम सही नहीं हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, इलाज, आपरेशन सही नहीं हो रहा है, दवा मुफ्त में नहीं मिल रही है, पैसा दे करके दवा मिल रहा है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो लेखानुदान के अतिरिक्त परिव्यय हेतु जो अरबों रुपये का अनुदान स्वीकार करने का बजट प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बदल देते हुए कहना चाहता हूं वह यह कि प्राईवेट मारपीट हो जाते हैं तो जो अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं उनसे 85 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में लिया जाता है और डाक्टर दो -तीन सौ रुपया अलग से ले लेते हैं। इस तरह गरीब आदमी तो इलाज ही नहीं करा पायेगा। गरीब जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घूरा राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बजट पर बल देता हूँ। मान्यवर, जब मनुष्य पैदा होता है तो चाहे वह भगवान की कृपा से पैदा हुआ हो या चाहे प्रकृति की कृपा से पैदा हुआ हो उसके पैदा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा या जवान हो सबके स्वास्थ्य के रख रखाव का काम करता है। इसलिये इस विभाग का बड़ा महत्व है और इसीलिये मैं विभाग के मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने बलिया जनपद की ओर ले जाना चाहता हूँ। वहां पर बहुत बड़ा जिला अस्पताल बना हुआ है लेकिन वह संचालित नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको संचालित किया जाय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां खेजुरी में सी0 एच0 सी0 बना हुआ है। वहां पर साज सज्जा का जो पैसा गया था उसको अधिकारियों ने दूसरी जगह खर्च कर दिया है जिससे खेजुरी का सी0 एच0 सी0 संचालित नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

मैं आपके माध्यम से उन विषयों पर कहना चाहता हूँ जिनका जिक्र हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो नर्सिग होम चल रहे हैं इन पर छापा मारा जाय। हमारे जो सरकारी अस्पतालों के डाक्टर हैं वह इन नर्सिग होम में काम करते हैं और जनता का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पाता है। अगर सरकार इन नर्सिग होमों पर छापा मारे तो सरकारी डाक्टर इन नर्सिग होमों में न बैठकर सरकारी अस्पतालों में बैठेंगे और जनता को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मान्यवर, जो एड्स, कैंसर, हिपेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं इनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि महा निदेशालय और निदेशालय में जो बाबू होते हैं वह सालों साल एक स्थान पर बैठे रहते हैं। जो डाक्टर के रूप में भर्ती होते हैं वह तरक्की करते-करते डी0 जी0 तक पहुंच जाते हैं। उनकी इंटरी लिखने का काम वही बाबू करता है तो फिर सरकार का क्या महत्व है और सचिव का क्या महत्व है और शासन का क्या महत्व है। डाक्टर बाबू के आगे-पीछे घुमते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इन बाबुओं को स्थानातरित किया जाय और इनके लिये स्थानान्तरण नीति बनानी चाहिये यह मेरी मांग है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने दलितों के बारे में बड़े जोरदार तरीके से अपने विचार रखे। इस विभाग की भर्तियों में आरक्षण नीति और अगड़े लोगों के लिये जो नीति है और जो रोस्टरिंग प्रणाली है उसका ध्यान रखा जाय ताकि इन दलित लोगों का आरक्षण पूरा हो सके और दलित लाभान्वित हो सकें। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि डाक्टर लोग फर्जी सर्टीफिकेट बनाकर दे देते हैं। जो बलिया में रहता है वह और फर्जी सर्टीफिकेट बनवाकर बता देता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ और बलिया में सर्विस करता हूँ और वह बलिया में स्थाई रूप से राजनीति करता है। इस तरह के प्रमाण-पत्र की जॉच कराकर जो लोकल जिले में अधिकारी रहते हैं उसको सही ढंग से काम करने के लिए उन्हें व ऐसे डाक्टरों को दूसरें जनपदों में स्थानान्तरित करके उनसे कार्य ले लिया जाए। ताकि वह सही ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन कर सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री घूरा राम–

यह स्वास्थ्य विभाग महतवपूर्ण विभाग है। माननीय सदस्यों ने अम्बेडकर उद्यान के बारे में चिन्ता व्यक्त की। हम यहां अम्बेडकर की व्यवस्था के तहत हम यहां चुनकर आए हैं। विधायकों ने चर्चा की वह भी चुनकर आए हैं। उनके नाम पर यह जो उद्यान बन रहा है उसके लिए धन्यवाद दूसरे जो उन्होंने कहा कि एक महीने का पैसा दे दीजिए। मैं दावा करता हूं आप लोग एक महीने का पैसा दे दें मैं सब से पहले पैसा दे दूंगा और बाबा साहब के नाम पर दूसरी जगह अस्पताल बन जाएगा। इस पर हम सबको मिलकर सहायोग करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह अपनी बात समाप्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दिनेश सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है और नेता प्रतिपक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है। विरासत में उन्हें यह विभाग मिला है। मंत्री जी के पास हिम्मत है, उत्साह है समर्पित भाव से काम करने के लिए वह संकल्पबद्ध हैं। लेकिन मंत्री जी को विरासत में यह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग मिला है इसमें आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस संकल्प को आप तब तक पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक आप प्रशासनिक अधिकारियों पर निदेशालय के अधिकारियो पर अंकुश नहीं लगाएंगे। विरासत में आपको सड़ी गली व्यवस्था मिली है। देहात में कहावत है कि जो खेत चर लिया जाता है वह जल्दी पनपता नहीं है। पूर्व मंत्रियों ने इसकी डाभी भी निकाल ली है। इसे आपको संकल्प के साथ सुधारना होगा अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहा गया कि इसके लिए वैक्सीन लगानी पड़ेगी। यह स्वास्थ्य विभाग, जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। यहां निदेशालय में कुछ अच्छे अधिकारी हैं बहन जी हैं उनकी शराफत से सभी कायल हैं। कुछ अच्छे निदेशक भी हैं लेकिन सम्पूर्ण रूप से मैं कहूंगा कि 75 प्रतिशत ऐसे हैं जो कुत्ते से ज्यादा जहरीले हैं उनके काटने से आदमी बच नहीं सकता है। ऐसा आपका निदेशालय है।

मैं सिद्धार्थ नगर के बारे में बताना चाहता हूँ। सिद्धार्थ नगर में सर्जन तो काबिल हैं लेकिन बेहोशी के डाक्टर छह महीने पहले हटा दिए गए इस नाते कोई आपरेशन सफल नहीं हो सकता। वहां एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। जिसके कारण रोगी बस्ती गोरखपुर जाते हैं। और तीन दिन बाद लौटते हैं। वहां पैथालॉजी है लेकिन पैथालाजिस्ट नहीं है। ब्लड बैंक स्कीम तैयार है कोई चलाने वाला नहीं है।

यही नहीं वहां पर तमाम ई0 एण्ड टी0 सहित कई स्पेशलिस्ट की जगह खाली हैं, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं है। यह तो अच्छा है कि नेपाल की सीमा सटी है और वहां पर आंख का आपरेशन होते हैं और बस्ती के लोग वहां जाकर अपने आंख में रोशनी लाकर सिद्धार्थनगर की रोशनी देखते हैं। मैं नेपाल की सरकार को इस सदन के माध्यम से इसके लिये बधाई देना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि इस बारे में भी आप सिद्धार्थनगर बस्ती की जनता के लिये कुछ कर सकें

तो वहां की जनता आपको बधाई देगी। आपके विभाग में 5-7 सालों से अफरा-तफरी मची है। लोगों ने खूब लूटा है। आपको तो वह शेर कहना चाहिए था--

पलटा जो तीर खाके कभी गाह की तरफ
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गयी

माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और सभी दलों के नेताओं ने जो कहा आपने उसको सुना। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सिद्धार्थनगर के पास शोहरतगढ़ में जहर खुरानी से 17 तारीख को चार लोगों की मौत हो गई। सोनू और मोनू दो बच्चे जीवन-मृत्यु के बीच अस्पताल लाये गये लेकिन चिकित्सकों के आपसी झगड़े के कारण कदाचित् वे उनका जीवन बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाये। मैं आपसे चाहूँगा कि इस पिछड़े अंचल में कल्याण के कार्य कीजिये। यह क्षेत्र भी भारत में और प्रदेश में आता है। आप स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ रखना चाहते हैं आप स्वयं निर्भीक मंत्री हैं, इस विभाग को भ्रष्टाचार से बचाने के लिये एक पैकेज बनायें। अपने विभाग की निदेशिका और प्रमुख सचिव को कहें कि एक बैठक हमारे यहां करायें उसमें जन प्रतिनिधियों को भी बुलायें और जनता के कल्याण की योजना उसमें बनायें ताकि गरीब जनता आपको बधाई दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम इकबाल–

महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने विभाग का जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। महोदय, इस विपरीत परिस्थिति में माननीय मंत्री जी ने बहुत ही प्रगतिशील बजट पेश किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं डाक्टर तो नहीं हूँ लकिन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 16 वर्ष मेडिकल कालेज में 40 हजार से ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों की मदद की है। मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की हालत आज ही खराब नहीं हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। महोदय एक-एक जनपद में 20-20 साल से डाक्टर पैर जमाये हुए है। गरीबों के पैसे से भवन बनता है, बिस्तर लगता है, दवा आती है और उसी अस्पताल में बैठकर डाक्टर 200 रुपये लेकर मरीज भर्ती करता है। मान्यवर, इसको रोकना होगा। गरीब मां अपने बच्चे को रोती हुई लेकर अस्पताल जाती है और डाक्टर जब तक 50 रुपये नहीं लेता है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वह देखता नहीं है।

महोदय, हम अनुरोध करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि जो डाक्टर 15 साल से एक जगह पर है उसको दूसरी जगह पोस्ट कर दीजिये। स्वास्थ्य की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये आपको भ्रष्टाचार पर रोक लगानी होगी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है इस विभाग के परेशानी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आपने जैनरेटर दिया है लेकिन वह वार्ड में नहीं चलता है। वह जनरेटर डाक्टर के घर में चलता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र में नगरा है वहां पर एक जैनरेटर है लेकिन मरीजों के लिये उसका कोई उपयोग नहीं है। मरीज अंधेरे में चिल्लाते रहते हैं। घर वाले पंखा नहीं होने पर गमछे से हवा करते हैं। इसी तरह से महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर सी0टी0 स्कैन के लिये व्यवस्था करायें। आम गरीब आदमी जब एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है। वह डाक्टर के पास जाता है डाक्टर उसको प्राइवेट अस्पताल में बनारस रिफर कर देता है सी0 टी0 स्कैन करवाने के लिये। मैंने जिलाधिकारी के यहां प्रदर्शन

करवाया था कि प्राइवेट अस्पताल में रैफर न करें। करना है तो बी0 एच0 यू0 बनारस या एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में करें। पेट में दर्द होता है तो प्राइवेट अस्पताल का डाक्टर चेस्ट का सी0 टी0 स्कैन करवाता है। जिसका 4 हजार रुपया लगता है उसमें जिले के डाक्टर को 35 प्रतिशत कमीशन देते हैं जिले के डाक्टर प्राइवेट डाक्टरों को रिफर कर देता हैं मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ जो अगर रिफर करें तो मेडिकल कालेज को रिफर करें इससे तमाम आदमियों को राहत मिलेगी। लेडीज डाक्टर की उपलब्धता गांव में नहीं है। गॉव के क्षेत्र में लेडीज डाक्टर नहीं हैं। हमारे रसड़ा तहसील में एक भी लेडीज डाक्टर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम इकबाल–

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर उपलब्ध हों, वहां रात में डाक्टर नहीं रुकते हैं बलिया में पोस्टिंग है गाजीपुर में रहते हैं गॉव के पास स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है वह लाचार हैं उनमें उत्साह भरना है, उनमें एक उम्मीद की किरण जगाना है। राजा साहब मंत्री जी है यह इमानदार आदमी हैं बहुत दिनों से इस विभाग को चला रहे हैं। बहुत से राजनीतिक लोगों ने इस विभाग का दोहन किया है मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो मेडिकल कालेज से डाक्टर निकलते हैं। एम0 डी0, एम0 एस0 करके निकलते हैं उनके लिए यह कानून बना दिया जाए कि दस साल तक वह बाहर नहीं जा सकते हैं उनकी पोस्टिंग गॉव में होगी, दस साल बाद वह विदेश जा सकते हैं। उससे पहले विदेश नहीं जा सकते हैं एक डाक्टर के पढ़ने में 20 लाख रुपया लगता है और वह डाक्टर सौदी अरब विदेश चला जाता है मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा कानून बना दिया जाए जो लड़के डाक्टरी करके निकलें वह ग्रामीण अंचलों में दस साल सेवा कर लें फिर विदेश जाएंगे। इसी के साथ मैं आपके आदेश का अनुसरण करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम इकबाल–

गॉवों को सुधारने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर हों, गॉव में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र हो। इसी के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूँ।

डा0 शिवप्रताप यादव–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह मानसिक रोग से ग्रस्त बीमार सरकार का बजट है इस लिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। अभी एक अभियान चला झोला छाप डाक्टरों के खिलाफ, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश में सुदूर अंचलों में डाक्टरों की बेहद कमी है, झोला छाप डाक्टरों के खिलाफ अभियान सही है लेकिन उसका सब्स्टीट्यूट तो होना चाहिए डाक्टरों की गांव में व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ मान्यवर, चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दस लाख से लेकर बीस-पच्चीस लाख का डोनेशन देकर एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। आज जो हिन्दुस्तान की

पुरानी परम्परा थी, जहां धन्वंतरि जैसे वैद्य थे, राज बैद्य थे, नैचुरोपैथी पर महात्मा गॉधी जी ने बहुत से रोगों को दूर करने के लिए एक सपना देखा था आज उस सपने को बचाने का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। जबकि वैस्टर्न कन्ट्री में नैचुरोपैथी की तरफा ध्यान दिया जा रहा है। जबकि इसमें ज्यादातर एलोपैथी की तरफ दिया गया है। अगर नैचुरोपैथी की तरफ कदम बढ़ायेंगे तो इससे पैसा कम खर्च होगा और उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नैचुरोपैथी सेन्टर न्याय पंचायत में खेले जायें। जो पुराने रोगी हैं उनको इससे मुक्ति मिल सकती है।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। हमारे यहां पंचपेड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खस्ताहाल है। वहां पर महिला चिकित्सक नहीं है। एक्स-रे मशीन है लेकिन बिजली लाइन की खराबी के कारण चल नहीं रही है। कोई आपरेटर नहीं हैं, सर्जन नहीं है। वहां पर एक फार्मेसिस्ट चौदह-पंद्रह साल से पोस्टेड है जो गेट के अन्दर बोर्ड लगाकर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहा है। पी0 एच0 सी0 गैसड़ी में डा0 सीता राम सिंह है जो चौदह पंद्रह साल से यहां कुन्डली मारकर बैठे हैं। सुबह वाली ट्रेन से पहुंचते हैं और शाम को चले जाते हैं। जिला अस्पताल बलरामपुर नव सृजित जिला है, वहां पर जिला अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। न सर्जन हैं और न अन्य सुविधाएं हैं। वहां पर मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री चंद्रदेव राम यादव करैली–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैं आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर क्षेत्र से जीतकर आया हूँ। मान्यवर, प्रदेश में सबसे ज्यादा बुनकर समाज इसी विधान सभा क्षेत्र में रहता है। वहँ पर टी0 बी0 रोगी के मरीज बहुत ज्यादा पाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुबारकपुर में बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकर हैं, 60-70 प्रतिशत लोग टी0 बी0 से ग्रसित हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि टी0 बी0 का अस्पताल अलग से बनाया जाय ताकि वहाँ बुनकर समाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए व्यवस्था हो। मान्यवर, इसी विधान सभा क्षेत्र बढ़हलगंज अस्पताल है। मान्यवर, वहां पर मशीनें पड़ी हैं और अच्छी हालत में हैं लेकिन डाक्टर न रहने की वजह से लोग साँप काटने से मर जाते हैं उनका इलाज नहीं हो पाया मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बढ़हलगंज जीर्णशीर्ण हो गयी है उसको ठीक करवाकर डाक्टर की व्यवस्था करायें।

मान्यवर, आजमगढ़ में महिला अस्पताल की एक बिल्डिंग बनी हुयी है। वहां पर एक डाक्टर हैं लेकिन मान्यवर, वहां पर एक-एक भी महिला डाक्टर नहीं है। वहां पर हम लोग आजमगढ़ के सी0 एम0ओ0 को चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मान्यवर, जब किसी को वहां पर कोई कुत्ता काट लेता है तो जो उसके लिए सुई लगा करती है वह एक-एक महीने तक लापता रहती है। कितने ही लोग कुत्ता काटने से मर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के जो हमारे सी0 एम0ओ0 हैं उनको हम लोगों ने लिखकर दिया। वह वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था करें। सरकारी पैसा पड़ा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अस्पताल

में कोई मरीज नहीं है। वहां पर कोई मरीज नहीं रह पाता है। वहां की स्थिति दयनीय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वहां का भस्पताल काम का नहीं रह गया है। इसका कारण यह है कि वहां का सी0 एम0 ओ0 अच्छा नहीं है। आपने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है वह गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए दलितों के लिए मैं उस पर बल देता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया हे उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा है कि प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य, समृद्धि की जिम्मेदारी कल्याणकारी सरकार की होती है। कल्याणकारी राज्य का दायितव है जनस्वास्थ्य की रक्षा करना लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा हैं और विगत वर्षों में यह देखने को मिल रहा हैं कि इस दायित्व के प्रति सरकार संवेदनहीन होने का काम कर रही है। और संभवत: स्वास्थ्य सेवाऐं सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं रह गयी हैं। किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक व्यक्ति और दूसरी व्यवस्था लेकिन विडम्बना यह है कि व्यक्ति व्यवस्था को दोषी ठहराता है और व्यवस्था व्यक्ति को दोषी ठहराती । जबकि दोषी दोनों हैं और इसी का शिकार ये स्वास्थ्य सेवाएं हुयी है। लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं लेकिन लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ अपनी कमियों-खामियों को नहीं देखा जाता। अगर ऐसा हो गया होता तो यह नारा नहीं होता कि "हेल्थ टू आल बाई टू थाउजेण्ड।" सभी को स्वास्थ्य दो हजार पीढ़ी तक दे दिया जाएगा। बोझिल मन से तथा कुन्द हथियारों से मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता।

जब इस विभाग में सीमित साधन थे तो उस समय प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के लोगों में मृत्यु दर को घटाया, औसत आयु को बढ़ाया, संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाई । लेकिन प्रान्तीय सेवा संवर्ग जो इस विभाग की रीढ़ है वह इस समय बीमार है। सन् 1973 में इसका कैडर रिव्यू हुआ था। 73 के बाद 30 वर्ष बीत गये इसमें कैडर रिव्यू नहीं हुआ। न जाने कितने गुना जनसंख्या बढ़ गयी मरीजों की तादाद बढ़ गयी लेकिन जो स्वीकृत पद हैं वह उतने के उतने ही रह गये। उनके बल पर बड़े-बड़े लक्ष्य हासिल करना कैसे सम्भव है। मैंने इसलिए कहा कि यह विभाग अब प्राथमिकता पर नहीं रह गया है। आप से पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने ऐसा कर के दिखाया कि गवर्नमेन्ट हास्पिटलस में सब चीज पर यूजर्स चार्ज लिये जाने लगे हैं। आप गवर्नमेन्ट हास्पिटल्स को एट पार टू नर्सिंग होम बनाना चाहते हैं। प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए, नर्सिंग होम बन्द होने चाहिए यह बात आ रही है।

मान्यवर, डाक्टर की कमी को जरूर उजागर करना चाहता हूँ, व्यवस्था की कमी की चर्चा अपनी जगह पर है। यह हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि पूरा जो आपका विभाग है वह कार्यवाहक चल रहा है। दो-दो महानिदेशक के पद रिक्त हैं। निदेशक के आधे से ज्यादा पद रिक्त है, अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद रिक्त हैं। क्लास-2 के 6800 डाक्टर हैं। बिना

किसी प्रमोशन के वह चल रहे हैं। पूरे सेवा काल में चपरासी भी बाबू बन जाता है लेकिन जिसने क्लास-2 में डायरेक्ट ज्वाइन किया है वह बिना किसी प्रमोशन के रह जाये तो जिसने सेवा में आने पर सपना देखा होगा वह नौजवान कैसे सेवा के प्रति कटिबद्ध होगा। कैसे त्याग और सेवा भावना से कार्य करेगा। इसलिए जो आने वाले लोग हैं उन्होंने आने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था का जरिया ढूंढ़ लिया है। आज आप के सरकारी अस्पतालों में बेड आक्यूपैन्सी आधी रह गयी है। आपने कोई सर्वे कराया है। पी0 एच0 सी0 पर बेड आक्यूपेन्सी शून्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से वर्ल्ड बैंक से समय-समय पर जो पैसा मिलता रहता है लूटा जाता रहा है। एक महत्वाकांक्षी योजना यू0 पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट है यह 478 करोड़ रुपये की योजना है। अगर आप ईमानदारी की नियत से काम करेंगे तो निश्चित रुप से वह योजना सफल होगी नहीं तो जो पहले की योजनाओं का हस्र हुआ है वही हस्र इसका भी होगा। मान्यवर, शिक्षा में 650 करोड़ रुपये लूटकर खा गये लोग। उनके नाम उजागर करने की आवश्यकता है। यह पैसा खाने वाले कौन लोग थे ? जो स्वैच्छिक संगठन के लोग इसे चलाते हैं वह पैसा खा गये। इसकी मानीटरिंग नहीं की गयी कि जन्म दर में इससे कितनी कमी आई, मृत्यु दर में कितनी कमी आई और शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई ?

मान्यवर, यह जो 478 करेड़ रुपये की योजना मिली हुई है, यह विश्व बैंक से लोन मिला हुआ है। हो सकता है आगे चल कर यह लोन माफ हो जाये लेकिन जो भी आप खर्च करेंगे उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाये गये हैं वह पिक एण्ड चूज कर के बनाये गये हैं। तो ऐसे में उस कार्यक्रम का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा। जो खरीददारी हो रही है उस पर निगाह डालें। मैं ई0 एन0 टी0 का सर्जन हूं जो इसमें कान के आपरेशन के लिए 10 हजार की किट खरीदी जाती है वह अगर मैं बजार में जाऊं तो डेढ़-दो हजार में मिल जायेगी। जो टेम्पों ट्रैवलर्स एम्बूलेन्स खरीदी गयी हैं।

वह एम्बूलेंस हमारे कुशीनगर जनपद में भेजी गयी है इसके लिए पूरे प्रदेश में 28 जनपद चयनित किये गये हैं। क्या उस एम्बूलेंस से सुदूर ग्रामीण इलाके में कोई कार्य हो पायेगा। 7 रुपया कि0 मी0 के हिसाब से मरीज को उस पर चार्ज देना है। इस तरह से उस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मुझे भय है कि इस पैसे को भी इसी तरह से लूट लिया जोयेगा, ट्रेनिंग में खर्चा हो जायेगा। आप पता लगाइये कि कितना रुपया यू0 पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत कितने अधिकारी विदेशों के भ्रमण पर गये हैं और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ है जन्म दर 3.99 परसेन्ट है और 2.1% लायेंगे वाई 2016 तक परिवार कल्याण सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसके तहत जब तक जवाबदेही नहीं निर्धारित की जायगी जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की जायेगी तब तक ऐसे ही बजट भाषण पढ़े जायेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसमें किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता लेकिन निश्चत तौर पर मैं व्यवस्था को दोषी ठहराता हूँ।

ब्लाइण्डनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी विश्व बैंक की परियोजना है और पूरे प्रदेश में मात्र 14 आई सर्जन की पोस्ट है। हमारे साथी ने कहा कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके द्वारा डाक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं नई विधि से आपरेशन करने के लिए। मान्यवर, प्रदेश में 22 लाख कैट्रेक्ट के रोगी हैं जो अंधता के शिकार हैं। आज अंधता का प्रतिशत है 1.58 जिसका लक्ष्य .33 प्रतिशत पर लाने के

लिए हम तत्पर हैं लेकिन कैसे सम्भव होगा, आप ट्रेनिंग पर भेजते हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि जो नौजवान ट्रेनिंग लेकर आया है वह वास्तव में आपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर करते होते ता भैरावा नेपाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सस्ते दाम पर लेंस का प्रत्यारोपण न करवाते।

मान्यवर, देवरिया कुशीनगर जनपद सन् 94 में बना है लेकिन आज तक वहां जिला अस्पताल नहीं बना है जब जिला अस्पताल बनता है तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं वैसे ही पद सृजित किये जायेंगे। मान्यवर, जो नियत दिवस विशेषज्ञ सेवा कार्यक्रम है वह भी नहीं चल पा रहा है। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, अन्त में कहना चाहता हूँ कि गम्भीर रोगियों के लिए आपके बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। लोग हम लोगों के पास अनुदान के लिए आते हैं क्योंकि मरीज हार्ट सर्जरी के लिए जाते हैं इन्जियोंग्राफी के लिए और अन्य प्रभाग के लिए एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 जाते हैं तो उनको वहाँ इस्टीमेट दे दिया जाता है लेकिन उनके लिए आपकी और से कोई व्यवस्था नही है दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत हो रही है। केवल गोरखपुर में 1500 से लेकर 1800 तक हेड इन्जरी के कैसेज आते हैं और आपके पी0 एम0एस0 में केवल दो न्यूरों सर्जन की पोस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में सैक्शन हैं। इसलिये आपसे उम्मीद हैं कि आप उस पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सुश्री आशा किशोर–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। स्वास्थ्य मानव समाज की मूल आवश्यकता है परन्तु हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर उदासीन है। आज अस्पतालों की हालत यह है कि सफाई के नाम पर किसी भी अस्पताल में कोई कार्य नहीं होता। अस्पताल के अन्दर कमरों के अन्दर सीलन से भरे हुए, फटे हुए बिस्तर, गंदे चादर हैं। जहां गरीब एक बीमारी लेकर आता है तो चार बीमारी लेकर जाता है। ग्रामीण अस्पतालों में न डाक्टर हैं, न कम्पाउंडर हैं, और न दवाइयां हैं। अगर कोई अस्पताल जाता है तो न डाक्टर मिलते हैं और न कम्पाउंडर। घंटों इन्तजार के बाद जब कम्पाउंडर आता है गंभीर हालत देखकर उसे जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। हमारे गांव की जो गरीब जनता है जिला अस्पताल जाने के लिए न उसके पास साधन हैं न पैसा। हमारे सलोन विधानसभा में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न डाक्टर हैं न कम्पाउंडर - महिला डाक्टर किसी में हैं ही नहीं। हमारी महिलाएं जब अस्पताल पहुचती है तो वहां महिला डाक्टर न होने के कारण केस खराब हो जाते हैं और जिला अस्पताल भेजने के लिए न तो वहां कोई साधन हैं उन्हें ट्रैक्टर पर लादकर जिला अस्पताल पहुंचा जाता है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा केस खराब हो जाते हैं।

मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि हमारे सलोन में एक महिला अस्पताल खोला जाये और जो अस्पताल खुले हैं वहां महिला डाक्टर को कड़े निर्देश दिये जायें। मैं मांग करती हूं कि तहसील स्तर पर एक एम्बूलेंस की व्यवस्था की जाये जो मरीज को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के काम आये

और सलोन में महिला अस्पताल खोलने का प्रबन्ध किया जाये। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री विद्या सागर गुप्ता--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे मौका दिया। मैं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान 2-3 बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में जो टी0बी0 के सेंटर चल रहे हैं वह बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहे हैं जो मरीज वहां रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को कम से कम 80 प्रतिशत उनके रिजल्ट सही पाये गये हैं। मेरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश में सेंटर्स की संख्या कम से कम दुगनी कर दें और लखनऊ में जो 12-13 चल रहे हैं उनको भी दुगना करना चाहिए उससे जो टी0बी0 की बीमारी बढ़ रही है काफी सहायता मिलेगी।

दूसरा मान्यवर, प्रदेश में लाखों मरीज कैंसर से ग्रसित हैं जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू हो जायेगा वही मरीज बच सकता है। 10-20 साल के लिए जीवनदान मिल सकता है किन्तु मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज में रेडियो थिरेपी की एक मशीन है। अगर कैंसर का मरीज अपने आपको रजिस्टर्ड करवाता है तो 3 महीने बाद उसका नम्बर आयेगा। मेरे पास एक मरीज आया था उसके लिए मैंने मेडिकल कालेज में फोन से बात की तो उन्होंने बताया 3 महीने बाद नम्बर आयेगा। 3 महीने में तो मरीज भगवान को प्यारा हो जायेगा। इसलिए आपसे निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक कोबाल्ट मशीनें हों। लखनऊ मेडिकल कालेज में दो कोबाल्ट मशीनें लग जायें तो उससे मरीज की जान बचायी जा सकती है।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि बर्न यूनिट की मेडिकल कालेज, लखनऊ में काफी दिनों से डिमान्ड चल रही है। हजारों मरीज साले भर में इसलिये मर जाते हैं कि यहाँ पर सेपरेट बर्न यूनिट नहीं है। तमाम जले हुये मरीज बरामदों में पड़े रहते हैं। जिनमें 50-60 प्रतिशत बर्न इंजरी के मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है, उनके घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, कम्पाउन्डर भी उनको हाथ लगाना पसन्द नहीं करता। यहाँ के मेडिकल कालेज में पूरे उत्तर प्रदेश के जले हुये मरीज आते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके, पूरे उत्तर प्रदेश के लिये मेडिकल कालेज, लखनऊ में एक बर्न यूनिट का प्रबन्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और मान्यवर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर,आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट अनुदान संख्या-32,33,34,35 तथा 36 के संबंध में कटौती प्रस्ताव माननीय अवधेश प्रसाद और दीनानाथ जी तथा अन्य सदस्यों ने जो बातें रखी है, पर बल देने के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, वास्तव में स्वास्थ्य पूरे समाज का एक प्रमुख विषय है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को राज्य का कर्तव्य बताया गया है। किसी भी समाज के स्तर का पैमाना उसके सुख स्वास्थ्य और समृद्धि के आधार पर ही आंका जाता है। इस लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के तहत आजादी के 54 साल बाद भी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो और प्रदेश के कुल बजट में मात्र 24

फीसदी हिस्सा लोक स्वास्थ्य कें लिए ऐलोकेट किया गया हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। सभी सम्मानित सदस्यों चाहे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, बड़ी साफगोई के साथ सब ने इस बात को रखने का काम किया है। मान्यवर, नयी स्वास्थ्य नीति 2002 की घोषणा हुई और उसमें 2015 तक सबको स्वास्थ्य पहुंचाने की बात कही गयी है। लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किस तरह यह सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे ? मौजूदा जो स्वास्थ्य बजट है इस बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन और भत्ते में जा रहा है। मात्र 3 फीसदी बजट औषधियों के लिए रखा गया है और इस प्रदेश की आबादी 17 करोड़ है कैसे सब तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सकेगी यह स्वत: स्पष्ट है। सदन के पक्ष और विपक्ष के साथियों ने इस बात को साफ तौर से कहा है कि उनके संबंधित पी0एच0सी0 और जिला चिकित्सालयों में तमाम डाक्टर अनुपस्थित पाये गये। इसके अलावा ग्रामीण स्तर की पी0एच0सी0 में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते और शहरी जिला चिकित्सालयों में डाक्टरों द्वारा प्राईवेट प्रैक्टिस रोकने के निर्देशों के बावजूद सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 31 जुलाई, 2002 तक उपकरण एवं मशीनों पर मात्र 0.67 प्रतिशत खर्च किया गया है। यह उसी का नतीजा है कि केन्द्र सरकार और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से जो वैक्सिन हमें मिलते हैं, आप उन्हें सही रूप से संरक्षित नहीं रख पाते। इसी का नतीजा है कि इस वर्ष माह अगस्त तक पल्स पोलियो अभियान में देश में 254 और उसमें से उत्तर प्रदेश में 222 केस पाये गये। इन 222 में से 189 वायरस पी-1 तथा 33 वायरस पी-3 के थे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अम्बेदकर नगर जिला संक्रमण का सबसे बड़ा पाकेट के रूप में पाया गया। इसी सिलसिले में यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 में देश में पूरे वर्ष में 268 की संख्या थी और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 216 थी। मैं और यह पूरा सदन आपसे अपेक्षा करता है कि इन तमाम चीजों और विभिन्न योजनाओं को हम जब चलाने की बात करते हैं लेकिन यदि इनको पूरी साफगोई से रखने का काम जब तक नहीं करेंगे, तब तक स्वास्थ्य सुविधा को सभी आमजन तक उपलब्ध नहीं करा पायेंगे. . .'

मान्यवर जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करने की बात कही गई है। लेकिन आज इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एलोपैथी दवाओं में खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि अंग्रेजी दवायें ज्यादा महंगी होती हैं क्योंकि इन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता, पेट्रोल एवं रासायनिक विभाग द्वारा इन पर नियन्त्रण होता है। इन सब के बावजूद भी बजट का 45 प्रतिशत हिस्सा अभी भी एलोपैथिक मेडिसिन पर खर्च किया जा रहा है वहीं पर आयुर्वेद एवं यूनानी के लिए 10 प्रतिशत तथा होमियोपैथी के लिए 5 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य पर 13 प्रतिशत एवं परिवार नियोजन पर 23 प्रतिशत का प्राविधान है। हास्यास्पद बात तो यह है कि अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं अन्य सीनीय प्रणालियों का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसे पूरी तरह से नकार दिया गया है और उ0 प्र0 के इस बजट में योगा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का नाम तक नही है। आप महंगी एलोपैथिक मेडिसिन को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बजट में आप इसका प्रावधान कैसे कर पायेंगे।

मैं तमाम चीजों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मा0 अध्यक्ष जी इतनी बात फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन सब के बावजूद आपके विभाग ने सदन के समक्ष आपका बजट क्या है, इसका पता आपके बजट साहित्य से लग जाता है। 2000-2001 में आडिट आपत्तियां

2733 प्रस्तुत की गई और 757 आपत्तियां नई जुड़ गई, कुल 3490 हुई और आपके माध्यम से कुल 105 आपत्तियों का निस्तारण हुआ और 3385 आपत्तियां शेष रह गई जो अभी तक पड़ी हैं। 2001-2002 में आडिट आपत्तियां थी 3385, इसमें 782 आपत्तियां और जुड़ गई और कुल 4161 आपत्तियां हो गई और आपने निस्तारित किया सिर्फ 101 को 4066 आपत्तियां शेष रह गयी। इसी तरह से 2002-2003 में आडिट अपत्तियां हैं 4066 और इसमें 61 आपत्तियां और जुड़ गई कुल हुई 4127 आपत्तियां हैं कुल 4 हजार एक सौ सताईस आपत्तियां अभी तक अधूरी पड़ी हैं। यह आपके विभाग की प्रगति का स्वमेव दर्पण है। आप विभाग में मौजूद चिन्हित विसंगतियों को भी दूर करना नहीं चाहते। आडट आपत्तियां आपके लिये कोई मायने नहीं रखती।

मान्यवर, सरकारी अस्पतालों पर इन्होंने कोई प्रभाव नहीं बनाया। मान्यवर, जहाँ तक इन्सीनेटर का सवाल है तो 2000-2001 में 344 का लक्ष्य रखा था और केवल 02 अस्पतालों में आपने इन्सीनेटर लगाने का काम किया है, 2001-2002 में 63 इन्सीनेटर का लक्ष्य परन्तु एक भी नहीं लगाया और 2002-2003 में 80 इन्सीनेटर का लक्ष्य रखा है, मान्यवर, इस तरह सदन को गुमराह करने के लिए झूठे लक्ष्य रखे हैं। मान्यवर, इन तमाम चीजों के साथ-साथ मैं मेडिकल फार्मेसिस्ट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, इस सदन में आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में यू0पी0 फार्मेसी कौंसिल से कितने फार्मेसिस्ट पंजीकृत हैं। 31 मार्च, 2002 तक 26851 फार्मासिस्ट काउंसिल में पंजीकृत हैं और लगभग 75000 औषधि विक्रेता रजिस्ट्रर्ड हैं। आपके 70 जनपदों में 17 करोड़ की आबादी है। मैंनेआपसे पूछा कि कितने विक्रेताओं को लाइसेंस दिए हैं। आपने विस्तारिता के आधार पर निरस्त कर दिया। परन्तु यह हकीकत है कि पूरे प्रदेश से कहा केवल 70 जनपदों में लगभग 75 हजार विक्रेताओं को लाइसेन्स दिए गये और पंजीकृत फार्मेसिस्ट की संख्या यू0पी0 फर्मेसी काउन्सिल में 26851 हैं। आप किस तरह से एक-एक फार्मासिस्ट के नाम पर पाँच-पाँच, दस-दस विक्रेताओं को लाइसेन्स देने का काम कर रहे हैं और ऐसा करके भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।

एक समय वह था जब ड्रग लाइसेन्स निर्गत किये जाने की व्यवस्था सी0एम0ओ0 के द्वारा की जाती थी। परन्तु अब पूरे प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी और 70 जनपदों में केवल 16 लोगों को ही दवा विक्रेताओं को लाइसेन्स देने का अधिकार दिया गया है। 17 करोड़ जनसंख्या, 70 जनपद और मात्र 16 अधिकारी प्रदेश में दवा विक्रेताओं को लाइसेंस देने का काम संभाले हुए हैं । ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट की धारा 50 (ए) के अंनुसार फार्मास्युटिकल विशेषज्ञ या फार्मास्युटिकल ग्रेजुएट होना चाहिए लेकिन पैसा लेकर लाइसेंस निर्गत करने का अधिकार पैथोलोजिस्ट को दे दिया । यह काम आपके पूर्व मंत्री जी ने खुले आम किया । जो ड्रग इन्सपेक्टर आपके साथ हैं केवल वही कन्ट्रोलिंग एथारिटी हैं । ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 49 (ए) में ड्रग इन्सपेक्टर को कण्ट्रोलिंग अथारिटी बनाया गया है । मान्यवर, 1979 से जो लोग औषधि की दुकान चला रहे थे उन्हें क्वालीफाइड मान लिया गया था । मेरा सुझाव है कि जिन दवा विक्रेताओं को दुकान चलाते 10 साल हो गये हैं उनकी जो बी0 फार्मेसी कालेज हैं उनमें 3 महीने का फार्मेसी समर ट्रेनिंग के कोर्स का प्राविधान करके मान्यता दे दें तो 16 लोगों के एकाधिकार पर कुठाराघात करने में आप सक्षम हो पायेंगे । मेरे तमाम सम्मानित साथियों ने आपके सामने इस बात को रखने का काम किया और आपने स्वयं स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम

डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत 478.07 करोड़ रुपये का विश्व बैंक से ऋण लेकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें देने की बात कही है । लेकिन इसकी अदायगी कैसे होगी ? इस ऋण अदायगी का बोझ प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका उल्लेख आपने नहीं किया ? स्टेट इनोवेशन इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एजेन्सी के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपया यू0 एस0 एड के रूप में खर्च करने का काम किया । मान्यवर,यह 600 करोड़ रुपये का गबन करने वाले तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का कोई उल्लेख नहीं है । 17 करोड़ की आबादी के बजट को जुटाने का काम बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है ।

विश्व बैंक का 300 करोड़ रुपया जो स्टेट एड्स कण्ट्रोल आर्गेनाइजेशन को दिया गया उसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है । वडवल्र्ड बैंक के 15.30 मिलियन डालर जो राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम के लिए मिला, उसका भी कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है । कैटेरेक्ट ब्लाइन्डनेस एलीमिनेशन कण्ट्रोल के लिए 24 यू0एस0 मिलिएन डालर का उल्लेख बजट में नहीं है । इसी तरह से ट्युबरक्लोसिस कण्ट्रोल प्रोजेक्ट के 10.90 यू0एस0 डालर का जिक्र भी इस बजट साहित्य में नहीं किया गया है । यह जो मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम बताये ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सीनियर अधिकारी चला रहे हैं । अगर बजट साहित्य में उनका नाम नहीं होगा, इस सम्मानित सदन में उसका उल्लेख नहीं आयेगा तो आप उसकी मानीटरिंग किस तरह से कर पायेंगे ? मान्यवर, इन प्रोजेक्ट्स की खुली लूट हो रही है । हमारे सम्मानित डाक्टर साहब ने भी इन तथ्यों को रखने का काम किया है ।

मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम चीजों को अपने बजट भाषण के उत्तर में उल्लेख कर जवाब देने का काम करेंगे । जो पैसा आप विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं से ले रहे हैं क्या उसकी अदायगी कर पायेंगे ? यह जानकारी पूरा सदन आपसे चाहता है । इस सबके अलावा चिकित्सा शुल्क में बढ़ोत्तरी की, उसका आधा मुख्य चिकित्साधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से खर्च किया लेकिन इसके लिए आपने कोई कोड आफ कण्डक्ट तय नहीं किया, आपके पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है । मान्यवर, आप तो राजा हैं, सारी प्रजा आपकी ओर निहार रही है । आप दृढ़ निश्चय के साथ इन बेलगाम घोड़ों पर लगाम लगाने का काम करें । शफा देने का काम ईश्वर का है । लेकिन लोगों को दवा देने का काम आपका है । जन साधारण की किस तरह से खिदमत करके कम से कम उस भावना का आरम्भ करें-कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यह भावना आना चाहिये । आप मजबूती से कर्म करें । भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम करें । आप जो बड़ी खूबसूरती से बजट साहित्य से छिपाकर 15 सौ करोड़ रुपये अलग से खर्च करने जा रहे हैं उस पर नजर रखकर मानीटरिंग करके उस दिशा में कदम उठाने का काम करें और स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम दें तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। मैं इन शब्दों के साथ माननीय अवधेश प्रसाद जी ने, माननीय दीनानाथ ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, आपने चिकित्सा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी योजनायें रखी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 22, नगरीय क्षेत्रों में 12, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है । आपने दृढ़ता से, ड्यूटी से लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने

का संकल्प दिखाया है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, पहले दो-तीन जिलों के ऊपर एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी होता था बहुत दिनों से इसको बढ़ाने की मांग की जा रही थी अब आप ने हर जिले के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी की मांग को पूरा किया है जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से आयुर्वेदिक, युनानी, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक इन चारों विधाओं के छात्रों का सलेक्शन होता है। जो इस परीक्षा में नम्बर एक पर आतें हैं उनको एलोपैथिक, में प्रवेश दिया जाता है और अन्य छात्रों को होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी में जाना पड़ता है। छात्रों की इच्छा के विरुद्ध उनको दूसरी पद्धतियों में ढकेला जाता है यह प्रक्रिया सही नहीं है। आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक के लिए अलग से सेलेक्शन करिये तथा आयुर्वेदिक तथा यूनानी के लिए अलग से सेलेक्शन कीजिये। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जाये और उसे जनता तक पहुँचाया जाये। आयुर्वेदिक चिकित्सा सस्ती और निरापद है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। एलोपैथिक के साईड इफेक्ट से दुनिया परेशान हैं। जो एलोपैथिक के डाक्टर है वह स्वयं भी आज आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और इन दवाओं को अपने मरीजों के लिए लिख रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इको-फ्रेण्डली है। आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है चूँकि अयुर्वेदिक चिकित्सा मुख्य रूप से वृक्षों पर आधारित है इसलिए इको-फ्रेण्डली होने के कारण पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में सहायक है। नीम, तुलसी, पीपल आदि वृक्ष ऐसे हैं जो पर्यावरण में सुधार करने में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं।

मान्यवर, अब मैं मुख्य विन्दु पर आना चाहता हूँ । हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज बहुत कम हैं । 10 मेडिकल कालेजों में से 8 आयुर्वेदिक के और दो यूनानी पद्धति के हैं । इनमें से 330 डाक्टर प्रतिवर्ष आयुर्वेदिक और 80 डाक्टर यूनानी पद्धति के निकलते हैं । क्या आपने कभी इस बात की चिन्ता की है कि ये जो डाक्टर निकल रहे हैं वह इस प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं । मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संख्या अपर्याप्त है । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान दूसरे प्रदेशों की ओर ले जाना चाहता हूँ राजस्थान और गुजरात में लगभग 50 लाख की जनसंख्या पर एक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज है । महाराष्ट्र और कर्नाटक में 30-40 लाख लोगों पर एक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज है परन्तु अपने प्रदेश में 2 करोड़ की जनसंख्या पर एक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज है तो फिर आप कैसे बढ़ती हुई स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । आयुर्वेद में 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हम प्रारम्भ करें । इससे जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी । मंत्री जी को कुछ चीजों की जानकारी देना चाहता हूँ मैं मंत्री जी नये हैं उनकी जानकारी में सम्भवत: यह विषय नहीं है । हमारे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के साथ किस प्रकार से पिछले वर्षों से दोषपूर्ण नीति चली आ रही है । प्रदेश के अन्दर यूनानी का चार वर्षीय डिप्लोमा कार्य चल रहा है । उससे दिक्कत नहीं है । छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है । आयुर्वेद में 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है उस पर रोक लगी हुई है । उनके छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है । इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

डा0 इन्द्र देव सिंह--

इस प्रदेश के अन्दर जब कांग्रेस की सरकार थी तब से आयुर्वेद के साथ कुचक्र चल रहा है । उसकी तरफ ध्यान देना होगा । जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनमें आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा । मैं संक्षेप में एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हर आयुर्वेद मेडिकल कालेज के साथ विभाग आयुर्वेद की फार्मेसी होती है । आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में गोमूत्र, गोदुग्ध, गाय का घी पड़ता है, गाय का गोबर भी आवश्यक होता है । बहुत सी विषैली वनौषधियों के शोधन हेतु गोमूत्र की आवश्यकता होती है । अन्यत्र से मंगाना होता है लाने वाला गोमूत्र के स्थान पर कहीं स्वमूत्र न लाकर दे दे । इसलिए हर आयुर्वेद मेडिकल कालेज के साथ गौशाला अनिवार्य कर दें । यह निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

डा0 इन्द्रदेव सिंह--

मेरे क्षेत्र में एक सी0एच0सी0 अफजलगढ़ है । उस सी0एच0सी0 पर लगभग 4 लाख जनसंख्या का भार है । वहां पर सिर्फ एक चिकित्सक है । एक एक्सरे मशीन है, जिस पर कोई टेक्नीशियन नहीं है । मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्था कराएं । इसमें मंत्री जी का मैं दोष नहीं दे सकता इन्होंने अभी कार्यभार संभाला है । उन विसंगतियों का दूर करने का प्रयास करेंगे । लेकिन मंत्री जी ने जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है इसलिए मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*श्रीमती गीता सिंह--

अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष से हमारा अनुरोध है कि मेडिकल एक ऐसा विषय है जहां 0 प्रतिशत टोलरेंस होना चाहिए । हमने करीब से देखा है, अमीरी गरीबी शासन प्रशासन हर स्तर को जाकर देखा है। अगर आपकी पहचान नहीं है, आपके पास कीमत नहीं है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। जहां माननीय संवेदनाओं का रिश्ता है वहां हैसियत, वहां पर पोस्ट, वहां पर जाति देखते हैं। इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने मेडिकल को करीब से देखा है। यहां स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी आपकी पहुँच आपकी जान पहचान के आधार पर काम करते हैं। दर्द कितना है उससे मतलब नहीं है। वह देखते हैं कि आप उनको कितना काम दे सकते हैं। मैंने एक बार एक आई0 ए0 एस0 जो हेड आफ डिपार्टमेंट थे, उनसे एक इमरजेन्सी में मरीज को देखने के लिये चलने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है और वे मेरे साथ गये। वहां पहुंच कर उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल एज्यूकेशनल हेल्थ सेक्रेट्री हूँ, वहां पर उन्होंने कहा कि क्या मतलब यहां से बाहर निकलिये। मान्यवर, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वह आई0 ए0एस0 अधिकारी कहने लगे गीता अगर मैं टेलीफोन करके आता तो व्यवस्था अच्छी मिलती। सवाल यह नहीं है, वह बात करके जाते तो सम्मान मिलता। मान्यवर, आज बात इसकी नहीं है, जब एक बड़े अधिकारी का यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा ?

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इमरजेन्सी में फर्स्ट एड की व्यवस्था सरकारी लेविल पर सरकारी धन से होनी चाहिए। जहां पर थोड़ी सी देख-रेख से जान बचाई जा सकती है। आगे इलाज के लिये तो बहुत से रास्ते हैं आदमी अपने को कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी गिरवी रख सकता है लेकिन फर्स्ट एड की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। इसी तरह से मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इमरजेन्सी में एम्बुलेंस हर मिनट हर सेकेन्ड में उपलब्ध रहनी चाहिए। जिन्दगी और मृत्यु में मिनट भर का फासला हो गया तो जिन्दगी की कहानी खत्म हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्रीमती गीता सिंह–

ऐसी कहानी, ऐसी जिन्दगी के जो रिश्तें हैं उनमें टोलरेंस जीरो प्रतिशत होनी चाहिए। जरा सी भी कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिनकी लापरवाही से किसी मासूम और किसी बेगुनाह की जिन्दगी का अन्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री रामकृष्ण–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य जैसे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध गरीबों और अमीरों सबके लिये है। यह विभाग ऐसा है कि पैदा होने से मरने तक सबसे जुड़ा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज की विषम परिस्थितियों में जो कि आर्थिक कमजोरी है, उसको देखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत सराहनीय है, इस बजट में बहुत सी अच्छाइयां बताई गई हैं लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने कुछ बुराइयां भी बताई हैं। मैं भी मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूँ आज जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से हमारे पास मेडिकल कालेज और अस्पताल नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल या और जो संस्थान हैं जहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात है, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, आप भी मेडिकल कालेज में जाते होंगे। देखा होगा कि वहां पर बैठने के लिये, लेटने के लिये जगह नहीं है। मरीज इस प्रकार से पड़े हैं। डाक्टर वहां हैं, मैं इनके बारे में कोई बुराई नहीं करना चाहता। जहां अच्छे डाक्टर हैं, वहां खराब भी हो सकते हैं। मैं डाक्टर को अच्छा कहता हूं। लेकिन मान्यवर मेडिकल कालेज में जाकर देखिये वहां गरीबों की क्या हालत है, उसको सुधारने का काम कीजिये। हमारे और साथियों ने सीतापुर या अन्य जिलों में पागल कुत्ते के काटने पर जो इन्जेक्शन लगता है, उसके अभाव की बात कही। मान्यवर, यह सही है कि आज इस तरह के इन्जेक्शन की कमी है और इसको बहुत ही महत्व देना चाहिए। मैं जिला सीतापुर के जिस क्षेत्र से आता हूं सीतापुर जिला अस्पताल में हार्ट के पेशन्ट के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। डाक्टर अच्छे नहीं हैं। वहां पर अच्छे डाक्टर की पोस्टिंग करें। 10-15 साल से डाक्टर एक जगह पर जमे हैं उनका धंधा चल जाता है, प्रैक्टिस चल जाती है तो प्राइवेट दुकानें खोल लेते हैं। यहां पर सभी अधिकारियों और माननीय मंत्री जी बैठे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। प्रतिबन्ध लगना चाहिए कि इतने दिन तक नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीतापुर में मिश्रिख और नैमिषारण्य में अस्पताल खुलना चाहिए। हमारे यहां बहुत से लोग आते हैं सीतापुर में एक्सीडेंट होते हैं, दस-दस लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, पोस्टमार्टम में काफी समय लग जाता है, तो वहां अस्पताल खुलना

चाहिए। वहां जिला में एक डाक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि समय से जो पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है वह हो सके।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में मुख्य कस्बा सन्दना हे, थोड़ी दूर पर रामगढ़ चीनी मिल है। सन्दना में 20 बेड का अस्पताल बनाया जाय । यह क्षेत्र नैमिष से जुड़ा हुआ है ।

मान्यवर, जिला सीतापुर सदर अस्पताल में टी0 बी0 अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब है। गरीबों को एक्सरें की सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। तुरन्त एक्सरे मशीन ठीक कराई जाय।

मान्यवर, अस्पतालों में 7 रुपये का पर्चा बनाया जाता है । ज्यादातर गरीब अस्पताल में जाते हैं । कीमत 2 रुपये में पर्चा बनाया जाय ।

मान्यवर, जिला अस्पताल में कम से कम 50 बेड का हाल बनाया जाय।

मान्यवर, जिला अस्पताल में सिटी स्केन की व्यवस्था कराई जाय।

मान्यवर, पोस्टमार्टम के लिए एक डाक्टर की स्थायी नियुक्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण–

जो तीन पी0 एच0 सी0 और दो एडीशनल पी0 एच0 सी0 हैं वहां की व्यवस्था सही नहीं है। शहरों और कस्बों में तो बड़े लोग दवाइयाँ खरीद लेते हैं लेकिन गरीबों के पास पर्चे बनवाने की व्यवस्था नहीं है तो गांव में दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिले की अपेक्षा गांव में भी दवा की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण–

मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूँ भाषण नहीं दे रहा हूँ। भाषण वाले उधर सदस्य बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये उनको समय नहीं दिया गया।

श्री रामकृष्ण–

इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि दलित समाज से जो डाक्टर और अधिकारी हैं समय से उनका प्रमोशन होना चाहिए। समय से उच्च स्थानों पर पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि भेद-भाव न हो। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विपक्ष के साथियों ने जो काटने का काम किया है। यह बजट चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ा है तो इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें जनहित में इसे काटने का प्रयास न करें, जोड़ने का काम करें।

श्री महेन्द्र सिंह राजपूत--

मान्यवर, आपने अवधेश प्रसाद जी द्वारा और दीना नाथ भास्कर जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र भी नजदीक है । जो जिला चिकित्सालय है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है और जिला मुख्यालय भी है।

इटावा में, मान्यवर, डा0 भीम राव अम्बेडकर चिकित्सालय जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी का उन्होंने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में, जहां आस-पास पचासों किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं था वहां की जनता को ग्वालियर और कानपुर जाना पड़ता था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने डा0 भीम राव अम्बेडकर चिकित्सालय बनवाया । स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र वहां से 30 किलो मीटर के बीच में है उनके क्षेत्र के मरीज इटावा जिला चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए आते हैं और इलाज करा भी रहे हैं, वह जिला चिकित्सालय जहां दबे कुचले लोगों के लिए, दलित भाइयों के लिए उस अस्पताल का निर्माण कराया मा0 मुलायम सिंह जी ने माननीय नेता सदन नही है आज सदन में उस समय प्रदेश की मुख्य मंत्री थी इन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिला चिकित्सालय का उद्घाटन किया है और उसका नामकरण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था । डा0 भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय, इटावा में। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर पार्क के नाम पर, उन बड़े अधिकारियों और बड़े लोगों के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है लेकिन उस अस्पताल के लिए आज दिन तक एक भी पैसा देने का काम नहीं किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। उस अस्पताल की हालत खराब है। छत अधूरी पड़ी है। सरिया सीमेन्ट उठवा लिया गया है। उसमें न तो एक्स-रे मशीन हैं और न ही बिजली ही रहती है, जनरेटर की सुविधा है वह तो चलता ही नहीं है। मैंने जब सी0 एम0 एस0 से बात की तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं है। मरीज रात भर अंधेरे में बैठने का काम करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी कृपा हो जाय तो उस अस्पताल का काम पूरा हो जायगा।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर अपनी सुविधानुसार जाते है। जो प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र इन्टीरियर में हैं वहाँ पर तो जाते ही नहीं हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र महेवा और उदी है वहाँ पर डाक्टर नहीं हैं। केवल एक फार्मेसिस्ट के सहारे चल रहा है। मान्यवर, वहाँ की जनता जो दलित अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के लोग हैं जो चाहे फीवर के मरीज हों पेट के मरीज हो चाहे दर्द के मरीज हों। जो फार्मेसिस्ट है, वह एक डिब्बे में दवा लेकर बैठता है और सबको एक ही दवा दे देता है तो यह हालत है स्वास्थ्य केन्द्रों की । इस पर ध्यान दें और इटावा में जो डा0 भीम राव अम्बेडकर के नाम से अस्पताल बना है उसको जरूर पूरा कराने का कष्ट करें । इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी रहूँगा । इसी के साथ जो माननीय अवधेश प्रसाद जी और माननीय दीना नाथ जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*सुश्री राज लक्ष्मी वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । मान्यवर, सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया उस समय एक श्लोक चलता था--

"हेल्थ इज वेल्थ एण्ड वेल्थ इज गाड"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका अर्थ यह हुआ कि तन्दुरुस्ती ही धन है और धन ही ईश्वर है । परन्तु आज के बढ़ते आधार पर न कोई पौष्टिक आहार शुद्ध मिल पाता है, न ही वातावरण शुद्ध है और रासायनिक अनाज की वजह से कोई न कोई अवश्य रोग से ग्रसित है । मान्यवर, ग्रामों में पहले रोगियों को पुरानी पद्धति से इलाज करते थे । जो हमारी यूनानी, आयुर्वेदिक और योगा है उससे इलाज किया जाता था परन्तु आजकल हम एलोपैथी के आधार पर आ गये हैं और उसका कारण प्रदूषण है और आज किसी को एक मिनट की फुर्सत नहीं है कि एक मिनट विश्राम कर सके ।

(इस समय 7 बजे अधिष्ठाता डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है वहाँ की कुछ मांगे रखना चाहती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ के मेरे क्षेत्र में विगत भारतीय जनता पार्टी के शासन में दो सी0 एच0 सी0 बने। उनमें से एक फतेहपुर में और दूसरा सूरत गंज में। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर 5 सालों से काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, वह ग्रामीण क्षेत्र है। उसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। मान्यवर, रंबुआपुर, तिलवारी और बिखौली पी0 एच0 सी0 है। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है। वहाँ पर एक फार्मेसिस्ट था जिसका स्थानांतरण कर दिया गया है। आज वहाँ पर सी0 एच0 सी0 में ताला बंद है। मान्यवर, यह बिडम्बना ही है कि वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, कोई फार्मेसिस्ट नहीं है।

मान्यवर, ग्रामीण जनता स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर आवागमन का साधन नहीं है। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो उसे मुख्यालय आने का कोई साधन नहीं है। इस तरह से वहां की जनता परेशान है। कुछ जगहों पर तो एक भी महिला डाक्टर नही है और न ही पी0 एच0 सी0 और सी0एच0सी0 है। यह क्षेत्र है रामपुर, कटरा, भवानीगंज। मान्यवर, यह क्षेत्र एक लाख की आबादी वाले क्षेत्र हैं लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर प्रसूति गृह की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई गरीब महिला, ग्रामीण महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती है तो वह वहाँ पर न जा सकने के कारण मर जाती है। इसी तरह से सोरयामऊ क्षेत्र है जहाँ पर एक-दो लाख की आबादी हैं लेकिन वहां पर कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। इसी तरह से गणेशपुर है वहाँ पर किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुयी है। मान्यवर, मुझे जानकारी नहीं है कि वहां पर कोई महिला डाक्टर है या नहीं। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि वहां पर राम नगर तहसील में जो मुख्यालय है वहां पर पी0 एच0 सी0 है वह बहुत ही जर्जर कमरे में चल रही है। मान्यवर, यह श्रावस्ती से बांदा तक के मार्ग को जोड़ता है। इसे सी0एच0 सी0 में लाया जाय। मान्यवर, इसकी बहुत आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं इस बजट प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्रीमती अम्बेश कुमारी–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ी हूं। मान्यवर, आज स्वास्थ्य जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आज अस्पतालों की जो स्थिति है उससे निरीह व गरीब लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की सुन्दर योजनायें सिर्फ कागजों पर ही बनती हैं। व्यवहारिक रूप से उन पर अमल करने

का काम नही किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरखारी के वरांय एवं इमलियाडांग गांव में कोई अस्पताल नहीं है और न ही वहां पर जाने का कोई साधन है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि बराये एवं इमलियाडांग मे अस्पताल की व्यवस्था हो। प्रापर चरखारी में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है। वहां प्रापर चरखारी में महिला चिकित्सालय खुलवाया जाये। इसी के साथ मै कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

सुश्री कृष्णा पासवान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपकी तथा सदन की आभारी हूँ। जनपद फतेहपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में चन्दापुर गंज मजरे दशईपुर में दसइयों साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी थी। अभी तक वहां पर कोई डाक्टर पोस्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर वहां पर कोई डाक्टर पोस्ट नहीं है तो तत्काल पोस्ट किया जाये अगर डाक्टर पोस्ट है तो डाक्टर के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाये। मान्यवर, मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

सुश्री सन्ध्या कठेरिया–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर आपने, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आज दवाओं के अभाव में लाखों गरीब आदमी दम तोड़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी सरकारी योजनायें कागजों की शोभा बनी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र 321 किशनी (जनपद मैनपुरी) में आता है उसमें जो डाक्टर हैं, कभी भी अस्पताल में नहीं जाते हैं तो जो अस्पताल हैं वह नहीं के बराबर हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी वहाँ अस्पताल की व्यवस्था की जाय, ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग परेशान न हों और तहसील में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जैसे मा0 मंत्री जी खुद हैं, स्वस्थ्य हैं, वैसे जनता को भी बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ और कहती हूँ कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री राम शंकर पाल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, यह विभाग मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और जिस देश-प्रदेश में चिकित्सा सुविधायें और चिकित्सा शिक्षा की सुविधायें सुरक्षित हाथों में होगी और जन-जन तक उपलब्ध होंगी, वह देश और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। मा0 मंत्री जी के बजट पर बल देनें के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर होते हुए फिर भी मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो योजनायें रखी हैं वह गांव के गरीबों और किसानों के लिए हितकर हैं। मैं मा0 मंत्री जी से अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ डाक्टर पोस्टेड हैं, परन्तु बैठते नहीं हैं। जो मेरी विधान सभा है वहाँ से 70 किलो मीटर पर उन्नाव है वहां पर एक अस्पताल है और फिर वहां से 70 किलो मीटर हरदोई है (व्यवधान) इस तरह से 140 किलो मीटर में कोई प्रापर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। अत: मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर ध्यान किया जाय। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था जर्जर हालत में पहुँच गयी हैं। हमारा विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 4 अस्पताल हैं अहेतीपुर, महेवा, लखना और चकरनगर में । इन चारों अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। मान्यवर, लखना विधान सभा में जो अस्पताल हैं वह इतनी जर्जर हालत में है कि वहाँ न तो मरीज के बैठने के लिए जगह है न सोने के लिए। अगर कहीं बारिस हो जाय, सर्दी हो जाय तो वहां लोग सर्दी की वजह से दम तोड़ देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अस्पतालों में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहती हूँ कि हमारे यहां के अस्पताल में बिस्तर फटे हुए हैं और कमरों में गंदगी व्याप्त हैं वहाँ जाने पर मरीजों के साथ जो लोग रहते हैं वह भी आधे से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे लखना विधान सभा में कोई लेडीज अस्पताल नहीं है जिससे वहां काफी परेशानी है। महिला अस्पताल न होने के कारण अगर कोई महिला वहां से चलती है तो जब तक वह इटावा तक आती है वहां आते-आते दम तोड़ देती है मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि लखनऊ विधान सभा क्षेत्र में एक महिला चिकित्सालय बनवाया जाय। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री आर0 एस0 कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है मैं उस महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव के समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, स्वास्थ्य आम जनजीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट में माननीय मंत्री जी ने गरीबों के लिए जो आवश्यक सुविधाएँ दी है वह एक सराहनीय कदम है। मैं अपने जनपद लखीमपुर खीरी के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारे जनपद में कुल 118 डाक्टर्स सरकार की तरफ से स्वीकृत हैं लेकिन 118 में से मात्र 40 डाक्टर्स ही वर्तमान में वहां पर तैनात हैं। डाक्टर न होने के कारण तमाम ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं पी0 एच0 सी0, सी0 एच0 सी0 हैं और उसके सबार्डिनेट जो छोटे-छोटे केन्द्र हैं, उपकेन्द्र हैं वहाँ पर डाक्टरों की नियुक्ति न होने के कारण जनजीवन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हमारी विधान सभा निघासन में जो जंगल क्षेत्र में आता है, नेपाल के बार्डर पर बसा हुआ है। जहां पर जनजाति के लोग 27 से ले करके 30 हजार की जनसंख्या है जनजातियों की। चंदन चौकी में डाक्टर न होने के कारण वहां जनजाति के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहां पर अपने स्तर से डाक्टर की पोस्टिंग कराने का कष्ट करें। पलिया प्रापर में कुछ ऐसे डाक्टर हैं जो 15 से 20 सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं और वह अस्पताल में पूरा समय न दे करके अपने प्राइवेट नर्सिंग होम, जो काफी बड़ी लागत से बना रखा है उसे चलाने का काम करते हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे डाक्टरों के खिलाफ भी जांच करा करके आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। हमारे निघासन विधान सभा में सी0 एच0 सी0 में बाउंड्री वाल नहीं है और इसके कारण वहां जानवरों के आने जाने से

गंदगी की भरमार है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि निघासन सी0 एच0 सी0 की बाउंड्री वाल अपने स्तर से बनवाने का काम करें। इसके साथ-साथ नर्सेज, वार्ड ब्वाय और फार्मेसिस्ट की भी पूरे जनपद में काफी कमी है जिसके कारण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी का जो बजट प्रस्ताव है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय अवधेश प्रसाद के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर जहां से मैं चुनकर आया हूँ और भगवान बुद्ध की धरती जहां अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है वहां आपके स्वास्थ्य विभाग की सी0 एच0 सी0 है। वहां जो भी गरीब या कोई भी गरीब जाता है उसको बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। विदेशी पर्यटक कहीं भूलते भटकते अस्पताल में पहुँच गये तो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हंसी का पात्र बन जाता है। मान्यवर उस क्षेत्र को एक स्वास्थ्य मंत्री भी मिला था।

[समय 7 बजकर 20 मिलट]

उन्होंने अपने विकास खंड में सी0 एच0 सी0 की स्थापना कार्रवाई और वह सी0 एस0 सी0 पथरदेवा में स्थापित है, उसकी स्थिति यह है कि वह इंसान के लिये नहीं बनी लगती है बल्कि वह जानवरों के लिये अस्पताल बना है, उसमें मरीज नहीं जाते हैं, कोई डाक्टर नहीं हैं। करोड़ों रुपये का अस्पताल बना हुआ है जो आज आँसू बहा रहा है और वहीं इस क्षेत्र के मरीज परेशान और बदहाल हैं। मान्यवर, पथरदेवा में एक पी0 एच0 सी0 भी है, वहां केवल एक डाक्टर मौजूद हैं, वह सुबह 6 बजे से लेकर जब तक कि वह अधमरा न हो जायें, शराब के नशे में डूबे रहते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहूँगा कि वह इस बारे में कम से कम अवश्य देखें और मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर विख्यात कुशीनगर जनपद की इस सी0 एच0 सी0 में महिला डाक्टर, अच्छे पुरुष डाक्टर की पोस्टिंग अवश्य करने की कृपा करें। यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, वहां अच्छी व्यवस्था करें, ताकि उत्तर प्रदेश और हमारा हिन्दुस्तान हंसी का पात्र न बने।

मान्यवर, पहले गाँवों में डी0 डी0 टी0 का छिड़काव होता था। विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि मलेरिया का उन्मूलन हो गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, लेकिन इस बजट में कहीं भी डी0 डी0 टी0 छिड़काव का प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, केवल अस्पताल बन जाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको डाक्टर्स की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, टैक्नीशियन भेजने पड़ेंगे। मान्यवर, जो भी सरकारें बनती हैं, सभी अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की गारन्टी लेती हैं, इस संदर्भ में पिछली सरकार ने जो दिया, वहीं व्यवस्था इस बार भी सरकार कर रही है, आप ऐसा न करें। इस प्रदेश की भोली-भाली गरीब जनता को आप निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करायें। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अस्पतालों में जनरेटर को डीजल दें ताकि मरीजों को मच्छर न काट सकें वर्ना सड़े हुये बेड और पंखे न चलने के कारण मरीज और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इसलिये सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थापित किया था, उसकी बिल्डिंग बनी लेकिन वहां पर अच्छे डाक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, उसे आप उपलब्ध करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अवधेश प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने की अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, स्वास्थ्य बजट वास्तव में जनकल्याणकरी बजट है और जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष में बैठे हुये सभी सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि बहुत दिनों के बाद इस स्वास्थ्य विभाग को एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी ईमानदारी पर कोई ऊँगली नहीं उठा सकता। मान्यवर, चाहे वह पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हो। मान्यवर, इस भारतवर्ष में सामाजिक व्यवस्था में तीन लोगों को मानव श्रेणी से उठाकर भगवान की श्रेणी में रखा गया है। पहला नम्बर आता है जज का वह जिन्दगी भी दे सकता है और मौत भी दे सकता है, दूसरा नम्बर आता है डाक्टर का अगर वह मेहनत से किसी मरीज का इलाज करे तो उसे जिन्दगी दे सकता है और अगर लापरवाही से इलाज करे तो मौत हो सकती है। तीसरा नम्बर आता है शिक्षक का, वह अज्ञान बच्चों को ज्ञान देकर एक योग्य इन्सान बनाता है। मान्यवर, यह तीनों लोग भगवान की श्रेणी में आते हैं और यह व्यवस्था है कि हम लोग भगवान की बुराई नहीं कर सकते हैं, इसलिए लाबी में बैठे हुए लोगों से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के साथ न्याय करें। ये एक अच्छे और ईमानदार मंत्री के साथ कदमों से कदमों को मिलाकर चलें।

मान्यवर, मेरे यहां आगरा मेडिकल कालेज हैं जब 1980 में विधायक था, मान्यवर, एटा, मैनपुरी यह सब डाकूग्रस्त क्षेत्रों में आता हैं और इसमें सपा के लोगों का बाहुल्य है और जहाँ-जहाँ स0 पा0 के लोगों का बाहुल्य क्षेत्र हो वहां डाकूग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो मान्यवर हमारे यहां जब किसी को गोली लग जाती थी और उसे आगरा मेडिकल कालेज में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता था तो उसके रिश्तेदार आने शुरू हो जाते थे, उसे देखने के लिए बल्कि उसके अन्तिम संस्कार के लिए, क्योंकि यह लोगों की धारणा बन गई थी कि यदि किसी व्यक्ति को आगरा मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया है तो वह जीवित नहीं बचेगा। मेरा ईमानदार मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको सुधारने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं मान्यवर मेरा क्षेत्र में भरगैन और गंजवार दो कस्बे हैं इसमें एक लाख की आबादी मजदूर लोगों की है और ज्यादा मजदूर बीड़ी बनाने वाले हैं, इसमें साढ़े पांच हजार से ज्यादा टी0 बी0 के रोगी हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि यहां एक टी0 बी0 अस्पताल खोलने की अनुमति प्रदान की जाय जिससे इन मजदूरों का इलाज हो सके। मान्यवर, नरौदी, बढ़ोला, नगलामीर, हवागढ़ ये गांव गंगा नदी के किनारे हैं, आज कि किसी डाक्टर की नियुक्ति वहां नही हुई है मैं डाक्टर नहीं चाहता हूँ कम से कम एक-एक कम्पाउण्डर वहां भेज दिया जाय ताकि वहां के गरीब लोगों को कुछ चिकित्सा लाभ मिल सके। मान्यवर प्रमोद यहां पर 52 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। 45 लोग ऐसे हैं जिनका 93 से लेकर आज तक 9 लाख रुपये निकाल लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय हो गया, आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि उनके खिलाफ जो दोषी है, सख्त से सख्त कार्यवाई की जाए और इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय समिति से कराई जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और काजल की कोठरी में बैठे आप जैसे लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए दो बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, गाजियाबाद जिला निर्मित हुए 27 वर्ष हो गये, जिला अस्पताल की जगह बड़ी मुश्किल से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ले ली गयी है लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है न ही इस बजट में कोई जिक्र किया गया है। तहसील लेबिल के अस्पताल में जिला अस्पताल चल रहा है लेकिन मैं अपने अस्पताल के लोगों की प्रशंसा करता हूँ।

अभी तमाम आलोचनाओं को मैंने सुना है लेकिन इन आलोचनाओं को सुनने के बाद गाजियाबाद जिला अस्पताल के डाक्टरों से मैं संतुष्ट हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है लेकिन वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो उपकरण खरीदे जाते हैं उनके स्थान पर जो पुरानी गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज, जिप्सी, मेटाडोर, मारूति वैन पड़े हैं उनका डिस्पोजल कर देना चाहिए इससे कुछ धन मिल सकता है। मेरे घर की दीवाल से लगा हुआ अस्पताल है। काफी अच्छी हालत में गाड़ियाँ पड़ी हुई सड़ रही हैं और उनके पुर्जे निकाले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से और जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इनका डिस्पोजल किया जाये। गाजियाबाद जिला अस्पताल में दवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है लगभग 1 लाख रुपये प्रतिमाह की दवा मिल रही है जो कि अपर्याप्त है। 6 महीने में 5 लाख 62 हजार रुपया दवाओं के लिए आवंटित किया जाता है इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

गोयल जी अब आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ हमारे यहां ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक की स्थापना होनी चाहिए। एड्स का पल्स पोलियों की तरह लायन्स क्लब या रोटरी क्लब के माध्यम से प्रचार किया जाये। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री धनन्जय सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये स्वास्थ्य के बजट 2002-2003 को समर्थन करता हूँ। तमाम सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे एक चीज यह स्पष्ट होती है कि स्वास्थ्य विभाग में अक्षमता से प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। सभी माननीय सदस्यों की शिकायत है कि चिकित्सीय परीक्षण चाहे सी0 टी0 स्कैन हो या एम0 आर0 आई0 हो अधिकांश जनपदों में इसका अभाव है। इस दिशा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें उपकरण के क्षेत्र में बहुत नामीनल पैसा दिया गया है, इस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल के द्वारा निजी क्षेत्र और सरकार संस्थाओं के विस्तृत और पूरक व्यवस्था हेतु औचित्यपूर्ण नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, निजी क्षेत्र के लोग इस दिशा में सरकार से मिलकर सामंजस्य बना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर कार्य करना चाहते हैं। जो एन0 जी0 ओ0 हैं उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे हम अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं और निजी पैथोलोजी सेण्टरों द्वारा गरीब और अनपढ़ मरीजों का जो शोषण हो रहा है, इस दिशा में प्रयास करके रोक सकते हैं।

सरकार ने एक कर्ज आधारित योजना यू0 पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट चलायी है। मैं निजी क्षेत्र की बात इसलिये कहना चाहता हूँ कि हमें स्वावलंबी होने की आवश्यकता है न कि कर्ज पर आधारित कार्य करने की आवश्यकता है। मान्यवर, पहले यह व्यवस्था थी कि जो सरकारी विद्यालयों के छात्र होते थे उनका स्वास्थ्य परीक्षण सरकार की तरफ से कराया जाता था पर अब यह व्यवस्था शिथिल हो गयी है। मेरा निवेदन है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाय और बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाना आवश्यक होना चाहिए और उसमें स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण दर्ज होना चाहिये। मान्यवर, संवेदनशील और जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे सुझावों के कार्यान्वयन हेतु योजना बनायें। मान्यवर, इस प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली और न्यूनतम गुणवत्ता की दवायें बिकती हैं। उनकी सैंपलिंग और उनके परीक्षण करने की व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री धनन्जय सिंह–

मान्यवर, 2 मिनट और दे दें। मान्यवर, दवाओं के परीक्षण के लिये कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है और परीक्षण प्रयोगशाला तो संभवत: एक केवल लखनऊ में ही है। इस क्षमता के भरोसे नकली और निम्न गुणवत्ता की दवाइयों की रोकथाम करना असंभव है। मान्यवर, गरीबों और बेवसों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना नैतिक अपराध है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे और परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री धनन्जय सिंह–

मान्यवर, पैथोलोजी, रेडियोलोजी, नर्सिंग होम के संचालन के लिए सरकार को बाध्यकारी मार्ग निर्देशिका बनानी चाहिए और गरीब बेबस जनता को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाना चाहिये और दंड देने के लिये गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री अनिल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका ध्यान पूर्वान्चल के जिले गोरखपुर के मेडिकल कालेज की ओर ले जाना चाहता हूँ। उस मेडिकल कालेज की स्थिति जीर्णशीर्ण है और भयावह है। वहां डाक्टरों की संख्या कम है और नयी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। यह इलाका नेपाल और बिहार से सटा हुआ है वहा के मरीज भी यहां पर इलाज के लिये आते हैं। हमारा जनपद सिद्धार्थ नगर जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गौतम बुद्ध जी का पवित्र स्थान है वहां पर कोई महिला डाक्टर नहीं है। जिला चिकित्सालय की स्थिति यह है कि वहां आधे से कम स्टाफ है। वहां पर न रेडियोलॉजिस्ट है न महिला डाक्टर है और न एनेस्थीसिया के डाक्टर है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। पहले नैपाल के बार्डर पर डी0 डी0 टी0 का छिड़काव होता था जिससे वहां से बीमारियां नहीं आने पाती थीं। नैपाल में इन्सेफलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर का इतना प्रभाव है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग मर जाते हैं लेकिन वहां बार्डर पर कहीं किसी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहां पर दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था की जाय ताकि नयी-नयी बीमारियां न आने पायें। मनुष्य के जीवन के लिये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी आवश्यकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह विभाग मनुष्य के साथ रहता है। आज स्थिति यह हो गयी है कि नयी-नयी बीमारियों का जन्म हो रहा है पर उन बीमारियों का निराकरण न होने के कारण लोगों में बड़ी परेशानी और असंतोष पैदा हो रहा है। हमारे उस बाजार में 55 शैय्या वाले अस्पताल में कोई महिला डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम दो महिला डाक्टर उस अस्पताल में कराने की व्यवस्था हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन–

अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए विनती करता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र सासनी औद्योगिक क्षेत्र है। यह पुराना है व आगरा रोड पर है। मैं चाहता हूँ कि वहां 36 से 40 शैय्या वाला अस्पताल नहीं है मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वहां अस्पताल का निर्माण करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राम लाल अकेला–

अधिष्ठाता जी आपने स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डा0 लोहिया जी ने सपना देखा था उन्होंने देश के गरीबों के लिए नारा दिया था कपड़ा रोटी सस्ती होगी दवा, पढ़ाई मुफ्त होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ मान्यवर, जिस तरह से विद्यालयों की हालत है। उसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों की स्थिति है। मान्यवर, प्राइमरी स्कूल में जिस तरह से केवल गांव का गरीब किसान, खेतिहर मजदूरों के बच्चे पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों में आज केवल गरीब किसान मजदूर ही जाता है । बड़े लोग बड़े-बड़े नर्सिंग होम में बड़े-बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा लेते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ जिस तरह से इस सरकार ने गरीबों के लिए ऊँचे नारे लगाए थे हमने सोचा था कि यह सरकार अकाल के बाद जब बजट पेश करेगी तो कम से कम रोगियों के पंजीकरण की फीस जरूर माफ कर देगी या अस्पतालों में जो अन्य फीस ली जाती है उसको माफ करने का काम करेगी। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया गया।

मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ हमारे विधान सभा क्षेत्र बछरावां में शिवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है यहां भवन तो बड़ा बना हुआ है पर डाक्टर नहीं रहते हैं न ही दिन में कोई डाक्टर रहता है न ही रात में । कोई महिला डाक्टर वहां नियुक्त ही नहीं है। हमारे यहां संहगी,

घुरौना, नेरुधुवा आदि ग्रामीण अस्पताल हैं वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि लखनऊ में डाक्टर 20-20 साल से तैनात हैं इनको स्थानान्तरित करके गांवों के अस्पतालों में भेजा जाए। यह व्यवस्था कर दी जाए कि पहले पांच वर्ष उन्हें गांवों में सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद वह लखनऊ में आएं। इस तरह से अगर प्रशासनिक व्यवस्था हो तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्वस्थ हैं इसी तरीके से इनके नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था होगी तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के निरीह और गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। आज आपके विभाग की हालत जर्जर हो गई है। आपके यहां अव्यवस्था ने इसको लूट लिया है। आप चाहे जितने भी ईमानदार हों लेकिन अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेंगे उन्हें लूट करने की छूट दे देंगे तो--

गुलिस्ता में अगर गुलों का कत्ले आम होता है
अंजाम कुछ भी हो बदनाम बागवां होता है।

तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह सुधार करने का काम करेंगे। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे अवधेश प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, उसमें एक सुझाव दिया कि अगर यह सरकार अम्बेडकर उद्यान की जगह उनके नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज खोलने का काम करें तो हम लोग अपनी तनख्वाह में से एक-एक महीने का वेतन दे देंगे। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जन कल्याणकारी बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हमारा यह मानना है कि हम देवालय के रूप में ही चिकित्सालय को लेते हैं। देवालय में मंदिर के अन्दर भगवान रहते हैं उसी तरह से चिकित्सालय के अन्दर भगवान के स्वरूप में डाक्टर रहता है। मान्यवर, देवालय और चिकित्सालय को हम एक रूप में लेते हैं वहां रहने वाले चिकित्सक को उसी श्रद्धा और सम्मान की नजर से देखते हैं जिससे हम भगवान को देखते हैं। आज डाक्टरों के कुछ कार्यों से उसके सम्मान को गिराया भी जाता है। कुछ डाक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने की वजह से उस चिकित्सालय का मान सम्मान और चिकित्सक का मान सम्मान घट जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई योजना बनायें जिससे यह चिकित्सक जो निजी प्रैक्टिस करते हैं उसके अन्दर पोस्ट रहकर आने वाले मरीजों को तोड़कर अपने निजी प्रैक्टिस में ले जाते हैं, नर्सिंग होम में ले जाते हैं। अस्पतालों से औषधियां निकालकर अपने निजी प्रैक्टिस में काम लाते हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई कार्यवाही करें। इस पर रोक लगाने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विश्व बैंक द्वारा पोषित जो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। विश्व बैंक पोषित योजनाओं के माध्यम से मात्र ए0 सी0 गाड़ियां, ए0सी0 कमरे और हवाई यात्रा ही अधिकारी कर रहे हैं। विश्व बैंक पोषित जो योजनाएं चल रही हैं वह जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से निश्चित रूप से आम जनता की सुविधा के लिये पहुँचे ऐसी आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने बड़ी पारदर्शिता के साथ इस बजट को रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें विश्वसनीयता कायम रखने की आवश्यकता है। विश्वसनीयता की सबसे ज्यादा कमी है स्वास्थ्य विभाग में। यह आम जनता से जुड़ा विभाग है। यदि इसके प्रति विश्वसनीयता में गिरावट आयेगी, आप अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जनता को नहीं दे पायेंगे तो आपका विभाग कहां जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो प्रतिभावान डाक्टर हैं यहां से पढ़ाई करने के बाद विदेशों को पलायन करते हैं। मान्यवर इस तरह की योजना बननी चाहिए, जो डाक्टर उत्तर प्रदेश से निकलें उनसे इस बात का बांड भरवाया जाए कि दस वर्ष तक प्रदेश में सेवा करना जरूरी हो। इसी के साथ मेरा क्षेत्र जासापारा में पी0 एच0 सी0 में डाक्टरों की कमी है, सी0 एच0 सी0 में डाक्टरों का अभाव है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

एक मिनट में खत्म करूँगा.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करिए।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

इसी के साथ मैं इस जन कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मदन गोपाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। कटौती का प्रस्ताव जो माननीय अवधेश प्रसाद जी और दीनानाथ भास्कर जी ने रखा है मैं उस पर बल देता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, जनपद फतेहपुर में जो जिला अस्पताल है वहां की हालत खराब, जर्जर है, वहां पर जनेरेटर की डीजल व्यवस्था नहीं है, अत्ती-बत्ती नहीं रहती है, डाक्टर अच्छे नहीं है। मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सी0 एम0 ओ0 से बात करते है तो वह कहती हैं कि हमारे पास धन नहीं है वहां फतेहपुर, रामसनेही मेमोरियल में जो अस्पताल है वह अशोक पटेल सांसद का है वहां सारे डाक्टर जाते हैं, सर्जन वहां आपरेशन करने जाते हैं इसको भी जांच कराने का कष्ट करें। जहानाबाद में जो मान्यवर, स्वास्थ्य केन्द्र है अमौली, जहानाबाद, चाँदपुर, जफरगंज जोनिहा आदि वहां एक-एक डाक्टर कार्यरत हैं वहां डाक्टर बढ़ाने की कृपा करें। पी0 ए0 सी0 में डाक्टर नियुक्त नहीं हैं, महिला डाक्टर नहीं हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पताल है वहां कोई डाक्टर आता जाता नहीं हैं मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ 93-94 में आपके साथ रहा हूँ आपसे अनुरोध करता हूँ कि फतेहपुर जनपद में अलग से धन आवंटित किया जाए और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया–

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, प्रदेश में नागरिकों को स्वस्थ रखना राज्य का दायित्व है। इस दायित्व को निभाने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो राज्य के नागरिकों के लिए बजट में कल्याणकारी प्राविधान किया गया है मैं इसके लिए उनका समर्थन करता हूँ। उत्तर

प्रदेश हेल्थ डेवलप्मेन्ट सिस्टम परियोजना है यह विश्व बैंक पोषित योजना है यह 478 करोड़ लागत की है यह ऐसी परियोजना है जिसको लागू करने से प्रदेश की हालत बदल सकती है। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि इस परियोजना में जो काम किया गया है उसके अच्छे परिणाम नहीं आए हैं इस पर तत्काल ध्यान दें। मेरे जनपद गोंडा में जिला चिकित्सालय है वह दयनीय स्थिति में है, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ गोंडा में सी0 एम0 ओ0 हैं उनके पास ही जिला चिकित्सालय का चार्ज है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस व्यवस्था को तत्काल बदला जाय और तत्काल रूप से जिला चिकित्सालय में अधीक्षक नियुक्त किया जाय ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के करनैलगंज उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र जो तहसील स्तरीय केन्द्र है इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। इसमें डाक्टरों की कमी है। वहाँ पर आर्थोपैडिक्स डाक्टर, आई सर्जन, महिला डाक्टर, पैथोलोजिस्ट नहीं हैं। मेरे क्षेत्र परसपुर स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त डाक्टर गायब रहते हैं वहाँ पर तत्काल डाक्टरों की नियुक्ति की जाय । मान्यवर, उत्तर प्रदेश रेडक्रास के द्वारा वर्ष 86 में पूरे प्रदेश में तीन चिकित्सालय भंभुआ, भउवापार, खनौन स्थापित किये गये थे, उनके भवन का निर्माण कराया गया था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी थी। जब तक विश्व रेडक्रास से सुविधा मिलती रही चलते रहे। वर्तमान में उनको कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। तो इन तीन चिकित्सालयों को तत्काल अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। मान्यवर, एक अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। नकली दवाओं की बिक्री अहम मसला है और जो इसको बेचता है वह अपराध करता है इसके लिए इस अपराध के खिलाफ के लिए एक अभियान चलाकर इन नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय जो यह बिक्री करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो अच्छी छवि उनकी है मैं यही चाहूंगा कि वही स्वास्थ्य विभाग की भी हो। लोगों को यह लगे कि स्वास्थ्य विभाग आपके पास है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ की आबादी है। मैं आपका ध्यान आजमगढ़ मण्डल की तरफ ले जाना चाहता हूं। आजमगढ़ शहर में एक महिला अस्पताल है जो कि दस करोड़ की लागत से बना है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासन काल में यह बना था। उस महिला अस्पताल में डाक्टर नहीं है। एक सी0 एम0 एस0 थी वह भी छुट्टी लेकर चली गयी हैं। हालत यह है कि जो गरीब महिला जाती है उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसी तरह की हालत पूरे उत्तर प्रदेश जिले की है आप किसी की एक समिति बनाकर भेज दें और दिखवा लें। वहां पर न तो दवा है, न सूई है, आपरेशन फीस ले लेते हैं, बेड की फीस ले लेते हैं। पर्चा बनवाने की फीस भी आपने सात रुपया कर दी है, एक्स-रे प्लेट नहीं है। इतनी बड़ी दुर्दशा आज हो रही है। जनता का भविष्य आज आपके स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ मण्डल में महिला अस्पताल जो इतना बढ़िया अस्पताल बनाया गया था लेकिन उसमें महिला डाक्टर की पोस्टिंग करायी जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि बी0 एच0 डब्लू0 की ट्रेनिंग करके 15 सालों से बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नीति के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। मान्यवर, ऐसा आदेश है कि केवल दलितों को नौकरी दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह दलित हो, पिछड़ी जाति का हो, या अगड़ी जाति का हो सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। मैं आपके

माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में सी0 टी0 स्केन की व्यवस्था नहीं है। जबकि हमारा जिला मण्डल घोषित किया जा चुका है। वहां पर कई जिलों से लोग आते हैं। लेकिन वहां पर सी0 टी0 स्केन की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें सी0 टी0 स्केन कराने के लिए लखनऊ या वाराणसी जाना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के जिला अस्पताल में एक सी0 टी0 स्केन लगाने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं यदि उन्हें अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलती है तो यह गम्भीर स्थिति है। मान्यवर, वहां पर डाक्टर नहीं हैं। जो आदमी खाने का पैसा नहीं कमा सकता है यदि वह सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसका इलाज होने के बजाये उसे पता चलता है कि एक तरह से प्राइवेट अस्पताल में है। मान्यवर, आज सरकारी डाक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम खोले हुए हैं और उसी में प्रैक्टिस करते हैं। सरकार पैसा देती है गरीबों के इलाज के लिए लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई आदमी पी0 जी0 आई0 में इलाज करवाता है तो सरकार उसका पूरा पैसा दे देती है लेकिन अगर इधर से हम लोग इलाज कराने के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं तो उसको पैसा नहीं मिल पाता है। अगर एक लाख का बिल होता है तो 10-20 हजार रुपया ही मिल पाता है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि 75 प्रतिशत पैसा देने का काम किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां के अस्पताल में कुत्ते की सूई का इंतजाम नहीं है। अगर किसी को कोई कुत्ता काट लेता है तो उसे सूई नहीं मिल पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका समुचित प्रबन्ध वहां पर किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भगेलू राम--

मान्यवर, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां कादीपुर में पी0 एच0 सी0 7 साल से बनी हुई है। लेकिन वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, सुविधायें नहीं हैं। अखण्डपुर में एक पी0 एच0 सी0 खड़ी है वहां पर भी डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। लगनपुर में एक पी0 एच0 सी0 बनी है वहां पर भी डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। इस कारण से मरीजों को इलाज में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मान्यवर, हमारी विधान सभा जो जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी0 दूर है तहसील मुख्यालय से 30 किमी0 दूर के क्षेत्र में जाना पड़ता है पूरे विधान सभा में 3 सी0 एच0 सी0 और तमाम पी0 एस0 पी0 हैं और एक भी महिला चिकित्सालय न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। मान्यवर, जिला अस्पताल में, जो कुत्ता काटने की दवाई होती है वह आते ही एक हफ्ते के अन्दर समाप्त हो जाती है। हम लोगों ने शिकायत की तो जानकारी होती है कि वहां के कर्मचारी उसे ब्लैक कर देते हैं। मान्यवर, जिले के तमाम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मान्यवर, मेरी विधान सभा में करौंदी कला पी0 एच0 सी0 जहां पर एक भी डाक्टर के अलावा कोई कर्मचारी भी नहीं होता है। वह बड़े बाजार के बीच में है, वहां कई बार लोगों ने देखा कि न डाक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है न कम्पाउन्डर है। कोई घटना हो जाये, एक्सीडेण्ट हो जाये तो वहां तत्काल उपचार नहीं हो सकता है। वहां के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के मामले में बड़ी लापरवाही रहती है। कादीपुर मुख्यालय पर एक भी सर्जन नहीं है। उन्हें लोगों को तहसील मुख्यालय पर जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है या प्राईवेट नर्सिग होम में जाना पड़ता है। आप मंत्री जी कादीपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के बजट पर माननीय श्री अवधेश प्रसाद और माननीय श्री दीनानाथ भाष्कर ने जो कटौती **का** प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूं। मान्यवर, मैं महोना, लखनऊ क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मुलायम सिंह यादव जी के समय में स्वीकृत हुआ था वह 500 बेड का अस्पताल 10 साल से अधूरा पड़ा है। मात्र 8 बेड हैं और 492 बेड प्रतीक्षा सूची में हैं। लखनऊ में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए इस अस्पताल को तत्काल सुसज्जित किया जाये। मान्यवर, 1989 में चिनहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था उसे चालू कराया जाये। महोना क्षेत्र टाउन एरिया में माननीय मुलायम सिंह जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 25 लाख रुपये दिये थे आज तक वह अस्पताल नहीं बन सका है उसे भी बनवाने का काम किया जाये। जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र हैं कोई भी डाक्टर नहीं रुकता है, न ही दवा की सुविधा है। लखनऊ में मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया लेकिन सांप का इंजेक्शन नहीं मिला और वह मर गया। इसी तरह से एक महिला इंजेक्शन के अभाव में मर गयी। जो जरूरी इंजेक्शन हैं उन्हें अस्पतालों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सदल प्रसाद--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि समय बहुत कम आपकी ओर से मिला है। ज्यादा समय हम आपसे लेना भी नहीं चाहते हैं लेकिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं मान्यवर, पूर्वांचल में गोरखपुर का एक अलग स्थान है और गोरखपुर में बांसगांव विधान सभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस मुल्क को आजादी मिले लगभग 55 साल हो गये होंगे लेकिन हमारे यहां एक खजनी विकास क्षेत्र है जहां आज तक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है। यह बात कहकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के खजनी पी0 एच0 सी0 की ओर इशारा कर रहा हूं।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि शासन प्रशासन की ओर से भूमि अनुपलब्धता की बात कही जा रही थी जबकि एस0डी0एम0 और स्थानीय ग्राम प्रधान की ओर से भूमि का प्रस्ताव दिया गया था फिर भी आज तक अस्पताल नहीं बना। मान्यवर, बांसगांव विधान सभा क्षेत्र इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय बीर बहादुर सिंह का नेटिव प्लेस था उन्होंने हरनही में एक 125 शैय्या वाला अस्पताल स्थापित 1985 में कराया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्पताल वह पुलिस महकमे के रहने का अड्डा बना हुआ है और वह विधिवत् अस्पताल के रूप में नहीं रह गया है। दूसरा बांसगांव का अस्पताल है वहां 6 डाक्टर की तैनाती है लेकिन केवल 2 डाक्टर्स ही कार्यरत हैं। वहां पर विगत 8 माह से दवा का अभाव है जिससे आम जनता को परेशानी से गुजरना पड़ता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वहां के अस्पताल से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आपकी ओर से प्रयास होना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बड़ी बुलन्द आवाज में मुझे अनुमति दी है, मैं आभारी हूं। मान्यवर, जो हमारे इस सदन में कटौती का प्रस्ताव माननीय अवधेश प्रसाद जी और दीनानाथ भाष्कर जी ने रखा है उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने व्यवधान किया और क्षमा याचना करता हूं जगदम्बिका पाल जी से। मान्यवर, यह बजट की चर्चा करते-करते रात हो गयी है, तथा आठ हो गये हैं। आज चूंकि लम्बी चर्चा है और होनी चाहिए लेकिन अगली बार बजट रात में हो तो दो विभागों को कर दिया ताकि उनको दवा और दारू मिलती रहे। उधर बैठे तमाम साथी हमें बीमार नजर आ रहे हैं और अकेले स्वास्थ्य मंत्री उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आबकारी मंत्री जी उनकी मदद में लग जाते तो उनकी अच्छी मदद हो पाती।

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)--

मान्यवर, मैं चौधरी साहब से चाहूंगा कि अपनी पसन्द बता दें और सूची दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

हमारी पसन्द और सूची उनको बहुत अटपटी पड़ेगी। फिर भी मेरे मित्र हैं मैंने यह मान लिया है कि जब वादा किया है तो वह हमारी पसन्द हमारे यहां भेजेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय मंत्री जी, सुरा के आगे की व्यवस्था नहीं करना, यह मैं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनका विभाग एक तबादला उद्योग बन गया था इस बार उन्होंने तबादले बहुत कम किये हैं, कम से कम एक नया कदम उठाया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत सरकार हो दोनों सरकारों की सबसे पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य और शिक्षा और पहले भी स्वास्थ्य सबके लिए 2000 तक निर्धारित हुआ था, वह 2010 तक के लिए हो गया है। हम ग्रामीण जनता तक सबके लिए स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया करायेंगे यह इस सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का अपना दायित्व भी है। लेकिन 2010 तक सबके स्वास्थ्य के लिए प्रबन्ध करेंगे तो वह कौन सी चिकित्सा व्यवस्था होगी। वह चिकित्सा व्यवस्था जिसका उल्लेख हमारे माननीय सदस्य ने किया है। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया हो इमरजेंसी में। इमरजेंसी की जो व्यवस्था है उसकी दुर्दशा के सम्बन्ध मे मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हर चीज में पैसा है। उस दाखिले के पैसे से ले करके परीक्षण, ऐक्सरा या किसी भी तरह की जांच हो यह सारे चार्ज प्रदेश की जनता से लिये जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि नर्सिंग होम और जिला

चिकित्सालयों में कोई अन्तर रह गया है। जिला चिकित्सालयों में गरीब से गरीब आदमी से पैसा लिया जाता है और नर्सिंग होम में भी लिया जाता है इसीलिए नर्सिंग होम की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि पैसा जब दे ही रहे हैं तो जिला चिकित्सालयों में जाने से क्या फायदा।

मैं सुझाव देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट को कि सप्लायर्स की दवाओं की जो कम्पनियां हैं वह बाजारों में कितनी बिकती हैं। जिला अस्पतालों में जिन दवाओं की बिक्री होती है। वह बाजारों में कोई खरीदता नहीं है। जो दवाएं अस्पताल से ली जायें वह उस स्तर की हों कि वह मरीज के लिए कारगर साबित हो सकें। आज सबसे ज्यादा एक्सीडेन्ट बढ़ रहे हैं। बनारस से आइये आगरा से आइये आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यूरोप हो या अमेरिका हो एक्सीडेन्ट होने के बाद 5 मिनट में उसको हेलीकाप्टर से लाते हैं और कम से कम समय में जो सुविधायें उसे उपलब्ध हो जायें, मुहैया कराते हैं। आज सबसे ज्यादा हेड इंजरी के केसेज हैं। लखनऊ मेडिकल कालेज में हेड इंजरी यूनिट है जिसमें कि कोमा में मरीज आता है लेकिन वह भर्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीमित बेड हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्य उत्तर प्रदेश से आते हैं उसके लिए तत्काल व्यवस्था हो सके, उनका इलाज हो सके। आज किसी जिले के अस्पताल में देखिये तो सबसे पहले उसे सिटी स्कैन के लिए रिफर करेगा। सिटी स्कैन के लिए बनारस, आगरा जाना पड़ेगा।

मान्यवर, आज चाहे डिस्ट्रिक हास्पिटल हो या कोई अन्य अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इन सारी व्यवस्थाओं की ठीक करना पड़ेगा। नर्सेज ट्रेनिंग करके घूम रही हैं, लैब टेकनीशियन घूम रहे हैं। उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। चिकित्सकों के सम्बन्ध में भी यही है कि हास्पिटल खुलते जा रहे हैं और डाक्टरों की कमी है। जब तक आप जो बुनियादी आवश्यकता है, जो पूरा मेडिकल स्टाफ है उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो आपकी जो वचनबद्धता है कि सबको स्वास्थ्य देंगे, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

वर्ल्ड बैंक से कितनी सहायता मिल जाय, चाहे सिप्सा के अन्तर्गत हो या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत, लेकिन सरकार विश्व बैंक के पैसे को इस तरह से समझती है जैसे सौगात में मिल गया है। उसकी मानीटरिंग की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में सबसे ज्यादा यूजर्स चार्जेज का जिक्र किया है। भर्ती से लेकर, बेड और आपरेशन तक, जिला अस्पतालों में इसका पैसा मिल रहा है, जिसे सी0एम0एस0 पर छोड़ दिया है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि यूजर्स चार्जेज का 50 प्रतिशत पैसा अस्पताल में खर्च होना है तो इसमें जनप्रतिनिधियों और सांसद को भी सदस्य बनाया जाय इससे वह वहां की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की मानीटरिंग का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। यहां लखनऊ में सिविल अस्पताल में यूजर्स चार्जेज का अच्छा काम हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पता नहीं लगता है। हम लोगों के जिलों में पता नहीं चलता यह पैसा कहां गया। इसलिये जनप्रतिनिधियों को इसमें अवश्य सदस्य बनाया जाय।

मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थिति आज यह हो गई है कि मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने इसे डीनोटीफाइड कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कालेज ऐसा मेडिकल कालेज है, जहां नेपाल और बिहार तक के मरीज आते हैं लेकिन एक मेडिकल कालेज को डीनोटीफाइड कर

दिया जाय, यह कितने शर्म की बात हे। इस मेडिकल कालेज में ईस्टर्न यू0पी0 के इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों के मरीज भी आते हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि इसके नार्म्स को पूरा करायें और आवश्यक चीजों की व्यवस्था करायें।

मान्यवर, हमारे वस्ती में 500 बेड का अस्पताल है, उसमें भी उसके जो नार्म्स हैं, उनको अवश्य पूरा करायें। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री जयवीर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के कर्मठ, वरिष्ठ और ईमानदार मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय सदस्य बजट के सन्दर्भ में पक्ष और विपक्ष के विचार रख रहे थे, उनकी बातों से एक चीज निश्चित रूप से परिलक्षित होती थी कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य परिवार कल्याण का जो संगठन ढांचा और सुविधायें उपलब्ध हैं इन सुविधाओं की इतनी कमी नहीं है, जितनी कमी उनके सदुपयोग, ईमानदारी से काम करने की क्षमता और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है।

आज बड़े-बड़े सुझाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि आज डाक्टर्स को कुछ सदस्यों द्वारा भगवान के रूप में पेश किया गया और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा मन्दिर का पुजारी और देवता के रूप में पेश किया गया। लेकिन आज इनमें कहीं न कहीं नैतिकता की खोट आ गयी है। आज वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय आर्थिक रूप से कहीं न कहीं ज्यादा जुड़ गये हैं। इस प्रकार यह सेवायें ईमानदारी और सच्चाई के स्थान पर किसी गलत दिशा में जा रही हैं, जिसकी वजह से वह अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। मान्यवर, मैं बहुत दिनों से सुनता ही आ रहा हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, उस पर तो हमले बहुत किये जाते हैं लेकिन आज निश्चित रूप से उनका आभार प्रकट करता , उनको बधाई देता, यदि वह इस बजट पर एक नजर डालकर मंत्री जी को बधाई दिया होता क्योंकि इस बजट में डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो गोमती नगर में है उसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि निन्दा के साथ-साथ यदि कोई अच्छा काम होता है तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था।

मान्यवर, इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कई अस्पतालों की व्यवस्था ली गयी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घिरोर के अन्तर्गत सिरसागंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना 1997 में की गई थी लेकिन आज तक वह अधूरा पड़ा हुआ है वह अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसका निर्माण कार्य पूरा करा कर, इसे चालू करा करके चिकित्सीय सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने की कृपा करें। मान्यवर, विकास खण्ड व मेरी विधान सभा मुख्यालय घिरोर में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में 15 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्राविधान किया है अत:

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेरे विधान सभा मुख्यालय घिरोर में स्वीकृत करने की कृपा करें। मान्यवर, न्याय पंचायत मुख्यालय करहरा विकास खण्ड अरांव जिला फिरोजाबाद में जहां कोई डाक्टर नहीं रहता है, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें। अन्त में मैं यही कहूंगा कि मंत्री जी ने जो व्यवस्थाएं अपने बजट में दी हैं वह निश्चित रूप से पारदर्शी हैं और इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वाली हैं, इसी के साथ बजट पर बल देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्रीमती ऊषा वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री अवधेश प्रसाद जी एवं दीनानाथ भाष्कर जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, माननीय मंत्री जी ने अपना स्वास्थ्य बजट पेश किया मैंने गम्भीरता से उसे सुना और पढ़ा। बड़ी अच्छी-अच्छी योजनाएं उन्होंने बनाई एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के अनुदान के लिए भी अच्छी व्यवस्था की, लेकिन मान्यवर, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर गरीबों को पूरी दवा मिलती हो। सात रुपये का पर्चा मिलता है लेकिन दवाई दो रुपये की भी नहीं मिलती और जो प्रभावी, महंगी दवाएं और इन्जेक्शन होता है, उसके लिए बाहर से खरीदने के लिए पर्चा लिख दिया जाता है। आप अगर किसी सरकारी अस्पताल की जांच करा लें तो आप को ऐसा लगेगा कि हम किसी नरक के स्पेशल वार्ड में पहुंच गये हैं, वहां गद्दे बिल्कुल जर्जर होते हैं, चादर महीनों से नहीं धुली होती हैं, बीमार व्यक्ति एक बीमारी लेकर अस्पताल आता है और कई बीमारियां लेकर अपने साथ जाता है।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि जो सरकारी डाक्टर हैं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने दिया जायेगा। अगर वह प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी लेकिन अक्सर देखने में यही आता है कि सरकारी अस्पताल में डाक्टर होते हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और बड़े-बड़े नर्सिंग होम भी होते हैं, क्या आपने इसको रोकने की कोई व्यवस्था की है ? मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि ऐसे डाक्टरों को विकल्प दे दिया जाये या तो वह सरकारी नौकरी करें या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर वह प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनसे इस्तीफा ले लें। इसके अतिरिक्त कुछ झोला छाप डाक्टर होते हैं वह ग्रामीण अंचलों में जाकर गरीबों का खून पीते हैं और रोगियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। यूनानी एवं आयुर्वेदिक छात्र हैं, उनकी कुछ समस्यायें हैं, उसको लेकर पिछले दिनों छात्रों ने विधान सभा के सामने धरना भी दिया था। मान्यवर, सी0पी0एम0टी0 से वह भी चुनकर आते हैं, कुछ ही नम्बरों से वह एम0बी0बी0एस0 के लिए रह जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में कोई भी एम0बी0बी0एस0 डाक्टर नहीं जाना चाहता है। यूनानी एवं आयुर्वेदिक डाक्टर ही जाते हैं। यूनानी एवं आयुर्वेदिक डाक्टरों की 35 सौ वैकेन्सी निकली हैं, 1988 से यूनानी एवं आयुर्वेदिक छात्रों की नियुक्ति नहीं हुई है क्या इन बेराजगार छात्रों के लिए कोई योजना बनायी है ? मेरे क्षेत्र अहिरौर के कछौना ब्लाक में प्राइमरी चिकित्सालय है वहां पर कई बार जाना हुआ, डाक्टर नहीं मिलते हैं, वार्ड-ब्वाय ही चिकित्सा का कार्य करता है। मान्यवर, वहां पर डाक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इसी के साथ श्री अवधेश प्रसाद एवं श्री दीनानाथ भाष्कर जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री अवधेश कुमार वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र ददरौल पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, हमारी विधान सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बहुत कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा के मध्य में चांदापुर और भरगवां में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ददरौल में जो स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर हैं उनको आपने जिला चिकित्सालय से अटैच कर रखा है, मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें पुन: ददरौल में लाया जाये। इसी के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (धन्यवाद)

श्री राम किशुन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अवधेश प्रसाद एवं दीनानाथ भाष्कर जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र मुगलसराय में एक अस्पताल है जिसे महाराजा काशी नरेश ने दिया था जब राज्य विलीन हो रहे थे और उनका स्टेट भी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया में मिल रहा था, उस समय उन्होंने अस्पताल दिया था। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि काशी नरेश ने करोड़ो रुपयों का हास्पिटल उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया। आज जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा टीबी हास्पिटल है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री, वो प्रधानमंत्री थे, के नाम पर रखा गया है। हमारे प्रधानमंत्री बड़े चरित्रवान ओर ईमानदार थे उनके नाम पर जो अस्पताल का नाम रख गया है उसमें अव्यस्था है। आप को सत्ता पक्ष के लोगों ने चरित्रवान और ईमानदार का तमगा दिया है तो आप बतायें कि आप उस हास्पिटल में सुधार क्यों नही कर रहे है? वहाँ पर डाक्टर बैठते नहीं हैं, आप उनकी सम्पत्ति की जांच करा लें करोड़ों रुपयों की जायदाद उन डाक्टरों की रामनगर और चुनार में है।

मान्यवर, नियामताबाद ब्लाक में जो भोगवार अस्पताल है वो पूर्ण नही हुआ है इसमें छत नहीं पड़ी है, उस अस्पताल को पूर्ण करायें। जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वह इस अस्पताल का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इसको बनवाने के लिए बजट में व्यवस्था की जाये। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं दिया गया है आप बतायें कि गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आप की क्या योजना है? मान्यवर, पगेखर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसके लिए 900 रुपये की दवाओं की व्यवस्था है आप बतायें कि कैसे इतने कम पैसों में जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है? आप दलितों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा दें गरीबों को दवायें ठीक से वितरित नही की जाती हैं और उसमें घपला होता है। पचोखर में जो अस्पताल है वहां पर दो तीन साल से कोई दवा उपलब्ध नही करायी गयी है। मान्यवर, चन्दौली में एक सदर हास्पिटल है वहां आज तक सी0एम0ओ0 की स्थाई नियुक्ति नही हुई है। दूसरे डाक्टरों को वहां अटैच कर दिया गया है। यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर बीमार लोगों के इलाज का कोई इंतजाम नही है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करता हूं कि काशी नरेश ने जो अस्पताल सरकार को दिया था वहां पर डाक्टरों और दवाओं की व्यवस्था की जाये। आप राज परिवार के हैं आपको ध्यान रखना चाहिए गरीव जनता के हितों का और उनको अच्छी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर कार्यवाही करें यदि पूर्व की तरह आपने काम किया तो सुधार नहीं होगा जिन डाक्टरों को आपने भगवान कहा है आप उनके मुखिया हैं आप मुखिया होने के नाते क्षीर सागर में भगवान विष्णु की तरह अकेले बैठने का काम न करें। बल्कि ये जो कलयुग के भगवान डाक्टर हैं इन पर अंकुश लगाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री कालीचरन राजभर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया तथा मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि आज सदन इस सोहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में यह जनकल्याणकारी बजट है, किसानों, गरीबों, मुजलूमों के हित में यह बजट है हमारे विपक्ष के जो सम्मानित सदस्य बैठे हैं वह भी दिल से स्वागत करते हैं लेकिन विरोधी होने के नाते अपनी जुबान से बाहर से वह विरोध कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इस बजट का स्वागत करें। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी विधान सभा जहूराबाद जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरी विधान सभा का क्षेत्र 90 कि0मी0 तक फैला हुआ है। अगर निष्पक्षता से सर्वे किया जाए तो जहूराबाद जैसा कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के जहूराबाद बाजार में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए। इसी के साथ मैं इस कल्याणकारी बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और विरोध पक्ष से भी कहना चाहूंगा कि इस कल्याणकारी बजट का समर्थन करें।

(श्री कालीचरन राजभर के भाषण के मध्य 8 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

अभी लम्बी सूची है। अभी अनेक विभागों के बजट आना शेष है। मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिल रहा है वह अगले बजट की तैयारी करें। अब दो तीन लोग इधर से लगातार बुला रहा हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव–

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

दो तीन बिन्दुओं में अपनी बात रख दें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मैं जो स्वास्थ्य विभाग का कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। राज्यपाल दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी भी नोट कर लें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सांडी नगर पालिका है जहाँ महिला अस्पताल की बिल्डिंग बनी है लेकिन कोई डाक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है कोई स्टाफ नहीं है। रात को वहां सुअर रुकते हैं। हरपालपुर सी0एच0सी0 है वहां मानक के

अनुसार सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है आपरेशन की व्यवस्था नहीं है। एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीसियन नहीं जाता है। कम से कम जो मानक है उसके अनुसार काम होना चाहिए। हमारे क्षेत्र मे दहेलिया, बड़ा गांव, मंसूरपुर, पंजा, चिल्लौपुर बम्हयपुर आयुर्वेदिक अस्पताल हैं वहां डाक्टर नही है। गांव वाले उसमें भूसा भरते हैं, हमारे यहां तहसील हेडक्वार्टर पर सी0एच0सी0 प्रस्तावित भूमि नहीं मिल रही है। बिलग्राम में तहसील हेड क्वार्टर में बिल्डिंग पी0एच0सी0 की है। 5-6 साल से उसकी छत गिरी हुई है। आपसे 3 लाख रुपये मांगे गए थे लेकिन आपने एक पैसा अभी तक नहीं दिया है। कम से कम तीन लाख रुपया दे दें ताकि उसकी छत पड़ जाए। डाक्टर पेड़ के नीचे बैठते हैं। मेरा ख्याल न करें तो नेता विरोधी दल का ख्याल करें उनकी ससुराल विलग्राम में है। वहां इनकी सास और साले रहते हैं। नेता विरोधी दल के नाम से ही 3 लाख रुपये दे दें तो वहां पी0एच0सी0 की छत पड़ जाय और डाक्टर छत के नीचे बैठकर दवा दे। इन्ही शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय अवधेश जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आजमगढ़ की चन्द बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। जब आजमगढ़ मण्डल बना तो वहां पर महिला हास्पिटल बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। इतना अच्छा हास्पिटल है कि इतना अच्छा हास्पिटल पूर्वांचल में बनारस, गोरखपुर में नहीं मिलेगा। यहां पर महिला डाक्टर की जरूरत है, लेकिन महिला डाक्टर न होने के कारण से यह अस्पताल उसी तरह से सूना पड़ा है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1993-94 में आयुर्वेदिक अस्पताल 20 बेड का बनाने के लिये नींव रखने का काम किया था और 20 लाख रुपये भी उसके लिये देने का काम किया था लेकिन वह अस्पताल बन नहीं पाया और उनकी सरकार चली गई। दूसरी सरकारें आई लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी पी0एल0ए0 में पैसा पड़ा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसको बनवाने का काम किया जाय। पिछले दिनों मैंने सवाल किया था। कुत्ते के काटने की सुई 3 महीने तक आजमगढ़ में नहीं रही। कितने लोग मरे उत्तर दिया गया था कि कोई नहीं मरा है । मान्यवर, कुत्ते के काटने पर लगने वाली सुई की जरूरत पूरे प्रदेश में है। जब से उत्तरांचल प्रदेश बन गया है कुत्ते के काटने पर लगने वाली सुईयों की कमी हो गयी है, इसको कैसे पूरा करेंगें? इसकी भी पूर्ति करने का काम करें।

अल्ट्रा साउन्ड मशीन के बारे में कहना चाहता हूं कि मण्डल होने के नाते सभी जगह अल्ट्रा साउन्ड मशीन और सी0टी0 स्केन की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी छोटी सी दुर्घटना हो जाती है तो सी0टी0 स्केन न होने के कारण बनारस या गोरखपुर ले जाना पड़ता है। इसकी भी व्यवस्था करने का काम करेंगें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में, तेरहवीं विधान सभा में मैने सवाल किया था। स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब आया था। मान्यवर,मऊ जिला बन जाने के बाद वहां हास्पिटल बन गया लेकिन आज भी वहां पर पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है उसके लिये आजमगढ़ जाना पड़ता है। 200 किमी0 दूर से लोग ले जाते हैं हास्पिटल में और जो पोस्टमार्टम होता है एक दिन में वह वहां पर 3 दिन में होता है जिससे लोगों को बहुत असुविधा पैदा होती है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर इसकी भी व्यवस्था करा दें।

इसी के साथ दो बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। अपने क्षेत्र के उच्चीकृत हास्पिटल (परशुरामपुर) की बात कर रहा हूं कि आज वहां 3 साल से पैसा न पहुंचने के नाते वह बन नहीं पा रहा है। बिलैयागंज में छत टूट गई है। वहां पर जरा सी बरसात हो जाय तो पानी टपकने लगता है। एक भी मरीज वहां पर नहीं रह सकता है। महाराजगंज में जो हास्पिटल है वहां बाउन्ड्री नहीं है। जो माँए अपने बच्चों को लेकर भरती होती है वहां पर कुत्ते आ जाते हैं और बच्चों के काटने का काम करते हैं। बच्चों को उठा भी ले जाते हैं। वहां पर दवाओं का भी अभाव है। 1993-94 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार थी मुलायम सिंह जो मुख्य मंत्री थे उस समय दवा के लिये 39 लाख रुपये आजमगढ़ में दवा के लिये दिये थे लेकिन पिछली सरकार ने तथा आज की सरकार ने क्या किया। जहां 39 लाख रुपये दवा के लिये मिलते उसमें से कटौती करके 13 लाख रुपये दिये। इससे कैसे सबका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर माननीय अवधेश प्रसाद, डा0 पी0 के0 राय, संजय गर्ग के विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पीलीभीत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बरेली मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल 250 बैड का पीलीभीत में है लेकिन उसकी बहुत दुर्दशा है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि जितने व्यापारी हैं वह अपने व्यापारी साथी को देखने के लिए अस्पताल गए वहां व्यापारियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, उनको इसलिए पीटा गया कि एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा था इसके लिए उन्होनें कम्पाउन्डर और डाक्टर से कहा इसलिए उनको दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। सारे लोग नर्सिग होम चला रहे हैं, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है उस बड़े अस्पताल में नर्सिग होम चलाने का काउन्टर खोल रखा है। बरेली मंडल का यह पीलीभीत मे 250 बैड का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां डाक्टरों की व्यवस्था सही नहीं है, वहां डाक्टरों की व्यवस्था सही करा दें। जो वहां सी0एम0एस0 है वह बुजुर्ग है वह 12.00 बजे आते हैं जिसके कारण डाक्टर 1.00 बजे आते है इसलिए सी0एम0एस0 को बदला जाए, इतना बड़ा अस्पताल बूचड़खाना बना हुआ है।

पीलीभीत में जो नर्सिग होम खुले हुए हैं मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ से उनके लिए मानक निर्धारित हो कि नर्सिग होम चलाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यह मानक होने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नर्सिग होम में मानक लागू कराये जाएं मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे, इन्ही शब्दों के साथ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री लालबहादुर यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं स्वास्थ्य ऐसा विभाग है जो मानव के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक विशेष महत्व है। ऐसी दशा में प्रदेश के अस्पतालों में जो व्यवस्था है, जहां गरीब, किसान मजदूर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाते हैं आज अस्पतालों की जो व्यवस्था है हर सम्मानित सदस्य सदन के जानते होंगे, अगर उन अस्पतालों में जाया जाए तो इतनी गन्दगी होती है, इतने मच्छर होते हैं जिसके कारण किसान मजदूर परेशान होते हैं यह किसान मजदूर का अस्पताल है वहां कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था नहीं होती है। प्राइवेट नर्सिग होम में स्वच्छता होती है जो सक्षम होते हैं वह वहां चले जाते हैं उनको जल्दी राहत मिलती है जो नर्सिग होम नहीं जा पाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में अच्छे डाक्टर नहीं होते हैं ऐसा विधिवत शासनादेश लागू होना चाहिए कि नर्सिग होम कि तरह स्वच्छता रहे, नर्सिग होम में स्वच्छता के चलते जल्दी राहत होती है। सफाई की व्यवस्था अस्पतालों में हो जाए तो गरीबों का भला होगा।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र गढ़वाल जौनपुर सुजानगंज के क्षेत्र में तीन-चार बड़े अस्पताल हैं वहां डा0 नहीं हैं वहां दो बड़े अस्पताल हैं उनमें डाक्टरों की व्यवस्था की जाए। क्योंकि गरीब, किसान मजदूर वहां जाते है जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको वहां के डा0 निरर्थक जांच के लिए सलाह देते है उनको पैथोलोजी सेन्टर भेजते है। मान्यवर, जो महाराजगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने उन्होने उच्चीकरण के लिए एक करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया था। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच कर लें। एक चौथाई निर्माण हुआ है और आज भी उसी दशा में पड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल कार्यवाही करके उसका निवारण करें।

*श्री अजीम भाई–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अवधेश प्रसाद जी और दीनानाथ जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए एक सुझाव रखना चाहता हूं। मुझे यह नहीं मालूम कि वह काम हो सकता कि नहीं। यह आपके सलाहकर पी0ए0 या पी0एस0 ही बता सकते हैं। मान्यवर, फिरोजाबाद में जिला अस्पताल है वह वाई पास रोड पर बना है। एक किलोमीटर की बाउन्ड्री है। आर्थिक संसाधन का सभी बयान करते हैं कि संसाधन नहीं है। एक सुझाव है कि यदि वाई पास रोड की बाउन्ड्री के पास दुकानें बनवा दी जाय तो उसके किराये से अस्पताल का खर्चा चल सकता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि विरोध पक्ष के लोग केवल विरोध के लिए बोलते हैं। लेकिन मान्यवर, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुझाव दे रहे हैं। अगर यह बजट इतना अच्छा होता तो समर्थन आप लोग करते सुझाव न देते। जितने पक्ष के लोग खड़े होते हैं वह सुझाव देते हैं ऐसी ही विरोध पक्ष के लोग सुझाव दे रहे हैं। जहां तक अस्पतालों की बात है पक्ष हो या विपक्ष हो सभी मा0 सदस्य जिला अस्पतालों में रिश्वतखोरी और बेईमानी और गरीब लोगों के साथ अन्याय डाक्टर करते हैं, यह सबका मानना है। यह सब लोग उसी वोट से जीतकर आये हैं। उन अस्पतालों से सभी लोगों का रिश्ता होता है। अंत में सिर्फ चार लाइनें जो डा0 बशीर चंद्र की हैं डाक्टरों के बारे में, कहना चाहता हूं।

"जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है,
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
डाक्टर अस्पतालों में दरिंदों की तरह घूम रहे हैं,
अस्पतालों से बड़ा कोई जंगल नहीं देखा।"

श्री रणवीर राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मै उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मेरठ से आता हूं। मेरठ में एक मेडिकल कालेज है वहां छात्र क्षमता थी 153 की जो अब घटकर 100 हो गयी है। यह घट क्यों रहीं है माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो छात्र क्षमता थी उसको पूरा करायें। दूसरी बात जो वहां की प्रधानाचार्या है जैसे-जैसे टाइम चढ़ता है उनकी आयु घटती जा रही है जिससे प्रमाण वहां पर मौजूद हैं। कैन्सर की कीमती मशीन है वह बेकार पड़ी हैं। हमने वहीं से पता कराया जितना बजट के लिए कहा इन्होंने स्वीकार कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि और बजट की मांग करी। आज यह मशीनें खराब पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि जो वहां के सी0एम0ओ0 साहब है उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं। वह कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री अवधेश प्रसाद और श्री दीनानाथ भास्कर जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की ओर से कई माननीय सदस्यों ने अपनी अच्छी बातें रखी हैं। मगर माननीय मंत्री जी ने अपना कलम भी नहीं खोला। लगता है कि शायद माननीय मंत्री जी की याददाश्त बहुत अच्छी है। यहां पर कई बातें हुई उनमें से अधिकतर डाक्टरों की बेइमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर चर्चा थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सदस्य ने डाक्टरों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज मेडिकल साईंस में नित नये-नये आविष्कार होते हैं। लेकिन पी0 एम0 एस0 में कोई भी ऐसी सुविधा इस बजट में नहीं रखी गयी है। जिससे डाक्टरों को रीसेन्ट एडवान्समेंट के बारे में जानकारी हो। जो डाक्टर्स 30 साल पहले जिस पद पर नियुक्त थे या जो मेडिकल अफसर थे वह वहीं के वहीं रह गये हैं लेकिन उनके पढ़ाये हुए लड़के आज डायरेक्टर बने हुए हैं। मान्यवर, होना तो यह चाहिये कि प्रमोशन काबिलियत और डिग्री के हिसाब से होना चाहिये। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है इस कारण से डाक्टर निराश हैं। इसी का परिणाम है कि कोई भी डाक्टर आज सुपर स्पेशिलिटी में नहीं आ रहा है। आज एम0 डी0, एम0 एस0 की कोई स्थिति नहीं रह गयी है। मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई एक-दो ऐसे पी0 एम0 एस0 में होंगे जो डी0 एम0 करके आये होंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नई जानकारी पाने के लिए डाक्टरों को उत्साहित करें कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करें और सुपर स्पेसीयलीटी के लिए अलग से एलाउंस दें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक लेबल अस्पतालों पर एक न्यूरो सर्जन का होना आवश्यक है। मान्यवर, अगर कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है हेड इंजरी हो जाती है तो कम से कम बहरहाल आपरेशन जिला अस्पताल मे हो जाय। मरीज को 12 घण्टे मुफ्त दवायें मिलनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपया इसका प्रबन्ध करें कि मरीज को इमरजेन्सी से 12 घण्टे मुफ्त दवा मिले कई माननीय सदस्यों ने जो यह बात उठायी कि मलेरिया से, टी0 बी0 से लोग मर जाते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रचलित दवाओं से बीमारी का रोससटेन्स बढ़ गया है इस वजह से करीब 5% मरीज पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। जो दवायें असर करती हैं वह काफी महंगी होती हैं। यह बीमारी अधिकतर गरीबों को होने वाली बीमारियां हैं। मान्यवर, इस संबंध में बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, अभी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस करने की बात हो रही थी। करोड़ों रुपये जो एन0 डी0 ए0 देकर डाक्टरों पर सरकार खर्च कर रही है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है मंत्री जी एन0 डी0 ए0 समाप्त खत्म करके प्रैक्टिस करने की छूट दे दें। जो नर्सिंग होम हैं वहां पर शहर के

मशहूर फिजिशियन या सर्जन बैठते हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। अच्छी मशीनें नहीं हैं और जो हैं भी वे खराब पड़ी हैं मुझे मालूम है आप सरकारी अस्पतालों में सी0 टी0 स्कैन लगाने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में लगाने की बात तय हो चुकी थी और टेण्डर भी हो चुका था किन्हीं कारणों से नहीं लगी। मेडिकल कालेज में लगी है परन्तु रोज खराब रहती है। एक मरीज पर एक हजार से 12 सौ रुपये कमीशन लेते हैं। एक आदमी को मैंने सी0 टी0 स्कैन के लिए स्वयं भेजा, मेरे पास कमीशन आ गया। मैंने खुद दो मरीज भेजे और दो हजार रुपये का कमीशन आ गया है। कम से कम सी0 टी0 स्कैन में फीस फिक्स कर दीजिये। अस्पतालों में मशीनें क्यों खराब होती हैं यह भी निश्चित करने की कृपा करें जिम्मेदार कौन होगा कितने रेट पर होगा। प्रमोशन की बात यहां पर आ गयी है। सी0 एम0 ओ0, सी0 एम0 एस0 की पोस्ट समकक्ष है। बहराइच जिले में महिला सी0 एम0 एस0 3 साल से नहीं है। सी0 एम0 ओ0 ट्रांसफर कर दिये गये बगल में सी0 एम0 एस0 बैठा हुआ है उसको चार्ज न देकर एक जूनियर व्यक्ति को चार्ज दे दिया गया है। स्नेक बाइंट के केसेस जहां पर ज्यादा हैं वहां पर कम से कम एक वेन्टीलेटर की अत्यन्त आवश्यकता है। स्टाफ नर्सेज की बहुत शार्टेज है। वार्ड आपने बनाये हैं, आई वार्ड है, बी0 डी0 क्लीनिक खुले हुए हैं, वहां पर डाक्टर हैं पर स्तर का स्टाफ नहीं रह गया है न काम हो रहा है न सुविधा है। अस्पताल में मरीजों की अटेंडेंस के हिसाब से डा0 की और दूसरे स्टाफ की आप पोस्टिंग करायें। आज ए0 आर0 वी0 की आवश्यकता है। निजी कम्पनियों की अपनी दवाओं की आज इतनी पब्लिसिटी हो गयी है कि हर आदमी ए0 आर0 बी0 लगवाना चाहता है। जबकि हर कुत्ते के काटे से रेबीज नहीं होता है। आपने जैसे एड्स में पोस्टर लगाये हैं वैसे ही सूचना पट्ट लगवायें कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है जो आवश्यक है उन्हीं को लगाया जाये। हर जगह आप ए0 आर0 बी0 या रबीपुर का नियांत सुनिश्चित करें एक हफ्ते से ज्यादा कहीं अभाव नहीं होना चाहिये।

यूजर्स मनी की बात है बिजली की सप्लाई न होने से दिक्कत होती है। यूजर्स मनी यहां रोक दी गयी थी मैं खुद प्रमुख सचिव से मिला था तब जाकर अब डीजल खरीदा जा रहा है। युजर्स मनी से इसमें डीजल के लिए प्राथमिकता दी जाये। ताकि कोई भी मरीज बिना बिजली के आपरेशन न होने के कारण न मरे। केवल प्राथमिकता जनरेटर में डीजल की रहे यह सुनिश्चित करें। पी0 जी0 आई0 का हमारा सपना था। हजारों मशीन वहां बेकार पड़ी हैं। वहां डा0 नहीं रुक रहे हैं। आप एक कमेटी बना दें, देखें कि पी0 जी0 आई0 के डाक्टर क्यों जा रहे हैं। आप हर जिला अस्पताल के स्तर पर डाक्टर की अच्छी टीम भेज सकें जो छोटे शहरों में कुछ सेवा कर सकें ऐसी आशा करता हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह सैनी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं नया सदस्य हूं। मैं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे दो मिनट में मेरी बात सुन लें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भोथा में अस्पताल है वहां एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर के दो पद स्वीकृत हैं एक पुरुष व एक महिला लेकिन कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया गया है वहां दोनों एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर भेजे जायं केवल एक ए एन एम हैं जिसने अस्पताल में जगह घेरकर एक प्राइवेट नर्सिंग होम बनाया हुआ है और वह 2-2, 3-3 हजार रुपया

बच्चा पैदा कराने का लेती है तथा गरीब जनता को लूटती है इसकी जांच करायी जाये और वहां पर जो गरीब जनता है उसको राहत देने के कार्यक्रम चलाये जायें। दूसरा मेरे क्षेत्र में सेरपुर खादर एक जगह है वहां 40 हजार की आबादी है और काफी गरीब लोग वहां रहते हैं। वहां पर कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं है। मेरी मांग है कि वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये इसी के साथ ही मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, आपने जो बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। साथ ही विपक्ष का भी आभारी हूं क्योंकि सदन को सारगर्भित चर्चा लायक बनाये रक्खा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का बजट लोक कल्याणकारी है क्योंकि प्रति मरीज व्यय राशि 159.90 से बढ़ा कर 166.33 कर दिया गया है। मैं अपने जनपद की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे जनपद में बहुत बड़ा कमिश्नरी के नम्बर एक का अस्पताल है लेकिन इसके बावजूद न उसमें मरीज हैं और न उसकी कोई चिन्ता हो रही है। नर्सिंग होम बढ़ रहे हैं सी एम ओ भी नहीं हैं इसके साथ-साथ उसमें एक बहुत बड़ा हृदय रोग का विभाग बना हुआ है लेकिन उसमें एक भी मरीज नहीं है बड़ी-बड़ी मशीनें हैं लेकिन सब बेकार पड़ी हैं। और लोगों को नर्सिंग होम जाना पड़ता है। मान्यवर, हमारे यहां पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल बना उस अस्पताल में डाक्टर हैं, भवन है लेकिन उसका मालिक आयुर्वेद विभाग नहीं है। वह बिल्डिंग आयुर्वेद के कब्जे में नहीं है। मान्यवर, उसकी दुर्दशा है जबकि वह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर बना है। मान्यवर, हमारे यहां फतेहपुर में एक अस्पताल है जहां एक्सरे टेक्नीसियन हैं लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है वहां एक्सरे मशीन उपलब्ध करायी जाये जो महिला चिकित्सालय है वहां 10 साल से कोई डाक्टर नहीं है वहां डाक्टर भेजा जाये। इसके साथ ही बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शंख लाल मांझी--

मान्यवर, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं पहली बार चुनकर आया हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने होम्योपैथी मेडिकल कालेजों को उच्चीकृत और सुविधा सम्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक धन देने की बात की है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने क्षेत्र की बात रखिये।

श्री शंख लाल मांझी–

मान्यवर, जो आपने अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र घोषित मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम करने के लिए व्यवस्था करता है। यह 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित कार्यक्रम है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार इसका खर्च वहन करती है। मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी ने पिछले साल की अपेक्षा 5 करोड़ 40 लाख 10 हजार रुपये कम करते हुए इसकी व्यवस्था की है। 11 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 3 करोड़ शहरी क्षेत्र में । कुल 14 करोड़ दवाओं पर खर्च के लिए बजट में प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष–

आपको क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहना है। आप बैठ जाइये आपका क्षेत्र बहुत भाग्यशाली है।

श्री विनय शाक्य–

औरैया में दो महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं हमारे जनपद में भारत सरकार की दो परियोजनायें हैं एक है एन0 टी0 पी0 सी0 और दूसरी पाता पेट्रोकैमीकल लि0 भारत । हमारा जनपद नया जनपद बना है इसलिए में सदन के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जिले में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। तब तक जनता को अच्छी सुविधायें देने के लिये एन0 टी0 पी0 सी0 और पाता पेट्रोकैमीकल लि0 भारत हमारी दो परियोजनाएं हैं जिसमें चिकित्सा सुविधाएं अच्छी है। तब तक हमारी जनता को सुविधाएं देने का बजट में प्रावधान किया जाये। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे जिले में कोई पोस्टमार्डम हाउस नहीं है और वहां पोस्टमार्डम हाउस के लिए 70-80 किलोमीटर दूर जनपद इटावा में जाना पड़ता है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद औरैया (दिबियापुर) में एक पोस्टमार्डम हाउस खुलवाने की कृपा करें।

श्री राजेश कुमार–

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा क्षेत्र विधान सभा 53 पैला जनपद लखीमपुर खीरी में सेमराई पड़ता है वहां पर जो भी पी0 एच0 सी0 बना है कोई डाक्टर की सुविधाएं यहां से नहीं रिलीव होती हैं, वहां दवाइयां भी नहीं मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी स्वास्थ्य केन्द्र का पैसा रिलीव होता है उसकी कार्यदाई संस्था जनपद स्तर की होनी चाहिये उसके जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन पर लगाया जाये। मान्यवर जो गुणवत्ता के बारे में काम नहीं हुआ है उसकी जांच करा करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री राजेश कुमार–

मेरा विधान सभा क्षेत्र भीरा पड़ता है। वहां पर लोग बैरियर लगा देते हैं, कई लोग एक्सपायर हो चुके हैं। मान्यवर, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की आवश्यकता है। जनपद लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्डम की व्यवस्था नहीं है। तीन विधान सभाओं के लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए निवेदन है कि पोस्टमार्डम की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।

श्री कल्याण सिंह दोहरे–

आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं श्री अवधेश प्रसाद और श्री दीनानाथ भास्कर के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा क्षेत्र कन्नौज है, जनपद भी कन्नौज है। मेरी कई समस्यायें हैं। यहां कन्नौज में सी0 एम0 ओ0 को आफिस बनाया जाये। सी0 एम0 ओ0 का विनियमितीकरण नहीं किया गया जिससे हमारे यहां के कर्मचारियों का वेतन फर्रुखाबाद से आज भी निकलता है। इसलिए निवेदन है कि सी0 एम0 ओ0 का रेगुलरा इजेशन कर दें। कुल मिलाकर डाक्टरों के सृजित पद हैं 42, जिसमें से 21 रिक्त हैं। 8 महिलाओं के सृजित पद हैं जिसमें से पूरे के पूरे रिक्त हैं। मान्यवर, हमारे यहां 11 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कोई डाक्टर नहीं हैं।

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

मेरा अनुरोध है कि कम से कम 3 पदों का सृजन और कर दें, जिससे चिकित्सा सुविधा विधिवत् चलने लगे। एनेस्थिटिक सर्जन की पोस्ट है लेकिन एनेस्थीसिया दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था आप करा दें। हमारे यहां 3 एक्सरे मशीनों में न तो रेडियोलांजिस्ट है न ही टेक्नीशियन हैं, मशीनें खाली पड़ी हुई हैं। 4 गाड़ियां हैं जिसमें दो एम्बुलेंस हैं और दो गाड़ियां सी0 एम0 ओ0 और अधीक्षक के पास हैं, दो ड्राइवर होने के कारण दो गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसलिए मान्यवर, इसके तरफ ध्यान देकर ड्राइवरों की पोस्टिंग कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी, समाप्त करिये।

श्री कल्याण सिंह दोहरे–

इसलिए अनुरोध है कि मेरा नव सृजित जनपद है इसलिए वहां की तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान देकर इसको हल करें। मैं तो उम्मीद करता था कि आप स्वास्थ्य विभाग के राजा हैं, वैसे भी राजा हैं। अस्पतालों में गरीबों का शोषण हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 7 रुपये लिये जा रहे हैं लेकिन दो रुपये की दवा नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, अब लिखा नहीं जा रहा है।

श्री कल्याण सिंह दोहरे–

मान्यवर, आप आज मुक्त हस्त से यह घोषणा करें कि गरीबों का इलाज फ्री होगा और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया जायेगा। मान्यवर, जब कोई लड़का सी0 पी0 एम0 टी0 के लिए क्वालीफाई करता है तो परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का डाक्टर बन गया लेकिन बी0 ए0 एम0 एस0 में अगर वह चुना गया तो उसे नौकरी के लिए घूमना पड़ता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है केवल एम0 बी0 बी0 एस0 को ही नौकरी मिलती है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइये। मैंने अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया है।

श्री कल्याण सिंह दोहरे–

मान्यवर, मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे छात्र जो बी0 एम0 एस0 में सेलेक्ट हुये हैं उन्हें भी रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि स्वास्थ्य विभाग जिसका सीधा संबंध प्रदेश की 17 करोड़ जनता से है। आज हम बधाई देना चाहते हैं माननीय सदस्यों को चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हो। हम उनके आभारी हैं इसलिए कि जो कटौती का प्रस्ताव हमने रखा, कटौती के प्रस्ताव में उन्होंने बहुत ही विद्धतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सुझाव भी दिये और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी रखा और चिन्ता भी व्यक्त की। श्रीमन्, आज के वाद-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विवाद में एक चीज सामने उभर कर आयी, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्य हों, उन्होंने रस्मी तौर से मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन सीधे किया इसके अलावा जो भी बातें कही गयी और सुझाव दिये गये उनके माध्यम से विभाग की आलोचना और कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाने का काम किया गया। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये सुझावों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेगें और अपने विभाग की कमियों को ठीक करने का काम करेगें । मेरे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में श्रीमती सुखदेवी वर्मा, माननीय श्री राम शंकर, माननीय श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, माननीय श्री भगेलू राम, माननीय श्री राजेन्द्र यादव, माननीय श्री सदल प्रसाद, माननीय श्री जगदम्बिका पाल, माननीया ऊषा वर्मा, माननीय श्री राम किशन यादव, माननीय श्री विश्राम सिंह यादव, माननीय श्री वसीम, माननीय श्री रियाज अहमद, माननीय श्री लाल बहादुर, माननीय श्री कौशल किशोर, माननीय श्री एस0 पी0 यादव, माननीय श्री पी0 के0 राय, माननीया आशा किशोर, माननीय श्री संजय गर्ग, माननीया गीता सिंह, माननीय महेन्द्र सिंह राजपूत, माननीया राज लक्ष्मी वर्मा, माननीया अम्बेश कुमारी, माननीय डा0 वकार साहब आदि माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें, हम इन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

मान्यवर, दो मुख्य बातें हैं। आपको भी जानकारी है, जब आप सत्ता में थे, आज माननीय राज नारायण जी नहीं है, जब वह यहां मंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी और स्वास्थ्य रक्षक और दवाइयों की भर्ती की थी। अभी एक सप्ताह पहले इसी विधान भवन के सामने हजारों-हजार की तादाद में दाई और स्वास्थ्य रक्षक आये थे। कितनी बिडम्बना की बात है कि सरकार की तरफ से आज मात्र 58 रुपया महीना उनके लिये रखा गया है, जबकि वह महीना भर काम करती हैं और उनको 50 रुपया महीना मिलता है वह भी 3-3, 6-6 महीने और साल भर के बाद मिलता है। ऐसे समय में जब इस प्रदेश में एक दलित की बेटी, दलित की बहन मुख्यमंत्री हो, मैं माननीय मंत्री जी आपसे चाहूंगा कि आप आज ही सदन में घोषणा करें कि प्रदेश में जो दाईयां काम कर रही हैं, उन सबके वेतन का भुगतान तुरन्त सुनिश्चित करायेंगे और जो 25-30 साल से लगातार काम कर रही हैं, उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में भुगतान करायेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपने जिला अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को नर्सिंग होम की भांति लाने का काम किया है और इनके मरीजों के लिये महंगा कर दिया है। इस प्रदेश की अधिकांश जनता गांव की किसान मजदूर है, जो दवा नहीं खरीद सकती और आपने 10 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का काम किया है। जबकि एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है। आप आज ही घोषणा करें कि जो बढ़ोत्तरी की गई है, उसे आप खत्म कर देंगें। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन खर्च को कम किया गया था। आज तो भर्ती होने, सुई लगवाने, एक्सरे करवाने, सभी का पैसा लिया जाता है। मैं यह भी चाहूंगा कि आप अस्पतालों में सी0 टी0 स्कैन की व्यवस्था भी करें। तमाम जिला अस्पतालों में बिजली के बल्ब नहीं हैं और बल्ब हैं तो उसमें तार नहीं है और तार है तो बिजली नहीं है, जहां पर जेनरेटर हैं, वह चलते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं मांग करूंगा कि जो हालत जिला अस्पताल की है हालत है, उसकी चिन्ता सत्ता पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों को भी है सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही सदस्यों को इसकी चिन्ता नहीं है। इसलिए जिला अस्पताल की हालत में सुधार करने की जरूरत है, बजट की

जरूरत है, बिस्तर, चादर ठीक किए जाएं, सफाई व्यवस्था ठीक की जाय, जेनरेटर ठीक किए जायं, एम्बुलेन्स ठीक किए जायं। अक्सर यह बहाना कर दिया जाता है कि एक्सरे मशीन ठीक नहीं है, इसमें विशेष सुधार की जरूरत है। प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र की मान्यवर, हालत बहुत चिन्ताजनक है, वहां पर 95 प्रतिशत डाक्टर नहीं रहते इसलिए इसकी हालत बहुत चिन्ताजनक है।

हमारा प्रदेश गांव में बसता है और यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत ठीक नहीं है, उसे सुधारने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आभार प्रकट करते हुए माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जब वह बोलने के लिए खड़े होंगें तो माननीय सदस्यों की चिन्ता और आशंकाओं को दूर करने का काम करेंगे और इस प्रस्ताव में सुधार लाने की व्यवस्था करेंगें, इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपको हम बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह स्वास्थ्य विभाग का बजट है, इसको स्वस्थ रहने दें, अगर आप रात-रात भर माननीय सदस्यों को बैठाये रहेंगे तो कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप सहयोग तो करें, जल्दी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप संज्ञान ले लीजिए।

श्री दीनानाथ भाष्कर–

अनुदान संख्या-33 और 34 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा तथा होम्योपैथी चिकित्सा के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं विद्वान सदस्य साथियों ने अपने विचार रखे व समर्थन किया है और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इस विभागों में जो सुझाव रखे हैं उन्हें भी मैं अपना समर्थक मानते हुए सभी साथियों का अपने वरिष्ठ साथियों का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली में सकलडीहा में 30 बेड का अस्पताल और बबुरी में आयुर्वेदिक 25 बेड का अस्पताल और जनपद भदोही, चन्दौली व सोनभद्र आदि में जिला अस्पताल नहीं हैं, वहां पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और जो सकलडीहा, बबुरी में अस्पताल है, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी उसकी देख-रेख कराने का काम करेंगे और साथ ही साथ बलिया में जिला अस्पताल बन चुका है परन्तु उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है आज वहां पर भू-माफिया के कारण उसकी जमीन में कटौती होती चली जा रही है इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार उसे ठीक करके वहां का अस्पताल बनाने का काम करे ।

आजमगढ़ में राहुल सांस्कृत्यायन महिला जिला अस्पताल के अन्दर कोई भी महिला चिकित्सक वहां पर नहीं है इसलिए मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिला अस्पताल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, जन-हित को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो मानक हैं वहां पर डा0 और कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेंगे । इसके साथ ही साथ आजमगढ़ में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर पोस्टमार्टम होता है और उसकी एक रिपोर्ट एस0 पी0 और दूसरी सी0 एम0 ओ0 को जाती है। वहां पर जो फार्मेसिस्ट है वह पैसा लेकर नकल देने का काम करता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर रोक लगाने का काम किया जाय। इसी के साथ मैं कहना चाहता

हूं कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में सी0 टी0 स्कैन मशीन लगी है पर यह मशीन 10 दिनों के बाद खराब हो जाती है आप चाहें तो उसकी जांच करा लें। वहां मरीजों को सी0 टी0 स्कैन कराने के लिये बाहर भेजा जाता है और एजेंटों के माध्यम से कमीशन लिया जाता है। इसी तरह से एस0 जी0 पी0 जी0 आई 0 में एम0 आर0 आई0 मशीन लगी है पर वह आज तक चालू नहीं हुयी है और बाहर से एम0 आर0 आई0 करवाया जाता है और उसके लिए बाहर 5200 रुपये लिए जाते हैं परन्तु जो वहां के डाक्टर हैं 9 हजार रुपये लेकर एजेण्टों के माध्यम से एम0 आर0 आई0 कराते हैं। इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि मण्डल स्तर पर मण्डल मुख्यालय में एक सी0 टी0 स्कैन मशीन की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मण्डलवार ओ0 बी0 सी0, एस0सी0/एस0 टी0 एवं माईनारटी तथा अगड़ी जातियों के गरीब छात्रों को पी0 एम0 टी0 तथा सी0 पी0 एम0 टी0 के टेस्ट हेतु कम से कम 250 छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग सेण्टर चलाने की व्यवस्था करायी जाय। हमारे लखनऊ में अम्बेदकर पार्क के सामने जो चार हाथी बने हैं उनको तोड़ कर डाक्टर अम्बेदकर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उत्तेजना हो।

श्री दीनानाथ भास्कर–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि डाक्टर अम्बेदकर के नाम पर मेडिकल विश्वविद्यालय और 250 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय मंत्री जी लेते हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूं अन्यथा मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है अच्छा है या खराब है उसे सुन लीजिये।

(स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होने पर एवं श्री प्रमोद कुमार के टोकने पर)

श्री अध्यक्ष–

इनकी शुरू से छेड़ने की आदत रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

आप साढ़े नौ बजे रात को क्या उम्मीद कर सकते हैं।

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने चाहे वो इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं जिनका मैं संज्ञान ले रहा हूं और उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। जो सुझाव दिये गये हैं उनका परीक्षण कराके उनको लागू करने का प्रयास किया जायेगा। माननीय अवधेश प्रसाद जी ने ग्यारहवें वित्त आयोग के बारे में इंगित किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग का कार्य 2004 में पूर्ण होगा। जहां तक यूजर्स चार्जेज के बारे में माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी, उसकी बहुत आवश्यकता है। उससे अस्पताल की जो छोटी-मोटी समस्यायें हैं उनका निराकरण

होगा। यह समस्याएं जैसे पंखे खराब हैं, बल्ब नहीं है उसको यूजर्स चार्ज से सुधार लेते हैं । सदस्यों ने यह उल्लेख नहीं किया कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनको नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है । बलरामपुर अस्पताल जो है उसमें 375 रुपये में जो चेक अप होता है वह दिल्ली में ढाई हजार से तीन हजार में होता है । व गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों से यह केवल 35 रुपये में चेक अप हो जाता है । सदस्यों ने इसका उल्लेख नहीं किया । मैं चाहूँगा कि सरकार को इस सम्बन्ध में बधाई देते ।

क्षय रोगियों के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने इंगित किया है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 70 जिलों में क्षय रोग निवारण कार्यक्रम चल रहा है । यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है 8 जिलों में इसको और चलाने की अनुमति दी गई है । प्राइवेट प्रैक्टिस का सवाल है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में कोई बात हो तो वह कमेटी को दे सकते हैं । सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में सहयोग करें । आयुर्वेद की जो बात कही गई है मैं प्रयास करूंगा कि इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकूँ । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । और जिन माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे अनुरोध है कि जनता के हित में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें व सर्वसम्मति से इसको पास करा दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा जो हमारा बस्ती मण्डल है, गोरखपुर मण्डल है यहाँ मस्तिष्क ज्वर से हजारों आदमी प्रभावित हैं, विकलांग हो जाते हैं उसकी तत्काल कोई दवा की व्यवस्था नहीं है । एक बार गोरखपुर में एक रिसर्च सेन्टर खोला गया जो विदेशों में भ्रमण करेगा जापान में उसकी दवा की व्यवस्था व उसके उपचार की व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे । मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के लिए एम्बुलेंस रहती थी, डाक्टर रहते थे, दवाइयां उपलब्ध रहती थीं । वह भी बन्द कर दी गई हैं । इनके डाक्टर मस्तिष्क ज्वर नहीं लिखते हैं । उसकी जगह मेनेन्जाइटिस आदि रोग लिख देते हैं । आप इस रोग के बारे में जानते नहीं हैं आप आगरा से आते हैं । यह रोग वहां नहीं होता है ।

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह--

इसको देख लेंगे । हमें पूरे प्रदेश के बारे में चिन्ता करनी है । गोरखपुर की भी चिन्ता करनी है ।

श्री अध्यक्ष--

अवधेश जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मैंने आग्रह किया था कि आज ही घोषणा करें नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था की । यही कल्याणकारी राज्य की मंशा है । यह नहीं किया इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ । दूसरे हमारा आग्रह था कि डा0 बाबा साहब अम्बेडकर जहां पार्क उद्यान है वहां पर एक बड़ा उच्च चिकित्सा केन्द्र खोला जाए । जहां गरीब लोग अपनी दवा कराएं । यह दोनों प्रस्ताव मानने के लिए आप तैयार नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष--

भाष्कर जी आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री दीना नाथ भाष्कर--

मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,39,47,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,29,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,52,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,39,48,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,72,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं0 31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

*उर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय--)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,13,32,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, खत्म करें ।

श्री अध्यक्ष--

आप सभी सहमत हैं । आप कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष--

एक आम सहमति बनी है कि इसको पारित कर दिया जाए ? प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,13,32,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या 85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लाल जी वर्मा--)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-8, 9 एक साथ रख दीजिए ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं0 25 गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान सं0 28 गृह विभाग

(राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,97,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,98,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, कारागार विभाग मुख्य रूप से इसका मुख्य कर्तव्य है कि समाज में अपराधी एवं असामाजिक तत्वों को समाज से अलग रखकर कानून और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने का काम करने के साथ-साथ कारागार विभाग के जो बन्दी होते हैं उनको नैतिक शिक्षा व्यवहारिक प्रशिक्षण देंगे ।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

इसमें भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करायें ।

श्री अध्यक्ष--

विशम्भर प्रसाद निषाद जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्णअनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथ सुझाव देना ।

(इस समय 9 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

मान्यवर, आप जानते हैं सत्तापक्ष के लोग और विपक्ष के लोग बैठे हैं लोकतंत्र में आन्दोलन हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है जेलों में राजनैतक बंदियों को अलग बैरिक तथा बी क्लास की सुविधा प्रदान की जाय । कारागार बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । जनता की समस्याओं के लिए आन्दोलन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को जेल भी जाना पड़ता है तब हमको जेल क्या होता है इसका पता चलता है और हम कैदियों, बन्दी रक्षकों से वादा करते हैं कि बाहर निकलेंगे इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे । अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुवल खत्म करायेंगे । लेकिन सदन में आने के बाद वह जेल मैनुअल भूल जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, अगर मुख्य मंत्री जी होती तो जरूर कुछ सुझाव देती । लेकिन हमें मालूम है कि मंत्री जी कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि उनको जितना बताया गया है उतना ही करेंगे ।

मान्यवर, 70 जनपद हैं जिनमें से 49 जनपद में कारागार है और 21 जनपदों में कारागार नहीं है । वहां पर जेल बनायी जाय । मान्यवर, सर्वप्रथम आगरा में 1894 में जेल बनी थी । 158 साल हो गये हैं और ब्रिटिश मैनुवल 1894 में बना था उसी के अनुसार चल रहा है इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है । मान्यवर,पिछली सरकार में 1995 में जब मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने तमाम जिले बनाये थे लेकिन तीसरी बार भी मुख्य मंत्री बनने के बाद कोई कारागार नहीं बनाया है । इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, मैं यह देख रहा हूँ कि नये-नये रोज विधेयक आते हैं और यह पास करा लेते हैं । लेकिन 1894 के अंग्रेज मैनुअल को यह नहीं बदल पाये हैं । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक मण्डल मुख्यालय में आदर्श कारागार की स्थापना होनी चाहिए ।

आज पूरे प्रदेश में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है और कैदियों की संख्या बढ़ी है । आज कैदियों की दशा सुधारने और उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है । मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूँ कि एक अलग से कारागार मंत्री बनाया जाय ।

मान्यवर, हम तो यह सोच रहे थे कि 15 अगस्त को जो अच्छे आचरण वाले कैदी हैं उनको छोड़ने की घोषणा करेंगे, उनको पैरोल में छोड़ने की घोषणा करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया गया । मान्यवर, तिहाड़ जेल में किरन बेदी जी ने सुधार किया था हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और सुधार करना चाहिए । मान्यवर, राजनैतिक पेंशन के बारे में भी बजट आया है । इसमें एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें । जब आम सहमति हो गयी है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, फर्जी केशों में फंसाया जाता है इस कारण जेल जाते हैं । ये कुछ अपराध करने के कारण जेल जाते हैं उनमें सुधार लाने के लिए सरकार जेलों में शिक्षा तथा अन्य सुधारवादी कार्यक्रम चलाने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, दो तीन बातें कहना चाहता हूँ । आदर्श कारागार, लखनऊ में 18 कैदियों के भागने की बात कही है । इन्होंने पलायन की बात लिखी है । इनको फरार और पलायन में कोई अन्तर नजर नहीं आता है । क्यों लोग फरार हो रहे हैं ? क्या कारण है ? मृत्यु दर में भी बढ़ोत्तरी हुई है प्रदेश के कारागारों में डाक्टरों की कमी है तथा कैदी/हवालातियों से जेलरों द्वारा कमान/मसक्कत कराने के नाम पर पहरा देने के नाम तथा मिलाई करने में भारी रिश्वत ली जा रही है, बन्द होना चाहिए । हवालातियों/कैदियों के भोजन में सुधार की आवश्यकता है जानवरों की तरह आटा पैरों से गूथा जाता है तथा झाड़ू से रोटी सेकी जाती है व्यवस्था बन्द की जाय तथा अपराधियों माफियों को जेल में भण्डारे से अलग भोजन तथा अफीम, चरस, भांग, स्मैक आती है बन्द कराया जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह सरकार केवल कहने के लिए संवेदनशील सरकार है । मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जुलाई के राष्ट्रीय सहारा में दिया है कि गाजीपुर थाने की पुलिस ने एक हिजड़े (गुरु प्रसाद) को लड़की भगाने के जुर्म में पकड़ा गया था और उसे महिला कारागार में बन्द कर दिया गया था महिला कारागार में बन्द होने के बाद उसने वहां पर भारी उत्पात मचा दिया। उसने कई महिलओं के साथ बलात्कार किया । उन महिलाओं ने अनशन और भूख हड़ताल कर दी है । मान्यवर, जब उस हिजड़े का डाक्टरी परीक्षण किया गया तो उसमें पुरुष के लक्षण पाये गये । बाद में उसको पुरुष बैरक में बन्द किया गया । इसलिए गुरु प्रसाद हिजड़े व जेल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाय तथा उन महिलाओं का डाक्टरी परीक्षण कराया जाय । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक बात और कहना चाहता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी सहमति हो गयी है । आपने अपना विषय रख लिया है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, हमारे सदन की नेता मायावती जी हैं । उनका पुलिस पर खुद ही भरोसा नहीं है । उनकी सुरक्षा को खतरा है । उन्होंने खुद बयान किया है तथा प्रदेश के कारागारों में बन्दी रक्षकों की कमी है उसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है इसलिए कारागारों में बन्द कैदियों की सुरक्षा हेतु नीचे से खटमल व ऊपर से मच्छरों को सुरक्षा में तैनात कर दिया है जिससे कैदी भाग न पायें ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इन्हें अपनी बात कह लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर सहमति हुयी थी ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जनपद जालौन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री तुलसी राम त्रिपाठी जी की समाधी थी । उसे बसपा सांसद श्री बृज लाल खाबरी द्वारा तुड़वा दिया गया है । यह सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को तुड़वा रही है । सांसद की पत्नी श्रीमती उर्मिला सोनकर ने स्वयं बुलडोजर इश्यू कराया और समाधी को तुड़वा दिया । मान्यवर, मै मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए । यह राजनीतिक पेंशन विभाग महत्वपूर्ण था । इसमें हमें आशा थी कि सरकार पेंशन में बढ़ोत्तरी की घोषणा करेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय नहीं हैं और माननीय मंत्री जी की हिम्मत नहीं है कि बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह सहमति हुई थी। लिखा नहीं जायेगा। माननीय मंत्री जी आप कहें।

माननीय आर्य जी आप अपना आसन ग्रहण करें। लिखा नहीं जा रहा है।

सदन में आम सहमति के विरुद्ध कतिपय सदस्यों द्वारा चर्चा किये जाने की मांग पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री विनोद तिवारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे विषय पर विवाद होने की बात चल रही थी माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए थे उप नेता विपक्ष मा0 चौधरी, माननीय तिवारी जी ने यह तय किया था कि किसी विषय पर विवाद नहीं होगा। उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि उधर नेता मा0 अम्बिका चौधरी जी अभी बैठे हुए थे विवाद में बराबर उनकी तरफ से कटौती का प्रस्ताव रखा जा रहा है। मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह पूरे सदन और मा0 पीठ का अपमान है।

श्री अधिष्ठाता--

जो बात माननीय विनोद तिवारी जी ने रखी है वह ठीक है। बात तर्क संगत है। मंत्री जी आप बोलें।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान सं 25-गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान सं0 28-गृह विभाग
(राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) (क्रमागत)

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)--

मान्यवर, जेलों का अपना स्थान है समाज में। जो असामाजिक तत्व हैं उनको समाज से अलग करके समाज में समरसता और कानून व्यवस्था को कायम करके और साथ ही साथ मान्यवर उनमें नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनको समय की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यह सरकार करती है। मा0 निषाद जी ने कहा कि कई ऐसे जिले हैं जहां जेलों की कमी है। उत्तर प्रदेश में 5 केन्द्रीय कारागार हैं एक आदर्श कारागार, एक खुला शिविर और 49 जिला कारागार हैं इसके अतिरिक्त 3 उप कारागार तथा एक किशोर सदन, कुल 60 कारागार और संस्थायें स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त आदर्श कारागार लखनऊ में एक नारी बन्दी निकेतन, विभिन्न जिला कारागारों में 18 अल्पवयस्क कारागारें एवं 3 महिला कारागार स्थापित हैं। मान्यवर आज हमारे जेलों की जो क्षमता है वह 33,802 बंदियों को रखने की है और उसके सापेक्ष 56,931 बन्दी उसमें आज हैं। मान्यवर, हम कारागार की समस्या के निदान के लिए इस वर्ष कई जिलों में कारागार का निर्माण कर रहे हैं। कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में जिला कारागार निर्माणाधीन है। कौशाम्बी तथा सोनभद्र में जिला कारागार के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है अन्य जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से मान्यवर, जेल मैनुअल का जहां तक सवाल है यह 1894 में बना था। सन् 1927, 1936, 1941 में इसमें संशोधन किये गये। और अब 1995 में एस0 वेंकटरमण की एक कमेटी बनी थी जेल सुधार के लिए और वह विचाराधीन है। उम्मीद है कि इस वर्ष नया जेल मैनुअल स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही बंदियों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया गया पहले कारागारों में लकड़ी से खाना बनता था अब गैस से खाना बनाने का काम किया गया है, पंखा लगाने का काम किया गया है और सभी कारागारों मे टी0 वी0 लगाने का काम किया गया है। माफिया बंदियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कारागारों में निरुद्ध बन्दियों माफिया बन्दियों की कारागार में निरुद्ध के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यवाई की गयी है। सेल्युलर फोन के प्रयोग को निष्प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय कारागार, आगरा, बरेली, वाराणसी व नैनी तथा जिला कारागार लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद कुल सात कारागारों में मोबाइल फोन जैमर लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त बन्दियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय कारागार नैनी, बरेली, वाराणसी तथा जिला कारागार लखनऊ, गाजियाबाद, गाजीपुर में क्लोज सर्किट टी0 वी0 लगाये गये हैं। मान्यवर, यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश की तीन केन्द्रीय कारागारों नैनी, बरेली, वाराणसी में उच्च सुरक्षा हातों का निर्माण किया गया है तथा जिला कारागार लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, मेरठ में कराया जा रहा है। माफिया बन्दियों के स्थानीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपने गृह जनपद से दूर अन्य जनपदों में स्थानान्तरण की कार्यवाही कारागार अधीक्षक/जिला प्रशासन की संस्तुति पर की जा रही है।

इसी तरह से मान्यवर, राजनीतिक पेंशन का है। चूंकि सदन का मूड सुनने का नहीं है जल्दी में है इसलिए मैं सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ एक जानकारी देना

चाहता हूं प्रदेश में जो राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनका ध्यान रखते हुए जो पेन्शन देने का काम है वह 3016 की धनराशि दी जा रही है साथ ही साथ उनके मरने पर परिवार वालों को 2 हजार रुपया संस्कार के लिए दिया जाता है। इसी तरह से स्मारक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर अब तक 136 स्मारक का निर्माण सुनिश्चित किया है जिसमें 84 बन गयी हैं और 52 बनने को हैं। एक सवाल आया था महिला हिजड़ा बन्दी का तो उसमें निश्चित रूप से गाजीपुर पुलिस द्वारा ए0 सी0 जे0 एम0 कोर्ट के आदेश से उसको एक अलग बैरेक में निरुद्ध किया गया था कहीं भी महिला बन्दियों के साथ उसको नहीं रखा गया था। जांच में यह रिपोर्ट आयी है कि उसको बिल्कुल अलग रखा गया था एक बैरेक में अलग कोठरी में रखा गया था। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कारागार विभाग की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा बहस की जाय। इसलिए मैं निषाद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कारागार को सुधारने की, बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उनकी सुविधायें बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जेल ऐसी है कि उसमें जितनी भी सब्जी लगती है वह हम उत्पादित करते हैं इसलिए निषाद जी से अनुरोध करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद आप अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं या वापस लेते है, केवल दो शब्दों में कहिये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब से नेता सदन मुख्य मंत्री बनी हैं तब से हिजड़ा आदमी में फर्क नहीं है। हिजड़ा ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-25 गृह विभाग (कारागार) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,97,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा व्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,98,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर मतदान

अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,77,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर विवाद नहीं होगा। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,77,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

मुझे सदन को सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 25 अगस्त, 2002 की बैठक में सदन में वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के विषय में यह सिफारिश की है कि--

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण की मदें दिनांक 27 अगस्त, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के उपरान्त रखी जाये।

विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाये।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग, रेशम मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जो चर्चा है उसको दिनांक 28 अगस्त, 2002 के लिए स्थगित करता हूं।

जनपद बलिया के थाना खेजुरी के अन्तर्गत नाथ बाबा मंदिर पर हुई तोड़-फोड़ के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता--

जनपद बलिया के थाना खेजुरी अन्तर्गत नाग बाबा मंदिर वाले प्रकरण पर अब चर्चा होगी, माननीय सदस्य कृपया प्रारम्भ करें।

[समय 10 बजकर 20 मिनट]

श्री शारदानन्द अंचल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गत 22 अगस्त को जब पूरे देश में रक्षाबन्धन का त्योहार मनाया जा रहा था, भाई-बहन एक दूसरे से मिल रहे थे और भाई अपनी कलाई पर बहनों से राखी बँधवा रहे थे, इसी पवित्र त्योहार के दिन बलिया जनपद के नाथ बाबा के मन्दिर पर अन्याय, अत्याचार, लूट, मारपीट, डकैती और वहशियाना कार्यवाही का दौर चल रहा था। प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती उसी समय अपने कैबिनेट मंत्री लालजी टण्डन को राखी बांध रही थीं उसी समय वहां के विधायक की साजिश से 10 हजार लोग लट्ठबंद, लामबंद होकर, आग्नेयास्त्रों से लैस होकर, वहां टूट पड़े थे। वहां पर पूजा के नाम पर इकट्ठा की गई भीड़ ने वहां की दुकानों को लूटने का आक्रामक काम किया। वहां पर पुलिस का अमला भारी संख्या में मौजूद था, पुलिस को इस बात की जानकारी थी, जिला प्रशासन को जानकारी थी, कलक्टर और एस0 पी0 को जानकारी थी कि नाथ बाबा के मन्दिर के आसपास आतताइयों का हमला बोला जाने वाला है और वहां स्थित दुकानों, मकानों को लूटने की साजिश हो रही है।

मान्यवर, मन्दिर के आसपास के लोग जिनके नाम से दुकान और मकान है, उनको लूटने का काम वहां किया गया। पुलिस ने उन लोगों को अनचाहे ढंग से रोकने का काम किया क्योंकि वहां के विधायक का दबाव था, प्रशासन पर दबाव था, चाहे जितना लूट हो, डकैती हो, मार हो, हत्या भी हो जाय लेकिन पुलिस और प्रशासन न बोले। जब वहां भीड़ का आक्रमण हुआ था लोग भयभीत होकर भागने लगे। मान्यवर, इस मन्दिर में लाठी की पूजा होती है, इसी बहाने तो यह सब लोग लाठी लेकर आये थे और लाठी के साथ आग्नेय अस्त्रों से लैस होकर उन्होंने धावा बोला और वहां के बनिया समुदाय के दुकानों को लूटा। वहां पर 18 गांवों के लोग, गाड़ियों से लोगों को माननीय विधायक ने उपस्थित कराया था, यह उस क्षेत्र के निवासी नहीं थे, लेकिन विभिन्न साधनों पर लद कर वहां आये थे। उनको इसलिए वहां लाया गया था कि तुम लोगों को चल कर वहां पर हमला करना है, जिस तरह बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसको ढहाने का काम किया गया था, उसी तरह वहां के लोगों की दुकानों को गिराया गया, लूटा गया, बरबाद किया गया, मारा गया और पीटा गया तथा ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी। मान्यवर, वहां मौजूद पुलिस टुकुर-टुकुर

ताकती रही क्योंकि उन पर दबाव था, विधायक का कहना था कि हमने बात कर लिया है, कैबिनेट मंत्रियों से बात कर लिया है, ऊपर के अधिकारियों से बात कर लिया है।

मान्यवर, वहां पुलिस भी पीटी गई, आप चाहें तो उनकी इंजरी रिपोर्ट मंगा सकते हैं। वहां 10-10 सब इंस्पेक्टरों को पीटा गया, सी0 ओ0 की पिटाई हुई, पुलिस अधीक्षक और डी0 एम0 वहां पर गये लेकिन कायरों की भांति उन्होंने वहां से भागने का काम किया क्योंकि यह जानकर कि यह सब विधायक करवा रहे हैं, वह भाग गये। मान्यवर, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोगों के इलाके में यदि कभी इस तरह की वारदात होती है तो हम लोग जान हथेली पर रख कर भीड़ को शान्त करने का काम करते हैं। वहां दौड़ कर जाते हैं और भीड़ में जान की परवाह किये बिना घुसते हैं। मुझे इस घटना से गहरी ठेस पहुंची है। जब मुझे जानकारी मिली है कि वहां के विधायक ने ही इस प्रकार का कारनामा खड़ा करके यह साबित किया है कि हम फासिस्ट हैं, हम नादिर शाह की औलाद हैं, और उसने इस प्रकार की वारदात करने का काम किया, मैं चाहता हूं आप इसे विशेष ध्यान देते हुए वहां पर कार्रवाई करने का काम करें और वहां के डी0 एम0, वहां के अधिकारी जो वहां शुशुप्तावस्था में हैं, वहां से मुंह मोड़े हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिये और जिनकी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिये तथा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिये, उन पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई होनी चाहिये, जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, लेकिन जब प्रदेश की मुख्य मंत्री अपनी ही सुरक्षा गुहार कर सकती हैं तो आम लागों की सुरक्षा का क्या होगा ?

(व्यवधान)

मान्यवर, उन्हें यह कहना चाहिये कि हम साम्प्रदायिक तत्वों के साथ हैं, हम प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं और पुलिस पर दबाव डालकर जनता को परेशान करना चाहते हैं, नाथ बाबा के नाम पर उसकी दुकान, मकान में आग लगाने का काम हम करेंगे, इस बात को आप सत्ता के लोग कहें। हमें लगता है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग गये थे, उन्होंने उसका विरोध किया, सारी पार्टियों और मीडिया के लोगों ने विरोध किया। गोरखपुर से बलिया सोनौली मार्ग है जहां विधायक को लोग ढूंढ़ रहे हैं और जाकर के वे सफाई दें, उन्हें अपने अत्याचारों के चलते बताना चाहिये था, जिस जनता ने वोट दिया है उन्हीं के ऊपर अन्याय की प्रक्रिया हो रही, अत्याचार हो रहा है, जुल्म और ज्यादती हो रही है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि वहां के लोग जो यह सब कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिये।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खेजुरी थाना के अन्तर्गत खेजुरी ग्राम में जिस तरह से 22 तारीख को 41 लोगों की दुकानों को लूटा गया, उसमें आग लगाई गई, दरवाजों को तोड़ कर जिस तरह से अमानवीय हरकतें की गईं, जिस तरह से गुण्डों को बुलाकर बिहार से बुलाया गया, गाजीपुर से बुलाया गया, बनारस से बुलाया गया, आजमगढ़ से बुलाया गया। माननीय विधायक ने, मंदिर के बगल में जो एक मठ के बगल में था उसको नहीं तुड़वाया क्योंकि वह प्रद्युम्न सिंह का मकान था। उससे आधे फर्लांग की दूरी पर स्थित सभी दुकानों को लूटा गया और मकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया गया है, यह कहां का न्याय है। मान्यवर, यह कैसेट जो अम्बिका चौधरी जी के हाथ में है आप इसे लगाकर देख सकते हैं, उनकी आवाज उसमें कैद है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वहां पर यह काण्ड होता रहा और डी0 एम0, एस0 पी0 सब असहाय होकर देखते रहे। वहां के डिप्टी एस0 पी0 को लाठियों से मार करके उसके पैर में फ्रैक्चर किया गया। उसके हाथ पर चोटें आयी। मैं वहां कल गया तो चक्का जाम था, मेरे जाने के बाद डिप्टी एस0पी0 जो बिहार का रहने वाला था, वह रोने लगा, उसके आंसू निकल आये, वह कहने लगा कि यह कहा गया कि ब्राहम्ण जाति का इस पर अटैक करो, उसकी टाँग पर चोटें आयी। 6-6 दरोगा को घायल किया गया, सिकन्दरपुर, पकरी और मनियर के दरोगा अनुसूचित जाति के थे, खेजुरी का दरोगा मुसलमान था उसका चार जगह से सिर फूटा हुआ है। मान्यवर, प्रशासन पंगु बनकर देख रहा था और आतताई जो बाहर से बुलाये गये थे, बाहर के गुण्डे थे, उन्होंने लूटने का काम किया। दरख्तों को तोड़कर आग लगा दी गयी है। उसकी दीवालें अभी तक वैसे ही खड़ा हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी इसमें लिप्त थे, फौरन उन पर कार्यवाही की जाय और जो लोग घटना में शामिल थे उन पर मुकदमा दर्ज किया जाय और उन्हें जेल भेजा जाये।

श्री राम इकबाल–

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, कुछ अनाड़ी मित्रों ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना बातें कही हैं। कुंठित और पीड़ित मानसिकता यहाँ आने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि अनावश्यक बातें कहकर सस्ती लोकप्रियता पाने का जो साधन अख्तियार किया है, इससे समाज का नक्शा वह नहीं बदल सकते हैं। महोदय, 22 अगस्त रक्षाबन्धन के दिन श्रीनाथ जी का शौर्य पूजन समारोह होता है। यह अमरनाथ बाबा के नाम से भी जाने जाते है। पन्द्रहवीं शताब्दी में जजिया कर लगा था, उस समय पीर महात्माओं, सन्तों ने समाज की बुराईयों के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग ढंग से संघर्ष किया था।

महोदय, जब जजिया कर लगा तो किसान तबाह हो गया था। सारे इलाके के लोग श्रीनाथ बाबा जो, सेंगर ठाकुर थे, सन्त भी थे, उस समय जातिवाद नहीं था मजहब का झगड़ा जरूर था, सारे किसान इक्ट्ठे हुये तब उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ने का मन बनाया और संघर्ष परम्परागत हथियारों लाठी, बल्लम, गँड़ासा, तलवार से हुआ इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि मुगल सत्ता पीछे हटी और जजिया कर वापस लेना पड़ा। तभी (1529) से शौर्य पूजा हमारे इलाके में होती है। जो कुंठित मानसिकता की राजनीति करते हैं मैं उसका शिकार नहीं हुआ हूं। मैं देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं मेरे अन्दर संकीर्णता रंचमात्र भी नहीं है। मान्यवर, उस संघर्ष में हर बिरादरी के लोग थे। पांच जगह पर रसड़ा, खेजुरी, टीलादेवरी, महराजपुर, नागपुर आदि में शौर्य दिवस अलग-अलग साल मनाया जाता है।

खेजुरी में इस वर्ष मनाया गया, पूजा समिति ने फैसला लिया। पूजा समिति के लोग कह रहे थे कि प्रशासन ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। यह मैं झूठ नही बोलता हूं। झूठ बोलने से मेरी किस्मत नहीं बदल जायेगी। वहां की पूजा समिति जिलाधिकारी से मिली और कहा कि वहां पर लाखों लोग आतें हैं। इस बार भी अखबारों में निकला कि 90 हजार से 1 लाख लोग आये। आप लोगों ने 10 हजार लोगों के आने की बात कहकर उस पूजा समारोह की औकात घटायी है जो उचित नहीं है। वहां पर लोग आते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस बार भी लगभग 1 लाख लोग आये लाठियां लेकर। वहां पर बाबा श्रीनाथ जी जिन्होंने आतताइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वहां आकर 5 चक्र परिक्रमा लोग करते हैं। वहां पर मंदिर की जमीन पर लोगों ने घर और दूकानें

बना ली हैं। सरकार का नियम है कि किसी सार्वजनिक जगह पर मंदिर या मस्जिद पर कोई अगर अतिक्रमण करता है तो ऐसे अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। वहां पर कोई नया कांम नहीं हुआ है।

वहां की पूजा समिति ने बार बार कहा मैंने भी 18 तारीख को जिलाधिकारी को सुबह टेलीफोन किया और कहा कि वहां पर कम से कम 2 लाख लोग आयेंगे। गर्मी का मौसम है कम से कम 15-20 हैंड पंप लगवा दें ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। लोग वहां पर 30-35 किलोमीटर दूर से आते हैं। वहां पर जो अतिक्रमण था उसको दोनों पक्षों से बात करके हटाया जा सकता था जो टीनें वगैरह बाहर निकली हैं उनको हटाया जा सकता था। वहां पर प्रशासन ने एक हैंड पंप नहीं लगाया और दोनों पक्षों की वार्ता नहीं करायी। अगर कोई माई का लाल है जो यह कहे कि मैंने उकसाया है तो मैं विधान सभा की सदस्यता को छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे जाने के पहले 90 परसेंट दूकानें टूट चुकीं थीं। वहां पर डी0एम0 और एस0पी0 गये। वहां पर पुलिस वालों को लाठीचार्ज और फायरिंग की मगर हालात पर काबू न पा सके, भीड़ पर गोली चलाते तो इलांका जल जाता।फायरिंग करके 1 लाख की भीड़ को रोका नहीं जा सकता है इसीलिए पुलिस को भागना पड़ा।

हमारे माननीय सदस्य वास्तविकता की बातें नहीं करते हैं। एक बार आपकी सरकार थी और आपने गोली चलवायी थी। आपका कहना था कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है लेकिन आपको पता होगा कि भीड़ गुम्बद पर चढ़ गयी थी। इसलिये गोली किसी समस्या का समाधान नहीं है। गोली से किसी भीड़ को नहीं रोका जा सकता है। इस मामले में समय रहते फैसला लेना चाहिए जो नहीं लिया गया। जहां तक एक जाति ब्राह्मण की बात की गयी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वहां पर हजार लोगों पर एफ0आई0आर0 की गयी। गांव के लोग दहशत में हैं और घर छोड़कर भाग गये हैं। पुलिस दरवाजे खुलवाकर महिलाओं से पूछती है कि तुम्हारे घरवाले कहां गये हैं। उस गांव में दूकानें बंद हैं। वहां पर तीन दिन से स0पा0 के लोगों ने जाम किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि बलिया का जिला प्रशासन इनसे मिला हुआ है। बलिया-गोरखपुर मार्ग जाम है। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता भी रोड जाम में थे। क्या इनको रोड जाम का अधिकार दे दिया गया।

जाम किसी समस्या का अंतिम विकल्प हुआ करता है। यह लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं और प्रशासन इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर रहा है यह अपने आप में संदेह पैदा कर करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक जाति विशेष के ऊपर आरोप लगाया गया। जो 4 लड़के वहां गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से एक मुन्ना पुत्र मूलचन्द्र राजभर, दूसरे जालीम पुत्र राजधानी, यह अनुसूचित जाति के हैं। तीसरे ओम प्रकाश पुत्र भुलेश्वर यह अनुसूचित जाति के हैं और चौथे गुड्डू पुत्र रामहर्ष अनुसूचित जाति के हैं तथा ग्राम डेहरी के निवासी हैं। मैं उनका आदर करता हूँ। श्री रोशन शाह एवं नीरा बाबा भी उस समय श्रीनाथ जी के साथ लड़े थे। पहले वहां पीर बाबा पर चादर चढ़ाते हैं उसके बाद श्रीनाथ जी के पांच चक्कर लगाए जाते हैं। लेकिन आपने जैसे विचार प्रकट किये उससे कुत्सित मानसिकता का ही पता चलता है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी—

हम पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री राम इकबाल--

वहां जो दुकानें गिरी हैं वह जाति पांति के आधार पर नहीं गिराई गई। उन लोगों ने अतिक्रमण किया था। शासन को पहले हटा देना चाहिए था। वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई उसने उनको मलवे में बदल दिया। वहां पर आस-पास के गांव में दहसत का माहौल है। जिन लोगों ने रास्ता जाम किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको रासुका में बन्द किया जाए। आप दोहरा चरित्र रखते हैं आप लोग रोज मांग कर रहे हैं कि विधायक को पोटा में गिरफ्तार किया जाए और आपने ही पोटा का विरोध किया था।

श्री शारदा नंद अंचल--

अगर अपराध किया है तो कार्यवाही होनी चाहिए।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रांम इकबाल--

बिना तथ्यों को जाने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक जिम्मेदार पार्टी के नेता जो हरकत कर रहे हैं वह असहनीय है। जिस ढंग से यह लोग मेरा नाम घसीट रहे हैं मुझे इस बात से अफसोस नहीं है मुझे अफसांस इस बात का है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई कितना नीचे चला जाएगा। मैं जब वहां गया था तो दो तिहाई घटना घट चुकी थी। मुझे भरत सिंह ने भेजा कि आप जाइए। क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। जो फोटो व आवाज की बात है। आप कोई जांच एजेंसी तय कर दें वह एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे सदन उठने के पहले ही। वीडियो टेप या फोटो आदि की जांच करें लें। मैं उसके लिए तैयार हूं। प्रशासन अगर सजग रहता तो यह घटना टल सकती थी। लेकिन डी0एम0 व एस0पी0 गए थे। उन्होंने सोचा कि दो चार हजार की भीड़ होगी लेकिन वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। सपा इस दुर्घटना में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यह शुभ संकेत नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने विषय की गम्भीरता को देखते हुए नियम-56 में मैंने जो कार्य स्थगन की सूचना दी थी, उस पर चर्चा स्वीकार की। आम तौर पर मेरा अनुभव है कि इस सदन में नियम-56 पर सूचना आग्रह करने के बाद स्वीकृत नहीं की जाती। मैं एक बात के लिये श्री राम इकबाल सिंह का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं सदन में कुछ सच्ची बातें उन्होंने कहीं और श्रीमन्, जो कुछ भी थोड़ी सच्ची बातें उन्होंने कही हैं, वह महत्वपूर्ण बातें हैं और उससे मैंने जो सूचना दी थी उसकी विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने वाली है। मैंने सूचना में दिया था कि वहां पर बहुत भारी भीड़ अस्त्रों के साथ गई, उसको इन्होंने स्वीकार किया। मैंने कहा कि प्रशासन वहां पर पूरी तरह से विफल रहा, इन्होंने भी स्वीकार किया कि प्रशासन अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर पाया। उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनियंत्रित भीड़ को देखते ही भाग खड़े हुए, यह भी स्वीकार किया कि जो काम प्रशासन को कर देना चाहिए था बुलडोजर चलाने का बिना किसी सरकारी हुकुम, सरकारी आदेश के। उस भीड़ ने इस काम को किया।

मान्यवर, यही तथ्य मैंने अपनी नोटिस में दिये थे और चर्चा में भी कहे गये। मान्यवर, न सिर्फ मकान बल्कि वहां मकानों को और उनमें रखे सामान को लूट लिया गया और आग लगा दी गयी। मैं आभारी हूं राम इकबाल सिंह जी का कि उन्होंने सच्ची बातें इतने अच्छे लहजे से रखीं। सच्चाई के मद्देनजर इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि लूटने और आग लगाने की घटना वहां नहीं हुई। मान्यवर, इतनी ही बातें सूचना की ग्राह्यता के लिये काफी हैं। मान्यवर, जहां पूरी तरह से अराजकता हो, प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है दोनों तरफ से आपको सूचना के बारे में बातें सुनने को मिलीं। मान्यवर, मैंने 42 लोगों की सूची देने का काम किया है। मान्यवर, उसके बारे में किसी ने इन्कार करने का काम नहीं किया। मैं मांग करता हूं इससे पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्रीअपना जवाब दें पहले वो वहां के डी0एम0 को एक दिन भी बलिया में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रहने का अधिकार नहीं है। एक मिनट में खड़े होकर उनके निलम्बित किये जाने की घोषणा करें। जितने लोगों को लूटा गया है, जिनकी दुकानें जलाई गई हैं, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री राम इकबाल–

एक बात सुन लें। वह जमीन जो मंदिर की थी। परिक्रमा की जगह न होने से जनाक्रोश फूटा और उसको ध्वस्त कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनकी रोजी-रोटी थी उनके लिए ग्राम समाज की जमीन सड़क के किनारे कहीं दिलवा दीजिए। मैं उनकी दुकान मंदिर समिति से बनवा दी जायेगी। इसके लिए सरकार से नहीं लिया जायेगा। अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि 34 वर्षों से वहां कोई पूजा नहीं हो रही थी। मंदिर समिति को हम कोई दरख्वास्त नहीं देने जा रहे हैं कि वह कितनी मेहरबानी करे। कोई रोक नहीं है, कृपा करना चाहें तो करें। मंदिर समिति से जुड़े लोगों की कृपा हमने देख ली। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। सरकार से बात कर रहे हैं और पूरी की पूरी बात सिद्ध हो गयी है। मैं जिस बात की मांग करना चाहता था श्री राम इकबाल सिंह जी को एक बात के लिये और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यह मांग किया है जो सर्वोच्च एजेंसी हो सकती है, जिसके माध्यम से पूरी घटना की जांच कराई जा सके उस एजेन्सी से जांच की मांग वह भी कर रहे हैं और हम भी यही कहना चाहते हैं कि जिस घटना में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सीधे-सीधे जिम्मेदार हों , यह बात निर्विवाद रूप से सदन के सामने आ गई है इसमें कोई विवाद नहीं है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिस घटना में इन्वाल्व हों उसकी जांच कौन एजेंसी करेगी ? इसमें हम जुडीशियल जांच की मांग करते हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ और कोई एजेन्सी जांच नहीं कर सकती है। अगर आप में जुडीशियल जांच कराने का साहस नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने दल हैं उनकी सदन की कोई समिति बना दें और संसदीय कार्य मंत्री घोषित कर दें, वह समिति जांच करे। यह निर्विवाद बात है इसमें कोई विवाद नहीं है, अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जांच आप कमिश्नर से करा लेंगे, ए0डी0एम0 से करा लेंगे, मजिस्ट्रेटी जांच करा लेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसमें न्यायायिक जांच की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी करें अन्यथा सदन की समिति बना दें इससे अच्छी कोई जांच एजेन्सी इतनी बड़ी घटना की नहीं कर सकती है, इकबाल जी ने कहा है कि

कुंठित मानसिकता के लोग हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि शब्दों का प्रयोग इनको संयमित और संसदीय करना चाहिए। बहुत कम समय इनको आए हुए हुआ है, शारदानंद अंचल जी तीन-चार बार मंत्री रहे हैं और चौथी बार सदस्य के रूप में.....

(व्यवधान)

हम कोई अनाड़ी नहीं है, कुंठित मानसिकता नहीं कहना चाहिए था कुंठित मानसिकता उनकी होती है जो हारते हैं और बार-बार हारते हैं, हारते-हारते किसी बार सदन में पहुँच जाते हैं।...

(व्यवधान)

हम लगातार सदन में आ रहे हैं अगर कोई गोद में बच्चा लेकर पत्नी से भीख मंगवाने का काम करे कि मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, हम अनाथ हो जायेंगे, वोट दे दो और वह किसी तरह एक बार जीतकर आ जाए वही स्थिति है.....

(व्यवधान)

इन्होंने कहा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ हम भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं लेकिन मेरे बाद के मेरे छोटे भाई की इतनी सड़ियल मानसिकता, कहते हैं कि हिन्दुस्तान के सबसे बड़े विद्यालय में पढ़े हैं। वह महामना मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि है हम वहां से आए हैं, यह संस्कार हैं आपकी इतनी गन्दी मानसिकता, इतना अहंकार, इतना दंभ, महामना के यह संस्कार नहीं थे। दीनानाथ भास्कर जी ने अपनी बात कहते हुए कहा था.....

(व्यवधान)

महामना ने अहंकार और दंभ के संस्कार नहीं दिए थे, महामना ने विनम्रता का संस्कार दिया था महामना जी ने यह नहीं कहा था कि एक जाति ठाकुरों की है ठाकुर सेंगरों के नेता बनकर हीरो हो जाएंगे यह महामना जी के संस्कार नहीं थे।

(व्यवधान)

मुझे बोलने दें, इनकी मानसिकता इसलिए गन्दी है कि 12 बार इस विधान सभा से पिछड़ी जाति के लोग आए हैं...:..... ..... कफन मांगते चले आये हैं, तो इनकी मानसिकता कुंठित है। यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम को कलंकित कर रहे हैं। इनको अधिकार नहीं है इस बात को कहने का . . .

श्री अधिष्ठाता--

इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और अचानक दूसरे मोड़ पर आ गयी है। मेरा यह निवेदन है कि आप लोग विषय तक ही सीमित रहें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप जवाब दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इन्होंने कुंठित कहा। यदि आपने रोक दिया होता तो मैं एक भी वाक्य नहीं कहता।

(व्यवधान)

मान्यवर, नाथ बाबा हमारे देवता है, शारदानन्द अंचल जी के देवता है, जियाउद्दीन-रिजवी के देवता है। आज संयोग से नाथ बाबा इनकी जाति में हो गये हैं तो वह कोई उनकी बपौती नहीं हो गयी है। वह हम सबके देवता हैं। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। महात्मा गांधी बनियां जाति में पैदा हुए तो वह कोई बनिया जाति के नहीं हो गये, पूरे देश के हैं, इसी तरह से श्री राम ठाकुर जाति में हुए, तो ठाकुर जाति का उनमें कोई अधिकार नहीं हो गया, वह पूरे देश के राम हैं। यह जाति के आधार पर नहीं हो सकता है। उन्होंने कोई गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं किया था। वह राजनीति से परे रहकर बात करिये। वह सबके महापुरुष थे, उन्होंने जजिया कर हटाने का काम किया। उन्होंने छोटी दर्जी की दुकान को लूटने का काम नहीं किया, जो छोटी प्लास्टिक की दुकान है, उसको लूटने का काम नहीं किया, प्याज के गोदाम को लूटने का काम नहीं किया, आलू के गोदामों को लूटने का काम नहीं किया। मैं मांग करना चाहता हूं कि इस डकैती के मुल्जिम चाहे वह कितने ही बड़े पद पर हो और विधायक जी में साहस हो तो स्वीकार करें, गम्भीर से गम्भीर सजा उसको मिलनी चाहिए। मान्यवर, मेरे पास वीडियो कैसेट है। मैंने तब भी कहा था कि टेबुल कर सकता हूं और अब भी टेबुल कर सकता हूं। जब भी आप कक्ष में देखना चाहें आप कैसेट लेकर देख सकते हैं।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, नाथ बाबा रोड पूजा के सन्दर्भ में और समाज में एक सामंजस्य हो, ऐसे पूजा में जहां अलगाव है, के सम्बन्ध में 22-8-2002 को परम्परागत तरीके से पूजा का आयोजन किया गया था। पूर्व की सूचना के आधार पर, इसमें एक मंदिर पूजा समिति है, उस पूजा समिति ने पहले कहा था कि इस परिक्रमा के अन्तर्गत एक अस्थायी निर्माण हो चुका है इसको हटा दिया जाय और उस पूजा समिति का और दुकानों से संदर्भित व्यक्तियों के बीच 22-8-2002 को पूर्व सहमति के आधार पर अस्थायी निर्माण हटा दिया गया। एक बैठक हुई थी उसमें यह आम सहमति बनी थी । मान्यवर, आपस में बैठक हुई और सहमति के आधार पर कुछ अस्थायी निर्माणों को हटा दिया गया। समिति और दुकानदारों से वाद चल रहा था। इसमें कुछ स्थायी दुकानें बन चुकी थीं। इनमें दीवानी न्यायालय में यह हुआ था कि ऐसी दुकानों को स्थायी रूप से रखा जाएगा। यह निर्णय प्राइमरी स्टेज में था पता नहीं कैसे यह बात हो गयी। यह निर्णय लिया गया था कि जो पक्की दुकानें हैं उनको यथावत् रखा जाएगा। यह सही है कि कुछ लोग लाठी-डण्डों के साथ वहां पर पहुंचे और वहां की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हवाई फायर भी करना पड़ा, भीड़ को हटाने के लिए। इस घटनाक्रम में कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हो गयीं और इस संदर्भ में 10 दुकानदारों ने मुकदमा दायर कर दिया, बाद में 6 और दुकानदारों ने मुकदमा दायर कर दिया। इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनकी क्षति हुई है उनको ग्राम समाज की जमीन देकर उन्हें पुनर्वासित किया जाना है। जो क्षति हुई उसके बारे में आंकलन किया जा रहा है। कुछ दुकानदारों द्वारा वहां पर जो दुकानें हटाई गयीं उसको बना लिया गया था।

इसमें इस समय यह स्थिति है कि मुकदमें कायम हो गये हैं, इसमें 10 दुकानदारों ने और बाद में 6 और ने मुकदमा किया और उसमें बाद में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसकी जांच हो रही है। इसकी मजिस्ट्रीरियल जांच करा दी गयी है। इस समय स्थिति सामान्य है। इस समय इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही है। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से निबटने के लिए प्रशासन सचेत है। माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मान्यवर, यह नियम 56 में ग्राह्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

यह सूचना निरस्त की जानी है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 26 अगस्त, 2002 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनाएं प्राप्त हुई :--.

निम्नांकित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :--

श्री दिनेश सिंह	जनपद इटावा के भरथना के कांग्रेसी विधायक श्री विनोद यादव कक्का की जान-माल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
श्री किरन पाल कश्यप	सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में चीनी मिलें स्थापित होने से कश्यप समाज के लोगों की भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में,
श्री बीजू पटनायक	जनपद फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के गांव ठिठौरा में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में,
श्री सीताराम निषाद	अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के विभागीय समायोजन में उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
डा0 शिव प्रताप यादव	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास लि0 के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर समायोजन एवं वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह	प्रदेश में बी0टी0सी0 के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में पी0सी0डी0एफ0 डेरियों के उत्पादों के कमजोर विपणन प्रक्रिया के फलस्वरूप पनपे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
डा0 चकार अहमद शाह	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल शासकीय कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

(इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

जनपद बलिया के थाना खेजुरी अन्तर्गत नाथ बाबा मंदिर पर हुई तोड़फोड़ के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (क्रमागत)

नेता विरोधी दल *(श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, आज दिन भर और इसके बाद भी मैंने सदन की चर्चा सुनी। मान्यवर, यह इत्तफाक है कि आजाद हिन्दुस्तान में जो रिश्ते होने चाहिए वह नहीं हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन रिश्तों में बिगाड़ की शुरूआत आजाद हिन्दुस्तान में नहीं हुई बल्कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गयी। जो आने वाले कई दिनों तक इस मुल्क को और बिगाड़ने का कारण बन सकती है। मेरे लिए मेरे जैसे आदमी के लिये जो विवादों में घिरा रहता है उसके लिये यह बात और ज्यादा दुख की है कि एक मंदिर के मामले को लेकर एक ही धर्म के लोगों के बीच में विवाद हो जाये जाति और उपजाति का झगड़ा शुरू हो जाये। अगर इन मामलों को तय नहीं करेंगे तो मैं धर्म से मुसलमान हूं लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह कमजोर कौन होगा। कमजोर होगा देश और इसकी तरफ सोचने के लिये पता नहीं कितने तैयार हैं कितने नहीं। बात बहुत दुख की है जो हुई है। अगर किसी से गलती हो जाय और हम उसको सही करते रहें तो फिर यह गलती आगे बढ़ती रहेगी। बात गलत हुई है। अगर यहां से बात शुरू करें तो किसी हद तक मामला तय हो जाये। सारी बात को आपने स्वीकार किया है। क्योंकि देश कानून से चलता है और खुद यहां देश को और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जहां कानून कमजोर हुआ और जहां कानून को लागू करने में कमजोरी हुई तो फिर एक कमजोरी, दूसरी कमजोरी, तीसरी कमजोरी शुरू हुई और बात यहां तक पहुंच गयी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर भी राजनीतिक लोगों ने कमेन्ट करना शुरू कर दिया और फिर बात वही नहीं रुकी। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बीच में आकर मध्यस्थता करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को रोकेंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला असर-अंदाज हो जायेगा।

कड़वी यादों को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कानून मानने वाले लोग हैं। कानून की बात कानून से तय हो सकती है। इस सदन में अगर कानून का मामला कानून से तय हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी। कानून यह है कि कानून जिन लोगों ने हाथ में लिया है उनको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दोषी अधिकारी की जो बात आप करते हैं अगर यही चलन हो गया कि अगर हम ताकत के बल पर फैसला लेने लगे तो कानून का राज कायम नहीं रह सकता है। जब कानून का राज कायम नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर का होगा। अगर आपने कमजोर को खड़ा नहीं किया तो आइंदा मौका नहीं मिलेगा। अगर कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया है पुलिस अधीक्षक और डी0एम0 उसमें नपुंसक साबित हुए हैं तो दीजिये सजा। मुख्य मंत्री जी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सीनियर आई0पी0एस0 अफसर को मुअत्तल कर सकती हैं। जब लोग कब्जा हटाने लग जायेंगे तब कानून नाम की कोई चीज नहीं रह जायेगी।

(व्यवधान)

कानून को हाथ में लेने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होना चाहिये। सरकार ने इस मामले को हल्केपन से लिया है। आप दूसरी जगह जमीन देंगे आप मुआवजा के लिये सोच रहे हैं लेकिन जांच किस से करायेंगे। एक डी0एम0, एस0पी की जांच आप तहसीलदार से करायेंगे, पटवारी से करायेंगे, लेखपाल से करायेंगे ? एस0डी0एम0 से करायेंगे ? जो उसके मातहत है। यह यहां आज मसला है। जुडीशियल इंक्वायरी में क्या हो जायेगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सच्चाई है तो लोगों को गलती की सजा मिलनी चाहिए। हाथ में लाठी, डंडा और हथियार उठाने वालों को सजा मिल जायेगी।

अगर मान्यवर, जुडीशियल जांच का आदेश नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि हमारा इतना अधिकार तो है कि हम इस सदन से बहिष्कार कर जायं लेकिन मैंने इस बार मुस्तकिल यह वायदा

किया हुआ था और इस वक्त भी चाहता हूं कि मामलात पर बात होनी चाहिए और यही दूरियां हो गयी हैं कि हम बात नहीं करते हैं। नहीं मानेंगे अदालत का फैसला यह कहने वाले लोगों ने बरबाद कर दिया है, देश को॥ दिल्ली में बैठकर इलेक्ट्रानिक मीडिया के सामने कहते हैं कि नहीं मानेंगे अदालत का फैसला॥ किसी देश में, संविधान के देश में यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कानून की सुप्रीमेसी आफ ला नहीं है, अगर कानून की बालादस्ती कायम रहती है तो हमें बालादस्ती कायम रखने के लिए अगर लाठी नहीं गोली चलाने की भी जरूरत पड़े तो गोली चलानी चाहिए वर्ना कानून को उसका हक नहीं मिलेगा।

मैं मांग करता हूं संसदीय कार्य मंत्री से कि इसमें आपको कोई मसला नहीं बनाना चाहिए, जुडीशियल इंक्वायरी कोई फांसी का फंदा नहीं दे देती या हाउस की कमेटी बनाइये इसमें क्या परेशानी है॥ अपने सदन के सदस्यों पर आपको भरोसा नहीं है। अगर कोई शरीर अपने हाथ पैर पर भरोसा नहीं करेगा तो शरीर का काम कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों हम सबके साथ बैठकर फैसला लें॥ हो सकता है कि सदन की यह समिति आपके यहां और आपके जेहन को देखकर, प्यार-मोहब्बत को देखकर आपने उसको महसूस किया है हो सकता है कमेटी का फैसला वही हो जो आप चाहते हैं॥ एक अच्छी शुरूआत होनी चाहिए इसको आप शुरूआत क्यों नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बात भी दूंगा और मैं चाहूंगा, इतना तो आप भी कर सकते हैं, जुडीशियल इंक्वायरी या सदन की कमेटी की मांग करते हुए मैं आशा करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री भी ऐसा ही करेंगे॥

संसदीय कार्य, बालयोजना एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर--)

मान्यवर, जहां तक घटनाओं का क्रम है उस सन्दर्भ में मैं दुकानदार भाइयों को जो क्षति हुई है उसका तात्कालिक तौर पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जिसने जिस तरह की क्षति पहुंचाई है उसके ऊपर उस तरह की धारायें लगी है उसकी विवेचना होगी और जिसने जैसा किया है उसके अनुसार सजा मिलेगी॥ हम आंकलन भी करा रहे हैं कि कितनी क्षति हुई है, उसके लिए भी सरकार कुछ जरूर करेगी॥ इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है उसकी विवेचना होगी और जो जितना बड़ा अपराधी है उसको वैसी सजा होगी॥ इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज की गयी है उसकी विवेचना निष्पक्ष हो जाय॥ चाहे उधर के लोग हों या इधर के लोग हों उसमें जिसने अपराध किया है उसको फंसाना होगा॥ विवेचना में पूरा पर्दाफाश हो जायेगा इसलिए और कोई जांच की आवश्यकता नहीं है॥

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी को मजबूरी है रहमांकरम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसा है कि उन्होंने अपनी खूनी हाथों से आपकी ताजपोशी की है। मैं बड़े भारी मन से अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, आज की तारीख में ताकि मेरा यह विरोध लिखा जाय, मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

((श्री मो0 आजम खां अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

नौवीं सूचना डा0 रामबाबू हरित की आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, दसवीं सूचना चौधरी बाबू लाल की जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा में आगरा भरतपुर मार्ग पर स्थित मुख्य बाजार में बने पक्के नाले पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, ग्यारहवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद ज्योतिबाफूलेनगर के जिलाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुर्माना न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, बारहवीं, श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के बेगमकाजी जलील अब्बासी कन्या विद्यालय, बयारा के विद्यालय भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु दिये गये धन के अपव्यय एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, तेरहवीं, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रशिक्षित डाक्टरों के हजारों रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, चौदहवीं, श्री सुरेश कुमार खन्ना की उत्तर प्रदेश के आरा मशीनों के संचालन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, पन्द्रहवीं, श्री रामकरन आर्य की बस्ती नगर पूर्व रामपुर शिवबखरी न्याय पंचायत की विद्युत् व्यवस्था जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, सोलहवीं, श्री राकेश सचान की कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग को मध्यांचल निधि में स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य न कराने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, सत्रहवीं, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के महात्मा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों के प्रदेश में घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, अट्ठारहवीं, श्री बैजनाथ दुबे की देवीपाटन मण्डल में मेजापुर मिल पर गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, उन्नीसवीं, श्री जयराम विमल की जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आतापुर के ग्राम सावितपुर देवारा के किसानों को खतौनी की नकल तथा अन्य भूमि सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, बीसवीं, डा0 विनोद तिवारी की जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव के ग्राम लखनपुर कान्दू के मुहम्मद शरीफ एवं मुहम्मद अली की लिखित शिकायत पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, इक्कीसवीं, श्री ओंकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के सहसवान में जल निगम के जे0 ई0 द्वारा खुलेआम सरकारी धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, बाईसवीं, श्री शिवकुमार बेरिया की कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, तेईसवीं, श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के नगर सहारनपुर की नगरपालिका को नगर निगम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, चौबीसवीं, श्री कालीचरन राजभर की जनपद गाजीपुर के विधान सभा जहूराबाद में परसा तिराहीपुर रोड के सैयदखानपुर से तिराहीपुर तक सड़क ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, पच्चीसवीं, श्री रामकिशुन की लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं के साथ किये जा रहे भेदभाव के

सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, छब्बीसवीं, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था में आ रही गिरावट, हत्यायें एवं लूटपाट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, सत्ताईसवीं, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चंदौली स्थित भुपौली पम्प कैनाल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है एवं अट्ठाईसवीं, श्रीमती सुखदेवी वर्मा की जिला इटावा के लखनऊ विधान सभा क्षेत्र में भुगनीपुर गंगा नहर के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :

1--श्री प्रीतम राम, 2--श्री रामजीत राजभर, 3--श्री अजिम भाई, 4--श्री शारदानन्द अंचल, 5--डा0 तेजपाल सिंह, 6--श्री कोविद कुमार सिंह, 7--श्री कौशल किशोर, 8--श्री मदन चौहान, 9--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, 10--श्री घनश्याम शुक्ला, 11--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, 12--श्री जगन प्रसाद गर्ग, 13--श्री बंशीधर राज, 14--श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, 15--डा0 शिव प्रताप यादव, 16--श्री उमाशंकर कुशवाहा, 17--श्री किरनपाल कश्यप, 18--श्री पारस नाथ यादव, 19--श्रीमती अरुणा तोमर, 20--श्री रामविशुन आजाद, 21--श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, 22--श्री जयबीर सिंह, 23--श्री प्रताप चौधरी, 24--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, 25--श्री मुंशी लाल गौतम, 26--श्री घूरा राम।

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर एवं पीलीभीत को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 17 से मद सं0 20 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[वर्तमान मानसून अवधि में प्रदेश के जनपदों में अत्यधिक कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और जैसे-जैसे जनपदों से फसलों में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की हानि होने की सूचना प्राप्त होती रही, वैसे-वैसे सम्बन्धित जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भूराजस्व एवं सिंचाई देयों) की वसूली स्थगित करने एवं विविध देयों की वसूली में कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न किये जाने के निर्देश शासन स्तर से निर्गत किये गये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय जनपदों से इस आशय की सूचनायें भी प्राप्त हुई कि जनपद में सभी स्थानों फसलों की क्षति 50% या इससे अधिक न होकर कहीं-कहीं ही ऐसी स्थिति थी। फलस्वरूप ऐसे जनपदों के उन क्षेत्रों को ही नियमानुसार सूखाग्रस्त घोषित किया गया जिनमें फसलों की क्षति 50% या उससे अधिक थी। इसी आधार पर दिनांक 19-7-2002 को सर्वप्रथम जो 15 जनपद सूखाग्रस्त घोषित किये गये थे उनमें से 4 जनपद--आगरा, बागपत, मुजफ्फरनगर व

मथुरा को आंशिक रूप से ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। बाद में इन जनपदों के जिलाधिकारियों से सम्पूर्ण जनपद में फसलों को हुई 50% या इससे अधिक की क्षति की सूचना प्राप्त होने पर इन चारों जनपदों को पूर्णरूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

इसी प्रकार जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2002 को जनपद की तहसील बीसलपुर में ही 50% से अधिक की फसल हानि की सूचना उपलब्ध कराने पर जनपद की तहसील बीसलपुर को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। अग्रेतर जिला अधिकारी, पीलीभीत द्वारा जनपद की तीनों तहसीलों में 50% अथवा इससे अधिक की फसल हानि की सूचना प्राप्त होने पर जनपद की तहसील पूरमपुर एवं पीलीभीत को भी सूखाग्रस्त माने जाने एवं इनमें कृषकों के अवशेष राजस्व देयों की वसूली स्थगित करने तथा कृषकों के विविध देयों की वसूली में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, पीलीभीत को दिनांक 24-8-2002 को दिये जा चुके हैं।]

शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध वित्तीय परामर्शदाता के पद पर जिला पंचायत कानपुर नगर में, कानपुर नगर के मूल निवासी की पोस्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य
(सदन की सहमति से वकतव्य-पत्र हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[श्री नन्द राम कुरील उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा समूह ख वेतनमान 6,500–10,500 के अधिकारी है। निदेशक, कोषागार निदेशालय के आदेश संख्या 1809/1(76)/2002- को0 नि0/स्था0, दिनांक 28-6-2002 के द्वारा श्री कुरील की अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल, कानपुर के सहायक लेखाधिकारी के पद से स्थानान्तरित कर वित्तीय परामर्शदाता,जिला पंचायत, कानपुर नगर के पद पर तैनात किया गया। समूह क एवं समूह ख के आधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुये तैनात किये जाने की शासकीय नीति को दृष्टिगत रखते हुये निदेशक, कोषागार द्वारा स्थानान्तरण आदेश संख्या 3076/1(76)/2002/को0 नि0/स्था0, दिनांक 23-8-2002 द्वारा श्री नन्द राम कुरील को वित्तीय परामंशदाता, जिला पंचायत, कानपुर नगर के पद से स्थानान्तरित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में सहायक लेखाधिकारी के पद पर तैनात करने का आदेश जारी कर दिये गये हैं।]

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत इस आशय से सूचना दी गई है कि उ0 प्र0 के यूनानी एवं आयुर्वेदिक कालेज के छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि भविष्य में प्रतिवर्ष खुलने वाले

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालयों व वर्तमान में रिक्त पड़े पदों को जोड़कर प्रतिवर्ष के लिए कोटा निर्धारित हो जाये जिससे प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सेवा का अवसर सुलभ हो सके। इस समय लगभग 313 पद रिक्त हैं तथा लगभग 70 नये चिकित्सालय खोले जाने हैं। अत: 383 रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से भर्ती की प्रक्रिया कम से कम समय में समयबद्ध तरीके से अभियान के रूप में प्रारम्भ की जाये। वर्ष 1994 के बाद से अभी तक चिकित्साधिकारी (सामू0 स्वा0) के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी, लगभग 565 पद एम0 ओ0 सी0 एच0 के रिक्त है। इन रिक्तियों को मा0 न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्थगित रखा गया है। शासन मा0 न्यायालय की इस प्रक्रिया को तत्काल निपटाकर अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करे ताकि नई भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर तत्काल 565 रिक्त पदों पर तथा 1994 के बाद खुलने वाले प्रत्येक चिकित्सालय में एक चिकित्साधिकारी के पद को जोड़कर भर्ती की कार्यवाही की जाये।

2--उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विभाग में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के स्वीकृत कुल 1780 पदों के सापेक्ष तदर्थ चिकित्साधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 1456 पदधारक कार्यरत हैं। इस प्रकार 324 पद रिक्त हैं। आरक्षित वर्ग के बैकलाग में अ0 जा0 के 217, अ0ज0 जा0 के 28 व अ0 पि0 व0 के 103 कुल 348 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों की संख्या के 2 प्रतिशत पद रिक्त रखते हुए 288 आरक्षित वर्ग के बैकलाग के पदों को सीधी भर्ती द्वारा पूरा करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है। इसी प्रकार चिकित्साधिकारी, यूनानी के स्वीकृत कुल 254 पदों के सापेक्ष तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 224 पदधारक कार्यरत हैं। इस प्रकार 30 पद रिक्त है। आरक्षित वर्ग के बैकलाग में अ0 जा0 के 47, अ0 ज0 जा0 के 4 व अ0 पि0 व0 के 41 कुल 92 पद रिक्त है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों की संख्या के 2 प्रतिशत पद रिक्त रखते हुए आरक्षित वर्ग के बैकलाग के 25पदों को भी पूरा करने हेतु अधियाचन प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। स्पष्ट है कि चिकित्साधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 70 नये चिकित्सालय खोले जाने का सम्बन्ध है, दशम पंचवर्षीय योजना में कुल 270 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। वर्ष 2002--2003 में खोले जाने वाले चिकित्सालयों के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। उक्त प्रस्ताव अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के उपरान्त ही पद सृजन की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगी और तद्नुसार इन पदों को भरा जायेगा।

3--वर्तमान में चिकित्साधिकारी (सामू0 स्वा0) के स्वीकृत 1679 पदों के सापेक्ष तदर्थ चिकित्साधिकारियों (सामू0 स्वा0) को सम्मिलित करते हुए कुल 1290 पदधारक कार्यरत हैं। इस प्रकार रिक्त पदों की संख्या 389 होती है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों के 2 प्रतिशत के बराबर पद रिक्त रखने पर वास्तविक रिक्त पदों की संख्या 356 बनती है। चिकित्साधिकारी (सामू0 स्वा0) के आरक्षित वर्ग के बैकलाग के 370 पद अभी भी रिक्त चले आ रहे हैं किन्तु रिट याचिका संख्या 3516/87 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-5-1989 के अनुपालन में सभी चिकित्सा अधिकारी (सामू0 स्वा0) की तदर्थ नियुक्तियां उक्त रिट याचिका के निर्णय के अधीन की गई हैं जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत रिट याचिका में शीघ्र सुनवायी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अत: प्रश्नगत याचिका में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही चिकित्सा अधिकारी (सामू0 स्वा0) के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं के प्रमोद इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह यादव द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विद्यालय के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं द्वारा विद्यालय की स्थलीय जांच की गयी। छात्रों के प्रवेश के नाम पर प्रत्येक छात्र से रुपया 1000/- से रुपया 2000/- तक बिल्डिंग शुल्क के नाम से लिया जाना, प्रधानाचार्य व अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र से ट्यूशन के नाम पर रुपया 450/- वसूल करके अतिरिक्त कक्षायें चलाने, जो छात्र रुपया 450/- नहीं देते हैं उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया जाना एवं गत वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा की गयी शिकायत की जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं और उन्हें पुंजित किये जाने की संस्तुति की गयी।]

आगरा मण्डल के कृषि भूमि के सीलिंग अधिनियम में शासन द्वारा पुनः संशोधन करने की चर्चा से भयभीत होकर किसानों द्वारा सस्ती दरों पर अपनी भूमि बेचने से उन्हें होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

मद सं0 21 को 29-08-2002 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

जनपद बिजनौर में पूर्वी नहर निर्माण योजना के अन्तर्गत नजीबाबाद गंज रजबाहा की लम्बित अवशेष खुदाई को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी ओइमवेश द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 22 से मद सं0 33 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुये माने जाते हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़े हुये माने गये।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)---

[मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जनपद बिजनौर में लगभग 20 वर्षों से पूर्वी गंगा नहर की बिजनौर व गंज शाखा खुदी हुयी है, जिसकी लम्बाई लगभग 50-60 कि0 मी0 है। इस पर अनुमानित खर्च कई करोड़ रुपया हो चुका है केवल दो तीन स्थानों पर खुदाई बन्द पड़ी है। कई बार हजारों-2 किसान उक्त नहर की बन्द पड़ी खुदाई कराने के लिये कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, धरना व भूख हड़ताल कर चुके है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही के कारण उक्त नहर की खुदाई अधर में पड़ी है। हजारों किसानों को इस नहर के पानी से जो लाभ मिलता था वह तो मिला ही नहीं उन्हें अपनी जमीनों का मुआवजा भी अभी तक नही मिल पा रहा है।

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 विधायक द्वारा उपरोक्त नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में स्थिति निम्नवत् है:--

बिजनौर में नजीबावाद शाखा, नजीबावाद शाखा से निकली बिजनौर रजवाहा तथा गंज रजवाहा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नजीबावाद शाखा जिसकी लम्बाई 25.20 कि0मी0 है, के कि0मी0 23.710 से किमी0 25.20 तक तथा गंज शाखा जिसकी लम्बाई 31.00कि0मी0 है के शीर्ष से कि0मी0 2.175 तक गैप हैं। बिजनौर रजवाहा, जो नजीबाबाद शाखा के कि0मी0 25.2 से निकली है, को नजीबावाद शाखा के उक्त गैप के कारण जल आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इन शाखाओं पर जमीन न मिल पाने के कारण खुदाई का कार्य बन्द है। भूमि न मिलने का मुख्य कारण भू-स्वामियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध वर्ष 1995 में स्थगन आदेश प्राप्त करना था। विभागीयं प्रयासों से इन स्थगन आदेशों को माह अप्रैल, 1999 में निरस्त कराया गया, परन्तु भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खातें माह मई 2000 में कुर्क होने के कारण भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा नियम अवधि में एवार्ड घोषित नहीं किया जा सका तथा भूमि अध्यासन की धारा -4 व 6 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही कालवाधित हो गयी।

तदोपरान्त भूमि को लेने के लिय भू-स्वामियों के साथ आपसी समझौते के आधार पर भी भूमि लेने का प्रयास किया गया। भू-स्वामियों ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की दरों से लगभग दुगनी दरों की मांग किये जाने के कारण यह प्रयास भी असफल रहा। अब इस जमीन को लेने के लिये पुन: भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 व 6 केअन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, जो प्रगति में है।

उक्त भूमि मिलने के उपरान्त नहरों के इन गैपों को पूरा किया जाना तथा शेष कार्य पूर्ण कराना संभव होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के लिये कोई भी अधिकारी दोषी न होने के कारण किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है]।

जनपद महोबा में तालाबों की खुदाई के नाम पर विभिन्न मदों से कराड़ों रुपये के घपले के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[श्री सिद्ध गोपाल साहू, मा0 सदस्य विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम -51 के अन्तर्गत दिनांक 20-08-2002 को दी गयी सूचना में उल्लिखित किया है कि उनके द्वारा (मा0 सदस्य द्वारा) दिनांक 22-07-2002 को मुख्य विकास अधिकारी, महोबा को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी गयी थी कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 से अब तक नियोजन विभाग,ग्राम्य विकास विभाग व सिचाई विभागों से किन-किन मदों में कितनी - कितनी लागत के विभिन्न परियोजनाओं/तालाबों की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराये गये कार्यों की सूची आगणन सहित उन्हें उपलब्ध कराई जाये, किन्तु वह

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभी तक मा0 सदस्य को प्राप्त नहीं कराई गई है। मुख्य विकास अधिकारी, महोबा से सूचना नहीं प्राप्त होने के कारण कार्यों का सत्यापन औचित्यपूर्ण नहीं है। कार्यदायी संस्थाएं जान-बूझकर हीला -हवाली कर रही हैं। ताकि वर्षा होने से पूर्व वस्तुस्थिति की जानकारी न हो पाये और वर्षा होने के पश्चात् सत्यापन का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा।मुख्य विकास अधिकारी, महोबा द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर मा0 सदस्य द्वारा आयुक्त,चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा को भी पत्र लिखा गया है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में मुख्य विकास अधिकारी, महोबा को उनके द्वारा मांगी जा रही सूचनाएं /आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया है।

2– मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त,चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा से आख्या/विवरण प्राप्त हो गया है और मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकरी, महोबा को लिखे गये उनके पत्र दिनांक 22-07-2002 की प्रतिलिपि भी प्राप्त की गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्य विकास अधिकरी, महोबा को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 22-07-2002 में मुख्य विकास अधिकारी, महोबा से जनपद महोबा के सभी ग्रामों, कस्बों एवं नगरों में किन-किन मदों से कितनी-कितनी लागत से तालाबों की खुदाई का कार्य चल रहा है या कराया जा चुका है आदि की जानकारी मा0 सदस्य द्वारा मांगी गयी है। मा0 सदस्य द्वारा अपने पत्र में वित्तीय वर्ष 2001/2002/2003के वित्तीय साधनों से कराये जा रहे तालाबों के आगणन की प्रति व मजदूरों द्वारा कराये गये सभी अभिलेख दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक जांच टीम नियुक्त करके स्थलीय निरीक्षण के लिए मा0 सदस्य के साथ भजने का अनुरोध भी अपने पत्र में उल्लिखित किया है। स्पष्टतया मा0 सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 22-07-2002 में जनपद महोबा में तालाबों की खुदाई से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने की बात अंकित की है।

3–मण्डलायुक्त,चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा के पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2002 के साथ शासन को प्राप्त मुख्य विकास अधिकारी, महोबा की आख्या में वर्ष 2000-2001 से अभी तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कराये गये अथवा निर्माणाधीन तालाबों की योजनावार, कार्यदायी संस्थावार, योजना की स्वीकृत लागत व उसके सापेक्ष अवमुक्त धनराशि एवं कार्य की स्थिति/ प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नानुसार है–

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष	कार्यदायी संस्था का नाम	तालाबों का विवरण	स्वीकृत धनराशि (धनराशि लाख रु0में)	अवमुक्त धनराशि (धनराशि लाख रु0में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	2002 -2003	1-ग्राम पंचायतें	1-ग्राम सभा बहिंगा में तालाब खुदाई एवं 15 मी0 पक्के घाट का निर्माण	8.452	6.339	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8
				2-ग्राम सभा रतौली में तालाब खुदाई एवं 15 मी0 पक्के घाट का निर्माण	5.250	3.937	प्रगति पर
				3-ग्राम सभा डहरां में तालाब खुदाई एवं 15 मी0 पक्के घाट का निर्माण	5.10	3.825	प्रगति पर
				4-ग्राम सभा कैमाहा (बीला उत्तर)में तालाब खुदाई एवं 15 मी0 पक्के घाट का निर्माण	3.00	2.25	प्रगति पर
				5- ग्राम सभा बीला दक्षिण में तालाब खुदाई एवं 15 मी0 पक्के घाट का निर्माण	5.00	3.75	प्रगति पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	परम्परागत जल स्रोतों के संवर्धन की योजना (लघु सिंचाई)	2002-2003	ग्राम पंचायतें	1-तालाब खुदाई शहर पहाड़ी	6.20	4.50	प्रगति पर
				2-तालाब खुदाई उटिया	6.47	4.50	प्रगति पर
				3-तालाब खुदाई ननौरा	6.40	4.50	प्रगति पर
				4-तालाब खुदाई कुलपहाड़	6.20	4.50	प्रगति पर
				5-तालाब खुदाई अजनर	5.95	4.50	प्रगति पर
				6-तालाब खुदाई गौरहरी	6.44	4.50	प्रगति पर
				7-तालाब खुदाई बरॉय	5.05	4.50	प्रगति पर
				8-तालाब खुदाई उमरई	4.70	3.50	प्रगति पर
				9-तालाब खुदाई अमानपुरा	6.47	4.50	प्रगति पर
3	बुन्देलखण्ड विकास निधि	2000-2001	सिंचाई प्रखण्ड महोबा	1-कीरत सागर तालाब क्षमता वृद्धि योजना	26.58	26.58	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
				2-थाना तालाब की क्षमता वृद्धि	44.33	44.33	पूर्ण
				3-रैपुरा तालाब की क्षमता वृद्धि	30.76	30.76	पूर्ण
				4-सलारपुर टैंक क्षमता वृद्धि (99-2000 में स्वीकृत का अवशेष कार्य)	99.36	99.36	पूर्ण
				5-मदन सागर टैंक क्षमता वृद्धि	38.30	38.30	पूर्ण
				6-बड़ी बन्धी जलाशय क्षमता वृद्धि	16.33	16.33	पूर्ण
				7-कुवाँ-वारी तालाब का निर्माण	6.10	4.06	प्रगति पर
				8-महामुनि श्रेणी तालाब की खुदाई (स्वीकृति 44.58 लाख)	22.29	16.72	प्रगति पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
9	विधायक निधि	2002-2003	ग्राम पंचायत	1-ग्राम बसौठ में तालाब खुदाई एवं घाट मरम्मत कार्य	1.00	0.75	प्रगति पर

उपरोक्त के अतिरिक्त जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत को उक्त वर्षों में धनराशि अवमुक्त की गयी है। ग्राम पंचायतों द्वारा योजना के मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत रु0 50,000 तक की परियोजनाएं स्वयं स्वीकृत की जाती है।

पूर्वोक्त के अवलोकन से मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 22-07-2002 में इंगित बिन्दुओं का यद्यपि समाधान हो जाता है, किन्तु फिर भी मा0 सदस्य की भावनाओं को देखते हुए शासन स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, महोबा को यह निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि वे मा0 सदस्य द्वारा उनके पत्र दिनांक 22-07-2002 में इंगित एवं यथापेक्षित अभिलेख मा0 सदस्य से सम्पर्क कर, उन्हें अवलोकित करा दें एवं मा0 सदस्य यदि स्थलीय निरीक्षण करना चाहें , तो मा0 सदस्य के साथ स्थलीय निरीक्षण भी कर लें, ताकि मा0 सदस्य की यदि इस विषय में कोई अन्य जिज्ञासा हो, तो उसका भी समाधान हो जाये।]

राजस्व विभाग में लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाये जाने विषयक डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[मा0 सदस्य की उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के 29 जनपदों में माह फरवरी, 1999 में अभ्यर्थियों का लेखपाल पद पर चयन किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसकी लिखित परीक्षा वर्ष 2000 में करायी गयी। लिखित परीक्षा का आयोजन इन्स्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्सन बम्बई से कराया गया, जहां से लिखित परीक्षा का परिणाम माह सितम्बर, 2001 में प्राप्त हुआ। इसी अन्तराल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण संशोधन (अध्यादेश) 2001, दिनांक 15-9-2001 से प्रभावी हो जाने के कारण इसी आरक्षण अध्यादेश के तहत लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माह अक्टूबर, नवम्बर, 2001 में कराया गया। लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व परिषद द्वारा माह दिसम्बर, 2001 में मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालयों में दिनांक 1-1-2001 से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया है। इसी बीच अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी अध्यादेश, 2001 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञायाचिका में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21-12-2001 के द्वारा चयन/नियुक्तियों पर अग्रिम आदेशों तक स्थगन/रोक लगा दी गयी। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21-12-2001 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 27-12-2001 द्वारा प्रशिक्षण /चयन प्रकिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखी गयी है।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में 80 बेड के अस्पताल निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में 80 बेड अस्पताल निर्माण को शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में 80 बेड का कोई अस्पताल निर्माणाधीन नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत किरावली में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हुआ है। इसकी स्वीकृति वर्ष 1998 में दी गयी थी। इसकी मूल स्वीकृति लागत रु0 109.99 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था सी0 ऐण्ड डी एस0 उ0 प्र0 जल निगम, आगरा को वर्ष 1998-99 में 68.13 लाख तथा वर्ष 1999-2000 में रु0 41.86 लाख कुल रु0 109.99 लाख मार्च, 2002 तक उपलब्ध करा दिया गया था किन्तु अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधिकारी आवास--2 नग, टाइप--1 आवास--2 नग, टाइप--2 के आवास--4 नग, बनाना शेष हैं। इसके अतिरिक्त चहारदीवारी अपूर्ण है। वाह्य स्थल का विकास कार्य नहीं हुआ है जबकि निर्माण इकाई द्वारा 108.49 लाख व्यय भी किया जा चुका है। निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु निर्माण इकाई को निर्देशित कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में 2 ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र--फतेहपुर सीकरी एवं अच्छनेरा तथा 6 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किरावली, साधन, रूनकता, वहरावती, सामरा एवं जेंगारा में कार्यरत है।]

जनपद झांसी के थाना शाहजहांपुर के गांव वजीटा में बिजली के तार के चपेट में आये 12 वर्षीय बच्चे की हुई दुर्घटना की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[श्री विश्ववर्धन भाटी पुत्र श्री दिनेश कुमार भाटी, ग्राम वजीटा, थाना शाहजहांपुर, तहसील मोठ, जिला झांसी की विद्युत् दुर्घटना की सूचना न तो उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई और न ही स्थानीय थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। उपरोक्त कारणों से इस प्रकरण में कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान की गयी।]

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उप निदेशक विद्युत सुरक्षा झांसी ने लम्बे अन्तरसल के बाद अपने पत्र संख्या 762, दिनांक 05-10-2001 द्वारा सूचित किया कि श्री विश्ववर्धन भाटी की विद्युत दुर्घटना दिनांक 12-06-2000 को हुयी थी तथा विद्युत लाइन में कतिपय दोषों को इंगित करते हुये उन्होंने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिये जाने के साथ-साथ स्थानीय उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति भी की थी। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक झांसी क्षेत्र को नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जा चुके है।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी से बचाव हेतु बने अमवां बांध के टूट जाने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[जिलाधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद की सीमा के अन्तर्गत गण्डक नदी लगभग 100 कि0मी0 की लम्बाई में बहती है। वर्तमान वर्षा ऋतु में नदी की धारा में अचानक परिवर्तन के कारण दिनांक 11-7-2002 को अमवां खास तटबन्ध में कटान प्रारम्भ हो गया जिसका विस्तार अब तक लगभग 1.5 कि0 मी0 हो चुका है तथा कटान अभी भी जारी है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कटान से जनपद की तहसील तमकुही राज के 46 गांवों की 1,16,333 आबादी प्रभावित हुई है तथा 9590 हेक्टेअर कृषि फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ से कुल 19380 परिवार प्रभावित हुए हैं।

प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत बाढ़ के प्रभाव की अवधि तथा प्रभावित परिवारों की स्थिति के दृष्टिगत अब तक 3575 परिवारों को रु0 1000/- की दर से नगद सहायता वितरित की जा चुकी है तथा सभी प्रभावित 19380 परिवारों को तात्कालिक सहायता के रूप में खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी गयी है। बाढ़ के कारण जिन परिवारों के मकान कट गये या बह गये हैं उनकी सही स्थिति के आंकलन के लिये सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के उपरान्त गृह अनुदान का वितरण नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

बाढ़ के कारण 02 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जिसके लिये मृतकों के वारिसान को नियमानुसार रु0 50,000/- की दर से अनुग्रह सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। वृद्ध महिला एवं बच्ची की मृत्यु का मामला दैवी आपदा की परिधि के अन्तर्गत न होने के कारण राहत निधि से सहायता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

कटान प्रभावित तथा बन्धे पर रह रहे 2124 परिवारों को तिरपाल उपलब्ध करा दिया गया है तथा पेयजल एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु समुचित प्रबन्ध किये गये हैं। समस्याग्रस्त 17 स्थानों पर नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये गये हैं। बाढ़ केन्द्रों पर सचल चिकित्सा दल तैनात किये गये हैं तथा दवाओं का वितरण एवं रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण व इलाज किया जा रहा है। कटान प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।]

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कन्नौज में निर्माणाधीन पुलिस लाइन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[माननीय सदस्य श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा कन्नौज को जिला घोषित किये जाने के उपरान्त पुलिस लाइन के निर्माण हेतु मोहल्ला शेखाना की 27 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी जिसका मुआवजा भूमि मालिकों को आज तक नहीं दिया गया है। उक्त के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा लगभग 150 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

2--माननीय सदस्य द्वारा दी गयी नोटिस पर जिलाधिकारी, कन्नौज से आख्या मंगाई गयी, जिसके अनुसार जनपद कन्नौज की तहसील कन्नौज परगना कन्नौज के ग्राम कन्नौज बांगर में खाता संख्या 714 के विभिन्न गाटाओं का रकबा 1.51 राजघाट फेरी गोदाम आवास गृह तथा खाता संख्या 705 के विभिन्न गाटाओं का कुल रकबा 21.92 एकड़ बंजर तथा खाता संख्या 706 के एक गाटे का रकबा 0.14 एकड़ नाले के रूप में, इस प्रकार कुल रकबा 23.57 एकड़ उपरोक्तानुसार दर्ज था, जिनको कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की सहमति लेने के उपरान्त धारा 117 ज0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी ने दिनांक 26-7-2002 को पुनग्रहण किया था तथा उक्त ग्राम सर्वे में था एवं तत्कालीन उप जिलाधिकारी, सदर कन्नौज प्रभारी नायब तहसीलदार सर्वे ने दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर तैयार हुये प्रस्तावों में विभिन्न कास्तकारों से इस भूमि का तबादला करके पुलिस लाइन के निर्माण हेतु 23.57 एकड़ भूमि कास्तकारों की पुलिस विभाग को दे दी गयी तथा बदले में उपरोक्त भूमि 21.92 एकड़ कास्तकारों को दी गयी क्योंकि शेष 1.65 एकड़ नाला आदि के रूप में शासकीय भूमि थी। विभिन्न काश्तकारों की सहमति विभिन्न पत्रावलियों पर मौजूद है, जिसमें काश्तकारों ने वर्णित किया है कि वह अपनी भूमि पुलिस लाइन और जूडिशियरी के लिये ग्राम सभा की भूमि व स्थानीय निकाय भूमि से बदलने के लिये तैयार है, केवल उनके कब्रिस्तान को छोड़ दिया जाये। जिस भूमि को बदल कर कास्तकारों को दी गयी थी, उस समय कास्तकारों को दी जाने वाली भूमि के किसी भी गाटा संख्या के किसी भी रकबे पर राजस्व अभिलेखों में कोई कब्रिस्तान दर्ज नहीं था। नियम-51 में दिये गये नोटिस में वर्णित रकबा 27 एकड़ नहीं था बल्कि उपरोक्तानुसार रकबा 23.57 एकड़ था। इस प्रकार चूंकि भूमि तबादले के रूप में दी गयी थी इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

3--उपरोक्त के अतिरिक्त जिला मुख्यालय के लिये 150 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने का प्रश्न है, वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र संख्या भ-36/2000, दिनांक 15-7-2001 द्वारा उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त कम से कम 30 एकड़ अतिरिक्त और भूमि की आवश्यकता पुलिस लाइन के निर्माण के लिये बतायी गयी थी जिसके लिये कुल 90.83 लाख रुपये की आवश्यकता विभिन्न कास्तकारों को प्रतिकर के रूप में अनुमानित थी। इस प्रस्ताव पर निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद से दिनांक 10 जुलाई, 2002 को आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4--उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त जिला मुख्यालय के लिये विभिन्न कार्यालयों आदि की आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 133.74 एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 19-8-2002 को पत्र निर्गत कर मँगाई गयी है।]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बालपुर बाजार को गोण्डा फीडर से सम्बद्ध किये जाने के संबंध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कटरा विधान सभा क्षेत्र में बालपुर कस्बे को 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र करनैलगंज से विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं। 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र करनैलगंज से बालपुर कस्बे की दूरी लगभग 15 कि0 मी0 है। जनपद गोण्डा के मुख्यालय से बालपुर कस्बे की दूरी लगभग 11 कि0 मी0 है। जनपद गोण्डा मुख्यालय पर स्थापित 220 के0 वी0 उपकेन्द्र पर 2 अदद 5 एम0 वी0 ए0 क्षमता के परिवर्तक हैं जिसमें से एक परिवर्तक से गोण्डा नगर को तथा दूसरे परिवर्तक से 11 के0 वी0 फीडरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। 220 के0 वी0 उपकेन्द्र गोण्डा से गोण्डा नार्थ (ग्रामीण) फीडर निकलता है जो बालपुर के लिए अन्य फीडरों की अपेक्षा में सबसे निकट है परन्तु 11 के0 वी0 गोण्डा नार्थ ग्रामीण फीडर की लम्बाई स्वयं में लगभग 150 कि0 मी0 है तथा 220 के0 वी0 उपकेन्द्र पर स्थापित 5 एम0 वी0 ए0 परिवर्तक भी अधिभारित हैं।

बालपुर बाजार को 11 के0 वी0 गोण्डा नार्थ फीडर से सम्बद्ध करने के लिए मार्ग में पड़ने वाली टेढ़ी नदी पर टावर बनवाना पड़ेगा परन्तु इसके उपरान्त भी विद्युत आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा इसलिए नहीं है कि 11 के0 वी0 गोण्डा नार्थ फीडर की लम्बाई पहले से ही 150 कि0 मी0 है जो बालपुर बाजार को जोड़े जाने के बाद और बढ़ जायेगी जिससे 11 के0 वी0 गोण्डा नार्थ फीडर की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हो जायेगी । अत: बालपुर को गोण्डा नार्थ फीडर से जोड़ना किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं होगा।]

जनपद गोण्डा के खराब पड़े नलकूपों के बारे में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[माननीय सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में जनपद गोण्डा के खराब नलकूपों तथा उन पर हो रहे व्यय के सत्यापन आदि के बिन्दु उठाये गये हैं।

अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के वर्तमान में 432 राजकीय नलकूप चलित हैं। दिनांक 15-8-2002 को 108 नलकूप अस्थाई रूप से बन्द थे, जिनमें से 14 यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को चालू करा दिया गया है और 94 नलकूप जो विद्युत दोष से बन्द थे उनमें से 12 नलकूपों को

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चालू कराया जा चुका है । समय-समय पर राजकीय नलकूपों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। वर्तमान में भी नलकूपों का भौतिक सत्यापन क्षेत्र से भिन्न अधिकारियों को नामित करके कराया जा रहा है।

वर्ष 2001-2002 में नलकूपों की मरम्मत हेतु नलकूप खण्ड, गोण्डा को रु0 51.96 लाख की धनराशि अनुरक्षण मद में आवंटित हुई थी। इसमें से रुपया 34.61 लाख की धनराशि नलकूपों के यांत्रिक उपकरणों की मरम्मत में तथा रु0 17.35 लाख की धनराशि नलकूपों की जल वितरण प्रणाली की मरम्मत हेतु उपयोग में लायी गई है। साथ ही वर्ष 2001-2002 में नलकूपों पर स्टार्टर लगाने व अन्य लघु कार्यों के लिए रु0 3.18 लाख की धनराशि जनपद योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी जिसका सदुपयोग करके स्टार्टरों की स्थापना व अन्य कार्य कराये गये हैं।

नलकूपों की मरम्मत हेतु प्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए मरम्मत कार्य की मापी अवर अभियन्ता द्वारा की जाती है जिसकी चेकिंग अधिकारियों के स्तर से भी करायी जाती है। नलकूपों पर होने वाले व्यय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

वर्णित स्थिति में व्यय की गयी धनराशियों का सत्यापन स्वत: परिलक्षित होता है।]

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज के पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[माननीय विधायक श्री राधेश्याम सिंह द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से रुपये 1.06 लाख, जनपद-कुशीनगर स्थित नगर पंचायत, कप्तानगंज के पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु दिए गए थे। कार्य सामग्री प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण है। उक्त लम्बित कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (कसया), कुशीनगर एवं अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड, गोरखपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

कार्य पूर्ण न होने का कारण प्राप्त धन का विचलन है क्योंकि प्राप्त धन का अन्य मदों में प्रयोग कर व्यय किया गया। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को प्रारम्भिक जांचोपरान्त चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक/अनुदेशिकाओं को शिक्षा मित्रों के रूप में विद्यालयों में समायोजित किए जाने के संबंध में श्री बलराम यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[माननीय सदस्य द्वारा दी गई नियम-51 की सूचना में अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव है जिसके कारण शिक्षण कार्य ठप पड़ा है। अनौपचारिक शिक्षा में संलग्न अनुदेशक/अनुदेशिकाओं द्वारा मात्र 200 व 250 रुपयों पर शिक्षा में

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सराहनीय योगदान दिया जाता रहा है। वर्तमान में इस योजना को समाप्त किया जा चुका है और इस समय महंगाई के युग में बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। इन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे शिक्षा मित्रों के रूप में विद्यालयों में समायोजित किया जाना जनहित में उपयोगी होगा और विद्यालयों में शिक्षण-कार्य भी सुचारु रूप से चलता रहेगा।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है तथा प्रदेश के ग्राम विशेष जहां शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जा रही हो, पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/अनुदेशिकाओं द्वारा प्रत्यावेदन दिए जाने एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया में अर्ह पाए जाने पर शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

3-- इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व अनुदेशक/अनुदेशिकाओं द्वारा संदर्भित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में दायर लगभग 100 से अधिक रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपीलें दायर की गयी है जो अभी विचाराधीन है। इस प्रकार मामला न्यायिक प्रक्रिया में सबजूडिस है तथा न्यायिक प्रक्रिया के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है।

जनपद लखनऊ में पेयजल आपूर्ति प्रदूषित होने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन के सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

[श्री महबूब अली, मा0 सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है --

"जनपद लखनऊ में इस समय प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे मनुष्य के जीवन को लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसकी पुष्टि नगर निगम, लखनऊ द्वारा अनेकों जगह के नमूने भी जिसमें पानी को प्रदूषित पाया गया है। माह जून, 2002 में आलमबाग, आजादनगर के मोहल्ला मुस्लिमनगर में प्रदूषित पानी की आपूर्ति के कारण संक्रामक रोग फैलने से कई लोग बीमारी की चपेट में आ गये थे जिनका उपचार स्थानीय अस्पतालों में किया गया है। प्रदूषित पानी एक ही जगह नहीं कई जगह होने की नगर निगम द्वारा पुष्टि की गयी है, जिसकी सूचना विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग को दी गयी है। मगर कोई भी विभाग ने कार्यवाही नहीं की है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।"

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आलमबाग स्थित आजादनगर, मुस्लिमनगर आदि क्षेत्र अनाधिकृत रूप से बसी कालोनियां हैं जिस कारण सामान्य नागरिक सुविधाओं का अभाव है। निचले क्षेत्र में बसे होने के कारण जल-भराव आदि की समस्या बनी रहती है। इस क्षेत्र में कतिपय अध्यासियों द्वारा अवैध रूप से अपने घरों में कनेक्शन किया गया है। कालोनी में सामान्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तभी संभव हो सकेगी, यदि क्षेत्र के अध्यासियों द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से कालोनी को विनियमित करा लिया जाय।

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य द्वारा उक्त क्षेत्र में दी गयी दूषित जलापूर्ति की सूचना के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 27-6-2002 को इस प्रकार की शिकायत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई थी। अत: दिनांक 27-6-2002 को लखनऊ नगर निगम, लखनऊ जल संस्थान तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में दौरा किया गया और मेन रोड तथा आजादनगर की गली नं0-1 से 7 तक में। नमूनें ओ0 टी0 टेस्ट हेतु एकत्र किये गये। ओ0 टी0 टेस्ट में यह नमूनें ऋणात्मक पाये गये।

उक्त स्थिति के पश्चात जल संस्थान लखनऊ द्वारा तत्परता से पानी में सुपर क्लोरीनशन किया गया जिसके कारण क्लोरीन की मात्रा पानी में सन्तोषजनक रूप से मिलने लगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 27-6-2002 से 06-7-2002 तक 37 हजार क्लोरीन टेबलेट का वितरण भी इस क्षेत्र में किया गया। दिनांक 29-6-2002 से पानी की जांच के सभी नमूनों में ओ0 टी0 धनात्मक पाया गया।

उक्त के अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य संगठन उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा भी आजादनगर मोहल्ले से दिनांक 28-6-2002--29-6-2002 को नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें गुणवत्ता उत्तम पायी गयी तथा क्लोरीन की मात्रा भी कम नहीं पायी गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लखनऊ नगर में की जा रही जलापूर्ति की जांच राज्य स्वास्थ्य संगठन तथा लखनऊ नगर निगम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधियों द्वारा गठित संयुक्त टीमों द्वारा समय-समय पर किया जाता है, और नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।]

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल दिनांक 27-6-2002 को 11:00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन को उपवेशन रात्रि में 11 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 26-8-2002

पी0एस0यू0पी0-एल0 417 विधान सभा-(704)-27-2-03-813 (कम्प्यूटर) ।